Festivals of Kullu

Rajneesh K. Gautam
Asst. Prof.
Dept. of Drawing & Painting
D.A.V. (P.G.) College, Muzaffarnagar. U.P.

Abstarct :

Any area of the earth where human civilization exists cannot remain untouched by human thoughts. Along with happiness and sorrow, humans have also created many means to express human feelings. The description of some such festivals and celebrations can be seen in Krillu district of Himachal Pradesh. Through this research paper, some festivals of Kullu region are to be described, which work to preserve Indian art and culture culturally.

Key Words *:Folk art, fairs, festivals, classical art, festivals, decoration, trend, tradition and religion.*

The land of *Kullu* district is the land of fairs and festivals. Different fairs are organized here in almost every region in the year. Prominent among these fairs are:-

Dussehra* of *Kullu

This fair starts on the second day of the traditional *Dussehra* fair. Artists and traders from different parts of India come in this. Initially, this fair was held in *Manikarna*. This fair used to start with the worship of horses, weapons and weapons near the palace during the time of kings. This fair begins on the arrival of *Manali Hidimba Devi*. When the goddess reached *Kullu*, the king of *Kullu* himself used to reach outside the city to welcome her and offer prayers. Thereafter, the goddess is brought to the famous *Radhunath* temple in a procession accompanied by melodious tunes of plays and instruments. All the deities of *Kullu* arrive on this auspicious occasion. There a fair is organized for seven days, on the last day of the fair Lanka is burnt. On this occasion, the chariot of Lord *Radhunath* is brought to the banks of river Beas. There Lanka is burnt in the form of pyre. A buffalo, cock, fish, goat etc. are sacrificed on this occasion.

Other Fairs

Many fairs are organized in *Kullu* district apart from the *Dussehra* fair of *Kullu* town. These include an eight-day festival in *Jao* in *Nirmand, Dugi Lag Ke Bhaga Siddha* Temple in *Bhadrapada* two entries in *Bhadrapada, Shauryi Mela* on *Ujhi* region's presiding deity *Hidimba* Devi's *Dhungri Mela* on *Jyestha Sankranti, Bijli Mahadev Bhekhli Meshahnu* festival, *Vaishakh* in *Payuid* in June. *Ashtami* fair, *Shravan Purnima* fair in the month of July at *Triguji Narayan* temple *Diyar, Shahnu* festival at *Bhekhali*, eight kilometers from *Kullu, Shaydi* fair in the month of May in Tripura *Sundari Naggar* etc. are famous fairs. Apart from this, fairs are organized at places like *Nirmand, Aani, Dalash, Sareulsar, Banjar* etc.

Caste

Peepal Tahar in *Hurla* in *Kullu* district on April 16-17, *Shri Khand Mahadev's Tahar (Chadi Yatra)* in June-July, Dev *Chhamahu* and Dev *Chanjanu* fair in *Shanauli* in May, *Khani* (*Bali Chowki*) on *Kullu Mandi* border. Is. *Manikarna Jatar Mela* is celebrated from 30 April to 4 May, *Dhungri Mela* in *Manali* on 14-15 May (*Jyeshtha Sankranti*) and *Badal Mela* on 8 September. The famous *Shringa Rishi* temple fair of *Banjar* valley is held in the month of May and a three-day *Shochari* fair of *Sachani* village on the border of *Mandi* near *Nagwai* is held at Dev *Sukh Dev* temple. In this way fairs or *jatras* are organized in *Bijli Mahadev* temple in the month of *Sawan*. Apart from this, the old *Diwali* of *Nirmand* which is called '*Dhaudi*' in the local language. Celebrated on the new moon day of the month of *Marg Shirsha*.

Special Significance

Many local festivals are celebrated in *Kullu* district. Among these, *Jhulsa* festival of *Banjar* Valley is famous. This festival is celebrated one month after *Diwali*. Local people call it *Diwali* festival. This festival is celebrated every third year. Six villages of *Thatt* Gram *Panchayat* participate in this festival. In fact, this festival is celebrated in the form of *Bhindant* between two villages out of six. In the year 2004 there was a clash between *Thaat* and *Dhanyara* villages. On this festival, the men of these two villages attack the opposing village with burning torches in their hands. Women watch the spectacle of scorching men as mere spectators. As soon as the decision of victory and defeat is made, the people of both the villages hug each other by putting torches in the *Dhar Kund* and enjoy the whole night by singing and dancing. This festival is believed to be associated with the *Pandavas* and is held to commemorate the marriage of *Bhima* and *Hidimba*.

***Shauna's Shadaye* Fair**

This fair is held in two to four entries of the month of *Shravan* in *Dhalair* and *Audiaugi* villages situated at the foot of *Bashleu* pass in *Nirmand* sub-*tehsil*.

***Budhi Diyali* Fair**

Budhi Diwali or *Diyali* is the main festival of Outer *Siraj* and Inner *Siraj* region. This festival is celebrated one month after the traditional *Diwali*. The *Budhi Diwali* of Outer *Siraj* (*Nirmand*) is very famous. The local people call it by the name of *'Budhi Dayauri'*. Here the episodes of Mahabharata are brought alive. At the beginning of this festival, in the evening, the people of the *Pandava* side descend into the *Dashnami* arena of *Nirmand* carrying torches. Here people taking the *Kaurava* side attack these people. The *Mahasangram* is enacted with local instruments. *Pandavas* are victorious in the end. On this occasion, people put their own torches in the burning bonfire (*Jagre*) in the middle of the arena and dance a lot by dancing around the bonfire.

***Fagli Utsav* Fair**

This festival is celebrated every year in the *Siraj* region of Kullu district on the arrival of *Makar Sankranti*. The main attraction of this festival is the demon dance wearing masks. It is an ancient festival and is organized in some major villages of *Siraj* (*Kullu*) along with *Bali Chowki* area of

Mandi. It is believed that these masks have immense power and the person wearing it is not harmed even if he walks on fire. The largest mask in this area is Shot *Mandayala* living in *Padharni* village.

***Fugni Utsav* Fair**

Kafungani festival is an important festival in the North East region of *Kullu* district. This is the main festival of the residents of *Kothi* Sari, *Kothi* Raison, *Kothi Mandalgarh*. It is organized at a height of 10,000 feet above sea level as an annual convention of Dev *Joganis* at the base of *Lohri-Achhari* mountain. The main *jogni* is called '*Nowagi*'. At the main sanctum, a huge rock is worshiped as the symbol of the deities. Devotees offer *Dushala, Chunri*, incense-lamps on this rock.

Kav Chhath* festival of *Nirmand

Nirmand is an ancient historical religious place located in Brahma *Siraj* area of *Kullu* district. This village is probably the biggest village of Himachal Pradesh. *Bhunda Yagya*, *Budhi Diwali* and *Kav Chhath* festivals have been celebrated in this village since ancient times. *Kav Chhath* festival is very important among these. *Kaav Chhath* means Crow *Ashtami*. That is, the *Shashthi* of *Shukla Paksha* of *Bhadrapada* month is called *Kaav Chhath* or *Kaua Shashthi*. According to legend, this festival is celebrated as a victory day to commemorate the slaying of a demon named *Sahasrabahu* by *Parshuram* during *Tretayuga*. It is said that the day *Parshuram* killed *Sahasrabahu*, On that day a crow had reached *Nirmand* flying towards the north. He informed the Brahmins of *Nirmand* about the victory of *Parshuram* in his poetic language. That day was the *Shashthi* of *Bhramas Shukla* Pa. That is why the name of this festival became famous as *Kaav Chhath* and the residents of *Nirmand* who were elated by the victory of *Parshuram* celebrated the victory day as a festival. Later on, a fair started being organized on this day.

This fair starts on *Panchami Tithi*, which is called by the name of *Rishi Panchami*, on this day all the deities are decorated. After that '*Bhadoji*', *Vadhpur, Shand* and *Bhunda Yagya* are celebrated after every 12 years to please *Bhadrakali* Mata. *Kav Chhath Mela* is a three day fair. In the beginning, seven chariots used to participate in this fair. Among these the chariots of *Bhadrakali, Chandi, Chandel, Dharopu Chambu, Dakshin Mahadev, Vishweshwar* (banal deity) and *Jaharveer* are prominent.

Kav Chhath fair is celebrated in the center of *Nirmand* village.

Bishu* Fair of *Kamand

This famous fair is celebrated every year on four *Baisakh* in a village called *Kamand*, about three kilometers on the left bank of Beas river near *Bhuntar*. There is an ancient temple of Goddess *Madasana* in *Makand*. It is located in *Jhanjhali panchayat* of *Hawai Ruyah* area. This fair is organized in the joy of ripening of wheat and barley crops. Only women dance is organized in this fair.

Bitha* and *Maagan Utsav

These festivals are held at *Basti Puin* in *Neenu* village in the *Manikarna* Valley. *Puin* has an ancient temple of *Devrishi Narad* and a water source. According to legend, a woman was weeding the crop at the temple site. He also had a girl child with him. The daughter felt very

thirsty. There was no source of water nearby. Seeing her daughter distraught with thirst, the woman put down her spade and started praying to God for water. When the spade hit a rock, the stone statue of *Devrishi Narada* appeared outside and a stream of water gushed out along with it. Later, the temple of *Devrishi Narad* was built. The chariot of God is kept in this temple.

Secrament

In District *Kullu*, different types of rites are followed from the time of birth of the child till death. Both *Sutak* and *Patak* rites are practiced here. Singing, dancing and drum-beats are prevalent on every ritual. The dead rites in *Sarajghati* are different from other parts of the state. Musical instruments are used in this area on the death of a person. Drums and other musical instruments are used for bathing the dead body, putting the shroud, lifting the bier and taking it to the cremation ground and the funeral pyre. These instruments are called by the name of *'Ulta Baja*' on such occasions. Along with the spread of education, now the use of musical instruments is decreasing. However, only instruments are still used on the death of distinguished and old people.

Outfit

In most parts of *Kullu* people wear warm clothes throughout the year. Here men wear *Chola,* Dora *Suthan* (*Salwar*), Topi. In the higher regions men drape a blanket over the shoulder. It is called '*Lachhu*' in the local language. But now men are slowly wearing jeans pants and shirts, sweaters and coats.

Women wear *Kameez, Salwar* in *Kullu* district. She ties a woolen blanket, which is called '*Pattu*' in the local language, in such a way that the lower part of the *Kameez* and the salwar till the knees are covered. She wears a ghatu on her head which is called '*Thipu*' in the local language. Presently women prefer to wear *Kullavi Topi. Dinanath Bhardwaj* is considered to be the creator of *Kullavi Topi.*

In outer *Saraj,* women wear a jacket instead of tying a belt around their waist.

Jewelery

The residents of *Kullu* love *Jewellery*. He wears both gold made or silver made ornaments. The main ornaments are – cloves, pumice stone, sand etc. worn in the nose. Presently educated women prefer to wear *Nath,* a *Tika* on the head, *Tunki, Tora Chak* and *Tika* on the forehead. She wears earrings, chandeliers, tops, *khundi* in the ears. In the ornaments of the neck, *Champakali, Chandrahar Damku, Sikka Mala,* Ring in the fingers, Mundari or *Bichhu* wear bracelets in the wrist, Toka.

Meal

People of *Kullu* like dishes made of rice, maize, wheat, *kodra,* barley. Most of the people are non-vegetarian.

Dance

Residents of *Kullu* love entertainment. There is a practice of many types of dances here. Among them *Lahauli Nati, Chambali Nati, Dhili Nati, Dohri Haran, Nati, Luddi Lanambar, Sangla, Laldi, Banthada, Pekha* etc. folk dances are prominent.

Musical Instrument

Local instruments are used in the dance of *Kullu*. In these musical instruments like *Shehnai, Dhol, Nagada, Karnal, Ransinga* etc. are prominent.

References :

1. Srivastava, Purnima-Society in folk songs page-9
2. Agarwal, Giriraj Kishore - Art Review page 188
3. Dwivedi, Dr. Hazari Prasad - District (Issue 1-Year 1 page 65
4. Parmar, Shyam - Indian Folk Literature page-10
5. Dr. Shailendra - Hindi Sahitya Kosh page 685-686
6. Parmar, Shyam - Indian Folk Literature - Page 10
7. Maharishi Ved Vyas - Pratyadarshi Lokan - Sarvadarshi Bhavennar: Mahabharata Udyog Parv 46/36
8. Gita A0 - Atosthi Loke Vedech Prashitah Purushottamah - 15 Shlok-18

गांधी जी के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों की प्रासंगिकता

प्रो. रेखा
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकं, सहनाभवतु सहनौभुनक्त, धर्मो रक्षति रक्षतः, सत्यमेव जयते एवं अहिंसा परमोधर्मः इत्यादि जैसे अनेक घोष वाक्यों में भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ प्रकट होती है, जो इस देश को एक विशिष्ट पुण्यभूमि के रूप में प्रतिष्ठित करती है। इस पावन भूमि पर समय–समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और इन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर अपना जीवन जीकर अद्वितीय एवं विलक्षण पुरुष बन गये। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, गुरुनानक जी, रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानन्द जी जैसे अनेक महान विलक्षण विभूतियाँ हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाकर उसका पालन कर अमर हो गये। इसी कड़ी में मोहन दास करमचन्द्र गांधी जी भी पावन भूमि पर अवतरित हुए जो अनेक विलक्षण गुणों से सम्पन्न एक महापुरुष थे और आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से अमर हो गये। मोहन से महात्मा बनने तक का सफर उनके आध्यात्मिक मूल्यों से ओत–प्रोत एक प्रयोगधर्मी यात्रा रही है।

मुख्य शब्द– गांधी जी, नैतिकता, सामाजिक, सत्य, ईश्वर।

गांधी जी के सम्पूर्ण परिवार के लोगों का ईश्वर की उपासना में दृढ़आस्था होने के नाते पूजा, अर्चना, वन्दना, व्रत एवं उपवास जैसे धार्मिक क्रियाएँ उनके परिवार का दैनिक कार्य था, जिसका प्रभाव गांधी जी पर पड़ना भी स्वाभाविक था। गांधी जी के मानस पटल पर सत्य, अहिंसा एवं कर्तव्यनिष्ठा जैसे भाव उनके पिता द्वारा अंकित हुए। गांधी जी को उनके माँ से भी काफी प्रेरणा मिली। इस विषय में वे स्वयं कहते हैं कि जीवन में कठिनतम व्रत लेने और उन्हें दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए वे अपनी माँ के ऋणी हैं। गांधी जी की माँ ने उन्हें सत्यमेव जयते एवं अहिंसा परमो धर्मः का मन्त्र बताकर उनके जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। इस प्रकार गांधी जी ने जीवन के सात्विक मूल्यों की प्राथमिक सीख अपने माता–पिता के चरणों में ही प्राप्त की थी।

गांधी जी का आध्यात्मिक विचार

शान्ति समन्वय स्नेह, सहिष्णुता के अग्रदूत सत्य अहिंसा, प्रेम एवं सत्याग्रह का व्यवहारिक रूप प्रस्तुत करने वाले असाधारण पुरुष, श्रेष्ठ समाज सुधारक उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ एवं कुशल अर्थशास्त्री मोहनदास करमचन्द्र गांधी का सम्पूर्ण जीवन आध्यात्मवाद से ओत–प्रोत है। उनके आध्यात्मवाद में धर्म, ईश्वर, सत्य, अहिंसा, नैतिक चरित्र एवं साधनों की पवित्रता का विशेष स्थान है। '**उनके आध्यात्म दर्शन में ये विभिन्न पहलू केवल बिखरी हुई कड़ियाँ नहीं बल्कि एक–दूसरे में समाहित हैं।**'[1] गांधीजी ने अपने आध्यात्मिक दर्शन के अन्तर्गत केवल शाश्वत सत्य को ही अपने दैनिक जीवन के समस्याओं पर अपने तरीके से लागू करने का प्रयास किया है। उन्होंने धर्म, दर्शन, ईश्वर, सत्य एवं अहिंसा का एक व्यवहारिक पक्ष प्रस्तुत किया और मनुष्यों के लिए एक नैतिक मूल्यों की स्थापना की।

गांधी जी का कहना है कि '**नैतिकता में आध्यात्मिकता समाविष्ट है। एक सुधारक के रूप में मैंने हर चीज को नैतिक दृष्टि से देखा है। मैं चाहे किसी भी रजनीतिक, सामाजिक समस्या से जूझ रहा हूँ या**

फिर आर्थिक समस्या से। उसका नैतिक पक्ष सदैव प्रबल होकर मेरे सामने आ ही जाता है और मेरे सम्पूर्ण दृष्टिकोण पर छा जाता है।[2]

गांधी जी का सम्पूर्ण जीवन चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर सामाजिक आध्यात्मिकता से ओत–प्रोत था। **'सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक सभी प्रकार के अभियानों द्वारा वे आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृतसंकल्प थे। उनका सन्देश भारत का आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए ही था।'**[3]

गांधी जी का चिन्तन धर्म, ईश्वर, जगत, सत्य, अहिंसा एवं मानव सम्बन्धी विचारों से घिरा हुआ है। गांधी जी के चिन्तन का शाश्वत सार नैतिकता में ही निहित है। उनका मानना है कि सच्ची नैतिकता और सच्चा धर्म एक–दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। **'नैतिकता के लिए धर्म का स्थान वही है जो स्थान जमीन में बीज उगने के लिए जल का है।'**[4]इसलिए गांधी ने धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया। उनके दृष्टि से **धर्महीनराजनीति मृत्युका एक ऐसा जाल है, जो आत्मा का हनन करती है।'**[5]वे राजनीति को केवल समय बिताने का साधन नही बल्कि परमात्मा की सेवा का साधन मानते थे।

गांधी जी ने अपने आध्यात्म दर्शन में सबसे पहले धर्म की व्याख्या की है। धर्म में उनकी अटूट आस्था थी इसलिए धर्म उनके प्रत्येक कार्य का प्रेरक प्रधान था। इस सन्दर्भ में गांधी जी ने स्वयं कहा है कि **'जब से मैं यह जान पाया हूँ कि सार्वजनिक जीवन क्या है ? तब से मेरे प्रत्येक कार्य व शब्द के मूल में पूर्ण धार्मिक भावना रही है।'**[6] गांधी जी ने धर्म का अभिप्राय बताते हुए कहा कि **'धर्म से मेरा अभिप्राय किसी विशेष धर्म, औपचारिक रूढ़िगत धर्म से नहीं है बल्कि उस धर्म से है जो सभी धर्मों की बुनियाद है, जो हिन्दूत्व, इस्लाम व ईसायत आदि से परे है तथा मानव समाज का शाश्वत सत्य है और अपनी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए किसी भी तरह का मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहता है।'**[7]इसी कड़ी में गांधी जी ने यह भी कहा है कि **'मैं किसी भी धर्म के ऐसे सिद्धान्त को नहीं मानता हूँ जो युक्तिसंगत न हो जिसका नैतिकता से टकराव हो।'**[8]गांधी जी का सत्यमें प्रगाढ़ आस्था थी। उन्होंने स्वयं उद्धृत किया है कि **'सत्य के प्रति मेरी अटूट आस्था ने ही मुझे राजनीति की तरफ खींचा है। मैं यह बिना किसी झिझक के विनम्रता पूर्वक कह सकता हूँ कि जो लोग धर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं मानते वे लोग धर्म का अर्थ ही नहीं जानते।'**[9] गाधी जी जिन धार्मिक विचारों के कारण राजनीति की तरफ खींचे चले गये थे उसे उन्होंने किसी धर्म विशेष से प्राप्त नहीं किया था बल्कि उनका अपना यह धर्म सभी मनुष्य जाति की सेवा करना था।

गांधी जी धर्म को जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाकर अनेक समस्याओं के समाधान में उसका प्रयोजन करते हैं और कहते हैं **मैं ईश्वर का साक्षात्कार मानवता की सेवा द्वारा करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। मैं जानता हूँ ईश्वर न तो स्वंर्ग में है और न ही पाताल में बल्कि वह तो समस्त चर–अचर में विद्यमान है।'**[10]**गांधी जी की अर्न्तात्मा में धर्म प्रेम की ऐसी धुन थी जिसके द्वारा वह समस्त जगत को चाहे वह मानव, पशु अथवा वनस्पति हों उसे अपने भीतर ही देख सके और दृढ़ विश्वासी थे कि सूक्ष्मतम परमाणु में भी ईश्वर का ही वास है।'**[11] इसलिए मानवता से दूर रहकर ईश्वर को नहींढूढा जा सकता है।

गांधी जी का कहना है कि **'धर्म एक निजी शुद्धिकरण का साधन नहीं बल्कि एक अत्यन्त शक्तिशाली सामाजिक बन्धन है।'**[12] इसलिए केवल धर्म ही बन्धुत्व, परोपकार, सहनशीलता, शान्ति एवं सद्भावना के अभिप्राय में विश्व का आधार बन सकता है। गांधी जी हिन्दू धर्म में गहरी आस्था रखते थे, लेकिन फिर उन्होंने हिन्दू धर्म के आचरण सम्बन्धी रूढ़ियों का पक्ष नहीं लिया, बल्कि मानवतावादी धर्म का पोषण किया जिसका लक्ष्य मानव की सेवा करना था। गांधी जी ऐसे धर्म के समर्थक थे जो अन्य सभी धर्मों

के साथ शान्तिपूर्वक रहने में विश्वास करता है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सत्य एक मात्र उसी धर्म में है। अतएव सभी धर्म एक–दूसरे के साथ रहे और हर एक व्यक्ति के लिए अपना निजी धर्म बना रहे।

धर्म और ईश्वर गांधी जी के आध्यात्म दर्शन का मूल आधार है। धर्म के बाद गांधी जी ईश्वर सम्बन्धी अपने विचार प्रस्तुत किये। ईश्वर के प्रति गांधी जी का अटूट विश्वास था। उनकी दृष्टि में '**मेरे** लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, वह सदाचार एवं नैतिकतापूर्ण है। ईश्वर अभय है, प्रकाश है, जीवन का अक्षय स्रोत है।'[13]गांधी जी ने यंग इण्डिया में लिखा है कि 'ईश्वरवह अवर्णनीय सत्ता है, जिसका हम सभी अनुमान तो कर सकते हैं पर उसे जान नहीं सकते। मेरे लिए तो ईश्वर सत्य है, प्रेम है, नीति है, धर्म, निर्भयता है। ईश्वर अन्धकार नहीं प्रकाश है और सभी चर–अचर प्राणियों में विद्यमान है, फिर भी सबसे परे है। ईश्वर अन्तर्रात्मा है, वाणी और तर्क से परे हैं, ईश्वर उनके लिए सगुण और साकार जो उसका साक्षात् संस्पर्श करना चाहते हैं। वह सर्वाधिक उदार एवं जनतान्त्रिक विचार वाला है क्योकि हमें अच्छे–बुरे के बीच अपने पक्ष को चुनने के लिए स्वतन्त्र रखता है। वह स्वेच्छाचारी है क्योंकि वह कभी हमारे सम्पूर्ण पुरुषार्थ पर पानी फेर देता है और कभी अपने स्वतन्त्र इच्छा से आनन्द के लिए लीला भी करता है और हम त्राहि–त्राहि करते हैं। इसलिए हिन्दू धर्म सृष्टि को ईश्वर की माया या लीला कहा गया है।'[14]

गांधी जी की दृष्टि में ईश्वर सम्पूर्ण जगत में विद्यमान एक जीवन्त ज्योति है और इसे ब्रह्म, राम, सच्चिदानन्द या फिर केवल सत्य कहा जा सकता है। 'वह स्वतः विद्यमान एवं सर्वज्ञा समपन्न जीवन शक्ति है जो विश्व की अन्य शक्तियों में अन्तर्निहित है।'[15]गांधी जी के लिए सत्य और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। उनका कहना है कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, सत्य का निषेध ईश्वर का निषेध है।'[16]सत्य वही है जिसकी सत्ता होती है गांधी ने अपना सम्पूर्ण जीवन एक सत्यशोधक के रूप में न्यौछावर कर दिया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का नाम भी सत्य के मेरे प्रयोग (My Experiment with Truth) रखा। सत्य से तात्पर्य सच बोलना। गांधी जी की इच्छा थी कि सत्य का अनुपालन सभी नीति चाहे वह राजनीति हो अर्थनीति हो, परिवार नीति या फिर समाजनीति सब में होना चाहिए। गांधी जी का सम्पूर्ण जीवन सत्यमय था। वह अपने जीवन में किसी भी बात को सत्य की कसौटी पर खरा उतरे बिना नहीं मानते थे और न ही किसी तरह का समझौता करते थे। वह सत्य व ईश्वर में कोई भेद नहींमानते थे। सत्य क्या है ? इसका उत्तर देते हुए गांधी जी ने कहा कि जो आपकी अन्तर्रात्मा कहती है, वही सत्य है। सत्य की अभिव्यक्ति करने के लिए अन्तर्रात्मा का शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि शुद्ध अन्तःकरण की आवाज ही सत्य हो सकती है। नैतिकता के एकादश व्रतों का पालन कर व्यक्ति द्वारा अन्तर्रात्मा की शुद्धि का प्रयास किया जा सकता है। हालाँकि पूर्ण सत्य की प्राप्ति सम्भव नहीं है क्योंकि आत्मशुद्धि के साधनों को पूरी तरह नहीं अपनाया जा सकता फिर भी इन साधनों के द्वारा व्यक्ति सत्य की ओर बढ़ सकता है।

गांधी जी का कहना है '**ईश्वर सत्य का प्रतीक है और सत्य तक पहुँचने के लिए साधन के रूप में अहिंसा को अपनाया जा सकता है अर्थात् सत्य साक्ष्य है तो अहिंसा साधन और साधन में आस्था के अभाव से उद्देश्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं है।'**[17]अहिंसा के अखण्ड साधना से सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है।

गांधी की दृष्टि में 'अहिंसा सर्वोच्च नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है, इसके तीन स्वरूप जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और भीरूआ की अहिंसा है। जागृत अहिंसा वह होती है जो व्यक्ति की अन्तर्रात्मा की पुकार पर जन्म लेती है और बहुत शक्तिशाली होती है जिसे व्यक्ति अपनी नैतिकता के कारण स्वीकार करता है। इसमें अपार शक्ति होती है, जो असम्भव कार्य को भी सम्भव कर सकती है। औचित्यपूर्ण अहिंसा वह होती है जिसे व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर औचित्य के आधार पर अपनाता है। हालाँकि इसमें

जागृत अहिंसा के जैसे अपार शक्ति नहीं होती है फिर भी यदि ईमानदारी और दृढ़ता के साथ इसका पालन किया जाए तो यह उपयोगी सिद्ध हो सकती है। भीरुओं की अहिंसा निष्क्रिय अहिंसा होती है, जो कायरता की निशानी है, इससे कुछ नहीं हो सकता है। वास्तव में कहा जाय तो यह अहिंसा का रूप है ही नहीं बल्कि यह तो व्यक्ति के भय, डर और मजबूरी का परिणाम है। गांधी जी का कहना है कि यदि मुझे हिंसा और कायर में से किसी एक का चुनाव करना हो तो मैं हिसा का चुनाव करूँगा।'[19]

एन.बी. सेन,'**अहिंसा को अप्रतिम शक्तिवाला शस्त्र मानते हैं।**[20] उनका कहना है कि अहिंसा मानवता को उपलब्ध महान शक्ति है। वह मानव बुद्धि द्वारा प्रस्तुत संहार का सशक्तम शस्त्र है। किसी भी कारणवश की जाने वाली हत्या मानवता के विरुद्ध अपराध है।

गांधी जी की दृष्टि में सत्य व अहिंसा महत्वपूर्ण तत्व है। **'सत्य और अहिंसा से शरीर बुद्धि और आत्मा की सभी शक्तियों का विकास होता है।'**[21]उनका कहना है कि सत्य अगर सर्वोच्चनियम है तो अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य है।

गांधी जी का ईश्वर में अटूट आस्था थी, उनका कहना है कि 'ईश्वर में आस्था रखे बिना मनुष्य में यह साहस ही उत्पन्न नहीं होगा किवह बिना क्रोध, भय और प्रतिशोध कर सके। यह साहस इस विश्वास से पैदा होता है कि हमारे अन्तःकरण में ईश्वर का वास है और जब हम ईश्वर के निकट है तो भला भय कैसा ?'[22]इस प्रकार ईश्वरमें आस्था जीवन को निखारती है और ह्रदय में ज्ञान व प्रकाश का ऊर्जा भरती है और जीवन को पवित्र, उदार और सहिष्णु बनाती है।

गांधी जी का कहना है कि जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है वह चौबीसों घण्टे कार्यरत रहता है, क्योकि ईश्वर ने हमें इसीलिए हाथ–पैर दिये हैं।'[23]

गांधी जी के आध्यात्मिक दर्शन में साधन और साध्य को अलग नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि केवल हमारे साध्य ही नहीं बल्कि साधन भी उच्च होने चाहिए क्योंकि जैसे साधन होंगे वैसे ही साध्य की प्राप्ति होगी। गांधी जी का कहना है कि साधन की तुलना बीज से की जा सकती है और साध्य की तुलना वृक्ष से। जो अविच्छिन्न सम्बन्ध बीज और वृक्ष के बीच है वही सम्बन्ध साधन और साध्य के बीच है।'[24]इसलिए साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होनी चाहिए, क्योकि किसी भी साध्य को यदि गलत साधनों से प्राप्त किया जाता है तो वह साध्य की औचित्यता को साबित नहीं कर सकता है।

गांधी जी ने कभी भी ईश्वर को मानवता से अलग नहीं माना बल्कि वह मानवता के सेवा में ही ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए प्रयासरत थे और मानवता की सेवा को ईश्वर यानी सत्य तक पहुँचने के साधन के रूप में बताया।

गांधी जी का दार्शनिक विचार

महात्मा गांधी एक ऐसे विचारक व महापुरुष है, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है। गांधी जी एक आदर्शवादी चिन्तक थे। उनके चिन्तन में ईश्वर में आस्था, सत्य, के प्रति निष्ठा, अहिंसा, कर्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना, सादगीपूर्ण जीवन, नैतिकता एवं सदाचार के नियम, मानवता, साध्य एवं साधन की पवित्रता की बात की गयी है। गांधी जी न केवल विचार देते थे, बल्कि उन विचारों को अपने जीवन और कर्मक्षेत्र में उतारते भी थे।

गांधी जी प्राचीन भारतीय परम्पराओं में विश्वास रखते थे। भारतीय परम्परा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया है, जिससे गांधी जी बेहद प्रभावित थे। गांधी जी के जीवन पर भारतीय धर्म दर्शन, वेद, उपनिषद, श्रीमदभगवत, गीता, महाभारत व पुराण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। उनका कहना है कि वेदकालीन सभ्यता में हिन्दू वर्ग जाति प्रथा तथा

अस्पृश्यता की भावना से ग्रसित नहीं था। इसलिए वे उसे अनुकरणीय मानते थे। गांधी जी का उपनिषद में गहरी आस्था थी और वे अपनी दैनिक प्रार्थना में उपनिषद के मन्त्रों का उच्चारण करते थे। ईशावास्योपनिषद से भी गांधी जी सर्वाधिक प्रभावित थे जिसमें इस बात की विवेचना की गयी है कि इस संसार में जो कुछ भी है उसमें ईश्वर विद्यमान हैं। उनका मानना है कि जैन, बौद्ध तथा सभी हिन्दू दर्शन वेद तथा उपनिषद के ऋणी हैं।

गांधी जी के दार्शनिक विचार मुख्यतः गीता पर आधारित हैं। श्रीमदभगवद गीता का उन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे **'गीता को माता की संज्ञा प्रदान कर दी।'**[25]उनका कहना था कि मैं नहीं मानता हूँ कि गीता अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा करने का उपदेश देती है। इसलिए गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था कि वह गीता में वर्णित स्थिति प्रज्ञा की अवस्था को अपने व्यक्तिगत जीवन में चरितार्थ कर सम्पूर्ण मानवता में उसे क्रियान्वित करें। गांधी जी के बातों से लगता है कि वे श्रीमदभगवत गीता को अपनी संरक्षिका के रूप में मानते थे। यंग इण्डिया में उन्होंने लिखा है कि 'जब मुझे संशय व सन्देह घेर लेता है और निराशा मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है, जब क्षितिज पर प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, तब मैं श्रीमदभगवद गीता की शरण में जाता हूँ और उसका कोई न कोई श्लोक मुझे सांत्वना के रूप में मिल ही जाता है जिससे मैं घोर परेशानियों के बीच भी मुस्कुराने लगता हूँ।'[26]

गांधी जी कर्मयोगी थे। उन्होंने गीता के कर्म मार्ग को अपनाया और वैयक्तिक मुक्ति के बजाय सामूहिक मुक्ति को प्राथमिकता दी। गीता में वर्णित इस वाक्यांश– मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है फल पर नहीं, से गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे। इसलिए वे कर्म की पूर्णता पर ध्यान रखते थे। उनका कहना है कि साधन की पूर्णता ही साध्य है। गीता के निष्काम कर्म को सागर रूप देना गांधी जैसे व्यक्ति के लिए ही सम्भव है। इसी तरह महाभारत व पुराण का प्रभाव उन पर पड़ा। उन्होंने महाभारत को प्रतिदिन मनुष्य के हृदय में चलने वाली आसुरी वृत्ति तथा दैवी वृत्ति के बीच चलने वाला द्वन्द्व युद्ध माना। पुराणों में विशेषकर भागवत पुराण से अधिक प्रभावित थे जिसमें उन्होंने भक्ति तत्त्व को समझे एवं उसमें वर्णित सत्य को आंशिक रूप से ग्रहण करने की कोशिश की। उनके ऊपर योग दर्शन का भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने सांख्य के प्रकृति एवं उसके परिणामवाद के सिद्धान्त को स्वीकार किया। इस प्रकार गांधी जी व्यवहारिक जीवन के लिए एक नवीन दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले महान विचारक हैं।

गांधी जी के दार्शनिक विचार उनके नैतिक आदर्शो के सिद्धान्त पर आधारित है। उनके दृष्टि में नैतिका के दो आधारभूत सिद्धान्त सत्य और अहिंसा है। इन दोनों सिद्धान्तों को 11 सिद्धान्तों सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अभय, स्वदेशी भावना, अस्वाद, स्पर्श भावना, सर्वधर्म में विकसित किया। जिसे नैतिकता का एकादश व्रत भी कहा जाता है। इसके अलावा और कई सन्दर्भ हैं, जिसमें गांधी जी के दार्शनिक विचार परिलक्षित होते हैं, जिनकी प्रासंगिकता न केवल तत्कालीन युगों तक बल्कि युगों–युगों तक है।

सत्य

सत्य क्या है ? इसका उत्तर देते हुए गांधी जी ने कहा कि शुद्ध अन्तर्रात्मा की आवाज ही सत्य है। आपकी अन्तर्रात्मा जो कहती है वही सत्य है। सत्य को ग्रहण करने के लिए आपकी अन्तर्रात्मा शुद्ध होनी चाहिए। गांधी जी का 'सत्य किसी कल्पना में नहीं बल्कि शाश्वत एवं सनातन अर्थात् ईश्वर है। वे ईश्वर को सत्य मानते हैं, उनका कहना है कि सत्य केवल हमारी वाणी का सत्य नहीं है, बल्कि हमारे विचारों व धारणाओं का भी है। यदि कोई भी व्यक्ति सत्य के सागर में तैरना चाहता है तो उसे अपनी हस्ती को पूरी

तरह मिटा देना होगा, अर्थात् अपने आपको ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना होगा। उनका कहना है कि आपको सत्य की प्राप्ति तभी होगी जब आपमें विनम्रता कूट–कूट कर भरी होगी।'[27]

अहिंसा

अहिंसा का अर्थ हिंसा न करना, अर्थात् मन, वचन, अथवा कर्म से किसी को दुःख न पहुँचाना। यह सकारात्मक करुणा एवं प्रेम का पर्याय है। इसमें दूसरे के लिए पीड़ा सहन करने में सुख की अनुभूति करने की भावना निहित होती है। 'अहिंसा विनम्रता की पराकाष्ठा है। अहिंसा तभी अहिंसा होती है जब हम उसके प्रति भी प्रेम की भावना रखते हैं जो हमारे प्रति घृणा की भावना रखते हैं अर्थात् हमसे घृणा करते हैं। मानवीय सम्बन्धों की सभी समस्याओं का एक मात्र समाधान अहिंसा है जो हिंसा से भी शक्तिशाली है। यह सभी मनुष्यों को समान समझने तथा उनके प्रेम आदर की भावना को जन्म देती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल एक दर्शन ही नहीं बल्कि कार्य करने की एक पद्धति भी है, हृदय परिवर्तन का साधन है।'[28]

गांधी जी के अनुसार 'अहिंसा का धर्म केवल ऋषियों और सन्तों के लिए नहीं है बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी है। यह उसी प्रकार से मानव का नियम है जिस प्रकार हिंसा, पशुओं का नियम है। पशुओं की आत्मा सुसुप्तावस्था में होती है और वह केवल शारीरिक शक्ति के नियम को ही जानता है, जबकि मानव में बुद्धि अर्थात् आत्मा के शक्ति का नियम होता है, इसलिए उससे अहिंसा के पालन की अपेक्षा की जाती है।'[29]गांधी जी अहिंसा के पोषक है उनका कहना है कि 'व्यक्ति के द्वारा अहिंसा के विकास की सम्भावनाएँ असीम है, आप अपने जीवन में इसका जितना अधिक विकास करेंगे उतना अधिक आपके परिवेश में इसका फैलाव होगा और इस तरह धीरे–धीरे पूरे विश्व पर छा जायेगा।'[30]

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य का अर्थ है– ब्रह्म की खोज। यह एक ऐसी पद्धति है जो हमें ब्रह्म से मिलाती है अर्थात् सत्य की ओर ले जाती है। गांधी जी का कहना है कि ब्रह्म प्रत्येक जीव में विद्यमान है और यदि कोई व्यक्ति उसे खोजना चाहता है या पाना चाहता है तो वह अपनी अन्तर्रात्मा में गोता लगाकर और आत्मसिद्धि के द्वारा पा सकता है। लेकिन अन्तर्रात्मा की सिद्धि इन्द्रियों पर पूरी तरह नियन्त्रण पाये बिना सम्भव नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ कि अपनी इन्द्रियों, मनसा, वाचा, कर्मणा पर नियन्त्रण रखना। गांधी जी का कहना है कि सभी व्यक्ति को अपने मनसा, वाचा और कर्मणा पर नियन्त्रण होना चाहिए। यदि व्यक्ति का अपने मन पर नियन्त्रण नहींतो वाणी और कर्म पर नियन्त्रण पा लाने का कोई मोल नहीं है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने मन, वचन और वाणी पर नियन्त्रण रखना चाहिए। गांधी जी के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आज समाज में हो रहे अमानवीय घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है।

अस्तेय

अस्तेय का अर्थ– चोरी न करना अर्थात् किसी दूसरे की वस्तु के प्रति इच्छा न रखा ही अस्तेय है। गांधी जी तो यहाँ तक कहते थे कि 'अगर आप आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु को रखते हैं, तो वह चोरी है। मनुष्य को कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रखनी चाहिए। समाज की सारी सम्पदा को सम्पूर्ण समाज की धरोहर मानना चाहिए, जो व्यक्ति अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह करता है, उसे चोर समझना चाहिए क्योंकि वह दूसरे को उनके प्रयोग से वंचित करता है।'[31] गांधी जी का अस्तेय इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखना चाहिए तथा अपने आस–पास उतना ही रखना चाहिए जितना अन्यों के लिए सुलभ हो। तभी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव हो सकेगी। गांधी जी ने कहा है कि प्रकृति सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है परन्तु किसी एक व्यक्ति के सभी लालच को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने

तत्कालिक जरूरतों की पूर्ति हेतु संसाधनों को अपने पास रखना चाहिए जिससे दूसरे के आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। इस प्रकार इसका अनुपालन सामाजिक न्याय के लिए भी प्रासंगिक होगा।

अपरिग्रह

अस्तेय और अपरिग्रह एक–दूसरे से सम्बन्धित है। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना और अपरिग्रह का अर्थ है, संग्रह न करना। गांधी जी का कहना है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं से अधिक किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए और यदि वह करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह दूसरे व्यक्तियों को उनके प्रयोग के अधिकारों काहनन कर रहा है। उनका कहना है कि यदि समाज के सभी व्यक्ति सामाजिक संसाधनों के उपयोग में संयम से काम लेंगे तभी समाज के सभी सदस्यों को सुख, सन्तोष का जीवन प्रदान करना सम्भव हो सकेगा। इस दृष्टि से गांधी जी का अपरिग्रह सम्बन्धी विचार अत्यन्त प्रासंगिक है।

शारीरिक श्रम

गांधी जी ने शारीरिक श्रम सम्बन्धी अपने विचारों में कहा कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक श्रम के बिना भोजन करने का अधिकारी नहीं है और यदि वह करता है तो समझिए वह पाप कर रहा है। गांधी जी का शारीरिक श्रम सम्बन्धी विचार समाज में व्यक्ति का यह दायित्व निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करे। जहाँ तक हो सके दूसरे की सेवाओं का उपयोग करने से बचे और अपने उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए स्वयं श्रम करे। उनका कहना है कि समाज के सभी लोग जब श्रम करेंगे, तब सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त उत्पादन हो सकेगा। जब सबको अपने श्रम का पूरा फल मिलेगा तब समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा, सभी का कल्याण होगा और इस प्रकार समान्य हित की पूर्ति हो सकेगी।

स्वदेशी भावना

गांधी जी का स्वदेशी भावना सम्बन्धी विचार देश को स्वावलम्बी बनाने का हिमायती था। उनका कहना है कि कोई भी देश तब तक स्वावलम्बी नहीं बन सकता जब तक कि उस देश के नागरिकों में स्वदेशी भावना जागृत नहीं होगी और विदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक त्याग नहीं होगा। **'स्वदेशी वह भावना है जो हमें दूर–दराज के इलाके को छोड़कर अपने आस–पास के क्षेत्रों का उपयोग करने और उनकी सेवा करने तक सीमित करती है।'**[32] जहाँ तक आर्थिक क्षेत्र का सम्बन्ध है हमें उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनका उत्पादन हमारे समीपस्थ पड़ोसियों द्वारा की जाती है और यदि हमें उसमें कोई कमी दिखाई देती है तो हमें उन्हें अधिक कार्यकुशल और पूर्ण बनाने के लिए सेवा करनी चाहिए। गांधी जी की दृष्टि में स्वदेशी हमारी वह अन्तः भावना है, जो अपने तत्काल निकट के परिवेश का उपयोग करने एवं उसकी सेवा करने तथा अधिक दूर की वस्तुओं को त्यागने को आदेशित करता है।'[33] गांधी जी का कहना है कि प्रौद्योगीकरण ने जिन बाजार अर्थव्यवस्था को जन्म दिया उसमें उत्पादन अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है और प्रकृति के साथ अन्याय किया जा रहा है। गांधी जी ने प्रकृ ति और मानव के नैसर्गिक सम्बन्धों और स्थायी विकास तथा समुचित तकनीक पर बल दिया है जिसके माध्यम से आज आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है उसका विकास किया जा सकता है।

अस्वाद

अस्वाद का अर्थ– किसी वस्तु में स्वाद, रुचि न लेना बल्कि देने व त्याग करने की भावना का होना है। गांधी जी का कहना है कि फल कीइच्छा रखे बिना कर्म करना ही अस्वाद है। यह जीवन को योगी, कर्मयोगी और कल्याणकारी बनाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरों की सेवा करने में जितना सुख एक

समान सेवक को प्राप्त होता है यह वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है, जो सेवा करता है, दूसरा नहीं। यह हमारे अन्दर कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करता है अर्थात् हमें माया के बन्धन से हटाकर विश्व प्रेम कीओर अग्रसर करता है।

स्पर्श भावना

गांधी जी का स्पर्श भावना से तात्पर्य अस्पृश्य या छुआछूत की भावना से है। उनका कहना है कि यह हिन्दू धर्म का अंश नहीं बल्कि उसमें छुपी हुई सड़न है, वहम है, पाप है। इसे प्रत्येक भारतीय को कलंक मानकर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गांधी जी का कहना है कि जो लोग यह समझते हैं कि **'यह ईश्वर द्वारा बनायी गयी है, तो मैं उनके इस विश्वास के विरुद्ध चेतावनी देता हूँ कि यह कोई ईश्वर रचना नहीं बल्कि मानव द्वारा अपनी उच्चता के खोटे अहंकार में बनायी गयी कृत्रिम धारणा व विचार है।'**[34]गांधी जीका कहना है कि ईश्वर ने किसी को भी छोटा–बड़ा नहीं बनाया है, और समाज में कोई कार्य ऊँचा–नीचा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के मस्तिष्क में यह कचरा भरा है कि किसी के कार्य द्वारा उसे स्पर्श या अस्पर्श करने योग्य समझेंतो यह पाप है। उनका कहना है कि हम ऊँचे हैं दूसरे नीच हैं, यह विचार ही नीच है और जब तक यह भावना हमारे अन्दर उत्पन्न नहीं होगा तब तक कितना भी कोशिश कर लें हम अपने राष्ट्र का सम्पूर्ण विकास नहीं कर सकते।

अभय

अभय से तात्पर्य निर्भय या निडर होना है। अर्थात् सभी वाह्य भयों से मुक्ति जैसे कि बीमारी, शारीरिक क्षति या मृत्यु का भय, स्वामित्व हरण का भय, प्रियजनों से बिछुड़ने का भय, प्रतिज्ञा हानि अथवा अपमान का भय इत्यादि से निडर होना है।[35]गांधी जी का कहना है कि अभय सात्विक सम्पदा के गुणों में से एक महान गुण है जो व्यक्ति निडर है जो किसी जाति बिरादरी से न डरे, जो न किसी बीमारी या मौत से डरे,जो न किसी के बुरा मान जाने से डरे, वही व्यक्ति समाज की सच्ची सेवा कर सकता है। वही व्यक्ति सच्चा सन्मार्गी हो सकता है, जिससे एक सम्पन्न सुसस्कृत एवं शक्तिशाली राष्ट्र की गौरवशाली पृष्ठभूमि तैयार होगी।

सर्वधर्म समभाव

गांधी जी सर्वधर्म समभाव के हिमायती थी। वे सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखते थे। उनका कहना है कि किसी भी धर्म को ऊँचा–नीचा नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने धर्म के प्रति आदर भाव रखने के साथ–साथ दूसरे धर्मों के प्रति भी आदर रखना चाहिए। उनका मानना है कि 'धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है जिसे सामाजिक स्तर तक आने के लिए सर्वधर्म समभाव की भावना के अन्तर्गत आना होगा। उन्होंने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में धर्म को विशिष्ट स्थान दिया है। उनका धर्म हिन्दू धर्म, इसाई धर्म, इस्लाम धर्म जैसा विशेष धर्म नहीं था, बल्कि उनका धर्म सार्वभौमिक था जो समस्त विशेष धर्मों का अतिक्रमण करता हो। गांधी जी का मानना है कि एक धर्म को श्रेष्ठ समझने का मतलब दूसरे धर्म को हीन समझना। इस तथ्य से अवगत कराते हुए धर्म को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया।'[36] सभी धर्म समान नैतिक नियमों पर आधारित है। मेरा नैतिक धर्म उन नियमों से बना जिनसे सारे संसार का मानव आबद्ध है। उनके धर्म को किसी अवतार या पैगम्बर द्वारा प्रतिपादित विश्वासों या वेद, बाइबल, कुरान के उपदेशों में नहीं पाया जा सकता है, बल्कि उनका धर्म एक जीवन पद्धति है जिसे सत्य के निष्काम खोज तथा हृदय की पवित्रता में पाया जा सकता है।'[37] धर्म की सिद्धि प्रेम और सत्य के द्वारा की जा सकती है। प्रेम और सत्य का सहारा लेकर समाज में समरसता स्थापित की जा सकती है। इस दृष्टि से गांधी के सर्वधर्म समभाव वर्तमान समय में अत्यन्त प्रासंगिक है।

सादगीपूर्ण जीवन

गांधी जी का दार्शनिक चिन्तन सादगीपूर्ण जीवन जीने पर आधारित है। गांधी जी ने सादा जीवन उच्च विचार रखने का उपदेश दिया बल्कि अपने जीवन में अमल भी किया। गांधी जी महात्मा बुद्ध के विचारों के समर्थक थे कि व्यक्ति के समस्त दुःखों का कारण उसकी असीमित इच्छा है अर्थात् व्यक्ति अपने जीवन में जितना अधिक इच्छाओं को पालता है, उतना ही अधिक दुःखी रहता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक इच्छाओं की समाप्ति से ही दुःख की समाप्ति होती है। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन का अनुसरण कर अपने दुःख, निराशा व तनाव को दूर कर सकता है।

अधिकार तथा कर्तव्य

गांधी जी का कहना है कि अधिकार का सच्चा स्रोत कर्तव्य हेाता है। यदि हम कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार की प्राप्ति हमें स्वयं ही हो जाती है। लेकिन यदि हम अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल अधिकार के पीछे भागते जायेंगे तो वे हमसे छलावे जैसा व्यवहार करेंगे और हम उसके पीछे जितना भागेंगे वह हमसे उतना ही दूर भागेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें अधिकारों के पीछे न भागकर कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वह किया जायेगा तो अधिकार की प्राप्ति स्वतः ही हो जायेगी।

यज्ञ का दर्शन

गांधी जी के चिन्तन में यज्ञ दर्शन भी अत्यन्त महती है। यज्ञ का अर्थ एक ऐसा कार्य है जो फल की कामना किये बगैर दूसरे के कल्याण के लिए किया गया हो। यह कार्य लौकिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। उनका कहना है कि यज्ञ हमारे जन्म के साथ ही आ जाता है जिसके कि हम आजीवन ऋणी होते हैं। इसलिए हम समाज की सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हो जाते जाते हैं। उनका कहना है कियज्ञ चौबीसों घण्टा किया जाने वाला कर्तव्य अथवा सेवा है, इस प्रकार दूसरे व्यक्ति निष्काम भाव से किसी व्यक्ति की सेवा करके वह दूसरे का उपकार नहीं बल्कि अपना ही ऋण उतार कर अपना ही उपकार करता है अपने ही भार को कम करता है और अपने ही कर्तव्य को पूरा करता है। इस प्रकार मानवता की सेवा करना व्यक्ति का परम कर्तव्य हो जाता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गांधी जी के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचार सर्वकालिक हैं। वे पूरे विश्व में सत्य, अहिंसा, प्रेम, ईमानदारी, मौलिक शुद्धता,करुणा जैसे विचारों का सफल प्रयोगकर्त्ता में स्मरण किये जाते हें। उनके आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिन्तन के अन्तर्गत सत्य, अहिंसा, नैतिकता एवं धर्म सम्बन्धी विचार प्रस्तुत किये हैं वे न केवल तत्कालिक समाज में प्रासंगिक थे बल्कि आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। इनके सत्य एवं अहिंसा सम्बन्धी प्रयोग ने विश्व भर में छाप छोड़ी है, इसलिए यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि गांधी जी के विचार कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और युगों–युगों तक रहेंगे। गांधी जी के विचार धर्म ग्रन्थों के समान हैं जितनी बार पढ़ा जाय उतनी बार कुछ नया विचार निकलकर सामने आता है। अगर विश्व के लिए भारत का कोई सन्देश है तो वह गांधी जी के दर्शन में निहित। गांधी जी के सत्य, अहिंसा, प्रेम एवं नैतिकता सम्बन्धी मूल्यों को आचरण में उतार कर उसका क्रियान्वयन कर आज विश्व में फैली अनेक अमानवीय कार्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी एवं अनैतिकता सम्बन्धी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची–

1. त्रिपाठी सत्यप्रकाश मणि, गांधी का आध्यात्मिक दर्शन, संकल्पना एवं औचित्य, लोक प्रशासन, खण्ड–12, अंक–2, जुलाई–दिसम्बर, 2020।
2. हरिजन, 29–3–1935, पृ. 51।
3. ढेवर, उ.न., समाज कल्याण के सूत्रधार गांधी जी, (हिन्दुस्तान समाचार पत्र दिनांक 2.10.1969 में लेख)।
4. त्रिपाठी सत्यप्रकाश मणि, गांधी का आध्यात्मिक दर्शन, संकल्पना एवं औचित्य, लोक प्रशासन, खण्ड–12, अंक–2, जुलाई–दिसम्बर, 2020।
5. गांधी एम.के., माई रिलीजन, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1953, पृ. 3।
6. अवस्थी आनन्द प्रकाश, भारतीय राजनीतिक विचार, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2010, पृ. 210।
7. अवस्थी आनन्द प्रकाश, पूर्वोक्त।
8. बोस, निर्मल कुमार, सलेक्शन फ्राम गांधी, नवजीवन पब्लिकेशन हाउस, अहमदाबाद, 1984, पृ. 225।
9. त्रिपाठी श्रीप्रकाश मणि, समकालीन राजनीतिक चिन्तन, राज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001, पृ. 398।
10. यंग इण्डिया 481927, पृ. 247।
11. कुमार पवन, भारतीय राजनीतिक विचारक, आमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006, पृ. 141।
12. मेहता बी.आर. फाउण्डेशन ऑफ इण्डियन पोलिटिकल थाट्स, मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1992, पृ. 213–227।
13. एण्ड्रेवस सी.एफ. स्पीचेस एण्ड राइटिंग ऑफ महात्मा गांधी जी.ए. नेटेशन एण्ड को मद्रास, 1934, पृ. 718।
14. यंग इण्डिया, 5 मार्च 1925।
15. वर्मा विश्वनाथ प्रसाद, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2015, पृ. 39।
16. पाण्डेय, एच.एल., गांधी, नेहरू और टैगोर एवं अम्बेडकर, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2001, पृ. 28।
17. वर्मा एस.पी., मॉडर्न पोलिटिकल थियोरी, विकास पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 2002, पृ. 273।
18. ओ.पी. गौवा, एन इण्टासेडक्शन, टू पालिटिकल थाट, मयूर पेपर बैंक, नोएडा, 2005, पृ. 320।
19. त्रिपाठी सत्यप्रकाश मणि, गांधी का आध्यात्मिक दर्शन, संकल्पना एवं औचित्य, लोक प्रशासन, खण्ड–12, अंक–2, जुलाई–दिसम्बर, 2020।
20. सेन, एन.बी. द विट एण्ड विजडन ऑफ गांधी हिज लाइफ एण्ड आइडिया, जय पब्लिकेशन, हाउस, मुम्बई, 2005, पृ. 86।
21. सम्पूर्ण गांधी वाङ्गमय खण्ड–65, पृ. 350।
22. भट्टाचार्य, प्रभात कुमार, गांधी दर्शन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1973, पृ. 63।
23. सम्पूर्ण गांधी वाङ्गमय खण्ड–65, पृ. 350।
24. हिन्द स्वराज, पृ. 7।
25. यंग इण्डिया, 25.8.1920, पृ. 12।
26. यंग इण्डिया, 6.8.1925, पृ. 274।
27. यंग इण्डिया, 31.12.1931, पृ. 428।
28. त्रिपाठी सत्यप्रकाश मणि, गांधी का आध्यात्मिक दर्शन, संकल्पना एवं औचित्य, लोक प्रशासन, खण्ड–12, अंक–2, जुलाई–दिसम्बर, 2020।
29. हरिजन, 5.9.1973, पृ. 236।
30. हरिजन, 28.1.1939, पृ. 443।

31. गाबा, ओम प्रकाश, भारतीय राजनीतिक विचारक, चतुर्थ संस्करण,मयूर पेपर बैक्स, नई दिल्ली, 2017, पृ. 260।
32. सिंह महेश कुमार, महात्मा गांधी और पं. दीनदयाल उपाध्याय का आर्थिक चिन्तन, लोक प्रशासन, खण्ड–12, अंक–2, जुलाई–दिसम्बर, 2020
33. जौहरी, जगदीश चन्द्र तथा जौहरी सीमा, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त, स्टर्लिंग पब्लिशर्स, प्रथम संस्करण,, 2012, पृ. 66।
34. मुकर्जी रवीन्द्र नाथ, सामाजिक विचारधारा, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, 2018, पृ. 488।
35. वही, पृ. 2।
36. वर्तमान युग में गाधी की प्रासंगिकता, Hindi.com.essay.on.gandhi.in.
37. राय, गाधी जी, गांधीवादी चिन्तन की अद्यतन प्रासंगिकता, भारतीय लोक प्रशासन, खण्ड–12, अंक–2, जुलाई–दिसम्बर, 2020।

सोशल मीडिया का समाज और लोकतन्त्र पर प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

कमला यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग
राजकीय महिला महाविद्यालय सलेमपुर देवरिया।

सारांश

तकनीकी मे होने वाला बदलाव सामाजिक सरचना को प्रभावित करता है। तकनीकि ज्ञान शक्ति का एक स्वरूप है। सोशल मीडिया तकनीकी की उपज है ,तकनीकी ही इसकी ताकत है ,आज विश्व भर में आम लोग तकनीकी आधारित सोशल मीडिया की चहारदीवारी में कैद हैं। सोशल मीडिया के पास जनमत को प्रभावित करने की असीमित क्षमता है। सोशल मीडिया व्यवसाय का एक ऐसा मॉडल है जिसमें खबरों को बनाया और बेचा जाता है।जिसके मुख्य खरीदार राजनैतिक दल ,कारपोरेट और राज्य खुद भी है सोशल मीडिया व्यवसाय में मनोविजान के खतरनाक उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। एल्गोरिथम के द्वारा व्यक्ति की सोच को सीमित दायरे में रखनेका प्रयास किया जाता है। तकनीकि और सोशल मीडिया ने संयुक्त रूप से औधोगिक पूजीवाद को सूचना और सर्विलांस पूजीवाद में बदल दिया है जो उत्पादन की अर्थब्यवस्था के बजाय निष्कर्षण की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। जिससे समाज में आर्थिक असमानता फैली है। सोशल मीडिया प्रथम दृष्टि में सोशल दिखती है लेकिन वास्तव में यह आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है जो तकनीकी ज्ञान पर आधारितहै। प्रस्तुत शोध पत्र में सोशल मीडिया द्वारा झूठी भ्रामक खबरों और प्रोपोगंडा के माध्यम निर्मित आभासी और दूषित जनमत का लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव तथा सोशल मीडिया का राज्य और राजनीति से संबंधों का अध्ययन का प्रयास किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया के द्वारा व्यक्ति पर मानसिक नियन्त्रण, निष्कर्षण आधारित अर्थब्यवस्था और सर्विलांस कैपिटलिज्म में इसकी भूमिका का अध्ययन का प्रयास किया गया है। तथा सामाजिक व्यवस्था में सोशल मीडिया और तकनीकि आधारित आर्थिक बदलावों की भूमिका का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द– लोक जगत मीडिया कंप्यूटेशनल प्रोपेगंडा मैन्युफैक्चर्ड स्वचालित सॉफ्टवेयर लोकतंत्र आंदोलन फैक्ट चेकिंग वेबसाइट एल्गोरिथम आभासी जनमत सामुदायिक भावना प्राथमिक संबंध ।

प्रस्तावना .

समाज राजनीति और अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों में तकनीकी की निर्णायक भूमिका रहीहै, इतिहास इस बात का गवाह है। सूचना तकनीकी ने आर्थिक ढांचा जनमत और चुनावी राजनीति तथा सामाजिक संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है Michel Foucault ने कहां था ज्ञान और शक्ति एक सिक्के के दो पहलू है । शक्ति का उपयोग निरंतर रूप से ज्ञान को पैदा करताहै।और ठीक इसका उल्टा भी होता है ज्ञान भी शक्ति के प्रभाव को पैदा करता है, प्रेरित करता है अर्थात शक्ति को ज्ञान में तथा ज्ञान को शक्ति मे बदला जा सकता है। इस संदर्भ में देखा जाए तो ज्ञान के एक स्वरूप में सूचना तकनीक के पास समाज राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदलने की असीमित ताकत है। खुले बाजार और ग्लोबलाइजेशन की मुख्य ताकत सूचना तकनीकी है। फाइनेंसियल कैपिटलिज्म को जन्म देने में सूचना तकनीकी की अहम भूमिका है। रोजगार विहीन विकास और बढ़ती असमानता के पीछे मुख्य कारण नव उदारवादी अर्थव्यवस्था है जिसकी मुख्य ताकत सूचना तकनीकी है। जहां तक सोशल मीडिया के समझने का सवाल है इसके दो पहलू हैं, पहला व्यक्ति के लिए एक साधन के रूप में अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में, तथा दूसरा इसका आर्थिक और व्यावसायिक पहलू है। जहां यह व्यवसाय का हिस्सा है और व्यक्ति विशेष इसका उपभोक्ता और खरीदार है। जहां एक तरफ व्यक्ति खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है वहीं दूसरी तरफ बहुसंख्यक जनसंख्या के दायरे में व्यक्ति विशेष को मीडिया द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया

ने व्यक्ति को एक वस्तु में बदल दिया है। वह क्या खायेगा क्या पहनेगा क्या सोचता है और क्या सोचेगा इसका भी निर्धारण कर रहा है।

Bachmann & Lomborg अपने शोध में सोशल मीडिया के दोनों पहलू व्यक्तिगत के लिए उपयोगी तथा औद्योगिक पहलुओं में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सोशल मीडिया को देखने का एक नजरिया यह है कि सोशल मीडिया उद्योग जगत द्वारा पैदा किया गया आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक उत्पाद है। जिसमे शक्ति, शोषण और व्यापार आमदनी शामिल है वही सोशल मीडिया को देखने का दूसरा नजरिया यह है कि यहे व्यक्ति के लिए साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकता है, यह इसका सामाजिक पहलू है । सोशल मीडिया के यह दोनों परिपेक्ष्य बिल्कुल अलग अलग संकल्पनाओं के साथ काम करतेंहै, जहां एक तरफ व्यक्ति एक एजेंट की तरह काम करता है या सूचनाओं का उत्पादन भी करता है वहीं दूसरी तरफ उद्योग के हिस्से के रूप में ब्यक्ति कंपनियों का शिकार भी होता है जहा उसका शोषण होता है। (Motion et al-, 2016 p 5) ।

तकनीकी के उत्पाद के रूप में सामने आए सोशल मीडिया प्लेटफार्म बाजार में ऐसी वस्तुओं को भी बेचने में सक्षम है जो वास्तव में है ही नही । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मनोविज्ञान का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में खतरनाक अंदाज में कर रहे हैं। पारंपरिक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को बनाया जाता था और बेचा जाता था खरीदा जाता था । लेकिन सोशल मीडिया पूंजीवाद केएक अंग के रूप में ऐसी प्रणाली है जो खबरें बनाती और बेचतीहैं। सोशल मीडिया पर सूचना के नाम पर सूचनाओं के साथ विज्ञापन को मिलाया जाता है और उसको खबर के नाम पर बेचा जाता है । जहां लोग विज्ञापन को भी सूचना समझते है । राजनीति में खास मकसद से सूचनाओं का निर्माण किया जाता है जो झूठी और भ्रामक होती है जिसे प्रोपोगेंडा कहते है । सोशल मीडिया प्रोपोगंडा फैलाने का सबसे ताकतवर साधन है । Marlin (as cited in Jason ,2015, P-48,312)मे कहते है कि प्रोपेगंडा तार्किक सोच को भ्रमित करके विमर्श को खत्म करने का तरीका है । एक बड़े श्रोता समूह या भीड़के साथ संप्रेषण का एक संगठित प्रयास हैं । जहाँ सम्प्रेषण के दौरान श्रोता समूह के विचार क्रियाकलाप और मानसिकता को प्रभावित करके लोगों की जागरूकता पूर्ण तार्किक सोच को दबाने और नष्ट करने का प्रयास किया जाता है।

लोकतंत्र सुचारु रूप से कार्यशील रहे इसके लिए स्वस्थ जनमत का होना जरूरी है। और स्वस्थ जन्मत के लिए लोगों के पास सही सूचनाओं का होना तथा उसके आधार पर तांत्रिक सोच का होना जरूरी है। स्वस्थ लोक विमर्श लोकतंत्र को मजबूत करता है। लोक विमर्श के मंच पर लोग आम जीवन की समस्याओं की चर्चा करते हैं जहां विचारों की विविधता के बीच से ही बनी सहमति के आधार पर समस्याओं का समाधान निकलता है। इसके लिए समाजशास्त्री Hebarmas ने पब्लिक स्फीयर शब्द का प्रयोग किया है वे कहते है की public sphere सामाजिक जीवन का वह दायरा है जहां लोग अपनी सामान्य समस्याओं की चर्चा करते हैं तथा वैचारिक मतभेद को तार्किक ढंग से सुलझा लेते है जिसमें पब्लिक फोरम सैलून काफी हाउस आदि शामिल थे (Turner,2005 ,p.190)। Tarde ,Hebermas और Anderson जैसे सामाजिक सिद्धांतकारो ने स्वस्थ लोक जगत को परिभाषित करने का प्रयास किया जहां आम लोग विचारो का आदान प्रदान करते है और एक दूसरे के प्रति वैचारिक चुनौती प्रस्तुत करते थे। ऐसी स्थिति में यदि आम जनमानस के बीच तेजी से भ्रामक और सूचनाएं दी जाती है और उनकी संख्या यदि बहुत ज्यादा है तो आम लोग खासकर कम पढ़े लिखे लोगों के लिए सूचनाओं की सत्यता को परखना बहुत कठिन कार्य होगा ऐसी स्थिति में भ्रमित और झूठी सूचनाएं भ्रमित और आभासी जनमत तैयार करेंगे जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है।

राज्य राजनीति और सोशल मीडिया

सोशल मीडिया का नागरिकों द्वारा अपनी समस्याओ को उठाने अपने राजनेतिक अधिकार की माग, आंदोलन ,विरोध प्रदर्शनों में इस्तेमाल से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया ने डेमोक्रेसी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है ।जैसे मिस् ट्यूनीशिया और लीबिया में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और यहां तक कि तानाशाही के खात्मे भी सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही है ।लेकिन

सिक्के का दूसरा पहलू भी है जहां लीबिया में अराजकता का माहौल है तो मिश्र में होस्नी मुबारक के स्थान पर जो सत्ता में आए वो भी तानाशाह बन गए। फतह अलसीसी ने बडी संख्या में पत्रकारों को जेल में डाल दिया तथा सोशल मीडिया वहा अब कम सक्रिय है । इससे ये संकेत मिलता है कि कुछ ताकतवर लोगो ने सिर्फ तख्तापलट के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया । खुद राज्य द्वारा सत्ताधारी दलों द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग झूठी खबरों को फैलाने ,अपने मुताबिक खबरों को गढ़ने दुष्प्रचार करने और जनमत को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जिससे डेमोक्रेसी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता दिख रहा है । उदाहरण के तौर पर रूस द्वारा सोशल मीडिया और न्यूज वेबसाइट का उपयोग अमेरिका के 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ किया गया (Woolley – Howard ,2019 p 21)।

सदियों से यह आम धारणा और आम लोगों में विश्वास था कि जो खबर समाचार पत्र में छपी है वह जरूर सच होगी। खबर मतलब भरोसा खबर और भरोसे को बेचना पूजीवाद के लिए ऐसा बाजार है जहां ऐसी वस्तु भी बेची जा रही है जो वास्तव में है ही नही। टेलीविजन और समाचार पत्रों में छपी खबरों जो किसी खास मकसद से छापी जाती है पूरी तरह से सच नही होती जबकि उसे आम लोग सच मान लेते है । जबकि सही सूचनाओं से युक्त जागरूक नागरिक लोकतंत्र के जिंदा रहने की आवश्यक शर्त है। धर्म जाति प्रजाति पंथ के आधार पर समाज में हम और वे समूहों में संगठित होने के बावजूद लोग एक साथ रहते है लोकतंत्र में विश्वास करते है । Klein (as cited in Schirch, 2021 p 63) कहती है कि सोशल मीडिया समाज में मौजूद हम और वे समूहों में बंटे लोगों के बीच हम और वे की भावना को तेजी से बढ़ाने का काम करता है A Schirch (2021) कहती है कि सोशल मीडिया लोगो के लिए विभिन्न समूहों के बीच एक दूसरे के प्रति गुस्सा को प्रकट करने का आसान माध्यम बन जाते हैं तथा समाज में मौजूद कुछ समूह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर एक दूसरे के प्रति हिंसक भावनाओ को फैलाने का काम करते है । अधिनायकवादी सरकारें ट्रोल आर्मी और साइबर गैंग ,जिन्हें Digital militia भी कहा जाता है को संगठित करते है तथा उनके माध्यम से प्रोपेगंडा फैलाते है, Russian Govt सोशल मीडिया के माध्यम से वेस्टर्न सोसाइटी को बाटने के लिए संगठित प्रयास करती है।

फेसबुक, ट्वीटर जैसे सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर लोगो के सामने प्रस्तुत की जा रही सूचनाएं की गुणवत्ता लोगो की सोचने की क्षमता को प्रभावित करती है । जो जितना ज्यादा स्मार्टफोन का उपयोग करता है उसके पास उतनी ही ज्यादा सूचनाएं आती है ।जिसमें सच के अलावा झूठी और भ्रामक सूचनाएं भी होती है जो दूषित जनमत (polluted public opinion) तैयार करती। Adam Alter कहते है कि विश्व के 25% लोग दो से तीन घंटे 22% लोग एक से दो, 18% तीन से चार 12% लोग चार से पांच 7% पांच से छः घंटे रोज मोबाइल देखते है। मोबाइल का अधिक उपयोग एक नशा है (Alter, 2017 P 23)। आम लोगो के लिए तकनीकी के रूप मोबाइल का इस्तेमाल आदत बन चुकीं है ऐसे में मोबाइल YouTube पर चल रही खबरों का मानव मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। खासकर जिनकी शिक्षा का स्तर निम्न है। माइक्रोसोफ्ट द्वारा किए गए 2019 के अध्ययन के मुताबिक 64%भारतीय किसी न किसी रूप में झूठी सूचनाओं से जुड़े रहते है उसका सामना करते है(Schirch 2021 p 190)।

MIT University के प्रोफेसर Sinan Aral कहती है कि डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफार्म (फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूट्यूब आदि)मशीन इंटेलिजेंस और Smartphone के संयुक्त प्रयोग जिसे वे Hype machine कहते है , के माध्यम से सूचना पैदा होती हैं तथा समाज में उसका प्रवाह उसका नियमन और दिशा तय होती है जो हमारी सोच और व्यवहारको प्रभावित करती है (Sinan,2020 p80)। पूरे विश्व भर के देशों जहां सोशल मीडिया की पहुंच है राजनीति में खासकर चुनावों में सोशल मीडिया की अहम भूमिका हो चुकी है। फेक न्यूज का सोशल मीडिया पर मौजूदगी समान्य बात है। क्योंकि अत्यधिक सूचनाएं जब आती है तो उसमे झूठी सूचना होने की संभावना रहती है। लेकिन सोशल मीडिया का एक खास चेहरा सामने आया वह है राजनीति में चुनाव के दौरान झूठी और भ्रामक खबरों का सच्ची खबरों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है और तेजी से फैलती हैं। जो चुनाव के नतीजे में निर्णायक भूमिका निभाती है। इससे जुड़े अनेक उदाहरण सामने आए है । अनेक मौके पर राज्य ने भी संगठित तौर पर सोशल मीडिया को

एक हथियार के तौर पर उपयोग किया है। प्रोफेसर Sinan ।तंस के मुताबिक रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया के अधिग्रहण से ठीक पहले झूठी और भ्रामक खबरों को सोशल मीडिया द्वारा फैला कर पहले इस धारणा को मजबूत किया गया कि ऐसी क्रीमिया के लोगों की इच्छा है इसके बाद रूस द्वारा क्रीमिया का अधिग्रहण कर लिया गया। इसके अलावा अमेरिका के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी सरकार के द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने के लिए किया गया।

सोशल मीडिया सर्विलांस कैपिटलिज्म और मानसिक नियन्त्रण ।

जहां तक सोशल मीडिया की समाज में भूमिका का प्रश्न है सोशल मीडिया खुद सोशल कम एंटी सोशल या असामाजिक अधिक है। समाज के लिए इसकी प्रकार्यात्मक भूमिका इसके दुष्प्रकार्य की अधीन हो जाती है। सोशल मीडिया के जनक इसके प्रकार्यात्मक होने का दावा करते है लेकिन वास्तव में सोशल मीडिया अपने अस्तित्व से लेकर आजतक समाज में हिंसा और विभाजन को बढ़ावा दिया है । सूचना तकनीकी के विकास ने उत्पादन आधारित औद्योगिक पूंजीवाद को जासूसी पूजीवाद में बदल दिया है । जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे यूट्यूब फेसबुक ट्विटर और न्यूज वेबसाइट को जैसे ही कोई इस्तेमाल करता है यह प्लेटफार्म व्यक्ति के व्यवहार पर नजर रखते हैं उसके व्यवहार की जासूसी करते हैं और व्यवहार से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करते हैं । एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके उसके सामने वैसी ही खबरें और वैसी ही ऑडियो वीडियो प्रस्तुत करते हैं जिसे वह पसंद करता है और धीरे–धीरे वह वैसा ही सोचने लगता है जैसा सोशल मीडिया पर खबरें उसे भेजी जाती है । इस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति का मानसिक अपहरण किया जाता है। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म व्यक्ति विशेष के रूप में हम क्या सोचते हैं , हमारी जरूरत क्या है, हम कैसे सोचते हैं, और इसके अलावा हम क्या सोचे इसको को भी प्रभावित करताहै। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर युटुब और न्यूज वेबसाइट उसी सर्विलांस पूंजीवाद का हिस्सा है। जहां मानव भावनाओ और व्यवहार को खबर बनाकर बेचा जाता । Surveillance capitalismesa human experience मुफ्त का कच्चा माल होता है जिसको Behavioural data मेबदल दिया। जाता है। व्यवहारवादी आंकड़े के एक हिस्से का इस्तेमाल वस्तु और सेवाओं के बेहतर उत्पादन के लिए किया जाता है बाकी हिस्से जिसको Behavioural surplus कहा जाताहै। जिसे मशीन इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रोसेस करके यह पता कर लिया जाता है कि एक व्यक्ति विशेष के रूप में हम क्या सोचते हैं, हमारी जरूरत क्या है और उसी के अनुसार प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और बाजार में बेचे जाते है।

तकनीकि आधारित मीडिया से पहले की बात करे जब सार्वजनिक जीवन में सामूहिक खबरों के लिए समाचार पत्र था । तथा व्यक्तिगत रूप से लोग अंतक्रिया करने के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से मिलते थे या व्यक्तिगत पत्र लिखा करते थे,जिसमें समय लगता था सोचने का वक्त मिलता था ऐसे में संबधियो में घनिष्ठता थीं। क्योंकि हम उसी के लिए समय और ऊर्जा खर्च करते है जो हमे अच्छा लगता है या जिससे हम गंभीरता से जुड़ना चाहते है। जब सोशल मीडिया का आस्तित्व नही था, आपात परिस्थितियों मे लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर निकट संबंधियों मित्रों का सहयोग करते थे। जिससे प्राथमिक संबंधों को मजबूती मिलती थी। लेकिन सोशल मीडिया के आने से या टेलीफोन के आने से आपात परिस्थितियों में तकनीकी ने द्वितीयक संबंधों में ही संतुष्ट रखने का विकल्प प्रस्तुत किया है।लोग आपात परिस्थितियों में मित्रों निकट संबंधियों को या सोशल मीडिया पर मैसेज करते हैं जो एक अप्रत्यक्ष और द्वितीयक संबंध पैदा करता है। और द्वितीयक संबंध भावना और मनोभाव को व्यक्त करने के लिए सेफ्टी वाल्व का काम करता है जो प्राथमिक संबंध को बनने ही नही देता है। प्राथमिक संबंधों के बजाए लोग द्वितीयक संबंधों में ही संतुष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार सोशल मीडिया ने प्राथमिक संबंधो की परिस्थितियों को कम किया है जबकि द्वितीयक संबंधों की परिस्थितियों को बढ़ाया है।

जब समाज में व्यक्ति कम लोगो से अंतक्रिया करता है तो उसे प्रत्येक अंतक्रियां के बारे में सोचने, समझने संबंध के बारे में गंभीरता से सोचने का वक्त मिलता है ।इसमें यदि संबंध स्थापित होता है तो वह मजबूत घनिष्ठ होता था। सोशल मीडिया एक व्यक्ति विशेष के लिए असंख्य लोगो से अंतक्रिया करने का अवसर दे देता है। जिसके कारण व्यक्ति को प्रत्येक अंतक्रिया के बारे में सोचने का समय नहीं होता, इसमें अंतक्रिया संबंधों में तब्दील नही हो पाती। अतः सोशल मीडिया के जमाने में एक व्यक्ति विशेष असंख्य लोगो को

जानते हुए भी किसी से घनिष्ठता से जुडा नही रहता है। मीडिया आधारित सामाजिक संबंध बालू की रेत होते है,। मीडिया आभासी संबंधों को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर बड़ी संख्या में फिल्म, राजनीति, और खेलो में बड़ा नाम कमाने वाले लोगो को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अपने निजी जीवन में वे अकेले होते है। क्योंकि पूरी दुनिया सोशल और प्रिंट मीडिया पर उनका नाम सुनती है ,तालिया बजाती है लेकिन वे खुद उस भीड़ में किसी को नहीं जानते। जर्मन समाज शास्त्री जॉर्ज सिम्मेल ने कहा था नगरों में अत्यधिक उद्दीपन और अंतःक्रिया असंवेदनशीलता और उदासीन प्रवृत्ति को जन्म देती है ठीक उसी तरह सोशल मीडिया पर सूचना की आंधी और उद्दीपन व्यक्ति को असंवेदनशील बनाती है।

Google के CEO रहे Eric Schmidt कहते है कि टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म जैसे गूगल एप्पल व्हाट्सएप अमेजन के बारे मे आप जितना सोचते हैं वे उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। और हर समाज ने उनको को सफलतापूर्वक अपनाया गया है । यह हमारी भविष्य की दुनिया को ही बदल देंगे ।जिस गति ,क्षमता और आक्रामकता से ये लोगों को प्रभावित करते हैं ये प्लेटफार्म Biological Virus से कम नहीं है जिन लोगो ने इनप्लेटफार्म को निर्मित नियंत्रित किया है, मालिक है ये प्लेटफार्म उनको अत्यधिक शक्तिशाली बनाते हैं(Schmidt ,2013 , pp–14–16) । वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिस तरह सेआम लोग उपयोग कर रहे हैं औरजिस तरह से इसने अपने आपको आम लोगों की जरूरत के रूप में पेश किया है ऐसीस्थिति में इसके नुकसानदायक प्रभावों से लड़ना बहुत कठिन है। किसी समस्या का समाधान या किसी से लड़ने के लिए आपको उस समस्या को जानना जरूरी है ।और बड़ी संख्या में लोग जानते ही नही हैं कि इसका नुकसान क्या है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है और क्यों बनाए गए है । वास्तव में ये प्लेटफार्म जिस तरह से समाज राजनीति और अर्थव्यवस्था नियंत्रित कर रहे हैं यह मानवता के लिए खतरनाक है। इंटरनेट मानव द्वारा निर्मित कुछ चीजों में से एक हैं जिसे मानव वास्तव में खुद नही समझता है। (Schmidt ,2013,-p 9)।

सामाजिक व्यवस्था में सोशल मिडिया तकनिकी और आर्थिक बदलाव की भूमिका ।

ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति जहां पर तकनीकी में परिवर्तन,कार्य का विशेषीकरण और नए तरह के डिविजन आफ लेबर के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी हुई । इस बात का उल्लेख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी किताब wealth of nation मे किया तथा इसी बात को एक सदी के बाद 19 वी सदी में दुर्खीम ने अपनी किताब डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया ।एडम स्मिथ ने कहा कि कार्य के विशेषीकरण से उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा मानवता के लिए समृद्धता और खुशहाली आएगी। लेकिन स्मिथ ने 18वी सदी में भी तकनीकी और विशेषीकरण से उत्पन्न दुष्प्रभावों की तरफ भी संकेत किया और बताया कि एक ही तरह का काम लगातार लंबे समय तक करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हों जाएगी (Halls 1984 p 11)। वहीं जर्मन विचारक Hegel, Schiller और Fichte ने भी तकनीकी को लेकर ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों की आलोचना की और तकनीकी के खतरनाक पहलुओं को बताया और कहा कि तकनीकी और विशेषीकरण व्यक्ति को बौना बना देगा उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा (Ibid 11)। तकनीकि कें दुस्प्रभावो से 18वी सदी में ही बुद्धिजीवी चिंतित थे। दुर्खीम स्वयं मानते थे कि तकनीकी और कार्य का विशेषीकरण कारखाने की दीवार से बाहर आ जायेगा और यह राजनीति प्रशासन ज्यूडिशियरी और समाज में भी प्रवेश कर जाएगा, और प्रभावित करेगा।, दुर्खीम मानते थे की श्रम विभाजन समाज मे अंतरनिर्भरताऔर पारस्परिक पैदा करता है ।लेकिन कभी कभी चीजे अंधेरे की तरफ मुड़ जाती है। अंतरनिर्भरता और पारस्परिकता के स्थान पर समाज में असमानता, अन्याय, सामाजिक दूरी और विरोध पैदा होने लगता है। खासकर समाज मे शक्ति के असमानता अधिक होने से संघर्ष असंभव हो जाता है , लोग खुद के लिए लड़ने का हक से ही इंकार कर देते है(ibid 179)। तकनीकि आधारित पूजीवाद को लगातार मुनाफे के लिए बाजार चाहिए था, दोनों विश्व युद्धों की पृष्ठ भूमि में कही न कही पूजीवाद था ।नई सूचना क्रांति ने ही फाइनेंशियल कैपिटलिजम को पैदा किया तथा इसके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओ को खत्म किया । पूजी के तेजी से एक देश से दूसरे में प्रवाह ने बड़े बड़े taÛ havens पैदा कर दिया, कर चोरी के नए नए रास्ते खुल गए। जिससे कुछ लोगो के पास पूजी का।अधिक संक्रमण हो गया और आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ती जा रही है जो हिंसा अराजकता, निराशा को जन्म दे रही है। तकनीकि

आधारित सोशल मीडिया सर्विलांस कैपिटलिजम के हथियार के रूप में बाजार पर पूर्ण कब्जा के लिए सबसे पहले आभासी जनमत का निर्माण करके राजनीति और राज्य पर कब्जा किया जिससे बाजार अपने आप कब्जे में आ गया। आज गूगल एप्पल,अमेजन माइक्रोसॉफ्ट ही सबसे बड़ी कंपनिया है। तथा दुनिया भर के देशों की राजनीति और बाजार को यह प्रभावित करती है। रुस सोशल मीडिया का प्रयोग करके अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति चुनाव को यदि प्रभावित कर सकता है तो यह रुस की नही बल्कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की ताकत है जो राज्य को ही चुनौती दे रही है।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया प्लेटफार्म अब तक निर्मित सम्प्रेषण के सभी साधनों में से सबसे ताकतवर साधन के रूप में उभर कर सामने आया है । क्योंकि यह लोगो की सोच को नियंत्रित करके उनके व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है। ये प्लेट फार्म सर्विलांस कैपिटलिज्म के ताकतवर साधन के रूप मानव व्यवहार और मनोभाव को खबर बनाकर बाजार में बेचता है।यह दावा करते हैं कि ये लोगो के के लिए विचार और अभिव्यक्ति के साधन के रूप लोकतंत्र और समाज को मजबूतकरते हैं । जोड़ते है लेकिन यह अधूरा सच है ,वास्तव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यक्ति dksGuinea pig की तरह इस्तेमाल करते है तथा ये मानसिक नियंत्रण के सबसे ताकतवर साधन है । ये प्लेटफार्म समाज में प्राथमिक अंतरंगसंबंधो को कमजोर करके व्यक्तिको कमजोर करते है। प्राथमिक संबंधों के स्थान पर द्वितीयक संबंधों का विकल्प प्रस्तुत करके सामुदायिक भावना को खत्म कर रहे है। सोशल मीडिया की खबर को गुप्त या सार्वजनिक करने की सुविधा ने इसको प्रिंट और टीवी न्यूज चौनल दोनो से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बना देता है। झूठी या भ्रामक या भावना भड़काने या हिसा भड़काने वाली खबरों को तेजी से फैलने में सोशल मीडिया सबसे ताकतवर साधन हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव किसी भी समूह की आंतरिक एकता को तथा समूहों के बीच संबंधों पर अन्य साधनों की तुलना कहिं ज्यादा होता है। एक समूह के सदस्यों के बीच दूसरे समूह के बारे में। भेजी गई भ्रामक भड़काऊ खबर समूह की आंतरिक एकता को मजबूत करती है समूह के विचार या उद्देश्य के प्रति कट्टर समर्थक बना देती है वही दूसरी तरफ दोनो समूहो के बीच घृणा और शत्रुता का भाव बड़ा देती है । सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बड़ी संख्या में झूठी खबरे बनाई और प्रसारित की जाती हैं, लेकिन फैक्ट चेकिंग वेबसाइटों जो नियंत्रण और संतुलन का काम करती है की संख्या कम है तथा इनकी पहुंच बहुत कम तथा उच्च स्तर की शिक्षित लोगो तक सीमित होने के कारण झूठी और भ्रामक खबरें काफी हद तक अशिक्षित जनसंख्या को तेजी से प्रभावित करती है। जहा एक तरफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म आम लोगों को अपनी बात बड़ी संख्या में लोगो तक पहुंचाने की सुविधा देता है, जिससे राज्य नियंत्रित रहता है, लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, वही दूसरी तरफ विभिन्न समूहों, राजनैतिक दलों आदि द्वारा अपने हितों के लिए झूठी और भ्रामक खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने के कारण समाज में विभाजनकारी तथा कट्टरपंथी विचारो को मजबूती तथा जनमत के प्रदूषित होने का खतरा बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे है । जो लोकतंत्र के लिए नुकसान दायक हैं। तकनिकी और सोशल मीडिया ने उत्पादन (प्रोडक्शन)आधारित औद्योगिक पूजीवाद को निष्कर्षण आधारित पूजीवाद में बदल दिया है जिससे असमानता बढ़ी है। सोशल मीडिया द्वारा व्यक्ति को मानसिक रूप से नियंत्रित करके संबंधों भावनाओ को बेचा जाता है। बाजार के एक औजार के रूप में सोशल मीडिया मछली को पकड़ने के लिए पानी में डाले गए हुक में लगे चारे के समान है। जैसे ही मछली चारा खाने का प्रयास करती है वह हुक में फस जाती है। सोशल मीडिया के उपभोक्ता के रूप में व्यक्ति की स्थिति मछली जैसी है।

Reference-

1. Alter, A. (2017). “Irresistible“Penguin press EPUB Ch.1, p17, 23)
2. Durkhem, E., Division of labour in society translated by Halls, W., D.
3. (1984).Macmillan press, P11
4. Gottdiener, M., Hutchison, R., & Michael T. Ryan, R., T. (2018). “The New Urban
5. Sociology” Routledge, p.54.
6. Lisa Schirch, L. (2021). Social media impact on conflict and democracy Routledge
7. EPUB, ch.2 p 63, and ch.6 p 190 -197.
8. Howard, P., N. (2006). New media compaigns and the managed citizen, cambrige
9. university press, P.182
10. 6. Motion, J. Heath, R.L & Leitch, S. (2016). Social Media and Public Relations: Fake
11. friends and powerful publics Routledge pp 5, 52,766
12. 7. Stanley, J. (2015). How propaganda works Princeton University press, p.48, 312.
13. Sinan, A. (2020). The Hype machine Currency/Penguin Random House EPUB, ch.1
14. p 21-22, ch.3 p 80
15. Schmidt Eric (2013).The New Digital Age Alfred A. Knopf / Random House, EUPB,
16. pp- 9, 14-16.
17. Turner. J., H. (2005). Structure of sociological theory Rawat Publication p 190.
18. Woolley, S., C. & Howard, P., N. (2019). Computational propaganda p, 21
19. 11. Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism, PublicAffairs Books pp 14 – 179.

महात्मा जोतिराव फुले के धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों का मूल्यांकन

प्रियंका पासवान
शोध छात्रा–समाजशास्त्र
का०सु०साकेत स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अयोध्या

सारांश

महात्मा जोतिराव फुले ने भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक कुरीतियों के विरूद्ध तेजी से विद्रोह किया। उन्होंने एक–एक कर कुरीतियों को उन्मूलन करना प्रारम्भ किया। उन्होंने अपने भाषणों से एवं पर्चे फाल्डर्स पैम्पलैट्स वितरित कराकर जन मानस में चेतना आचरण जाग्रत कर वातावरण का निर्माण किया तथा अपने आचरण से उन्हें समाप्त करके दिखाया। नारी समाज की धुरी है और जिस समाज में उसकी धुरी ही जंग खा गई हो तो वह समाज कैसे उन्नति की गति पकड़ सकता है शायद ऐसा ही कुछ भारतीय समाज के साथ हुआ। पुरूष प्रधान भारतीय समाज ने नारी के रहते समाज की प्रगति की कल्पना दिव्या–स्वप्न ही कही जा सकती है।

कुंजी शब्द– धार्मिक कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, साहित्य, समन्वयकारी, विधवा पुनर्विवाह।

वैदिक काल में नारी को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उसे पुरूष के बराबर अधिकार मिले हुये थे लेकिन कालान्तर में मध्यकाल तक आते–आते पुरूष प्रधान समाज ने शनैः शनैः उसके सभी अधिकार छीन कर उसे पतन की ओर अग्रसर कर दिया। मध्यकाल में तो नारी घर की चार दीवारी में कैद कर दी गई। इस स्थिति में समाज के उत्थान की बात सोचना ही व्यर्थ था। यह कारण था कि भारतीय समाज दिन–प्रतिदिन पतन के गर्त में धंसता चला गया। यहां पर जिस काल परिस्थिति का आंकलन कर सामाजिक क्रांति की पहल पर प्रकाश डाला जा रहा है। वह समय संक्रमण काल था। भारतीय समाज जो पहले से ही धार्मिक सामाजिक से पूरी तरह संक्रमित था उस पर अंग्रेजी शासन के राजनैतिक संक्रमण ने भारतीय समाज को गुलाम बना दिया था। भारतीय समाज उच्च और निम्न वर्गों में बंट चुका था। निम्न वर्ग की जातियों को शूद्र और अतिशूद्र मानकर उच्च वर्ग के लोग उन्हें दास और हेय दृष्टि से देखते थे। उच्च वर्ग के लोगों ने भारतीय धर्म समाज साहित्य व दर्शन को धार्मिक साहित्य रचकर अपने अनुकूल बना लिया था। अंग्रेजी शासन के दौरान एक बात अवश्य सामने आई कि भारत में उन्होंने तो शिक्षा के प्रयास किये उसके फलस्वरूप यहां पर शिक्षित युवकों की एक नई पीढ़ी का आविर्भाव हुआ जो अंग्रेजी साहित्य और इंग्लैण्ड का इतिहास पढ़कर एक नई राष्ट्र धारणा से परिचित हुआ। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों की सामाजिक संस्थाओं और उनकी विचार–प्रणालियों का भली–भांति अवलोकन भी किया था। परिणामस्वरूप यहां के विचारशील लोगों में समान विधि प्रणाली सम्मान शिक्षा प्रणाली शासन प्रणाली और संचार माध्यमों के कारण एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। ऐसी स्थिति में कुछ विचारशील लोगों ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हो किन्तु समीक्षा प्रणाली अपनाते हुए भारतीय धर्म दर्शन साहित्य और इतिहास का परिशीलन किया और उसके गौरवशाली अंग को लोगों के सम्मुख रखकर उनमें स्वत्व जागृत करने और उनके व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने का प्रयास किया। इसमें भारतीय सामाजिक जीवन में दो नये मतवाद उत्पन्न हुए। एक परम्परावादी उग्रदल के रूप में तथा दूसरा समन्वयकारी प्रगतिशील दल के

रूप में सामने आया। इन दोनों दलों का मूल आधार राष्ट्रवाद था। उग्रवादी दल प्राचीन हिन्दू परम्पराओं का गुणगान करने वाला था जबकि समन्वयकारी प्रगतिशील दल की कार्य प्रणाली धीरे–धीरे सुधार करने की थी। इन नये मतवादियों में ही महात्मा जोतिराव फुले भी थे लेकिन वे परम्परावादी उग्रदल के विरूद्ध थे। उनका मानना था कि इस दल का स्वदेश अभियान बहुत ही संकुचित है, यह स्थितिप्रिय और स्वार्थी है। समन्वयकारी प्रगतिशील दल की कार्य प्रणाली को महात्मा फुले दोषपूर्ण मानते थे। उनके विचार से इस दल के मार्ग से गतिशील प्रगति करना असंभव है। इसलिए अपने सामाजिक सुधार की लक्ष्यपूर्ति के लिये महात्मा फुले ने अपना अलग मार्ग निर्धारित करना आवश्यक समझा उन्होंने महसूस किया कि दरिद्र वर्ग दलित और शूद्रातिशूद्र जातियों की स्थिति में विकास के अभाव में भारतीय सामाजिक उत्थान असम्भव है। अतः इनकी स्थिति सुधारने के लिए फुटकर सुधारों पर निर्भर न रहकर बुनियादी सामाजिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में उनका ध्यान एक महत्वपूर्ण सुधार की ओर गया। वे जिन धार्मिक रूढ़ियों और रीति–रिवाजों को अनुचित समझते थे, उन पर बड़े जोश खरोश से कठोर प्रहार किया करते थे। उनमें से एक विधवाओं की सामाजिक स्थिति भी थी।

प्राचीन काल में अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में पत्नी को जलकर भस्म हो जाने की प्रथा थी जिसे समाज ने सती प्रथा का नाम दिया था। लेकिन जो पत्नी पति के साथ सती नहीं होती थी उसकी दशा समाज में दयनीय हो जाती थी। ऐसा माना जाता था कि मुंडन करने से विधवा का विरागी बन जाना और उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि अब वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करें। मुंडन प्रथा बारहवीं शताब्दी से अस्तित्व में आई। आरम्भ में यह प्रथा केवल ब्राह्मण वर्ग में प्रचलित हुई लेकिन धीरे–धीरे समाज की अन्य ऊँची जातियों ने भी इस प्रथा को अपना लिया। यह प्रथा भारत के उत्तरी भाग में अधिक प्रचलित थी। स्त्रियों को विधवा अवस्था में अनेक क्लेशों–कष्टों और अपमान को सहते हुए विकट नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वास्तविकता यह है कि समाज में बुजुर्ग कहलाने वाले लोग ही विधवाओं का प्राकृतिक मानव धर्म छीनकर उनका जीवन मिट्टी में मिलाने का पाप कर्म किया करते थे। जिस घड़ी से विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा उस घड़ी से आज तक लाखों विधवाओं की बलि इस समाज में इस घातक रूढ़िवादी परम्परा की भेंट चढ़ गई। महात्मा फुले ने जब विधवा उद्धार का संकल्प लिया तब भारत पश्चिमी शिक्षा और विचार प्रणाली के प्रकाश में शनैः शनैः शेष विश्व के साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी पुरानी निष्ठुर रूढियों और दुराग्रही परम्पराओं को ठुकराने लगा था। चूंकि किसी भी अन्य देश में विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक नहीं थी यह अत्याचार केवल भारत में ही होता था और धर्माज्ञा तथा भद्रता के नाम पर यह कृत्य खुले आम हुआ करता था। महात्मा फुले के विधवा–उद्धार संकल्प के दौरान नवम्बर सन् 1852 में मुम्बई के एक समाचार पत्र में खबर छपी की भुज में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा एक दुर्भाग्यशालिनी विधवा को चिता से बाहर खींचने का प्रयास किया गया। क्योंकि वह महिला जीवित रहना चाहती थी लेकिन चिता के आस–पास खड़े ब्राह्मण उसे जबरन चिता की ओर खींच ले गये। उसने जब फिर भागने का प्रयास किया तो ब्राह्मणों ने उसके सिर के टुकड़े–टुकड़े कर दिये। इसी तरह की एक घटना और हुई जिसका उल्लेख सन् 1866 में प्रकाशित पूणे–वर्णन में मिलता हैं। इन घटनाओं ने तो महात्मा फुले के मन में विधवा उद्धार की धधक रही ज्वाला में घी का काम किया। पहले विधवा मुंडन बन्द करने का निर्णय लिया। सन् 1840 में ही वैसे तो विधवा–विवाह के पक्ष में हवा बहने लगी थी। इसका श्रीगणेश भी एक ब्राह्मण विचारक श्री विष्णु शास्त्री पण्डित ने किया था। अगर उन्हें विधवा विवाह के पक्ष में प्रचार करने वाला प्रथम प्रचारक भी कहें तो भी कोई अतिश्योक्ति नहीं है। लेकिन महात्मा जोतिराव फुले ने जिस हिम्मत और साहस से इस सामाजिक कुरीति को मिटाने में सक्रिय योगदान

दिया वह अतुलनीय है। कुछ समय तक तो वे इस आन्दोलन के अग्रगामी बने रहे। यद्यपि सन् 1842 में बेलगाँव में दो विधवाओं का पुनर्विवाह सम्पन्न कराया गया लेकिन इस घटना का अधिक प्रचार–प्रसार नहीं हुआ। सन् 1860 में महात्मा फुले की प्रेरणा से 8 मार्च को पूणे में शेणवी जाति की एक विधवा और विधुर का विवाह हुआ।

नारी वर्ग की अधोगति से जोतिराव बहुत खिन्न थे। उनका ध्यान विधवा महिलाओं की विपन्न अवस्था पर गया। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से जाना कि ब्राह्मण वर्ग में व उनकी नकल करने वाले अन्य उच्च वर्गीय लोगों में विधवा विवाह निषेध है। जोतिराव ने इस अत्याचार के विरूद्ध आवाज उठाई और इस सन्तापकारी अपमानजनक कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया। जोतिराव के प्रोत्साहन तथा सक्रिय सहभागिता से पूना के गोखले बाग में 8 मार्च 1860 को एक शैणवी विधवा युवति का उसी जाति के एक विधुर के साथ विवाह सम्पन्न कराया गया। जोतिराव का कथन था कि जब ब्राह्मणी समाज का विधुर दूसरी शादी कर सकता है तो उनकी विधवा बालिका या स्त्री दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती है। महिलाओं के साथ यह भेदभाव क्यों है। उस समय जोतिराव ने देखा कि समाज में ऐसी विधवायें जिन्हें पुरूषों द्वारा धोखा दिया गया या जो छली गयी और उनसे गर्भवती होने की अवस्था में या तो वे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती या फिर भ्रूण हत्या के लिए विवश होती थी। किसी भी तरह उनका यह कृत्य अगर समाज के सामने आता तो वे बदचलन कहलाती और बदनामी की चादर उन्हें ओढ़नी पड़ती थी। इस पापकर्म में संलग्न उनके सहगामी समाज की नजरों से बेदाग बच जाते थे। जोतिराव फुले ने सोचा कि यदि इन छली गई विधवाओं की प्रसूति यदि गुप्त रूप से कराई जाये और उनकी होने वाली संतान की रक्षा के उपाय किये जाये तो अन्याय अवहेलना और अपमान से दबी–सहमी इन विधवाओं को सम्बल मिलेगा और वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलने की हिम्मत भी जुटा पायेगी। इस प्रकार घर से बाहर निकलने वाली ये विधवायें धर्म के तथाकथित ठेकेदारों और समाज के सफेदपोश लोगों पर उठाया गया शस्त्र सिद्ध होगी। इस विचार के द्वारा महात्मा फुले ने बालहत्या प्रतिबंधक गृह खोलने का निर्णय किया और इसकी लोगों में जानकारी प्रदान करने के लिए पूणे शहर में जगह–जगह दीवारों पर पर्चे चिपकवायें इससे जोतिराव फुले द्वारा आरम्भ की गई इस प्रकार की भारत में पहली संस्था थी जहां इस प्रकार विधवाओं की प्रसूति कराकर उनकी संतान की सुरक्षा और लालन–पालन की भी व्यवस्था थी। यह बालहत्या प्रतिबन्धक गृह सन् 1863 में स्थापित हुआ। इसे जोतिराव ने अपने स्वयं के घर में स्थापित किया था। जोतिराव फुले ने बहराम जी मालाबारी के अंग्रेज सरकार को प्रेषित पर टिप्पणी करते हुए तथा सहमति व्यक्त करते हुए लिखा कि बाल विवाह प्रथा हमारे पारिवारिक जीवन में कटुता पैदा करती है। अल्प आयु में विवाह होने के कारण पति–पत्नी में युवा व्यवस्था में अधिकांश मामलों में समरसता और प्रेम भावना नहीं रहती। पति को पत्नी पसन्द नहीं आने पर वैवाहिक जीवन में दरार पड़ती है और विवाह खण्डित हो जाता है। दूल्हा दूसरा विवाह कर लेता है। इस तरह वह एक के बाद दूसरा व तीसरा विवाह करने का अभ्यस्त हो जाता है। इस सामाजिक बुराई के प्रतिकार के रूप में जोतिराव फुले ने सरकार को दूल्हा व दुल्हन की आयु में वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया। उनके अनुसार 19 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं 11 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जबरन वैधव्य और बाल विवाह प्रथा के विरोध में महात्मा जोतिराव राव फुले व बहराम जी मालाबारी के अलावा तत्कालीन समाज सुधारक ईश्वर चन्द्र विद्यासागर व दादा भाई नोरोजी ने भी प्रशंसनीय कार्य किया। भारतीय समाज में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही सामाजिक बुराइयों में एक बाल विवाह प्रथा भी है। यद्यपि आज के समाज में यह प्रथा लगभग समाप्त प्रायः हो चली है लेकिन अभी भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े कई ऐसे क्षेत्र है, विशेषकर

राजस्थान में जहां यह प्रथा अपनी जड़े जमाये हुए है। इस प्रथा ने तो भारतीय समाज की युवा शक्ति को एक तरह से नष्ट कर दिया। भारत के सामाजिक पतन के लिए यह एक बहुत बड़े घटक के रूप में काम करती रही है। धर्म के ठेकेदारों ने अपने स्वार्थवश इस प्रथा को भी धर्म से जोड़ दिया। बाल्या वस्था में अपने बच्चों का विवाह रचाकर लोग सदैव लड़की पक्ष का हर तरह का शोषण भी करते रहे थे या फिर किसी प्रकार का खोट निकाल कर अपने लड़के की दूसरी शादी करने की धमकी देकर लड़की के माता–पिता का दोहन करते और बहुत से लोग तो अपने बालकों का दूसरा विवाह भी कर लेते थे। ऐसी लड़कियां जो बाद मे या तो परित्यक्ता का जीवन बिताने को विवश होती थी या फिर उनके माता–पिता लोक–लाज के भय से अगर किसी तरह उन्हें उनके ससुराल भेजने में कामयाब भी हो जाते तो वे लड़किया उस घर में दासी की भांति जीवन व्यतीत करती थीं।

इसी स्थिति में लड़किया या तो भ्रमित हो कर कुमार्ग पर चल पड़ती थी या लांछित होकर बेघर होने को विवश हो जाती थी। इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते है। बाल विवाह का दूसरा पहलू यह था कि बाल्यावस्था में शादी हो जाने के बाद लड़की या लड़का जो अभी स्वयं शारीरिक मानसिक और बौद्धिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं हो पाते उन्हें कम उम्र में ही माता–पिता बन कर पितृत्व का भार वहन करना पड़ता था जिससे उनका शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास रूक जाता था। लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब हो जाती थी। कम उम्र में मातृत्व का बोझ उनके शरीर में अनेक प्रकार की कमजोरी और बीमारी का कारण बन जाता था और शारीरिक रूप में कमजोर लड़की अनेक भंयकर बीमारियों से ग्रसित होकर काल कवलित हो जाती थी। इस प्रकार युवाशक्ति जो किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए समर्थ होती है जिसमें ऊर्जा और साहस कूट–कूट कर भरा होता है इस देश की वही शक्ति सैकड़ों सालों से पंगु हो जाने के कारण ही भारतीय समाज अनेक तरह की रूढ़िवादी परम्पराओं से ग्रसित हो गया था। इसी कारण दुनिया का सिरमौर देश दुनिया के सबसे गिरे पिछड़े और अविकसित देशों में गिना जाने लगा। अठारहवीं सदी तक आते–आते पाश्चात्य शिक्षा और विचार के प्रसार से भारतीय समाज में एक नई जागृति और चेतना की लहर प्रवाहित हुई। इस लहर में एक युग–पुरूष के रूप में एक ज्योति प्रकाशित हुई जिसे लोगों ने महात्मा के सम्बोधन से पुकारा और जो महात्मा जोतिराव फुले के नाम से जगत में विख्यात हुआ। जोतिराव फुले ने विधवा मुण्डन के विरोध के साथ–साथ बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर कुठाराघात किया। सामाजिक क्रांति की पहल करते हुए उन्होंने इस कुप्रथा पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है मैं अब इस देश के मध्य तथा निम्न वर्ग तथा दलित आदिवासियों के बारे में चन्द बातें कहूंगा। अगर शादी के मामले में दोनों पक्षों में मामूली झड़प होती है तो बेचारी वधू को जीवन भर उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शादी के बाद अगर लड़के के पिता को लड़की के परिवार के संबंध में कोई खोट नजर आए तो उस निरीह बालिका को जातिबाधक करार दिया जाता है। अगर लड़की लड़के से आयु में बड़ी है तो उसे ठीक से खाना कपड़ा नहीं दिया जाता बल्कि उसे अपने सम्पन्न माँ–बाप के साथ रहने की अनुमति भी नहीं दी जाती हैं। अगर इसका ससुर विपन्न तथा जाहिल हो तो खाने–पीने के अभाव से लड़की का विकास अवरूद्ध हो जाता है। संक्षेप में कहा जाये तो गुलामों से भी अधिक काम के बोझ तले लड़की को दिन–रात दबाया जाता है। उस पर इतने असहनीय अत्याचार किये जाते हैं कि उसके सामने अपने जीवन को समाप्त करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता है। समाज में इस तरह के अत्याचार करने वाले लोग किस तरह अपने अपराध पर पर्दा डालते थे इस और इशारा करते हुए आगे जोतिराव ने लिखा है कि ऐसे अपराध गाँव के पटेल कुलकर्णी (झगड़ों का सौदागर) तथा पुलिस को घूस देकर अक्सर दबाये जाते है। इस कुप्रथा के कारण बर्बाद होते परिवार तथा बहुपत्नी प्रथा पर कुठारघात करते हुए फुले आगे लिखते है

अपने पुत्र की शादी पर कर्जा उठाने वाले गरीब परिवार बहुओं की असामयिक मृत्यु से बर्बाद हो जाते हैं। कई बार अक्लमंद होने पर लड़के को अपनी पत्नी पसन्द नहीं आती और वह अपनी इच्छानुसार नई शादी रचाता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पारिवारिक सुख शांति को नष्ट करने वाली समाज में अपराधों को जन्म देने वाली इस बालविवाह रूपी कुप्रथा को भारतीय समाज से समूल नष्ट करने के लिये प्रतिबद्ध जोतिराव फुले ने बंगाल के प्रबुद्ध हिन्दूओं द्वारा विश्वविद्यालय के स्नातकों को इस प्रचलित सामाजिक कुप्रथा के विरूद्ध दिये गये सुझावों के संदर्भ में अपना समर्थन दिया।

जोतिराव फुले ने आम लोगों की सूचनार्थ पर्चा छपवाकर वितरित कराये। पर्चा में लिखा था हे तरूण विधवाओं यहां आओ पूर्ण सुरक्षित तथा गोपनीयता के साथ अपने बच्चे को जन्म दो अनाथालय उसकी देखभाल करेगा। इस पर्चा को पढ़कर पूना के कट्टरपंथी ब्राह्मण आग बबूला हो गये। लोकहितवादी गोपालराव देशमुख विनायक राव मण्डारकर प्रार्थना समाज के न्यासी लोग मदन श्री कृष्ण जो लघु वाद न्यायालय के न्यायाधीश थे मामा परमानन्द वासुदेव राव, बावाजी नौरंग तुकाराम, तात्या पडवाल और गणमान्य महानुभाओं ने फुले के बाल हत्या प्रतिबन्धक गृह और विधवा आश्रम स्थापना के कार्य की बहुत सराहना की और जोतिराव की इन सामाजिक कार्यों में सहायता भी की। जोतिराव के विधवा एवं शिक्षा गृह से प्रेरित होकर रानाडे और उनके मित्र लालशंकर उमाशंकर त्रिवेदी ने 1875 में पूणे में अनाथालय खोला।

जोतिराव मृतक पति के साथ उसकी पत्नी को सती कराने की प्रथा को अत्याचार की पराकाष्ठा मानते थे। उनके अनुसार यह पुरूष वर्ग का नारी वर्ग पर बर्बर अत्याचार था जो जानबूझ कर की गई हत्या की श्रेणी में आता है। यह प्रथा उच्च वर्ण के लोगो जिन्हें वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय कहा जाता था में प्रचलित थी जो उनके परिवार तक सीमित थी। लेकिन जोतिराव नारी के अधिकारों व पुरूष वर्ग से उसकी सामनता के पक्षधर थे इसलिये उन्होंने इस प्रथा की निन्दा की। अंग्रेज सरकार ने इस अमानवीय प्रथा पर कानून बनाकर रोक लगा दी थी।

उन्नीसवीं शताब्दी में वर्ण व्यवस्था के कारण हिन्दू समाज में अस्पृश्यता व्याप्त थी। महार मांग चमार चाण्डाल आदि जाति जिन्हें जोतिराव फुले ने अपनी रचनाओं में अतिशूद्र कहकर संबोधित किया है। अस्पृश्यता के शिकार थे। ब्राह्मण लोग और उनके प्रभाव क्षेत्र के क्षत्रिय व वैश्य वर्ग के लोग इन्हें अछूत मानते थे। इनकी छाया से भी दूर भागते थे। इनके शरीर को छूना तो दूर की बात थी। पीने का पानी इन्हें सुगमता से उपलब्ध नहीं था, फुले के घर में कुंआ था, पानी का बड़ा हौज था जिसे उन्होंने अस्पृश्य लोगों के लिये सन् 1868 में खोल दिया। यहां तक की उन्होंने अछूतों के साथ भोजन करना भी प्रारम्भ कर दिया, क्योंकि वे जातिवाद को नहीं मानते थे।

ब्राह्मण वर्ग के धार्मिक और सामाजिक प्रभाव के विरोधी आन्दोलन चलाने के लिए महात्मा जोतिराव फुले ने सन् 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। जोतिराव ने महाराष्ट्र भर में फैले हुए अपने मुख्य हितैषियों तथा अनुयायियों को एक पत्र लिखकर दिनांक 24 सितम्बर 1873 को पुणे में एक सभा का आयोजन किया। उसमें गिने–चुने 50 से 60 लोग उपस्थित हुए। जोतिराव ने उस सभा में संगठन के उद्देश्यों का विस्तृत विवेचन करते हुए बताया कि धार्मिक तथा सामाजिक गुलामी को जड़ सहित उखाड़कर फेंकना और उपनिवेशवाद को समाप्त करना सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य होगा। पर्याप्त विचार–विमर्श और वाद–विवाद के बाद समाज के गठन का निर्णय किया गया। इस प्रकार दिनांक 24 सितम्बर, 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। धीरे–धीरे गुण तथा कुशलता प्राप्त करने और उद्योग व्यवसाय को अपनाने का विचार ही त्याग दिया जिसके परिणामस्वरूप कनिष्ठ जातियों में इन गुणों का लोप हो गया। जन्मजात श्रेष्ठता की धारणा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए फुले लिखते है कि ''कई

देशों की सभी नदियां अन्त में महासागर में मिल जाती है। ऐसी स्थिति में कोई एक नदी पवित्र या श्रेष्ठ कैसे हो सकती है। भारतीय समाज में सभी जगह यह धारणा बनी हुई थी कि पुरोहित द्वारा संस्कृत में मंत्र आदि उच्चारित किये बिना ईश्वर से साक्षात्कार संभव ही नहीं है। जोतिराव ने इस संबंध में लोगों से कहा कि यह बात ब्राह्मणों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि और श्रेष्ठता कायम रखने के लिए ही फैलाई है। यदि केवल संस्कृत भाषा को ही ईश्वर समझता है तो क्या ईसाई मुसलमान यहूदी आदि द्वारा उनकी अपनी भाषा में की गई प्रार्थनायें और आराधना ईश्वर की पहुंच के परे है। इस प्रकार सत्यशोधक समाज द्वारा बनाई गई पद्धति निः सन्देह क्रान्तिमय थी। जोतिराव द्वारा विवाह संस्था में दलालों को नकारकर पुरोहितवृति को एक बहुत बड़ा धक्का दिया गया। इस विवाह पद्धति का सबसे अधिक क्रांतिकारी पहलु था गांव में होने वाले शादी विवाह में सभी ग्रामीण जातियों का समभाव से सहभागी होना। उदाहरण स्वरूप दूल्हे के बाल गांव के नाई से कटवाये जाये विवाह के दिन गांव की धोबिन वर के मण्डप में वस्त्र के आसन पर अनाज का चौक पूरा कर उस पर वर को बैठाये और उसके हाथ में कंकन बांधे। वर द्वारा वधू के गांव पधारने पर गांव की महारिन अछूत जाति की स्त्री हाथ में पूजा की थाली लेकर उसकी आरती उतारे। विवाह सम्पन्न होने के उपरान्त वर–वधू तथा बरातियों समेत खूब आनन्द मंगल के साथ शूद्र अतिशूद्र से लेकर ईसाई मुसलमान पारसी ब्राह्मण भाईयों के साथ बच्चों अंधे लगड़े–लूलों आदि को वगैर किसी भेदभाव के दान देते हुए अपने गांव प्रस्थान करे। जोतिराव की यह विचार प्रणाली सर्वजाति समभावपरक थी। अछूत स्त्री महारिन द्वारा वर की आरती उतारना तत्कालीन पण्डे पुरोहितों द्वारा बनाई विवाह पद्धति में शुभ–अशुभ के विचारों को धक्का देने वाली थी। जोतिराव की इस विचार प्रणाली से यह प्रतीत होता है कि वे समाज से जाति भेद समूल नष्ट करना चाहते थे। विवाह जैसे आवश्यक परम्परा से पूर्व प्रचलित मान्यताओं और धारणाओं को समाप्त कर एक नई व्यवस्था कायम करना चाहते थे, ऐसी व्यवस्था जो सर्वजातिसभाव से युक्त हो। अपने विचारों वाली विवाह पद्धति को अमली जामा पहनाते हुए जोतिराव ने अपने एक अनपढ़ विधुर रिश्तेदार का सत्यशोधक समाज के तत्वाधान में विवाह सम्पन्न कराया।

देवदासी प्रथा हिन्दू समाज का कलंक रही है। देवदासियां मंदिरों में देवप्रतिमाओं की पूजा अर्चना के लिए बचपन में ही समर्पित हो जाती थी। पुजारी उनका दैनिक शोषण करते थे। सामाजिक सुधार की कड़ी में देवदासी प्रथा पर भी महात्मा जोतिराव फुले ने प्रहार किये। देवदासियों उस समय मंदिर के पुजारियों पुरोहितों की वासना की पूर्ति का साधन मात्र थी। समाज को दिखाने के लिए वे मंदिर की साफ–सफाई और अन्य व्यवस्था में पुजारियों की सहायक थी तथा भजन–कीर्तन–नृत्य आदि किया करती थी लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। वे ऐसी स्त्रियाँ थी जो बेचारी सामाजिक परिवेश में पीड़ित और शोषित हुआ करती थीं। वे अपनी अस्मत बचाने तथा जीवन निर्वाह के लिये प्रभु की शरण में जाने के उद्देश्य से मंदिर की शरण में जाती थी लेकिन वहां भी उन्हें ब्राह्मण और पुजारियों की वासना शान्त करने के घिनौने कृत्य का सामना करना पड़ता था। देवदासी प्रथा पर जोतिराव द्वारा किये गये कठोर प्रहार से संबंधित एक घटना का जिक्र इस प्रकार है एक बार श्री बालाजी पाटील के विरूद्ध ग्रामयोजक के मुकदमें में बम्बई के उच्च न्यायालय मे सुनवायी हो रही थी तब की बात है। जोतिराव बग्घी की सवारी से बाजार की ओर जा रहे थे। उनके साथ सर्वश्री नारायणराव लोखंडे आनन्दराव तालचेरकर यशवन्तराव मणेरीकर भी थे। रास्ते में गाजे–बाजे के साथ उन्हें शान से जा रही एक शोभायात्रा दिखाई दी। एक धनवान माता स्वर्ग प्राप्ति की आशा से अपनी बेटी का विवाह भगवान से कराने जा रही थी। उक्त शोभा यात्रा उसी लड़की की थी। उक्त वक्त बम्बई में भगवान की मूर्ति के साथ विवाह कराके लड़कियों को देवदासी बनाने की प्रथा जोरों पर थी। संबंधित लड़कियां भगवान की दासियां तो क्या बनती योगदासियां अवश्य बन जाती और

वैश्या व्यवसाय में फंस जाती थी। इस प्रथा के कारण कई ऊँचे कुल की कन्याएं वेश्यालयों की अंधेरी कोठरियों में कैदी का जीवन बिता रही थी। श्री आनन्दराज जोतिराव से बोले स्वयं माँ–बाप ही भगवान और धर्म के नाम पर अपनी बेटियों को नरक में धकेल देते हैं। क्या इस प्रथा को रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते? यह बात सुनते ही जोतिराव ने बग्घी वाले से पुलिस थाने चलने को कहा पलिस अधीक्षक अंग्रेज थे लेकिन वह थाने में नहीं घर पर था। जोतिराव के साथ जाने वाले श्री मणेरीकर उसे मराठी पढ़ाते थे इस बात का पता चलने पर जोतिराव ने बग्घी वाले से पुलिस अधीक्षक के घर चलने को कहा। पुलिस अधीक्षक ने ज्यातिबा की बात सुन ली लेकिन उसमें इस विवाह को रोकने की हिम्मत नहीं थी। तब उसे लेकर जोतिराव मुम्बई के पुलिस आयुक्त से मिलने गये। जोतिराव ने उन्हें समझाया कि धर्म की आड़ में नयी–नयी युवतियों का प्रबन्ध करते रहते हैं अतः इस प्रथा को रोकना नितान्त आवश्यक है। जोतिराव का इस घिनौनी प्रथा के विरूद्ध तर्क सुनकर और सारी परिस्थितियों को समझकर उस पुलिस आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों को इस विवाह को तत्काल रूकवाने का आदेश दिया। पुलिस अधिकारी आयुक्त का आदेश पाकर तुरन्त घटना स्थान पर रवाना हुए और उन्होंने उस तथाकथित विवाह को रूकवाया।जोतिराव को अपनी सफलता पर बड़ा संतोष हुआ लेकिन इस घटना से बम्बई नगर में बड़ी खलबली मच गई। मंदिर के पुजारी और पुरोहित तथा उनके सहयोगी पुरूष बहुत ही बैचेन हो गये। पुजारियों का कहना था कि यह प्रथा एक धार्मिक प्रथा है। देवदासियां बनना तो धार्मिक कृत्य है। ऐसे धार्मिक कृत्यों पर अगर प्रतिबंध लगा तो धर्म डूब जायेगा। इस घटना से गरीब अज्ञानी धार्मिक जन भी चिंता में पड़ गये। समाचार–पत्रों ने भी इस मामले को काफी बढ़ा–चढ़ाकर उछाला और शोर मचाया कि अब विदेशी सरकार हमारे धर्म में भी हस्तक्षेप करने लगी है और हमारी पुरानी प्रथाओं को रोक कर हमारे धर्म पर आक्रमण कर रही है जोतिराव की ये सारी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित थी।

जोतिराव ने अपने जीवन काल में अनेक यात्राएं कीं। उन्होंने अनेक मंजिलों का सफर तय किया और हर यात्रा हर मंजिल के बाद उन्होंने अगले पड़ाव का रूख किया। निरन्तर सफलताओं के पड़ाव पार करते करते अब उनका शरीर कमजोर होने लगा था। हालांकि उनके मन–वचन में अभी भी पहले जैसी चमक विद्यमान थी किन्तु तन की हालत जर्जर होने लगी थी। जुलाई 1888 में एकाएक उन्हें पक्षाघात ने आ घेरा। उनके शरीर का दांया भाग निष्क्रिय हो गया। डॉक्टर विश्राम घोले तक उनकी मन लगाकर चिकित्सा और सेवासुश्रुषा की। इस दुर्भाग्य की घड़ी में बड़ौदा के महाराज सिमाजीराव गायकवाड़ और नागेश्वरगीर के बाबा कल्याण गीर ने उनकी आर्थिक सहायता की। जोतिराव इतने कमजोर हो गये थे कि उनसे चारपाई से उठा भी न जाता था। दिसम्बर 1888 में पक्षाघात का दूसरा दौरा उन्हें फिर पड़ा। इस समय जोतिराव बीमारी के कठिन दौर से जूझ रहे थे दूसरी ओर उनके अनुयायी सत्य शोधक समाज के कार्यकर्ता सामाजिक उत्थान के लिए जूझ रहे थे। उनके अनुयायी घर पर निरन्तर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए जुटे रहते थे। गंभीर अस्वस्थता के बावजूद जोतिराव अपने अनुयायियों को दिशा निर्देश देते रहते थे और इस दशा में भी उनसे चर्चा–परिचर्चा करने में कोताही नहीं बरतते थे। सत्य शोधक समाज की सारी कार्यवाहियाँ पूर्ववत चल रही थी। गंभीर बीमारी की अवस्था में भी 1 अप्रेल,1889 को जोतिराव ने अपनी पुस्तक सार्वजनिक साथ धर्म की प्रस्तावना लिखी और पुस्तक को प्रकाशन के लिए भेज दिया किन्तु दुर्भाग्यवश यह पुस्तक उनके जीवन काल में प्रकाशित न हो सकी। जोतिराव की बीमारी अब ऐसा लगता था जैसे अंतिम दौर में पहुँच गई थी। जोतिराव इस तथ्य को भली प्रकार समझते थे कि जो प्राणी इस संसार में आया हैं। उसे यहां से जाना भी निश्चित हैं। अतः किसी प्रकार का दुख क्षोभ उचित नहीं हैं। सही बात जोतिराव अपने अनुयाईयों को समझा रहे थे। जोतिराव के वरिष्ठ अनुयायी उनकी पत्नी

सावित्री बाई और दत्तक पुत्र खड़े थे। फिर उन्होंने यशवंतराव को भी अपने पास बुलाया किन्तु वे यशवंतराव से कुछ कह न सके और उन्होंने एक जोर की हिचकी ली। 28 नवम्बर 1890 को रात्रि के दो बजकर बीस मिनट पर जोतिराव के द्वारा ली गई वह अंतिम हिचकी थी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था को आमूलचूक परिवर्तन देने वाला यह योद्धा जोतिराव फुले फिर अपने नश्वर शरीर को धरा पर ही छोड़कर अंतिम यात्रा की ओर चल पड़ा। भारतीय समाज में विशेष रूप से दबे–कुचले बहुजन समाज में उन्होंने अपना जो स्थान बनाया वह निश्चित रूप से मील का पत्थर रहेगा।

संक्षेप में फूले के आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य मध्यम वर्गीय जातियों विशेषकर महाराष्ट्र में महार लोगों के लिए सामाजिक एवं धार्मिक मान्यता प्राप्त करना था। बहुत कुछ सीमा तक उन्हें इस कार्य में सफलता मिली। समाज सुधार के क्षेत्र में जोतिराव फूले के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर काफी जोर दिया और इसलिए 1854 में उनकी पत्नी व महात्मा फुले ने लड़कियां के लिए स्कूल खोला था। उन्होंने महाराष्ट्र में विधवा विवाह आन्दोलन को लोकप्रिय बनाया। फुले ने महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन का बिगुल बजाया जिसका उद्देश्य ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी झूठे शास्त्रों से निम्न जातियों की रक्षा करना था। जिस समय देश के दक्षिण भारतीय समाज में शिक्षा की अलख जोतिराव फुले ने जगायी थी उसी समय उत्तर भारत में भी शिक्षा दलितोद्वार व स्त्री शिक्षा कार्य अपने हाथ में गुजरात के महान समाज सुधारक राष्ट्र निर्माता दयानन्द सरस्वती एवं महात्मा गांधी और राजस्थान में हरविलास शारदा ने अपने समाज सुधार के कार्यों से देश निर्माण में सहयोग किया।

सन्दर्भ सूची–

1. जोशी, लक्ष्मणशास्त्री – नेशनल बायोग्राफी नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1992,
2. कीर, धनंजय – महात्मा जोतिराव फुले, दी फादर ऑफ इण्डियन सोशल रिवोल्यूशन, बोम्बे, 1997,
3. भावलकर, के.एस. – आटो बायोग्राफी (मराठी) पापुलर प्रकाशन, बोम्बे, 1997,
4. ताराचन्द्र – भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास भाग 72,
5. ध्यानोदय पत्र (16 दिसम्बर, 1853) दी फादर ऑफ इण्डियन सोशल रिवोल्यूशन, बोम्बे, 1978,
6. शिन्दे, जे.आर. – फुलेज स्टेटेजी ऑफ सोसल रिवोल्यूशन बोम्बे, 1972
7. गैरोल, वाचस्पती – भारतीय संस्कृति और कला, इलाहाबाद, 1963,
8. अल्टेकर, एस.एस. –पोजीशन ऑफ वीमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन,बनारस, 1938
9. सिंह, श्योराज – दलित क्रांति का साहित्य लखनऊ, 1982.
10. दीन बन्धु पत्र का महात्मा फुले विशेपाक,फादर ऑफ सोशल रिवोल्यूशन–धनंजय कीर, बोम्बे, 1997
11. गुलामगिरी– जोतिराव फुले, संपादक विमल कीर्ति, राधा कृष्ण, दिल्ली, 1990.
12. गेल ओमवेट– कलचरल रिवोल्ट इन ए. कोलोनियक्त सोसायटी नोन ब्राह्मण मूवमेट फ्राम, 1833 से 1930 इन वेर्स्टन इण्डिया, साइटिफिक सोशलिस्ट एजुकेशन ट्रस्ट
13. सरीन, पी. – भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की रूपरेखा, जयपुर, 1982
14. हरिनर के– महात्मा फुले साहित्य और विचार (अनुवाद) डॉ. भास्कर लक्ष्मण भोले महाराष्ट्र शासन, बोम्बे, 1993,
15. स्वामी, प्रभात कुमार, समाज सुधार में जोतिराव फुले का योगदान, जोधपुर, 2007,
16. चौपड़ा, पी.एन., सम आसपैक्ट्स ऑफ सोसायटी एण्ड कल्चर ड्यूरिंग दी मुगल ऐज, आगरा, 1955,
17. रिपोर्ट ऑफ दी डारेक्टर ऑफ ऐजुकेशन, 1857–58,

18. राजकुमारी पृथी, रामेश्वरी देवी एण्ड रोमिला पृथी– स्टेटस् एण्ड पोजीशन ऑफ वूमन इन, एनशियन्ट मिडीवल एण्ड मॉडर्न इंडिया, जयपुर, 2001
19. गुलामगिरी– महात्मा जोतिराव फुले अनुवाद वेद कुमार वेदलंकार, महाराष्ट्र शासन, बोम्बे, 1994,
20. जगताप, मुरलीधर, युगपुरूष महात्मा फुले, महाराष्ट्र शासन, मुम्बई, 1993.
21. जोशी, लक्ष्मण शास्त्री – नेशनल बायोग्राफी ऑफ जोतिराव फुले ट्रस्ट, दिल्ली, 1992.
22. हण्टर शिक्षा आयोग को दिया गया निवेदन 19 अक्टूबर, 1982,
23. अछूतों की कैफियत– महात्मा जोतिराव फुले रचनावली सम्पादक एलजी. मेश्राम विमलकीर्ति, 1978,
24. सरस्वती, सी.एस., आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तक, नई दिल्ली, 1992, 90–91
25. गुप्ता, विश्व प्रकाशएण्ड गुप्ता, मोहनी, स्वतंत्रता संग्राम और महिलाएं, दिल्ली, 1981,
26. सतसार क्रमांक–1, महात्मा ज्योतिराव फुले रचनावली, सम्पादक एल.जी. मेश्राम विमलकीर्ति, 1988,
27. स्वामी, प्रभात कुमार, समाज सुधार में जोतिराव फुले का योगदान, जोधपुर, 2007.

कोरोना काल में ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं के समक्ष उच्च स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियाँ एवं समस्यायें : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(जनपद प्रयागराज के विकासखण्ड सैदाबाद स्नतक व स्नातकोत्तर स्तर के महिला छात्राओं के विशेष संदर्भ में)

पूनम गौतम
शोध छात्रा, समाजशास्त्र
किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहराइच
शोध निर्देशक
डॉ0 सूर्यभान रावत
प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहराइच

सारांश

भारत देश में कोविड–19 और इसके नियंत्रण हेतु किये गये लॉकडाउन के कारण शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियाँ गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। भारत में लॉकउन की शुरुआत से ही लगभग सभी महानगरीय शिक्षण संस्थायें शैक्षणिक कार्यों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। कक्षाओं में भाग लेने वाले ग्रामीण छात्रों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। कोविड–19 महामारी से पहले अधिकांश शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षा का विशेष अनुभव नहीं रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों के लिए अपनी व्यवस्था को ऑनलाइन शिक्षा के अनुरूप ढालना तथा छात्रों को अधिक से अधिक ऑनलाइन शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन गया है।

इस अध्ययन का उद्देश्य जनपद प्रयागराज के सैदाबाद विकासखण्ड में आवासीत अनुसूचित जाति की महिलायें महामारी के दौरान स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा में आने वाली समस्याओं तथा उनके प्रभाव पर दृष्टि डालना है। वर्तमान समय में भारत में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है, देश में अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या काफी सीमित है, जिनके पास लैपटॉप, टैबलेट तथा कम्प्यूटर सुविधायें हैं। छात्रों को आनलाइन कक्षाओं से जुड़ना एक बड़ी समस्या है।

कीवर्ड– कोविड–19, ऑनलाइन शिक्षा, अनुसूचित जाति, महिलायें

प्रस्तावना–

भारत में जाति सदैव एक जटिल समस्या रही है। जिससे समाज का कोई भी व्यक्ति अपने को अछूता नहीं रख पाया। जाति व्यवस्था, जाति स्तरीकरण का वह स्वरूप है जो वैदिक युग से प्रारम्भ होकर किसी न किसी रूप आज तक निरंतर चली आ रही है। जिसके सोपान तन्त्र के सामाजिक ढाँचे में निम्न स्तर पर समाज का वह घटक स्थापित है जिसे अनुसूचित जाति कहते हैं।

भारत में साक्षरता दर का प्रतिशत (2011)

सामाजिक समूह	सम्पूर्ण	पुरुष	महिला

सामान्य वर्गों का समूह	74.04	82.10	65.50
अनुसूचित जाति	66.10	75.20	56.50

स्रोत– जनगणना (2011)

अनुसूचित जाति की महिलायें सामान्य श्रेणी की महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के पुरुषों से साक्षरता की तुलना में कम है। विद्यालयों में अनुसूचित जाति के बच्चों का शत् प्रतिशत नामांकन नहीं कराया जाता तथा अधिकांश छात्र आर्थिक, सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा पूर्व किये बिना ही विद्यालय छोड़ देते। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर 13.8 प्रतिशत है। जबकि अनुसूचित जाति की महिला छात्राओं का नामांकन 1.6 मात्र है।

भारत में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के कारण अनुमान लगाया गया है कि 32 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है। यूनेस्को के अध्ययन के द्वारा वैश्विक स्तर शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने से विश्व में 191 देशों 157 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई। शिक्षण संस्थान बंद होने से सबसे अधिक प्रभाव वंचित समुदायों तथा अनुसूचित जाति पर बहुत अधिक पड़ा।

ऑनलाइन शिक्षा–

ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली (ई–लर्निंग) को सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक्स समर्थित शिक्षा और अध्यापन को परिभाषित किया जाता है। ये स्वभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास ज्ञान को प्रभावित करता है। ई–शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कम्प्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण है। ई–शिक्षा के अनुप्रयोगों की प्रक्रियाओं में वेब आधारित शिक्षा, आभासी कक्षायें कम्प्यूटर आधारित शिक्षा और डिजिटल सहयोग शामिल है। पाठ्य–सामग्रियों का वितरण इंटरनेट सीडी–रोम, ऑडियो, वीडियो, टीवी, एक्स्ट्रानेट आदि के माध्यम से किया जाता है। ऑनलाइन के माध्यम से दूरस्थ स्थानों पर छात्रों को उनके घरों तक शिक्षा को पहुँचाया जाता है। ऑनलाइन की शिक्षा भारत में अभी शैशवअवस्था में है, वहीं विदेशों में ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन बहुत तीव्र है। ऑनलाइन शिक्षा के प्रति लोगों का आकर्षित होना इनके लचीलेपन के कारण है। व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से अपने घर या अन्य स्थान पर आराम की स्थिति में ऑनलाइन शिक्षाकों ग्रहण कर सकता है।

कोरोना महामारी–

कोरोना वायरस का संक्रमण 31 दिसम्बर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के बुहान शहर में पाया गया पहले इस वायरस का सार्सकोव–2 नाम था बाद में इसका अधिकारिक नाम कोविड–19 पड़ा । 30 जनवरी 2020 को भारत में कोविड–19 का पहला केस आया। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म तथा प्रभावकारी वायरस है, जिसके संक्रमण से सांस लेने में समस्या होती है तथा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चीन में फैले कोरोना वायरस ने भारत सहित विश्व के कई देशों में हाहाकार मचा दिया जिससे लाखों लोगों की जान चली गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया। कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए रूस का स्पूतनिक–5 विश्व स्वास्थ्य संगठन में पंजीकृत होने वाला पहला टीका बना। इसके पश्चात् भारत में दो टीकों का निर्माण किया गया। पहला 'कोविड शील्ड' तथा दूसरा कोवैक्सीन है। वर्तमान समय में भी कोरोना वायरस पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ।

शोध का उद्देश्य–

- ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की महिलाओं को इंटरनेट व ऑलनाइन शिक्षा के माध्यम की उपलब्धता के सम्बन्ध में अध्ययन।

- अनुसूचित जाति की महिलाओं को कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन।
- ग्रामीण क्षेत्रों अनुसूचित जाति की महिला छात्राओं को डिजिटल दक्षता के ज्ञान के सम्बन्ध में अध्ययन।

शोध का प्रारूप–

प्रस्तुत शोध कार्य जनपद प्रयागराज के सैदाबाद विकासखण्ड के अनुसूचित जाति की 120 महिला छात्राओं का स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर दैव निदर्शन प्रविधि द्वारा चुनाव किया गया है। अन्वेषणात्मक शोध तथा अनुसूची और प्रश्नावली के माध्यम से उत्तरदाताओं से साक्षात्कार किया गया है तथा गुणात्मक सूचनाओं को एकत्र किया गया है। प्राथमिक स्त्रोत को सहभागिक अवलोकन द्वारा तथा द्वितीय स्त्रोत जर्नल, शोध, रिपोर्ट, साहित्य, इंटरनेट समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित किया गया है।

उत्तरदाताओं से निम्नलिखित तालिकाओं के माध्यम से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण व परिणाम निम्नलिखित है–

तालिका–01

1. उत्तरदाता के पास ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम क्या है?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
स्मार्टफोन	46	38.35
लैपटॉप	2	1.66
कम्प्यूटर	4	3.33
कोई माध्यम नहीं	68	56.66
कुल योग	120	100.00

उपरोक्त तालिका में 56.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कोई माध्यम नहीं है ऑनाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। डिजिटल उपकरण नहीं खरीद सकते। 38.35 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति उच्च है, वो स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करते हैं। 1.66 के पास लैपटॉप है तथा 3.33 प्रतिशत उत्तरदाता के पास कम्प्यूटर है।

तालिका–02

2. क्या उत्तरदाता को गूगल मीट, फाइल डाउनलोड, साफ्टवेयर अपलोड कनफिगरेशन सेटिंग में समस्या का सामना करना पड़ता है?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	64	53.33
कभी–कभी	30	25.01
कुछ कहा नहीं जा सकता	26	21.66
कुल योग	120	100.00

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं को तकनीकी समस्या में कौशल स्थित बहुत ही खराब है जो 53. 33 प्रतिशत तथा 21.66 प्रतिशत महिलाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। 25.01 प्रतिशत महिलाओं को कभी–कभी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन महिलाओं ने डिजिटल दक्षता का पूर्व में ज्ञान लिया है उन्हें कभी–कभी ही समस्या आती है।

तालिका–03

3. क्या ऑनलाइन शिक्षा मंहगी है?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	88	73.33
नहीं	18	15.01
कोई उत्तर नहीं	15	11.66
कुल योग	120	100.00

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाता ने ऑनलाइन शिक्षा को 73.33 प्रतिशत ने महंगा बतायाहै क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए फीस जमा करने में सक्षम नहीं है। पहले 150रू0 रिचार्ज कराना पड़ता अब 500 का रिचार्ज नहीं कराये तो पूर क्लास नहीं कर सकते, डाटा पैक कम पड़ जाते हैं। पीडीएफ के प्रिंटआउट भी मंहगे हैं। 15.01 प्रतिशत अनुसूचित जाति महिला छात्राओं को मंहगी नहीं लगी क्योंकि उनका परिवार की उच्च आर्थिक स्थिति है। 11.66 ने कोई जवाब नहीं दिया वे इसके प्रति तटस्थता की स्थिति में थे।

तालिका–04

4.क्या उत्तरदाताओं को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	36	30.01
कभी–कभी	58	48.33
कोई उत्तर नहीं दिया गया	26	21.66
कुल योग	120	100

उपरोक्त तालिका में उत्तरदाताओं को 30.01 प्रतिशत इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है तथा 48.33 प्रतिशत महिलाओं को कभी–कभी इंटरनेट का उपयोग करने को प्राप्त होता है। महिलाओं के पासस्वयं के स्मार्टफोन नहीं होते वे अपने परिवार के सदस्यों का स्मार्टफोन उपयोग करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता बहुत कम है तथा इसकी स्पीड भी बहुत कम होती है। कभी–कभी नेटवर्क की पहुंच के लिए छत पर या बाहर, आंगन में जाना पड़ता है। 21.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया। वहीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशतत से कम के पास इंटरनेट की सुविधा है। अनुसूचित जाति के परिवारों के पास इंटरनेट की पहुंच बहुत कम है।

तालिका–05

5. क्या उत्तरदाता द्वारा डिजिटल दक्षता का पूर्व में अनुभव रहा है?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	18	15.00
नहीं	77	64.20
कभी–कभी	25	20.80
कुल योग	120	100.00

उपरोक्त तालिका में उत्तरदाताओं द्वारा ऑनलाइन कक्षायें लेना एक गम्भीर चुनौती बन चुका है। 64.20 प्रतिशत छात्राओं को डिजिटल दक्षता का पूर्व में अनुभव नहीं था। कोरोना से पहले पारम्परिक कक्षाओं का ही अनुभव था। 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं को डिजिटल दक्षता का ज्ञान है। 20.8 प्रतिशत ऐसी महिलायें जिन्होंने कभी–कभी डिजिटल दक्षता का अनुभव प्राप्त किया है।

तालिका–06

6. क्या उत्तरदाता एक दिन का ऑनलाइन कक्षा का नेट बैलेंस या डेटा का संतुलन रख पा रहे हैं?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	18	15.01
नहीं	82	68.33
कुछ कहा नहीं जा सकता	20	16.66
कुल योग	120	100.00

उपरोक्त तालिका में 68.33 प्रतिशत महिलायें डेटा संतुलन नहीं रख पा रही हैं। पूरी कक्षा होने से पूर्व ही डेटा पैक खत्म हो जाता है और ऑनलाइन शिक्षा में समस्या हो रही है। 15.01 प्रतिशत छात्र जिनके पास एक दिन में नेटबैलेंस संतुलन कर पा रहे हैं। 16.66 प्रतिशत उत्तरदाता तटस्थ स्थिति में हैं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

तालिका–07

7. क्या ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर पर समस्या उत्पन्न होती है?

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	62	51.66
कभी–कभी	40	33.33
कोई उत्तर नहीं	14	15.01
कुल योग	120	100.00

उपर्युक्त तालिका में 51.66 प्रतिशत महिला छात्राओं को घर पर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में समस्या होती है क्योंकि छात्राओं को घर पर खाना बनाना, घर की साफ–सफाई, लोगों की देख–रेख आदि बहुत से काम होते हैं उन्हें क्लास के बीच में कार्य करने के लिए जाना पड़ता है तथा 33.33 प्रतिशतत महिलाओं को कभी–कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 15.01 प्रतिशत महिलाओं ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया।

निष्कर्ष–

वर्तमान समय में महामारी के कारण शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं, पारम्परिक शिक्षा को ग्रहण करने वालों के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न होती है। रहन–सहन, सुख–सुविधाओं, बिजली, नेटवर्क, कनेक्शन, स्पीड, कम्प्यूटर का कम ज्ञान, तकनीकी समस्याओं आदि की समस्या पाई जाती है। अनुसूचित जाति के लोग की स्थिति तो और भी निम्न होती है, वे खेती, पशुपालन, सब्जी इत्यादि बेचकर अपने परिवार का पालन–पोषण करते हैं। उनके लिए अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए अच्छी तकनीकी के उन्नत गैजेट दिलाना, उसका रिचार्ज, डाटा, ऑनलाइन फीस आदि उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलाओं को घर के माहौल में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना एक समस्या है। इन्हीं अभाव के कारण ऑनलाइन शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिला छात्राओं की भागीदारी में कमी आई हैं इनकी भागीदारीको बढ़ाने के लिए सरकार को न्यूनतम मोबाइल फोन प्रदान करने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड टावर लगाने तथा इसकी लागत भी कम होनी चाहिए। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा को व्यापक बनाना चाहिए। जिससे अनुसूचित जाति की महिलाओं की प्रस्थति समाज में उच्च हो सके।

संदर्भ ग्रंथ–

1. डिजिटल एवं ऑनलाइन संचार, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में (Accessed September 17, 2016) https://m.jagran.com/uttar pradesh/bhadohi-14704556html.
2. http://www.mhrd.nic.in
3. जनगणना–2011
4. http://governancetodya.co.ini/spreading-classroom-via e-learning
5. सुदेवन, पी0 2020 ''क्यों ई–लर्निंग भारत में कोविड–19 शिक्षा संकट का एक स्थायी समाधान नहीं है।''fromhttps://www.thehindu.com/sci-tech/technology/whye-learning-is-not-asustainable-solution-to-the-covid1—educationcrisis-in India/article 31560007.ece (Retrieved on 8 August 2020).
6. UNESCO (2020) school closures caused by Corona Virus (COVID-19) from <https://en.unesco.org/COVID19/education response> (retrieved on 28 April 2020)
7. Namita Kumari Das, Shena Prava Saha, Lppamudra Patil.online Learning: Challenges for education in Rural & Remote areas. IARJSET.Vol. 8. issue 7. July 2021. ISSN(ONLINE) 2393-8021
8. गुप्ता, शिवानी, 2020 ''ग्रामीण छात्रों की पढ़ाई नहीं ले पा रहे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ'' (Accessed September 08, 20220)

जलवायु परिवर्तन तथा मानव स्वास्थ्य व व्यवहार : एक समाजशास्त्रीय विमर्श

डॉ. जयप्रकाश यादव
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सारांश–

जलवायु परिवर्तन से मानव पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। 19वीं सदी के बाद पृथ्वी के सतह का सकल तापमान 03 डिग्री से 06 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। ये तापमान में वृद्धि के आंकड़े हमे मामूली लगते है लेकिन ये आगे चलकर महाविनाश को आकार देगें। मानव व्यवहार के कारण जलवायु परिवर्तन से होने वाली हानि का स्वरूप खेती, मौसम, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, स्वास्थ्य व जंगल व वन्य जीवन पर प्रभावी रूप से दिखायी पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि यदि मानव अपने व्यवहार का सकारात्मक रूप नहीं धारित करता तो मनुष्य जीवन प्राकृतिक व मानवीय दोनों रूप से दण्डित होगा। वास्तव में जलवायु परिवर्तन एक जटिल घटना हैं। इसमें परिवर्तन आने से वायुमण्डल के साथ ही महासागर, बर्फ, भूमि, नदियाँ, झीले तथा पर्वत और भूजल भी प्रभावित होगा। इन परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य के साथ ही साथ पृथ्वी पर पाये जाने वाले अन्य जीव–जन्तुओं और वनस्पतियों पर भी प्रभाव परिलक्षित होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा पड़ेगा, जल की उपलब्धता भी घटेगी, वनों की प्राकृतिक संरचना भी बदलेगी इन सबका प्रभाव मानव व्यवहार व स्वास्थ्य पर पड़ेगा ।

मुख्य शव्दः– जलवायु परिवर्तन,जलवायु,मानव स्वास्थ्य,प्रदुषण,पर्यावरण,तापमान।

जल और वायु दो शब्दों के संयोग के फलस्वरूप जलवायु शब्द की व्युत्पत्ति हुई है । जल और वायु दोनो ही प्राणी जगत के लिए जीवन के पर्याय हैं। किसी स्थान विशेष में जल एवं वायु की उपस्थिति की प्रतिशतता ही जलवायु का निर्धारण करती है। जहाँ जल की अधिकता होती है वहाँ आर्द्र और जहाँ वायु की अधिकता होती है, वहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विद्यमान वायु एवं जल की प्राकृतिक स्थिति में परिवर्तन होने लगता है, जिसे जलवायु परिवर्तन की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते है तो सर्वप्रथम मेरा दिमाग जिस बिन्दु पर केन्द्रित होता है वह है मौसम, इसी मौसम के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन क्या है छुपा हुआ है– मौसम, किसी भी स्थान की औसत जल–वायु होती है, जिसे समयावधि के लिए वहाँ अनुभव किया जाता है। इस मौसम को तय करने वाले मानकों में वर्षा, सूर्य, प्रकाश, हवा, नमी व तापमान प्रमुख है। यह परिवर्तन सृष्टि के आदि से ही अस्तित्व में

रहा है और अन्त तक रहेगा। सृष्टि के आविर्भाव के समय में यह परिवर्तन लाभप्रद था, जिसके फलस्वरूप विविध जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। वह परिवर्तन भी प्राकृतिक था। परन्तु वर्तमान में जो परिवर्तन दृष्टिगत हो रहे हैं, वे मनुष्य की महत्वाकांक्षा के परिणाम हैं और यह सम्पूर्ण विश्व के लिए दुष्प्रभावी है।

मौसम में बदलाव काफी जल्दी होता है लेकिन जलवायु में बदलाव आने में काफी समय लगता है और इसीलिए ये कम दिखाई पड़ते है। इस कारण पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन बना रहता है और सभी प्राणी इस बदलाव के साथ सामंजस्य भी बैठा लेते है । परन्तु देखा जाये तो पिछले 150–250 वर्षो में ये जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से हुआ है कि प्राणी व वनस्पति जगत को इस बदलाव के साथ सामंजस्य बैठा पाने में मुश्किल हो रहा है, इस परिवर्तन के लिए एक प्रकार से मानवीय क्रिया–कलाप ही जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन के कारणों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते है **प्राकृतिक कारक व मानवीय कारक**। जलवायु परिवर्तन के लिए अनेक प्राकृतिक कारण जिम्मेदार है, इनमें से प्रमुख है महाद्वीपों का खिसकना व ज्वालामुखी का फटना, समुद्री तरंगे व धरती का घुमाव आदि। वही दूसरी तरफ देखें तो मानवीय कारण किन–किन रूपों में जलवायु परिवर्तन के कारक के रूप में भूमिका निभाते हैं जिनमें से सबसे ज्यादा प्रभावी कारक के रूप में ग्रीन हाउस का प्रभाव दिखायी पड़ता है यह मुख्य तौर पर वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का नतीजा है। वैश्विक स्तर पर कार्बन डाई आक्साइड के उत्पादन में वृद्धि, प्राथमिक तौर पर जैविक ईंधनों के इस्तेमाल और जमीन के इस्तेमाल के चलते होता रहा है, जबकि मीथेन और नाइट्रस आक्साइड का उत्सर्जन मुख्य तौर पर कृषि के वजह से होता है। खासकर विकासशील देशों पर इसका प्रभाव बहुत उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि इस चुनौती से निपटने के लिए उनके पास मौजूद संसाधन और उनकी क्षमता बहुत सीमित है।

वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे दुनिया भर में महसूस किये जाने लगे है। इसका दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर अधिक देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन एक सार्वभौमिक सत्य है परन्तु चिंता और चिंतन की बात तब शुरू होती है जब कुछ भी अप्राकृतिक होता है। यद्यपि जलवायु में हो रहे अनवरत परिवर्तन प्राकृतिक सीमाओं को लाँघ चुके है जिसकी वजह से मानवीय जीवन–चक्र खतरे में प्रतीत हो रहा है जिसके फलस्वरूप नई–नई बीमारियों का भी जन्म हो रहा है और जो बीमारियां पहले से व्याप्त थी उसका वैश्विक स्तर पर फैलाव हो रहा है। जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस प्रकार हाल के वर्षों में भारत में जलवायु परिवर्तन हुआ है वह पिछने सौ वर्षों में सबसे ज्यादा है। वर्तमान कार्बन उत्सर्जन की दर को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक भारत का औसत तापमान 1 सेल्सियस तक बढ़ जायेगा जिसका दुष्प्रभाव भारत के कश्मीर व उत्तराखण्ड के हिमनदों पर पड़ेगा। इस प्रकार से हो रहे जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव मौसम की अतिशय घटनाओं खासकर लू, बाढ़, सूखे एवं आंधी की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता की वजह से बढ़ रहा है जिसके कारण संक्रामक रोगों के स्वरूपों में बदलाव, वायु प्रदूषण, खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण, अनैच्छिक विस्थापन और संघर्षों से अप्रत्यक्ष प्रभाव पैदा हो रहे है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही बीमारियां जैसे कि **डायरिया, मलेरियां, कैंसर, टी.बी.** आदि मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते है। प्रस्तुत शोध भारत में जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव से सम्बन्धित है जिसमें द्वितीयक स्रोतों से अध्ययन किया गया है।

जलवायु परिवर्तन मानवता की बड़ी चुनौतियों में से एक है जो मौजूदा और भविष्य दोनों पीढ़ियों को प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में मानव समुदाय को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जलवायु परिवर्तन को मानव द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण वैश्विक पर्यावरणीय चुनौती के तौर पर चिन्हित किया गया है। जलवायु परिवर्तन एक

गम्भीर वैश्विक पर्यावरणीय चिन्ता का विषय है। मानव एवं मानव समाज की उत्पत्ति तथा विकास की प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण में पृथ्वी के भौतिक तत्वों से मानव के पर्यावरण की रचना होती थी और मनुष्य मूल रूप से भौतिक मानव था, क्योंकि उसकी सम्पूर्ण आवश्यकतायें सीमित थी। वह रोटी, कपड़ा, मकान, जल आदि मूल आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर ही पूर्णरूपेण निर्भर था तथा प्रकृति के अनुसार ही जीवनयापन करता था। उस समय मानव एवं पर्यावरण का जो सम्बन्ध था। वह बहुत ही मधुर, स्नेहपूर्ण एवं मित्रवत् था, लेकिन समय के साथ–साथ जैसे–जैसे वह सामाजिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी रूप में विकसित होता गया, उसने अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने ज्ञान एवं कौशल के द्वारा अपना स्वयं का पर्यावरण बनाता गया। इस प्रकार धीरे–धीरे उसके पर्यावरण का दायरा बढ़ता गया। अब वह प्रकृति पर पूर्णरूपेण निर्भर नहीं रहा, बल्कि उसने स्वयं का पर्यावरण बना लिया, जिसे सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है।

विश्व का प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि सभी धर्म व विचारधारायें यह मानती रही है कि स्वच्छ वातावरण किसी भी समुदाय, समूह व स्थान विशेष के समग्र विकास के लिए अति आवश्यक है । व्यवहारिक जीवन में भी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ करने से पहले अपने–अपने धर्म के अनुसार इष्ट देवों का आह्वान् करने की प्रथा का प्रचलन अनादि काल से चली आ रही है। इसके पीछे कारण केवल धार्मिक ही नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य उन प्राकृतिक तत्वों जैसे जल, पृथ्वी, वायु, वन, खनिज सम्पदा आदि के प्रति आदर प्रकट करना था, जिनका दोहन कर आर्थिक विकास में सहयोग लाया जा सके। सदियों से ऐसा करते–करते आज दुर्भाग्यवश हम ऐसी स्थिति में आ पहुँचे हैं, जहाँ विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बेईमानी सा प्रतीत होता है। सम्पन्नता की होड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुन्ध दोहन किया गया जिसके परिणामस्वरूप आज शहरों एवं कस्बों में बेतहाशा भीड़, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मौसम चक्रों में परिवर्तन, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय विसंगतियों के रूप में दृष्टिगोचर होने लगे हैं, इन्हें दूर करने के लिए ही सतत् विकास की आवश्यकता है।

विश्व के अधिकतर भागों में विशेषकर तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि ने मानव के व्यवहार व स्वास्थ्य को विभिन्न ढंगों से प्रभावित करना शुरू कर दिया है। वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों विशेषकर कार्बन डाई आक्साइड और मीथेन के जमाव में बढ़ोतरी हो रही है। 1850 के दशक से तापमान का रिकॉर्ड दर्ज करना प्रारंभ हुआ। तब से विश्व का तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस प्रतिवर्ष के लगभग बढ़ा हैं या गर्म हुआ है अधिकांश गर्माहट तो पिछले तीन दशकों में ही देखने को मिल रही हैं वातावरण में यह कार्बन डाईआक्साइड पिछले सौ वर्षा से भी ज्यादा समय से विद्यमान है और हमारे द्वारा आज जो कार्य किए जा रहे उनका नकारात्मक प्रभाव मानव स्वास्थ्य और भविष्य पर पड़ेगा। जिस कारण सभी देशों का ध्यान आजकल जलवायु परिवर्तन की ओर अधिक आकर्षित हो गया है। गर्म वातावरण अत्यधिक सर्द वातावरण के मुकाबले स्वास्थ्य पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जलवायु में होने वाले परिवर्तन रोगाणु वाहको में ऐसे परिवर्तन उत्पन्न कर सकते है जिससे बिल्कुल नई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती है जिसके बारे में तो जानकारी भी नही होगी। ये विश्व के किसी एक कोने तक ही सीमित नहीं रह सकती तथा महामारी बनकर पूरे विश्व में फैल सकती है। मिट्टी के रेत अधिक पैदा होने से श्वास संबंधी लक्षण वाले रोग उत्पन्न हो सकते है। इन देशो में मनोवैज्ञानिक असंतुलन जैसे बेचौनी और अवसाद के मामले बढ़ रहे है। जिसके कारण घर का वातावरण नष्ट हो रहा और आर्थिक रूप से जनता को हानि हो रही है। जलवायु पिरवर्तन को हमें अब कम करना होगा। क्योंकि इसका प्रतिकुल प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जो अत्यधिक भयंकर होने वाला है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ेगा, **विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार** जलवायु में उष्णता के कारण श्वास तथा हृदय सम्बन्धी बीमारियों में वृद्धि होगी, दुनिया के विकासशील देशों में दस्त पेचिश, जैसी संक्रामक बीमारियों की बारम्बारता में वृद्धि होगी, चूँकि बीमारी फैलाने वाले रोगवाहकों के गुणन एवं विस्तार में तापमान तथा वर्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अतः दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा दक्षिण–पूर्व एशिया में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे – मलेरिया (शीत ज्वर), डेंगु, पीला बुखार तथा जापानी बुखार के प्रकोप में बढ़ोत्तरी के कारण इन बीमारियों से होने वाली मृत्यु दर में इजाफा होगा। इसके अतिरिक्त फाइलेरिया तथा चिकनगुनिया का भी प्रकोप बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप न सिर्फ रोगाणुओं में बढ़ोत्तरी होगी इसके परिणामस्वरूप फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा फसलों की नाशीजीवों तथा रोगाणुओं से सुरक्षा हेतु नाशीजीवनाशकों के उपयोग की दर में बढ़ोत्तरी होगी जिससे वातावरण प्रदूषित होगा साथ ही मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

भविष्य में यदि तापमान में वृद्धि अधिक तेजी से होने लगी तो इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। तापमान में केवल 1.2 डिग्री सेल्सियस के अन्तर के कारण ही धरती के अनेक भागों में कृषि में व्यापक परिवर्तन हो सकता है। चराई के लिए उपलब्ध क्षेत्रों में परिवर्तन होने के साथ ही पानी की उपलब्धता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और इन सबके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों का पलायन होगा। जलवायु परिवर्तन जनित सूखे और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर पलायन होने से सामाजिक सन्तुलन बिगडेगा इससे परिणामस्वरूप अस्थिरता और राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय असुरक्षा पैदा होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न खाद्यान्न संकट और पानी की कमी से विश्वव्यापी अशान्ति फैलने वाली है उसकी चपेट में भारत, पाकिस्तान और बगलादेश तथा चीन भी आएँगे। जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा नामक एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन कई समुदायों के आपसी तालमेल को प्रभावित करेगा। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने उपग्रहों से प्राप्त आकड़ों के आधार पर बताया है कि भारतीय समुद्र 2.5 मिलीमीटर वार्षिक की दर से ऊपर उठ रहा है। एक अध्ययन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि भारतीय सीमा से सटे समुद्रों के जल स्तर के ऊपर उठने का यह सिलसिला जारी रहा तो सन् 2050 तक समुद्री जल स्तर 15 से 36 सेंटीमीटर ऊपर उठ सकता है। समुद्री जल स्तर में 50 सेंटीमीटर की वृद्धि होने पर अनेक इलाके डूब जाएँगे। भारत के सुन्दरवन डेल्टा के करीब एक दर्जन द्वीपो पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। जिससे सात करोड़ से अधिक आवादी प्रभावित होगी।

सच है कि मानव शरीर अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और इसकी भी अपनी सीमा है। एक सीमा के बाद वातावरण व जलवायु परिवर्तन मानव शरीर पर अपना निश्चित प्रभाव डालने लगते है। पृथ्वी की बदलती जलवायु ने पिछले कुछ दशकों में हर वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। विश्वस्तरीय जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा डायरिया, पेचिश, हैजा, तथा मियादी बुखार जैसी संक्रामक बीमारियों की बारम्बारता में वृद्धि होगी। हमारे आसपास की जलवायु एवं वातावरण पर निश्चित और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक ठंडे मौसम में शरीर का तापक्रम कम हो जाता है। मानव शरीर बहुत सारे आन्तरिक समायोजन करके शरीर तापक्रम को सामान्य बनाये रखने का प्रयास करता है। यदि वातावरण का तापक्रम काफी कम हो तो शरीर के तापक्रम काफी हो तो शरीर के तापक्रम को सामान्य बनाए रखने के ये प्रयास असफल होने लगते है और शरीर का तापक्रम तेजी से गिरने लगता है इस स्थिति को **हाइपोथर्मिया** कहते है। ऐसा आमतौर पर बेघर, बेसहारा लोगों में ही देखने को मिलता है

जिन्हें सर्दियों में रात खुले में बिताने को मजबूर होना पड़ता हो। इस स्थिति में शारीरिक क्रियाएं मन्द पड़ने लगती है और कभी कभी समुचित उपचार न मिलने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है।

पृथ्वी पर जीवन को संचालित करने वाली प्राकृतिक प्रणालियां मानव के अपने प्रयास से ही विकृत होती जा रही हैं। यदि समय रहते इन विकृतियों को सुधारा न गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे । सच तो यह है कि उस अंजाम को देखने के लिए बचेगा कौन? परिवर्तित जलवायु और बिगड़ते पर्यावरण ने लोगों के स्वास्थ्य पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। प्रकृति के साथ किये जा रहे मानवीय कुकृत्यों एवं उसके खिलाफ किये जा रहे कार्यों के परिणाम स्वरूप ही तो तबाही आ रही है । मौसम के इस बदले मिजाज का हमें क्या–क्या खामियाजा भुगतने होंगे? इनका ट्रेलर तो हमें प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से दिखाई देने लगा है। गनीमत है कि बीमार धरती पर बीमार लोगों की जिजीविषा अभी बाकी है और हमें अपनी क्षतिग्रस्त प्रणालियों के सुधार में लग जाना चाहिए अन्यथा पृथ्वी के गरमाने से नजदीकी और दूरगामी दोनों प्रभाव मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए घातक होंगे। नजदीकी प्रभावों में तापीय ऊष्मा के कारण मृत्यु, सूखा, बाढ़, तूफान एवं पर्यावरण का और अधिक प्रदूषित होना है, जबकि दूरगामी प्रभावों में संक्रमित व तनाव सम्बन्धी रोगों का बढ़ना, खाद्य समस्या, अकाल एवं जनसंख्या वृद्धि आदि जैसी अनेक समस्याऐं पैदा होंगी। इसके अलावा पृथ्वी के बढ़ते हुए ताप से बर्फ पिघलने के कारण समुद्रतल बढ़ेगा व इसके परिणामस्वरूप समुद्र के किनारे कई शहर डूब जायेंगे। हमारी शस्य श्यामला धरती बेहद खतरनाक **ग्रीन हाउस प्रभाव** की चपेटों में आ जाएगी । ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है धरती के वायुमण्डल में कुछ विशेष गैसों की मात्रा का बढ़ जाना। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण धरती के जलवायु में होने वाले दूरगामी परिवर्तनों का अनुमान लगाने के लिए सन् 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञानी संगठन ने वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल का गठन किया – **इंटर गवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज।**

दीर्घ अवधि का जलवायु परिवर्तन जलवायु से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकता है और स्थिति और भी भयंकर हो सकती है। गर्म हवाओं की पहले से ही चेतावनी उसके प्रभाव को कम कर सकती है ।संक्रामक रोगों की संख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता । भविष्य में हमें इसके लिए नीतिया बनानी होगी जिससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम किया जा सके। उर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना होगा, वायु प्रदूषण पर भी तत्काल रोक लगानी होगी जिससे मानवता को तत्काल लाभ मिलेगा। जिसके लिए विश्व के सभी देशों की सरकारों को विशेष रूप से नीतियाँ बनाने और उस पर गंभीर रूप से चर्चा करने कि आवश्यकता है। तभी हम जलवायु परिवर्तन का सही ढंग से मुकाबला कर सकते है।

सन्दर्भ सूचीः–

1. सिंह,एम. (2006). जलवायु एवं जल विज्ञान. वाराणसी : तारा बुक एजेंसी.
2. गौतम,ए. (2003). जलवायु एवं समुद्र विज्ञान. मेरठ : रस्तोगी पब्लिकेशन्स.
3. सिंह,एस. (2007). पर्यावरण भूगोल. इलाहाबाद : प्रवालिका पब्लिकेशन्स.
4. शर्मा,जी. (2015).सामाजिक मुद्दे. जयपुर : रावत पब्लिकेशन्स.
5. ओझा,एस. (2016).पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण.इलाहाबाद : बौद्धिक प्रकाशन.
6. कश्यप,ए.एवं पाल,एस. (2014).पर्यावरण एवं समाज.नई दिल्ली : अर्जुन पब्लिशिंग हाउस.
7. कुरुक्षेत्र,मार्च (2010). प्रकाशन विभाग,सूचना भवन,नई दिल्ली.
8. योजना,मई (2019). प्रकाशन विभाग,सूचना भवन,नई दिल्ली.
9. हिंदुस्तान,वाराणसी संस्करण, 2 सितम्बर (2019).

10. योजना,जनवरी (2020). प्रकाशन विभाग,सूचना भवन,नई दिल्ली.
11. योजना,मई (2012). प्रकाशन विभाग,सूचना भवन,नई दिल्ली.
12. विज्ञान प्रगति,जून. (2019). राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान, नई दिल्ली,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप एवं उददेश्य

डॉ0 सुनीता गुप्ता
प्राचार्य,
डॉ0 एस0 राधाकृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
सुकरीगढ़ा, लारी, रामगढ़, झारखण्ड

सारांश–
21वी सदी के 20वें साल में भारत में नई शिक्षा नीति आयी है। 29 जुलाई 2020 से पूरे भारत में लागू नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उददेश्य भारत को वैशिविक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमीकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है। भारत में सर्वप्रथम 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई थी उसके बाद 1986 में दूसरी नई शिक्षा नीति लागू की गयी जिसके बाद 1992 में नई शिक्षा नीति को संशोधित किया गया। लगभग 34 वर्ष बाद 2020 में पुनः शिक्षा को लेकर अहम बदलाव किए गये है जिसमें शिक्षा संबंधित से बहुत से नियमों में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति में बदलाव के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह शिक्षा नीति भारतीय परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधाार को बनाये रखते हुए 21वी सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन, सभी पक्षों के सुधार और पुनगर्ठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ–साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और भावनात्कम स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक के0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित नई शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार किया गया। शिक्षा नीति का उददेश्य शैक्षिक क्षेत्र मे भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है और भारत के लिए नई शिक्षा नीति के माध्यम से संपूर्ण भारत में शिक्षा का उचित स्तर प्रदान करना है। जिसमें शैक्षिक क्षेत्र की गुणवत्ता उच्च हो सकें। भारत में बच्चों को तकनिकी तथा रचनात्मकता के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता का महत्व से अवगत कराना नई शिक्षा नीति का उददेश्य है, जिससे शिक्षा की गणवत्ता मे सुधार हो सके। शिक्षा मे गुणवत्ता लाने के लिए केन्द सरकार के द्वार नई शिक्षा नीति को शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं।

- नई शिक्षा नीति में शैक्षिक व्यवस्था मे बुनियादी बदलाव किया गया है जिसमे 5+3+4 के स्थान पर 5+3+3+4 व्यवस्था को लागू किया गया है।
- नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकि से भी जोड़ा जाएगा जिससे सभी विद्यालयों मे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल संसाधन दिये जाएंगे।
- मानव जीवन के सभी पहलुओ ंको ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति लागू किया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति मे सभी प्रकार की शैक्षिक विषयवस्तु को उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे शैक्षिक क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा मिल सके।
- छठवीं कक्षा से बच्चो को व्यवसायिक परीक्षण इंटर्नशीप दे दी जाएगी।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब पढ़ाई मे कई प्रकार के अन्य विकल्प बच्चों को दिऐ जाएंगे। कक्षा में अन्य विकल्पों को भी रखा जाएगा जिससे छात्र कोई स्ट्रीम न चुनकर अपनी इच्छानुसार विषयों को चुन सकेगा।
- नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत छात्रों को छठवीं कक्षा से ही कम्प्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी।
- शैक्षिक क्षेत्र मे वर्चुअल लैब को भी बनाया जाएगा जिससे शैक्षिक क्षेत्रों की गुणवत्ता को उच्च किया जा सकेगा।
- नई शिक्षा नीति के तहत वर्षो से चली आ रही 10+2 के शैक्षिक पैर्टन को बदलकर 5+3+3+4 के नए शैक्षिक पैर्टन को चुना गया है।
- नई शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षकों के लिए व्यवसायिक विकास को जरूरी कर दिया गया है और शिक्षकों के लिए सर्विस ट्रेनिंग का आयोजन भी किया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा। जिससे छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए क्रेडिट को डिजिटल एकेडमिक क्रेडिट बनाया जाएगा और उच्च क्षिक्षा संस्थानों के माध्यम से इसे संग्रहित कर छात्र के अंतिम वर्ष की डिग्री में स्थानांतरित करके सभी क्रेडिट को एक साथ जोड़ा जाएगा।
- नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाए जाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। यदि कोई छात्र किसी शैक्षिक कोर्स में रूझान ना रखने के कारण उस शैक्षिक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स पढना चाहता है तो यह अपने कोर्स से निश्चित समय अवधि तक रूक कर दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है।
- नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक हर जिले मे उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाना सम्मिलित है।
- नई शिक्षा नीति के तहत् 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का उद्धेश्य रखा गया है।
- ई–लर्निंग पर जोर देना ताकि किताबों पर निर्भरता कम हो सकें संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी किये गये है।

- नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक कोर्स को 4 वर्ष तक बढाया जा सकता है जिससे छात्रों को बहुविकल्प प्रदान किए जाएंगे। इस सभी बहुविकल्पो के उचित प्रमाण पत्र के अनुसार छात्रों को डिर्गी दी जाएगी। उदाहरण स्वरूप यदि कोई छात्र एक साल के लिए स्नातक कोर्स की पढाई करता है तो उसे केवल एक साल की पढ़ाई का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 2 साल बाद उसे एडवांस डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 3 साल के बाद उसे डिग्री दी जाएगी। अंत मे 4 साल के बाद छात्र को बैचलर की डिग्री के साथ–साथ स्नातकोत्तर की डिग्री दी जाएगी साथ ही यदि चाहे तो छात्र आगे रिसर्च की डिग्री भी पूरा कर सकता है।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेन्सी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों मे छात्रो के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को आयोजित करेगी जिससे शिक्षा का स्तर बनाया जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों को एक समान माना जाएगा।
- नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को 4 वर्टिकल दिए गये है जिसमें
  1. National Higher Ecduation Regulatory Council
  2. Higher Eduation Council
  3. General Education Council
  4. National Accrediation Council को रखा गया है
- नई शिक्षा नीति के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधान

- शैक्षिक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- नई शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रम मे भाषाओं को लेकर कई विकल्प रखें गये है, यदि शैक्षिक पाठ्यक्रम मे कोई छात्र अपनी क्षेत्रिय भाषा या मातृभाषा पढ़ना चाहता है तो आसानी से उन्हे पढ़ सकता है।
- शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय प्राचीन भाषाओं को पढ़ने का भी विकल्प छात्रों के समक्ष रखा गया है।
- 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा तीन के सभी छात्रों के लिए संख्यात्मक ज्ञान तथा साक्षरता को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की योजना तैयार की जाएगी।
- स्वास्थ्य नीति के तहत् छात्रों का स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए जाएंगे।
- नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षकों को समय–समय पर उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति को भी रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति में एम0 फिल0 की डिग्री को समाप्त कर दिया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति में 2030 तक अध्यापन के लिए बी0 एड0 की डिग्री को 4 वर्ष की न्यूनतम डिग्री योग्यता में सम्मिलित कर दिया गया है। यानी 2030 तक बी0 एड0 कोर्स 4 वर्ष का होगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए व्यवसायिक मानक को विकसित करेगी तथा एन0 सी0 इ0 आर0 टी0 के परामर्श पर अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रम की विषयवस्तु को भी तैयार किया जाएगा।
- छात्रों को जिस क्षेत्र में अधिक रूचि है उस क्षेत्र में जैसे– खेल, कला, नृत्य, संगीत आदि में बढ़ावा दिया जाएगा।

- शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथ–साथ छात्रों के कौशल पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा वहीं मुख्य पाठ्यक्रम में पाठ्येत्तर गतिविधियां को शामिल किया जाएगा।
- छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं का बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं की रूपरेखा को भी बदला जाएगा जिससे एक वर्ष में दो बार छात्रों की परीक्षाएं ली जाएगी।
- छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पाठ्यक्रम/कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- महाविद्यालयों की स्वायव्यत्ता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी तथा क्रमिक सहायता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी।
- देश के बड़े संस्थान जैसे आई0 आई0 टी0 और आई0 आई0 एम0 के लिए वैश्विक स्तर पर मानकों हेतु बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी।
- कानूनी तथा चिकित्सा क्षेत्र को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक कला–निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जायेगा।
- शैक्षिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा उसे तकनिकी माध्यम से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की एक स्वायत्ता निकाय की स्थापना की जाएगी जिससे शिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान–प्रदान संभव हो सकें।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत के शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है और वर्तमान में चल रहे 5+3+4 अथवा 10+2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति 2020 के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के निवेश का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए देश की 6 प्रतिशत जी0डी0पी0 के बराबर निवेश करेगी।

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किए गए बदलाव, आने वाले लगभग दो दशकों को ध्यान में रखकर किये गए हैं। शिक्षा नीति 2020 में किये गए सारे बदलाव एक बार में नहीं बल्कि एक के बाद एक करके अलग–अलग चरणों में लागू करना है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा के प्रारूप में बदलाव करके भारत को विकास की राह पर ले जाकर वैश्विक ज्ञान, महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र पर जी०डी०पी० के 6 प्रतिशत हिस्से का सार्वजनिक व्यय भी इस शिक्षा नीति के तहत किया है। अब शिक्षा में रटने के बजाय विषय का विषयवस्तु समझने पर जोर दिया जाएगा। सिर्फ ज्ञान ही नहीं उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी, अर्थात् सारा ध्यान छात्रों के सर्वांगीण विकास पर होगा।

प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परम्परा के आलोक में यह नीति तैयार की गयी है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परम्परा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बहुत प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढियों के लिए सहेजकर, संरक्षित रखने की आवश्यकता है। शिक्षा

व्यवस्था में किये जा रहे बुनियादी बदलावों के केन्द्र में अवश्य ही शिक्षक होंगें। इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाये जाने की आवश्यकता है जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें।

नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहें उनका निवास कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूह के सभी बच्चों के लिए परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद हर संभव पहल की जानी है। जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश पा सकेंगें और उत्कृट प्रदर्शन भी कर सकेंगें। अतः नई शिक्षा नीति का उददेश्य छात्रों के शिक्षा स्तर को और छात्रों के शैक्षीक क्षमता को बढाना है। इसके साथ अन्य पााठ्यक्रमों को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतन्गर्त शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 नई शताब्दी के भारत की आवश्यकतओं को ध्यान में रखते हुए तथा एक बार फिर से भारत को विश्व गुरू बनाने की राह पर अग्रसर करने हेतु इसका प्रारूप लाया गया और लागू किया गया।

इन सभी उद्देश्यों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता, संस्कृति और दर्शन के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए होना सुविचारित है। भारत में युवाओं को भारत देश के विविध, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनिकी आवश्यकताओं सहित यहां की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परम्पराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना, राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से और भारत के सतत् उँचाईयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अतिआवश्यक है। अतः नई शिक्षा नीति 2020 का सर्वोच्च उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था के प्रारूप को उत्कृष्ट बनाना और भारत को विश्व में वैश्विक ज्ञान महाशक्ति एवं विश्व गुरू के रूप में पुनः स्थापना करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

Aggarwal;J.C : Development of Education system in India, shipra publication, patpargarg Delhi 2021

Gaur; A.K.Gaur:New Dimensions of Education, shri Vinod pustak mandir, Agra

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार

:hindi.nvshv.org

:Rind.sscadda.com

:pmmodiyojanac.in

:Archana : Nation Education Policy

:Shikshaniti.com

:education.gov.in

:drishtiias.com

:India.com

:Jagran.com

उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येताओं की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के प्रभाव का अध्ययन

बाबुचन्द प्रसाद
शोधार्थी
साईनाथ विश्वविद्यालय, राँची।

प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार अपने कृत्यों, प्रयत्नों और सृजन आदि के परिणामों को जानने एवं उनके सिंहावलोकन की स्वाभाविक जिज्ञासा रखता है। यह जिज्ञासा ही उसे अनुसंधान की रूपरेखा बनाकर उसके कुछ निश्चित लक्ष्यों एवं उद्देष्य के साथ सुनिश्चित रूप से अपने अध्ययन की ओर अग्रसर करती है। उपराक्त दृष्टिकोण को देखते हुए इस अध्याय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अध्ययन पर एक विहगम दृष्टि डाली गई है। यह अध्ययन किये गये प्रयत्नों की उपलब्धि से संबंधित है तथा इसके लिए प्रयास किया गया है की पूर्व में निश्चित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा देखी जाये तथा यह तलाशा जाये कि भविष्य मे इसकी क्या–कया संभावनायेंहै।

इस अध्याय में शोधकर्त्री के द्वारा दत्तों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के पश्चात परिणामें का अवलोकन करना, अत्यन्त आवश्यक है। जबतक सुझाव प्रस्तुत नहीं किया जाये शोधकार्य अर्थहीन एवं महत्त्वहीन होता है इसके साथ ही भविष्य में अनुसंधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना भी अत्यावश्यक है। शोधकार्य को आरम्भ करने के लिए जिस प्रकार उद्देश्यों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार शोधकार्य को अंतिम रूप देने के लिए निष्कर्षो की आवश्यकता है। शोधकर्त्री द्वारा समस्या को हल करने के लिए प्रकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है। इन प्रकल्पनाओं की पुष्टि करके शोधकार्य से प्राप्त परिणामों की उपयागिता को सिद्ध करते हुए भावी शोध निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किये जाते है।

समस्या कथन

उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येताओं की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के प्रभाव का अध्ययन

अध्ययन के उद्देश्य

प्रत्येक अध्ययन के अपने उद्देश्य होते है। उद्देश्यों के अभाव में किसी भी कार्य की सार्थकता सम्पन्न नहीं हो सकती। प्रस्तुत अध्ययन में उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येताओ की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा। प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये है–

1. उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येताओ की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के उपयोग का अध्ययन
2. उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येताओं की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के उपयोग की रूचि का अध्ययन

3. उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येताओं की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के उपयोग से सम्प्रेषण की आसानी का अध्ययन
4. उच्च माध्यमिक स्तर के अध्यंताओं की उपलब्धि स्तर पर परम्परागत शिक्षण की तुलना में मल्टीमीडिया के उपयोग से अधिगम की उपयोगिता का अध्ययन

अध्ययन की परिकल्पनाएं

परिकल्पना के अभाव में शोध कार्य संभव नहीं है। परिकल्पना स्त्य या असत्य ही हो सकती है। उसका खण्डन भी किया जा सकता है। परिकल्पना वस्तुतः एक अनुमान है जो पूर्व ज्ञान एवं अवलोकन पर आधारित है। पंस्तुत अध्ययन के अंतर्गत निम्न शोध परिकल्पना निर्धारित की गई है–

- उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत अध्येताओं की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के प्रभाव का कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येताओं द्वारा मल्टीमीडिया के प्रयोग के कारण कोई पारिवारिक तनाव उत्पन्न नहीं होता है।

शोध विधि एवं प्रविधि

शोध विधि वह प्रक्रिया है जिसमें शोध कार्य में सूचनायें और आंकड़े इकट्ठे किये जाते है। शोध कार्य में शोध विधि का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। विधि का निर्धारण शोध समस्या तथा उसके उद्देश्यों पर निर्धारित होता है। विधि अनुसंधान क्रिया को सम्पादित करने का ढंग है। जो समस्या की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होती है शोध विधि के द्वारा हम समस्या तक पहुंचते है।

किसी भी शोधकार्य के लिए प्रदत्तों का संकलन तथा इनके व्यस्ति विश्लेषण के लिए जिस प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है उसे प्रविधि कहते है। प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री ने दत्त विश्लेषण में संख्यात्मक सांख्यिकी एवं गुणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किया। संख्यात्मक सांख्यिकी विश्लेषण के लिए निम्न सांख्यिकी का प्रयोग किया जाएगा।

1. प्रतिशतता
2. मध्यमान (केन्द्रीय प्रवृति का माप)
3. मानक विचलन (विचलनशीलता के माप)
4. टी वेल्यू (सार्थकता परीक्षण)

गुणात्मक विश्लेषण आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा।

शोध विधि में शोधकर्ता तरह–तरह की शोधविधि का उपयोग कर समस्या का समाधान करते है। पस्तुत शोध में अनुसंधान की सर्वेक्षण और प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। प्रश्नावली शोधकर्त्री द्वारा स्वनिर्मित है। इसके साथ ही बालक एवं बालिकाओं द्वारा मल्टीमीडिया के उपयोग से बढ़ते पारिवारिक तनाव के मापन हेतु भी स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

शोध में प्रयुक्त उपकरण

उपकरण से तात्पर्य उन भौतिक संसाधानों से होता है। जो दत्तो के संग्रह तथा उनका विश्लेषण करने के क्षेत्र में अध्ययनकर्त्ता की कुशलता को बढ़ाने में सहायक होता है अतः शोधकर्ता द्वारा अपने शोधकार्य में उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न स्वनिर्मित कारकों का चयन किया गया।

स्वय निर्मित उपकरण

विद्यार्थी वर्ग हेतु अभिभावक वर्ग हेतु

न्यादर्श आकार

- प्रस्तुत अध्ययन झारखण्ड के हजारीबाग शहर में संचाालित किया गया।
- प्रस्तुत अध्ययन में केवल उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अध्येताओं का नयादर्ष के लिए चुना गया।

चर

गैरट के अनुसार–चर ऐसी विशेषतायें होती हैं जिसमें मात्रात्मक भिन्नतायें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। जिसमें किसी एक आयाम पर परिवर्तन होते रहते हैं। चर से तात्पर्य किसी ऐसी वस्तु घटना व जीव के उन गुणों से होता है जिन्हें नापा जा सकता है। चर दो प्रकार के होते हैं।

1. स्वतंत्र चर– जिस कारक के प्रभाव का अध्ययन अनुसंधानकर्ता करना चाहता है। उसे स्वतंत्र चर कहते है। प्रस्तुत अध्ययन में अध्येता बालक एवं बालिकायें स्वतंत्र चर है।
2. आश्रित चर– स्वतंत्र चर के प्रभाव के कारण जो व्यवहार परिवतन होता हैं उन्हें आश्रित चर कहते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में मल्टीमीडिया के अंतर्गत ई लर्निग, सोशल मीडिया व स्मार्ट क्लासेज आश्रित चर है।

उपकरण

अनुसंधानकर्ता की सफलता हेतु आवश्यक है कि समस्या के संबंधित आंकड़ो के संग्रह के लिए उपयुक्त उपकरणों का चयन किया जाये। इस अनुसंधान हेतु दो मापनी उपकरण इस्तेमाल में लिये गये। दोनों उपकरण स्वनिर्मित है।

सांख्यिीकीय तकनीक–प्रदत्तों की गणनाएं सांख्यिकी के द्वारा की गयी। जिसमें अध्येताओं की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के प्रभाव की समीक्षा टी टैस्ट द्वारा की गयी।

अध्ययन की उपलब्धियाँः

उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येताओ की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के उपयोग का अध्ययन

सारणी सं० 1

श्रेणी	शिक्षार्थी की संख्या	समान्तर माध्य	प्रमाप विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	सार्थकता का स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
शहरी सरकारी विद्यालय	200	79.47	10.95	1.89	X	X
शहरी निजी विद्यालय	200	74.62	8.25			

d.f.=200+200-2=398

ऊपर दी गई तालिका में उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येयताओं की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के उपयोग का शोध से प्राप्त आंकड़े के अनुसार पर दोनो समूहों के मध्यमान क्रमशः 79.47 एवं 74.62 तथा मानक विचलन क्रमशः 10.95 एवं 8.25 प्राप्त हुए है। मध्यमानों तथा मानक विचलनों के इन मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात मान 1.89 प्राप्त हुआ है। यह मान स्वतन्त्र कोटि 398 पर 0.05 तथा 0.01 आत्मविश्वास के स्तरों पर क्रांतिक अनुपात के सारणी मान क्रमशः 1.97 तथा 2.59 से कम है। अतः निर्धारित परिकल्पना को विश्वास के दोनों स्तरों पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि शहरी सरकारी विद्यालय तथा शहरी निजी विद्यालय द्वारा किए जाने वाले मल्टीमीडिया के उपयोग में कोई सार्थक अन्तर नही पाया जाता है।

ग्राफ सं० 01

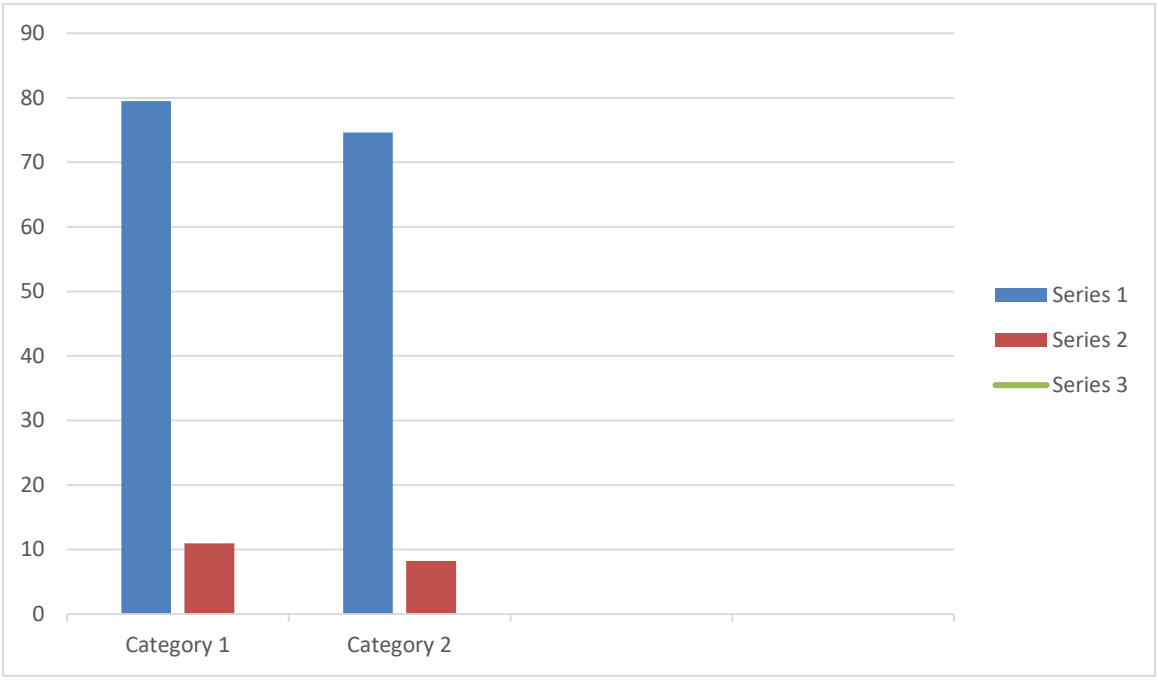

	शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी	शहरी क्षेत्र के गैर राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी

ए

उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येताओं की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के उपयोग की रूचि का अध्ययन

श्रेणी	शिक्षार्थी की संख्या	समान्तर माध्य	प्रमाप विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	सार्थकता का स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
शहरी सरकारी विद्यालय	200	73.36	9.23	4.13	✓	✓
षहरी निजी विद्यालय	200	79.47	10.95			

d.f.=200+200-2=398

ऊपर दी गई तालिका में उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येताओं की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के उपयोग की रूचि का शोध से प्राप्त आंकडे के अनुसार दोनो समूहों के मध्यमान क्रमशः 73.36 एवं 79.47 तथा मानक विचलन क्रमशः 9.23 तथा 10.95 प्राप्त हुए है। मध्यमानों तथा मानक विचलनों के इन मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात के परिकलित मान 4.13 प्राप्त हुआ है। यह मान स्वतन्त्र कोटि 398 पर 0.05 तथा 0.01 आत्मआत्मविश्वास के स्तरों पर क्रांतिक अनुपात के दोनों स्तरों पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि शहरी सरकारी विद्यालय तथा शहरी निजी विद्यालय तथा शहरी निजी विद्यालय दोनो ही मल्टीमीडिया का इस्तेमाल तो करते है परन्तु शहरी निजी विद्यालय की तुलना में शहरी सरकारी विद्यालय मल्टीमीडिया के उपयोग में कम रूचि लेते है अतः सार्थक भिन्नता प्राप्त हुई।

ग्राफ सं० 02

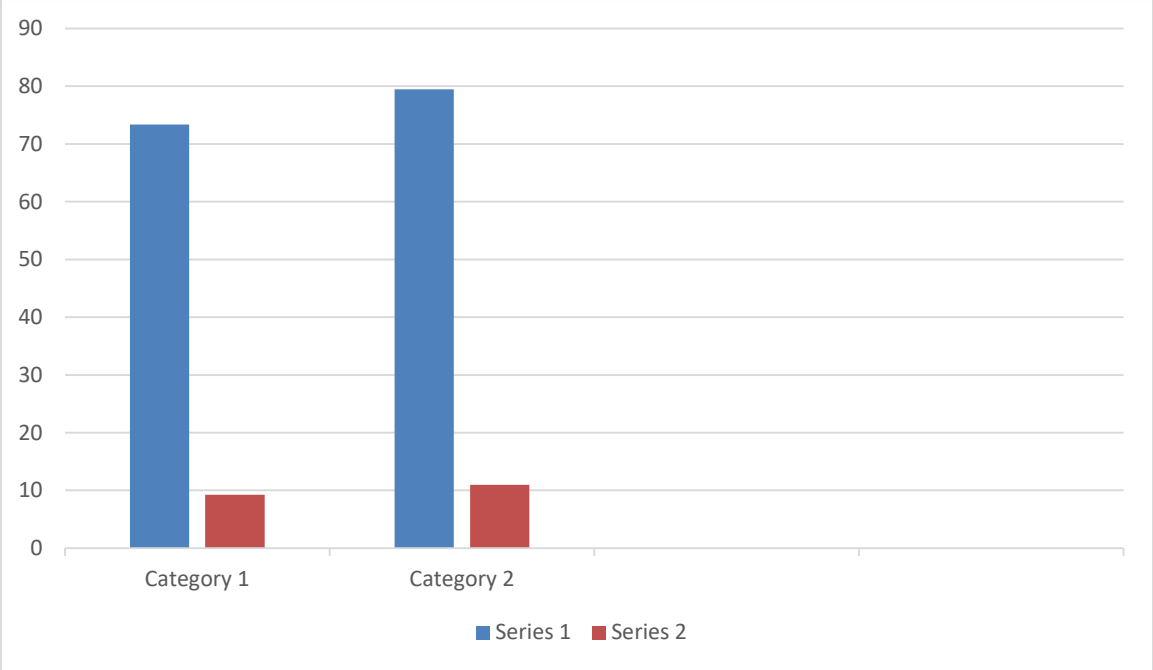

शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी

शहरी क्षेत्र के गैर राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी

उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येताओं की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के उपयोग से सम्प्रेषण की आसानी का अध्ययन

श्रेणी	शिक्षार्थी की संख्या	समान्तर माध्य	प्रमाप विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	सार्थकता का स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
शहरी सरकारी विद्यालय	200	75.45	8.42	0.98	X	X
शहरी निजी विद्यालय	200	78.96	9.56			

d.f.=200+200-2=398

ऊपर दी गई तालिका में उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययेताओं की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के उपयोग से सम्प्रेषण की आसानी के षोध से प्राप्त आंकड़े के अनुसार दोनों समूहों के मध्यमान क्रमषः 75. 45 तथा 78.96 तथा मानक विचलन क्रमषः 8.42 तथा 9.56 प्राप्त हुए है। मध्यमानों तथा मानक विचलनों के इन मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात का परिकलित मान 0.98 प्राप्त हुआ है। यह मान स्वतन्त्र कोटि पर 0.05 तथा 0.01 आत्मविष्वास के स्तरों पर क्रांतिक अनुपात के सारणी मान क्रमषः 1.97 तथा 2.59 से कम है। अतः निर्धारित परिकल्पना को विष्वास के दोनों स्तरों पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि षहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों तथा षहरी क्षेत्र के निजी विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा मल्टीमीडिया के उपयोग में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

ग्राफ सं० 03

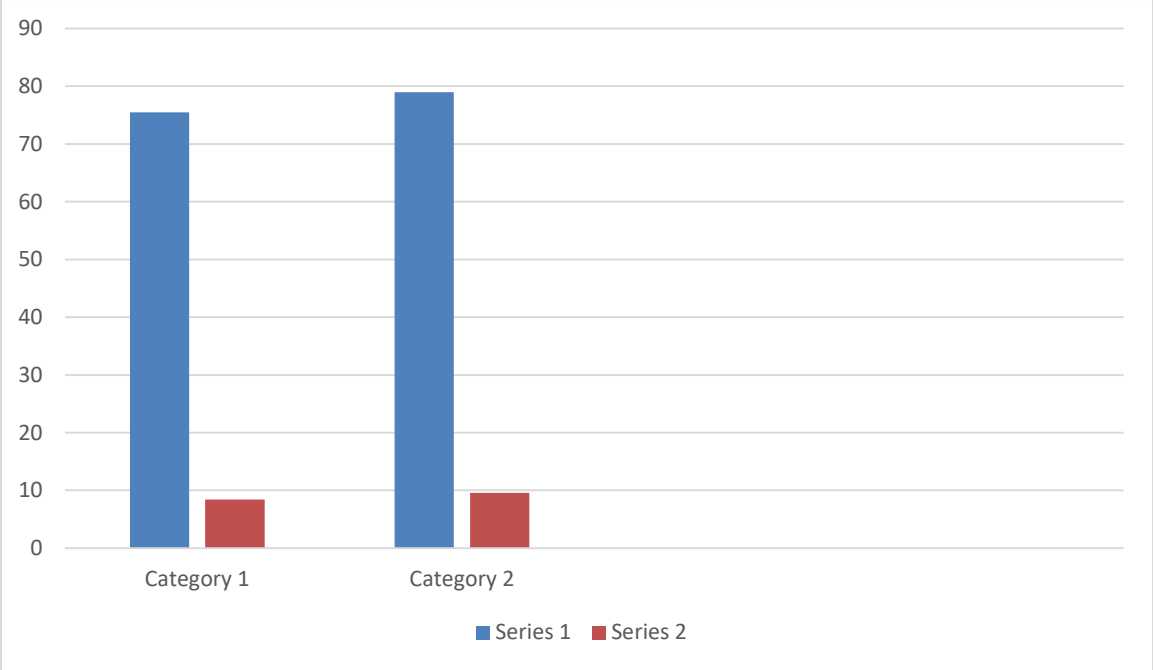

शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी	शहरी क्षेत्र के गैर राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी

उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येताओं की उपलब्धि स्तर पर परम्परागत शिक्षण की तुलना में मल्टीमीडिया के उपयोग से उधिगम की उपयोगिता का अध्ययन

श्रेणी	शिक्षार्थी की संख्या	समान्तर माध्य	प्रमाप विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	सार्थकता का स्तर	
					0.05 स्तर	0.01 स्तर
शहरी सरकारी विद्यालय	200	75.32	9.11	3.94	✓	✓
शहरी निजी विद्यालय	200	75.52	9.26			

d.f.=200+200-2=398

ऊपर दी गई तालिका में उच्च माध्यमिक स्तर के अध्येयताओं की उपलब्धि स्तर पर परम्परागत शिक्षण की तुलना में मल्टीमीडिया के उपयोग से अधिगम की उपयोगिता के अध्ययन के प्राप्तांकां के आधार पर दोनों समूहों के मध्यमान क्रमशः 75.32 एवं 75.52 तथा मानक विचलन क्रमशः 9.11 एवं 9.26 प्राप्त हुए है। मध्यमानों तथा मानक विचवन के इन मानों के आधार पर क्रांतिक अनुपात मान 3.94 प्राप्त हुआ है। यह मान स्वतन्त्र कोटि 398 पर 0.05 तथा 0.011 आत्मविष्वास के स्तरों पर क्रांतिक अनुपात के सारणी मान क्रमशः 1.97 तथा 2.59 से अधिक है। अतः निर्धारित परिकल्पना को विश्वास के दोनों स्तरों पर अस्वीकृत कहा जा सकता है कि शहरी सरकारी विद्यालय तथा शहरी निजी विद्यालय द्वारा किए जाने वाले मल्टीमीडिया के उपयोग में कोई सार्थक भिन्नता प्राप्त हुई।

ग्राफ सं० 04

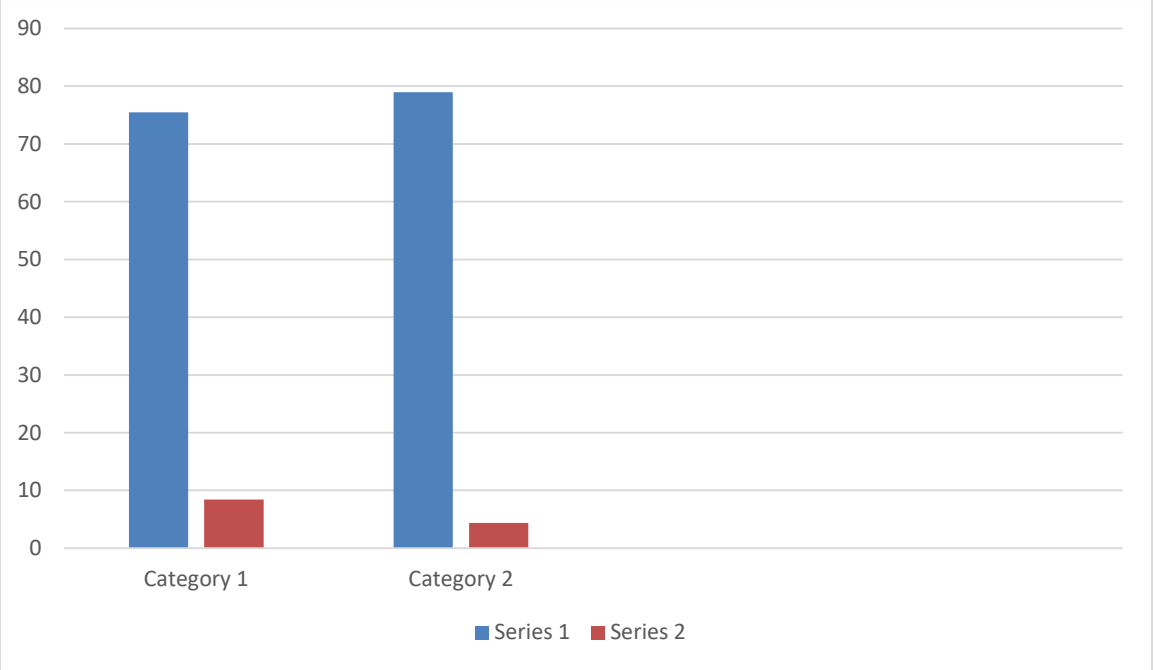

शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी	शहरी क्षेत्र के गैर राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी

निष्कर्ष–

प्रस्तुत शोध कार्य,''उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्येताओं की उपलब्धि स्तर पर मल्टीमीडिया के प्रभाव का अध्ययन'' में शोधकर्त्री ने प्रदत्त समंकों के संकलन, व्यवस्थिकरण, विश्लेषण, निवर्चन के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किया

- शोध से ग्राप्त निष्कर्षो के अधार पर यह कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालय मे अध्ययनरत विद्यार्थियों की तुलना में शहरी क्षेत्र के गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी यह मानते है कि मल्टीमीडिया के द्वारा कक्षा कक्ष को अधिक विद्यार्थी केन्द्रित बनाया जा सकता है।
- शोधकर्त्री ने शोध के दौरान पाया है कि शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की तुलना में शहरी क्षेत्र के गैर राजकीय अधिक समझ आता है जबकि शहरी क्षेत्र के राजकीय

विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी परम्परागत एवं आधुनिक शिक्षण के समिश्रण की बात को स्वीकार करते है।

- शोध से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र के गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी यह मानते है कि मल्टीमीडिया के माध्यम से सीखा गया पाठ अधिक समझ आता है जबकि शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थि परम्परागत एवं आधुनिक शिक्षण के समिश्रण की बात को स्वीकार करते है।
- शोध के दौरान पाया गया है कि शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय एवं गैर राजकीय विद्यालय दोनो के ही विद्यार्थी यह मानते है किवे स्वयं मल्टीमीडिया का उपयोग कर अपने कार्य को अधिक सुन्दर बना सकते है।
- शोध के दौरान यह पाया गया है कि शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी एवं शहरी क्षेत्र के गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी दोनों ही इस बात को स्वीकार करते है कि मल्टीमीडिया के उपयोग ने उनके सोचने की क्षमता में अभिवृद्धि की है।
  शोध के दौरान पाया गया है कि सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। शहरी क्षेत्र के रोजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी एवं शहरी क्षेत्र के गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियो द्वारा मल्टीमीडिया को सीखने के साधन के रूप में सदैव प्रयोग किया जाता है।
- शोध के दौरान पाया गया है कि शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की तुलना में शहरी क्षेत्र के गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों में मल्टीमीडिया के उपयोग के कौशल अधिक विकसित हुए है।
- शोध के दौरान यह देखा गया है कि शहरी क्षेत्र के गैर राजकीय विद्यालय अपने भौतिक संसाधन के मामले में अधिक व्यवस्थित एवं सुसज्जित होते है। अतः इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज द्वारा अधिगम होता है।
- शहरी क्षेत्र के गैर राजकीय विद्यालय भौतिक संसाधन के विषय में अध्ययनरत विद्यार्थी के अधिगम में स्मार्ट क्लासेज अधिक मददगार होते है।
- शोध के दौरान पाया गया है कि गैरराजकीय विद्यालय में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों द्वारा मल्टीमीडिया का उपयोग अधिक किया जाता है।
- शोध के दौरान यह पाया गया है कि मल्टीमीडिया का उपयोग विद्यार्थी केवल पिछले वर्षो के परीक्षा प्रश्न पत्र को देखने के लिए ही नहीं करते अपितु अधिगम को अधिक अभिवृद्धि करने हेतु भी उपयोग में लेते है।

संदर्भ ग्रंथ

- एरकेन ओरचा (2014) द इफेक्ट आफ मलटीमीडिया लर्निंग मैटेरियल ऑन स्टूडेण्ट एकेडमिक एचवीमेंट एण्ड एटीट्यूड टू वर्ड साइंस वर्क कोर्स। इन जर्नल आफ बालाटिक सांइस एजूकेशन ISSN 1648.3898
- अग्रवाल जेपी (2013):आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी ब्लैक प्रिंट्स दिल्ली
- अग्रवाल जेसी (1996), शैक्षिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

- एडोक ड्यूकन कटरनीला कपालाकव (2011) स्काइप बेस्ड टीचिंग प्रोग्राम एक्सपेन्सन एण्ड एक्सविरिन्संस इन ब्रिक्स जर्नल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च ISSN2231.5829

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक–शिक्षा एवं भविष्य

रंजु वंदना होरो
सहायक प्राध्यापक
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शि. प्र. महा.
लारी, रामगढ।

सारांश–

किसी राष्ट्र की प्रगति उसके अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यहीं कारण है कि शिक्षक को सर्वोत्तम व्यवसाय की संज्ञा दी जाती है। अपने देश में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के द्वारा अध्यापन को फिर वह सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो सकती है। सम्भवत् सही कारण है "अध्यापकों की व्यवसायिक शिक्षा के स्वस्थ्य कार्यक्रम की प्रस्तुति हेतु संस्तुति की जाती है। भारत सरकार द्वारा 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद सबसे पहले उसके सम्यक् मूल्यांकन की चुनौती है। इसके अन्तर्गत भारतीय भाषाओं की जानकारी, योग्यता और प्रवीणता को भी रोजगार की अर्हता में जोड़ा जाएगा।

21वीं सदी में शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहु – विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ ही साथ बेहतरीन उपदेशक के निर्देशन में मूल्यों के साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। एक शिक्षक को भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकचार और परंपराओं के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। शिक्षण कार्य ऐसा है जिसके लिए उत्साह एवं समर्पण भाव की अधिक जरूरत है।

शैक्षिक प्रक्रिया के तीन मुख्य बिन्दु होते हैं शिक्षक, बालक एवं विषय – वस्तु। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है शिक्षक मार्गदर्शक एवं भविष्य के संरक्षक होता है। अध्यापक ही विद्यालय तथा शिक्षण प्रक्रिया की वास्तविक रूप से गतिशील शक्ति है।

डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के अनुसारः–

'' वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक एवं तकनीकी कुशलताओं का हस्तान्तरण करने का केन्द्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायक देता है।

मध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसारः–

'' अपेक्षित शिक्षा के पुर्ननिर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक, उसके व्यक्तिगत गुण शैक्षिक योग्यताएं व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति जो वह विद्यालय तथा समाज में प्राप्त करता ही है। विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निःसन्देह रूप से उन अध्यापकों पर निर्भर करता है जो उस विद्यालय में कार्यरत होते है। शिक्षकों का तैया करना एक ऐसी प्रक्रिया

है जिसके लिए बहु – विषयक दृष्टिकोण और की आवश्यकता के साथ ही साथ बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ उसके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है।''

शिक्षा में सुधार लाने के लिए शिक्षण में आवश्यक क्रांति लाना जरूरी है नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की सेवा दशाओं में पर्याप्त सुधार करने की नींव रख दी गई है। शिक्षक – प्रशिक्षण की सुदृढ़ पर्याप्त व उच्च स्तरीय व्यवस्था अति आवश्यक है।

शिक्षक के उद्देश्य :–

1. अहिंसा सत्यता आत्म संयम आत्मज्ञान एवं कार्य की महानता पर बल दिया है।
2. समुदाय में इनके कार्य एक सामाजिक परिवर्तनकर्त्ता के रूप में है।
3. बच्चों के शैक्षिक सामाजिक भावात्मक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति धनात्मक दृष्टकोण रखती है।
4. सीखने एवं शिक्षण में मानवीय सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण में योग्यता विकसित करती है।
5. समझने की योग्यता रूचि दृष्टिकोण एवं कौशल आदि को विकसित करती है जो कि उसको इस योग्य बनाती है जिससे कि वह बच्चों के विकास को संरक्षित कर सकें।

शिक्षक – शिक्षा की नवीन धारणा

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के शिक्षा – शास्त्रियों एवं राजनीतिज्ञों ने शिक्षक प्रशिक्षण को नवीन रूप प्रदान करके उसको अधिक व्यापक बनाया और उसको शिक्षक शिक्षा का नया जामा पहनाया।

1. बेसिक शिक्षा की नवीन विचारधारा के अनुसार शिक्षक को छात्रों एवं समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
2. शिक्षक – प्रशिक्षण की विचारधारा में सम्पूर्ण जगत में अति तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षक – प्रशिक्षण अधिक व्यापक है।
3. शिक्षक – जीवन के सब क्षेत्रों को प्रभावित करती है एवं बालकों के दैनिक जीवन से संबंधित है। अतः केवल कला – शिक्षण का प्रशिक्षण शिक्षक को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर सकता है।
4. राधाकृष्णन् कमीशन ने शिक्षक प्रशिक्षण की धारणा में यह कहकर परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया – ''सच्ची शिक्षा केवल कुछ पाठों को पढ़ना और स्मरण करना ही नहीं है। वरन् जीवनयापन एवं उद्देश्यपूर्ण कार्यों में भाग लेना भी है।

NEP 2020 के अध्याय 15 में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है।

1. शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार को सुनिश्चित करने और फिर इसके द्वारा एक सफल विद्यालयी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रणाली को उन निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ उल्लंघन के लिए एक वर्ष का समय दिये जाने के पश्चात् कठोर कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो बुनियादी शैक्षिक मानदंडों का पूरा नहीं कर पा रहें है। वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बहु – विषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यन्वित होगें।
2. वर्ष 2030 तक बहु – विषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा।

3. सभी नए पी.एच.डी प्रवेशकर्ताओं चाहे वे किसी भी विषय में प्रवेश लें से अपेक्षित होगा कि अपनी डोकटोरल प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनके द्वारा चुने गए पी.एच.डी विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/अध्यापन/लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम लें।
4. कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवारत सतत् व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और जारी पहलों के माध्यम से ही जारी रहेगा।शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयम/दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मो के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षकों को मुहैया कराया जा सकें।
5. अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान, शिक्षा और इससे संबंधित विषयों के साथ ही साथ विशेष विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगें।
6. शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्ष्य होगा शिक्षण/फील्ड/शोध के अनुभवों को महत्व प्रदान की जाएगी।
7. सलाह के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को स्थापित किया जाएगा जिसमें बडी संख्या में वरिष्ठ/सेवानिवृत उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को जोड़ा जाएगा इनमें वे संकाय सदस्य भी शामिल होंगें। जिनमें भारतीय भाषाओं में पढाने की क्षमता है और जो विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगें।
8. अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान, शिक्षा और इससे संबंधित विषयों के साथ ही साथ विशेष विषयों में विषेशज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास काम करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्कूलों और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा। जहां भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों जैसे सामुदायिक सेवा और व्यावसायिक शिक्षा आदि में सहभागिता के साथ शिक्षण का कार्य पूर्ण कर सकेंगें।
9. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षकों के ऑनलाईन प्रशिक्षण के लिए स्वयम/दीक्षा जैसे पौद्योगिकी प्लेटफार्मो के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय में अधिक शिक्षकों को मुहैया कराया जा सकें।
10. प्रत्येक राज्य की प्रशिक्षण संस्थाएं और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् यह सर्वेक्षण करें कि उनके राज्य के लिए कितने प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग है। इसकी मांक के आधार पर विभिन्न स्तरों की प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश दिया जाए।

निष्कर्षः–

नई शिक्षा नीति के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए हम नई पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिसमें विद्यार्थियों को आकर्षित करने हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है तथा शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु भी प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही शिक्षकों को अपने विशेष विषय में शोध के अनुभवों को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। इस प्रकार हम पाते हैं NEP 2020 शिक्षकों के उज्जवल भविष्य के लिए कारगर साबित हो रही है। संभवतः इनके प्रयासों से शिक्षक – शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सकें।

शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के तहत यह विश्वास दिलाया है अध्यापक शिक्षा का भविष्य मील का पत्थर साबित हो रहा है जो शिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है।

इससे शिक्षक वर्ग अपनी पूर्ण योग्यता एवं समाज की सेवा भावना के साथ समाज को उत्तम जीवन की दशा प्रदान करने का प्रयास करेगा तथा अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. नई शिक्षा नीति 2020 : मानव संसाधन विकास मंत्रालय पृ० 67 – 68
2. पाठक; पी. डी. : भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा – 2
3. पाण्डेय; डॉ. रामशक्ल/मिश्र; डॉ. करूणाशंकर : भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएं आर. एस. ए. इन्टरनेशनल, आगरा
4. माथुर डॉ. एस. एस : उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षक अग्रवाल पब्लिकेशन्स
5. शर्मा; डॉ. आर. ए./ : अध्यापक शिक्षा
6. चतुर्वेदी; डॉ. शिखा : इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस मेरठ, 250001
7- www.google.com

वर्तमान समय में युवाओं में बढ़ता असामान्य व्यवहार

डॉ0 सरिता पाठक
असिस्टेन्ट प्रोफेसर–व्यावहारिक मनोविज्ञान
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

सारांश–
आज के युवाओं में असामान्य व्यवहार, व्यवहार की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित कर सकता है जो आदर्श से विचलित होता है और व्यक्ति उनके साथियों और पूरे समाज के लिए नकारात्मक परिणाम हो सकता है। युवाओं में असामान्य व्यवहार के कुछ उदाहरणों में मादक द्रव्यों का सेवन, खुद को नुकसान पहुँचाना, अपराध, आक्रामकता और जोखिम भरा यौन व्यवहार शामिल हो सकते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो युवाओं में असामान्य व्यवहार में योगदान दे सकते हैं जिनमें आनुवंशिकी, पारिवारिक वातावरण, साथियों का प्रभाव, सामाजिक–आर्थिक कारक और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे शामिल हैं। कुछ मामलों में ये व्यवहार अन्तर्निहित मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लक्षण हो सकते हैं जैसे–अवसाद, चिन्ता या द्विध्रुवी विकार।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि युवाओं में सभी असामान्य व्यवहार मानसिक बीमारी का संकेत नहीं है। किशोरावस्था महत्वपूर्ण वृद्धि और विकास का समय है और युवा लोगों के लिए प्रयोग करना, जोखिम लेना और सीमाओं का परीक्षण करना सामान्य है क्योंकि वे संक्रमण की इस अवधि के माध्यम से अपना रास्ता तय करते हैं। हालांकि यदि असामान्य व्यवहार बना रहता है या किसी युवा व्यक्ति के दैनिक जीवन में कार्य करने की क्षमता में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना महत्वपूर्ण है। युवा लोगों को उनके लक्षणों का प्रबन्धन करने, उनके नुकसान के जोखिम को कम करने और उनके समग्र कल्याण में सुधार करने में मदद करने के लिए शुरूआती हस्तक्षेप और उपचार महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

संकेत सूचक शब्द–युवावस्था, असामान्य व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य, संक्रमण, मादक पदार्थ।

आज के युवाओं में असामान्य व्यवहार की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित कर सकता है जो विशिष्ट, आयु–उपयुक्त मानदण्डों से विचलित होता है और सम्भावित रूप से नकारात्मक परिणाम पैदा कर सकता है। युवाओं में असामान्य व्यवहार के कुछ उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं।

1. **मादक द्रव्यों का सेवन :** कम उम्र में नशीली दवाओं या शराब के सेवन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ–साथ सामाजिक और शैक्षणिक कामकाज दोनों पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।
2. **खुद को नुकसान पहुँचाना :** जान–बूझकर खुद को नुकसान पहुँचाना, जैसे खुद को काटना या जलाना, एक सम्बन्धित व्यवहार है जो अन्तर्निहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकता है।
3. **आक्रामकता और हिंसा :** आक्रामक व्यवहार जैसे कि शारीरिक झगड़े, डराना–धमकाना, व्यक्ति और उनके आस–पास के अन्य लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
4. **अव्यवस्थित खान–पान :** आहार सम्बन्धी विकार, एनोरेक्सिया, बुलिमिया और द्वि–धातुमान खाना, गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ हैं जिनके लिए पेशेवर उपचार की आवश्यकता होती है।
5. **प्रौद्योगिकी की लत :** प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग, जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो गेम और स्मार्टफोन, सामाजिक अलगाव, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन और अन्य नकारात्मक परिणामों का कारण बन सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि युवाओं में असामान्य व्यवहार के कई अन्तर्निहित कारण हो सकते हैं, जिनमें आनुवंशिकी, पर्यावरणीय कारक और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ शामिल हैं। इन व्यवहारों को सम्बोधित करने और नकारात्मक परिणामों को रोकने में शुरूआती हस्तक्षेप और उपचार महत्वपूर्ण हो सकते हैं। माता–पिता, देखभाल करने वालों और शिक्षकों को सतर्क रहना चाहिए और युवा लोगों में किसी भी सम्बन्धित व्यवहार को नोटिस करने पर पेशेवर मदद लेनी चाहिए।

असामान्य व्यवहार वे क्रियायें या प्रतिक्रियायें हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, संस्कृति या समाज के विशिष्ट या अपेक्षित व्यवहार से विचलित होती है। असामान्य व्यवहार विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, मादक द्रव्यों का सेवन या आघात। असामान्य व्यवहार के उदाहरणों में शामिल है–

1. **उत्तेजना और आक्राकमता :** क्रोध, चिड़चिड़ापन या हिंसा की अनियन्त्रित और तीव्र अभिव्यक्तियाँ।
2. **चिन्ता और भय :** लगातार और अत्यधिक चिन्ता या डर जो दैनिक गतिविधियों में बाधा डालता है।
3. **अवसाद :** लम्बे समय तक उदासी, निराशा और निराशा की भावना।
4. **भ्रम और मतिभ्रम :** झूठी मान्यताएं या धारणाएं जो वास्तविकता पर अधारित नहीं है।
5. **खुद को नुकसान पहुँचाना :** जान–बूझकर खुद को शारीरिक नुकसान पहुँचाा, जैसे काटना या जलाना।
6. **मादक द्रव्यों का सेवन :** नशीली दवाओं या शराब का इस तरह से उपयोग करना जो किसी के जीवन, स्वास्थ्य या सम्बन्धों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

यदि आप या आपका कोई जानने वाला असामान्य प्रदर्शित कर रहा है तो पेशेवर मदद लेना महत्वपूर्ण है। एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर किसी भी अन्तर्निहित स्थितियों का निदान और उपचार कर सकता है और समग्र कल्याण में सुधार के लिए सहायता प्रदान कर सकता है। ऐसे कई कारक हैं जो युवाओं में असामान्य व्यवहार के विकास में योगदान कर सकते हैं, जिनमें आनुवंशिक प्रवृत्ति, पर्यावरणीय तनाव, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव और व्यक्तिगत स्वभाव और व्यक्तित्व शामिल है। माता–पिता, देखभाल करने वालों और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए इन कारकों से अवगत होना और युवाओं को इन चुनौतियों से उबरने में मदद करने के लिए उचित सहायता और हस्तक्षेप प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

मादक द्रव्यों के सेवन, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे दीर्घकालिक परिणाम है। प्रभावी हस्तक्षेपों में मनोचिकित्सा, दवा, परिवार चिकित्सा और सामाजिक समर्थन सेवायें शामिल हो सकती है। उचित देखभाल और समर्थन के साथ, कई युवा अपनी कठिनाइयों को दूर करने और परिणामों को रोकने के लिए युवाओं में असामान्य व्यवहारों की प्रारम्भिक पहचान और उपचार महत्वपूर्ण स्वस्थ, उत्पादक जीवन जीने में सक्षम होते हैं।

संकेत सूचक शब्द : असामान्य व्यवहार, समाज, युवा।

मानव व्यवहार एवं अनुभूति जो कि विचित्र अस्वाभाविक या समानता भिन्न है असामान्य व्यवहार कहे जाते हैं।

किस्कर (KISKER, 1985)

असामान्य व्यवहार उन विचारों, भावनाओं या कार्यों को सन्दर्भित करता है जो किसी विशेष संस्कृति या समाज के भीतर विशिष्ट या सामान्य माने जाने वाले व्यवहार से विचलित होते हैं। ये व्यवहार किसी व्यक्ति के कामकाज के लिए विघटनकारी हो सकते हैं और खुद को या दूसरों को परेशान कर सकते हैं। असामान्य व्यवहार कई अलग–अलग रूपों में प्रकट हो सकते हैं, हल्के से लेकर गम्भीर तक और इसमें चिन्ता, अवसाद, मादक द्रव्यों के सेवन, खाने के विकार, आत्म–हानि और विघटनकारी व्यवहार के अन्य रूप शामिल हो सकते हैं। ये व्यवहार किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं और उनके दैनिक जीवन में प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

असामान्य व्यवहार के विकास में योगदान करने वाले कारणों और अन्तर्निहित कारकों को समझना मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इन व्यवहारों को जल्दी पहचानने और उनका इलाज करने से व्यक्तियों को उनकी कठिनाइयों को दूर करने और दीर्घकालिक नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद मिल सकती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ''असामान्य'' शब्द का अर्थ यह नहीं है कि व्यवहार स्वाभाविक रूप से नकारात्मक या हानिकारक है। बल्कि, यह केवल उन व्यवहारों को संदर्भित करता है जो किसी दिये गये सन्दर्भ में विशिष्ट या सामान्य माने जाने वाले व्यवहार से विचलित होते हैं। असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों से सहानुभूति, समझ और समर्थन के साथ सम्पर्क करना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें अपनी चुनौतियों से उबरने और स्वस्थ, पूर्ण जीवन जीने में मदद मिल सके।

विद्वानों की मान्यता है कि ''असामान्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'एबनार्मा' (Abnormal) शब्द से हुई हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है सामान्य से दूर, विचलित या हटा हुआ (Ab+norma = away from the normal) ऐसा व्यवहार जो मानव या असामान्य व्यवहार से भिन्न है वह असामान्य व्यवहार है। समाज में जो अधिक लोग स्वीकृति प्रदान किये हुए हैं एवं जिनके अनुरूप लोगों का व्यवहार है उसे सामान्य व्यवहार माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति या समूह का व्यवहार समाज की मान्यताओं के अनुरूप नहीं है तो उसे असमान व्यवहार कहा जाएगा। वैसे इससे सभी लोग सहमत हो यह आवश्यक नहीं है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि जो व्यवहार किसी समूह यह समाज में सामान्य है, वह किसी दूसरे समूह समाज के लिए विचित्र या असामान्य हो सकता है। यह सांस्कृतिक मान्यताओं द्वारा भी निर्धारित होता है। इसी प्रकार जो हमारे लिए सामान्य है वह दूसरों के लिए असामान्य हो सकता है।

सामान्य व्यवहार का अध्ययन, जिसे साइकोपैथालॉजी या असामान्य मनोविज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन का एक अनिवार्य क्षेत्र है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों असामान्य व्यवहार का अध्ययन महत्वपूर्ण है–

मानसिक स्वास्थ्य विकारों को समझना असामान्य व्यवहार का अध्ययन हमें मानसिक स्वास्थ्य विकारों को समझने में मदद करता है, जिसमें उनके कारण, लक्षण और उपचार शामिल हैं। यह ज्ञान मानसिक स्वास्थ्य विकार वाले व्यक्तियों को उचित निदान और उपचार प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

कलंक को कम करना–असामान्य व्यवहार का अध्ययन करने से मानसिक स्वास्थ्य विकारों से जुड़े कलंक को कम करने में मदद मिलती है। यह समझकर कि मानसिक स्वास्थ्य विकार जैविक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन के कारण होते हैं, हम नकारात्मक रूढ़िवादिता को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य विकार वाले लोगों के प्रति दृष्टिकोण में सुधार करने के लिए काम कर सकते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार–असामान्य व्यवहार का अध्ययन मानसिक स्वास्थ्य विकारों के जोखिम कारकों की पहचान करके, प्रभावी रोकथाम रणनीतियों को विकसित करके और मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित लोगों के लिए प्रभावी उपचार बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है।

अनुसंधान को आगे बढ़ाना–असामान्य व्यवहार में अनुसंधान से मस्तिष्क और व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण खोजें हो सकती हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य विकारों के लिए नये उपचार और हस्तक्षेप के विकास की सूचना दे सकती है।

कुल मिलाकर असामान्य व्यवहार का अध्ययन मानसिक स्वास्थ्य की हमारी समझ को आगे बढ़ाने, कलंक को कम करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है।

असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करने का उद्देश्य विभिन्न मनोवैज्ञानिक, जैविक और सामाजिक कारकों को समझना है जो असामान्य व्यवहारों के विकास में योगदान करते हैं और इन व्यवहारों के निदान, उपचार और रोकथाम के प्रभावी तरीकों की पहचान करना है।

असामान्य व्यवहार, व्यवहार के पैटर्न या मनोवैज्ञानिक लक्षणों को संदर्भित करता है जो किसी विशेष संस्कृति या समाज में सामान्य या विशिष्ट माने जाने वाले व्यवहार से काफी भिन्न होते हैं। ये व्यवहार कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण हो सकते हैं, जिनमें आनुवंशिक प्रवृत्ति, पर्यावरणीय कारक, दर्दनाक अनुभव और मानसिक स्वास्थ्य विकार शामिल है।

असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करके शोधकर्ता इन व्यवहारों के अन्तर्निहित कारणों की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं और प्रभावी उपचार और रोकथाम रणनीतियों की पहचान कर सकते हैं। यह उन व्यक्तियों की मदद कर सकता है जो अपने मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक समर्थन और उपचार प्राप्त करने के लिए असामान्य व्यवहार से जूझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त असामान्य व्यवहारों को समझने से कलंक को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों वाले व्यक्तियों की अधिक स्वीकृति और समझ को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

असामान्य व्यवहार कई रूप ले सकता है जिसमें चिन्ता, अवसाद, मादक द्रव्यों का सेवन, खाने के विकार, व्यक्तित्व विकार और मनोविकार शामिल हैं। ये व्यवहार किसी व्यक्ति के जीवन के साथ–साथ उनके प्रियजनों के जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं जिनमें अवलोकन, मनोवैज्ञानिक आकलन, मस्तिष्क इमेजिंग तकनीक और आनुवंशिक परीक्षण शामिल है। इन विधियों का उपयोग करके शोधकर्ता असामान्य व्यवहारों से जुड़े पैटर्न और जोखिम कारकों की पहचान कर सकते हैं और इन कारकों को दूर करने के लिए हस्तक्षेप विकसित कर सकते हैं।

असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करने के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक प्रभावी उपचार विकसित करना है। इसमें दवायें, मनोचिकित्सा, व्यवहार सम्बन्धी उपचार और अन्य हस्तक्षेप शामिल हो सकते हैं। असामान्य व्यवहारों के अन्तर्निहित कारणों को समझकर शोधकर्ता उन उपचारों की पहचान कर सकते हैं जो इन व्यवहारों वाले व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप है।

असामान्य व्यवहारों का इलाज करने के अलावा शोधकर्ताओं का लक्ष्य उन्हें रोकना भी है। इसमें असामान्य व्यवहारों के लिए जोखिम कारकों की पहचान करना और इन जोखिमों को कम करने के लिए हस्तक्षेप विकसित करना शामिल हो सकता है। रोकथाम के प्रयासों में शिक्षा और जागरूकता अभियान, उच्च जोखिम वाली आबादी के लिए लक्षित हस्तेक्षप और सार्वजनिक नीति पहल शामिल हो सकते हैं।

कुल मिलाकर, असामान्य व्यवहारों का अध्ययन मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन व्यवहारों के अन्तर्निहित कारणों की पहचान करके और प्रभावी उपचार और रोकथाम रणनीतियों को विकसित करके, शोधकर्ता इन मुद्दों से जूझ रहे व्यक्तियों के जीवन में सुधार कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों की अधिक समझ और स्वीकृति को बढ़ावा दे सकते हैं।

असामान्य व्यवहार, व्यवहार की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित कर सकते हैं जो आदर्श से विचलित होते हैं या जिन्हें समस्याग्रस्त माना जाता है। मनोविज्ञान के सन्दर्भ में, असामान्य व्यवहार अक्सर मानसिक स्वास्थ्य विकारों या अन्य स्थितियों से जुड़े होते हैं जो किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं या व्यवहार को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित साहित्य समीक्षा इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख शोधों का अवलोकन प्रदान करती है।

असामान्य व्यवहार के सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किये गये क्षेत्रों में से एक चिन्ता विकार है। चिन्ता विकार अत्यधिक चिन्ता, भय या घबराहट की विशेषता है जो किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। अनुसंधान ने कई विभिन्न प्रकार के चिन्ता विकारों की पहचान की है, जिनमें सामान्यीकृत चिन्ता विकार (जीएडी), पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया और ऑब्सेसिव–कम्पल्सिव डिसऑर्डर (ओसीडी) शामिल है। अध्ययनों में पाया गया कि चिन्ता विकास लक्षणों की एक श्रृंखला से जुडे हैं, जिनमें हृदय गति में वृद्धि, पसीना आना और काँपना शामिल है। साथ ही संज्ञानात्मक लक्षण जैसे अत्यधिक चिन्ता और भयावह सोच (क्रैस्के एट अल, 2017)।

असामान्य व्यवहार का एक अन्य क्षेत्र जिस पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है वह है अवसाद। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो उदासी, निराशा और कम ऊर्जा की लगातार भावनाओं की विशेषता है। अनुसंधान ने कई कारकों की पहचान की है जो अवसाद के विकास में योगदान करते हैं, जिसमें आनुवंशिक कारक, पर्यावरणीय तनाव और संज्ञानात्मक कारक जैसे नकारात्मक सोच पैटर्न (वोंग एट अल, 2019) शामिल है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि अवसाद शारीरिक लक्षणों की एक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, जिसमें भूख और नींद के पैटर्न में बदलाव के साथ–साथ संज्ञानात्मक लक्षण जैसे कि ध्यान केन्द्रित करने और निर्णय लेने में कठिनाई शामिल है।

चिन्ता और अवसाद के अलावा कई अन्य स्थितियाँ है जो असामान्य व्यवहार से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए सिजोफ्रेनिया एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो मतिभ्रम, भ्रम और अव्यवस्थित सोच की विशेषता है। अध्ययनों में पाया गया है कि सिजोफ्रेनिया मस्तिष्क गतिविधि और मस्तिष्क में संरचनात्मक असामान्यताओं से जुड़ा हुआ है (होवेस एण्ड मरे, 2014)। द्विध्रुवी विकार, जो उन्माद और अवसाद के एपिसोड की विशेषता है एक और स्थिति है जो असामान्य व्यवहार से जुड़ी है। अनुसंधान ने कई आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों की पहचान की है जो द्विध्रुवी विकार (डफी एट अल, 2020) के विकास में योगदान करते हैं।

कुल मिलाकर, असामान्य व्यवहारों का अध्ययन अनुसंधान का एक जटिल और बहु–अनुशासनात्मक क्षेत्र है जिसमें स्थितियों और लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। निरन्तर अनुसंधान के माध्यम से यह आशा की जाती है कि इन स्थितियों की बेहतर समझ से असामान्य व्यवहार का अनुभव करने वाले व्यक्तियों के लिए बेहतर निदान और उपचार के विकल्प मिलेंगे।

असामान्य व्यवहार परिकल्पना बताती है कि मनोवैज्ञानिक विकार या असामान्य व्यवहार उन कारकों के कारण होते हैं जो सामान्य या स्वस्थ माने जाने वाले से विचलित होते हैं। यह परिकल्पना मानती है कि व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक मानक या मानदण्ड है और जो कुछ भी इस मानक के बाहर बाता है उसे असामान्य माना जाता है।

विभिन्न सिद्धान्त है जो असामान्य व्यवहार के कारणों की व्याख्या करते हैं जैसे कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक। जैविक दृष्टिकोण के अनुसार, असामान्य व्यवहार आनुवंशिक कारकों, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन या मस्तिष्क संरचना या कार्य में असामान्यताओं के कारण होता है। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि असामान्य व्यवहार अचेतन संघर्षों, दोषपूर्ण सोच पैटर्न या सीखे हुए व्यवहारों से उत्पन्न होता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव पर जोद देता है, जैसे परिवार की गतिशीलता, सामाजिक मानदण्ड और पर्यावरणीय तनाव।

असामान्य व्यवहार परिकल्पना के आलोचकों का तर्क है कि यह परिभाषित करना मुश्किल है कि सामान्य या असामान्य व्यवहार क्या माना जाता है, क्योंकि यह संस्कृतियों और संदर्भों में भिन्न होता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार को असामान्य के रूप में लेबल करना व्यक्तियों को कलंकित कर सकता है और उपचार और पुनर्प्राप्ति के अवसरों को सीमित कर सकता है। इसलिए, मनोवैज्ञानिक विकारों का आकलन और उपचार करते समय कई दृष्टिकोणों और कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान पद्धति में आमतौर पर गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का संयोजन शामिल होता है, जिनमें शामिल है–

- **अवलोकन सम्बन्धी अध्ययन**–इन अध्ययनों में असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को देखना और रिकार्ड करना शामिल है। प्रेक्षण प्राकृतिक सेटिंग में किये जा सकते हैं जैसे कि घर या कार्यस्थल में या नियन्त्रित प्रयोगशाला सेटिंग में।
- **केस स्टडीज**–केस स्टडीज में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक छोटे समूह का गहन विश्लेषण शामिल होता है जो असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। केस स्टडी में अक्सर साक्षात्कार, अवलोकन और मेडिकल रिकार्ड और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा शामिल होती है।
- **सर्वेक्षण**–सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में व्यक्तियों से उनके अनुभवों और असामान्य व्यवहारों से सम्बन्धित व्यवहारों के बारे में डेटा एकत्र करना शामिल है। सर्वेक्षण व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन या मेल या टेलीफोन के माध्यम से किये जा सकते हैं।
- **प्रायोगिक अध्ययन**–प्रायोगिक अध्ययनों में असामान्य व्यवहारों के कारणों और उपचारों के बारे में परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए नियंत्रित वातावरण में चर में हेरफेर करना शामिल है। प्रायोगिक अध्ययन में मानव और पशु दोनों विषय शामिल हो सकते हैं।
- **न्यूरोइमेजिंग अध्ययन**–न्यूरोइमेजिंग अध्ययनों में असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क के कार्य और संरचना का अध्ययन करने के लिए चुम्बकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) या पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) जैसी मस्तिष्क इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करना शामिल है।

सूचित सहमति, गोपनीयता और प्रतिभागियों को सम्भावित नुकसान सहित असामान्य व्यवहारों पर शोध करते समय शोधकर्ताओं के लिए नैतिक मुद्दों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

जब असामान्य व्यवहारों के नैतिक विचारों की बात आती है, तो ध्यान में रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कारक हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर विचार किया गया है–

स्वायत्तता के लिए सम्मान–असामान्य व्यवहार वाले लोगों के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें अपने उपचार और देखभाल के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी हस्तक्षेप या उपचार स्वैच्छिक और सूचित होना चाहिए और व्यक्तियों को विभिन्न विकल्पों के जोखिमों और लाभों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

गैर–हानिकारकता–गैर हानिकारकता के सिद्धान्त की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर अपने रोगियों को कोई नुकसान न पहुँचाये। इसका मतलब यह है कि असामान्य व्यवहार के लिए किसी भी हस्तक्षेप या उपचार को नुकसान को कम करने और अनावश्यक जोखिमों से बचने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए।

उपकारिता–उपकार के सिद्धान्त में स्वास्थ्य पेशेवरों को अपने रोगियों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि असामान्य व्यवहार के लिए हस्तक्षेप या उपचार को व्यक्ति की भलाई और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए।

न्याय–न्याय के सिद्धान्त की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को उचित और समान रूप से आवंटित किया जाए। इसका मतलब यह है कि असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग या अन्य कारकों की परवाह किये बिना उचित और प्रभावी उपचार तक पहुँच जानी चाहिए।

गोपनीयता–असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों को गोपनीयता और निजता का अधिकार है और उनकी व्यक्तिगत जानकारी को यथासम्भव गोपनीय रखा जाना चाहिए।

सूचित सहमति–असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों को उनकी स्थिति, उपचार के विकल्पों और सम्भावित जोखिमों और लाभों के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे अपनी देखभाल के बारे में सूचित निर्णय ले सकें।

लांछन से बचना–स्वास्थ्य पेशवरों को असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों को कलंकित करने से बचने का प्रयास करना चाहिए और एक समावेशी और सहायक वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए जो व्यक्तियों को मदद और समर्थन लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

कुल मिलाकर असामान्य व्यवहारों के नैतिक विचारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों के लिए उचित और प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए स्वायत्तता, गैर–दुर्भावनापूर्णता, उपकारिता, न्याय, गोपनीयता, सूचित सहमति और लांछन से बचने के सिद्धान्तों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है।

References

1. BarlowH.David and Durand V. Mark; Abnormal Psychology: An Integrated Approach : This textbook provides an overview of abnormal psychology, including its history, theories, and approaches to treatment.

2. Jameson RedfieldKay;An Unquiet Mind: A Memoir of Moods and Madness: This memoir provides a personal account of living with bipolar disorder and provides insight into the experience of mental illness.
3. Nash John;A Beautiful Mind by Sylvia Nasser: This book tells the story of a mathematician who battled schizophrenia and received the Nobel Prize in Economics.
4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5): Published by the American Psychiatric Association, DSM-5 provides a comprehensive guide to the classification, diagnosis, and treatment of mental disorders.
5. Porter Roy;Madness: A Brief History : This book provides a historical overview of how mental illness has been understood and treated throughout history.
6. David L. Rosenhan;"On Being Sane in Insane Places": This article describes a famous study in which healthy individuals admitted to psychiatric hospitals experienced the experience of being diagnosed with a mental illness.
7. JarBell by PlathSylvia; Based on the author's own experiences, this novel explores themes of mental illness and identity.
8. Ronson Jon;The Psychopath Test: A Journey Through the Madness Industry : This book examines the concept of psychopathy and how it is diagnosed and treated.
9. SacksOliver;The Man Who Mistook His Wife for a Hat : This book provides case studies of patients with various neurological disorders, including some with abnormal behavior.
10. SaksR.Allin;The Center Can't Hold: My Journey Through Madness : This memoir details the author's experiences with schizophrenia and provides insight into the experience of living with a serious mental illness.

The Opinion V.11, N. 22 J-D 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

शैक्षिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय

डॉ0 प्रतिभा त्रिपाठी
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, व्यावहारिक मनोविज्ञान
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

सारांश–

शिक्षा की आधुनिक धारणा के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा आगामी दोनों प्रकार की क्रियाओं एवं अनुभवों को सम्मिलित करके पाठ्यक्रम को लचीला तथा प्रगतिशील बनाने पर बल दिया जाता है जिससे प्रत्येक बालक अपनी–अपनी अभिरूचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होकर समाज की सेवा करता रहे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने राष्ट्र को ऐसे घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ केवल पेट की पूर्ति दिखाई देती है। जीवन की सच्चाई का गला घोंटने वाली यह शिक्षा जिन्दगी जीने का नहीं, अपितु जिन्दा रहने का पाठ पढ़ाती है। व्यक्ति सिर पर उपाधियों का बोझ लिए हुए जीवन की सड़क पर चलता–चलता थक जाता है, परन्तु उपाधियों की गठरी उसे ठीक तरह से जीना नहीं सिखा पाती।

इसी कारण से हमें ऐसी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है जो छात्र की आंतरिक क्षमताओं का विकास करें तथा उसकी नैसर्गिक प्रतिभा का पोषण करें जिससे एक बालक,बालिका, शारीरिक,मानसिक,भावनात्मक,आध्यात्मिक तथा सामाजिक रूप से विकसित हो सके।

इसी उपक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा की भी अवहेलना नहीं की जा सकती जो मनुष्य को स्वयं के स्वास्थ्य पर्यावरण तथा सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाती हैं।हमारी शिक्षा पद्धति ही हमारे समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित करने का माध्यम भी बन सकती हैं जिस देश के मनीषियों ने–

'ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।।'

का मूल मंत्र दिया है।जिसका उद्देश्य ही सबके कल्याण की कामना करना हो तथा सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए अपनी शिक्षा पद्धति में इन्हीं भावों का समावेश करने की आवश्यकता है।

संकेत सूचक शब्द–स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक न्याय, सर्वांगीण विकास, संघर्ष।

शिक्षा, समाज की एक पीढ़ी द्वारा अगली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तानान्तरण का प्रयास है। इस प्रकार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरन्तरता को बनाये रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से अभिलेख होता है।

स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान को व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर व्यावहारिक रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे न केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो बल्कि सम्पूर्ण समाज के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय उन समस्त साधनों से है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ज्ञान प्रदान करें। स्वास्थ्य शिक्षा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक रूप से सम्पूर्ण विद्यालयी शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य स्वास्थ्य निर्माण भी है, इसलिए स्कूल के सभी विषयों को इसमें अपना योगदान करना चाहिए। ऐसा करते समय वे स्वास्थ्य शिक्षा का एक अंग बन जाते हैं। संक्षेप में स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जो अर्जित किए हुए ज्ञान का अनुभव कराती है जिसका उद्देश्य ज्ञान के द्वारा शिक्षा और आचरण पर प्रभाव डालना है जो कि व्यक्ति और लोगों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित है।क्योंकि हर प्रकार की शिक्षा का पहला उद्देश्य अच्छा स्वास्थ्य है।

क्रो व क्रो इसके महत्व पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहते हैं, "यदि बच्चों, किशारों तथा वयस्कों के शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य सुधार की ओर ध्यान न दिया जाए तो स्कूलों के विशाल भवन, शैक्षिक सामग्री का अतुल्य भण्डार, योग्य अध्यापक, निरीक्षक तथा अन्य कार्यकर्ता व विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई पाठ्यचर्या, मूल्यांकन के अच्छे ढंग आदि सभी शैक्षिक क्रियाएँ अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल हो जाती है।" शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति बच्चों के स्वास्थ्य पर निर्भर है। स्वास्थ्य शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य दोनों से होता है। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापक से सम्बन्ध रखती है और आधुनिक अध्यापक बच्चे के मानसिक विकास तथा उसके भावी निर्माण को ही शिक्षा का लक्ष्य नहीं मानता। वह जितना महत्व मानसिक शक्तियों के विकास को देता है उतना ही महत्व स्वास्थ्य शिक्षा को भी, क्योंकि मानसिक विकास से पहले बच्चे का शारीरिक विकास होता है। यदि बच्चे का स्वास्थ्य ही बिगड़ जाये तो कुशलताएँ सिखाने व पुस्तकें रटाने का कोई लाभ नहीं है। अतः स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य छात्र को ऐसे साधन प्रदान करना है जिनकी सहायता से वे अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक गुणों को पूर्ण क्षमता के साथ विकसित कर सकें। 1986 में B.P.S. ने स्वास्थ्य मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की तत्पश्चात् यूरोपीयन स्वास्थ्य मनोविज्ञान सोसाइटी की स्थापना 1986 में की गई। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थ को विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं।

साधारण तौर पर–"स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन लाया जा सकता है और स्वास्थ्य के प्रति उनके दृष्टिकोण और ज्ञान में वांछनीय सुधार किया जा सकता है।" अतः इस आधार पर स्वास्थ्य शिक्षा जीने की एक कला है और हम इस कला का प्रयोग स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन प्राप्त करने के लिए करते हैं।

डॉ0 थॉमस वुड के अनुसार, "स्वास्थ्य शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है, जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, सामुदायिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित आदतों, प्रवृत्तियों तथा ज्ञान पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं।"

स्वास्थ्य शिक्षा समिति (1973) न्यूयार्क के प्रतिवेदन के अनुसार, "स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य सूचना और स्वास्थ्य व्यवहारों के मध्य खाई को पाटती है।"

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार कि वह सूचना लेकर खुद ऐसा करे जिससे वह अधिक स्वास्थ्य बनाने के लिए हानिप्रद कार्यों की अवहेलना कर सके और ऐसी आदतों का निर्माण कर सकें जो उपयोगी हैं।

रूथ ई0 ग्राउटका अभिमत स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में कुछ और विस्तार से है, उनके अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से स्वास्थ्य के विषय में जो कुछ ज्ञात है उसे उचित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक व्यवहार के नमूनों में परिवर्तित करने का नाम है। यह परिभाषा स्वास्थ्य के बारे में तीन बातों पर ध्यान आकर्षित करती है–

1. स्वास्थ्य के विषय में जो ज्ञात है–अर्थात् स्वास्थ्य के विषय में मूलभूत अवधारणाएँ।
2. उचित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक व्यवहार के नमूने–यानी स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तिम लक्ष्य।
3. शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन।

सरल शब्दों में बच्चे को स्वास्थ्य सम्बन्धी मूलभूत अवधारणाएँ स्पष्ट होनी चाहिए। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि 'क्यों करना है', 'क्या करना है' और 'कैसे करना है'। उदाहरण के तौर पर भोजन करने से पहले हाथ धोना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि यह बीमारी के खतरे को कम करता है। अतः स्वास्थ्य शिक्षा, निःसन्देह एक मानवीय रचना है। यद्यपि यह कई प्रकार से अपरिपक्व है तो भी यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे व्यवस्थित किया जा सकता है।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा

शिक्षा से अभिप्राय शिक्षा ग्रहण करना ही नहीं बल्कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा भौतिक शक्तियों का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की आदतों को बदलना है तथा उसके चरित्र को बनाना है। **(1) जॉन एडम्स** (John Adams) **के अनुसार,** प्राचीन काल में शिक्षा, शिक्षक केन्द्रित थी, जिसके दो छोर (पहलू) थे–शिक्षक और विद्यार्थी। **(2) स्किनर** (Skinner) **के शब्दों में,** शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सिखाने और सीखने के साथ सम्बन्धित है। सीखना और सिखाना शिक्षा मनोविज्ञान का अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

आधुनिक युग में शिक्षा के तरीके बदल गए हैं तथा सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति में क्रान्ति आ गई है। वह दिन गए जब शिक्षा देते समय व्यक्ति की इच्छा उसके स्वभाव तथा उसकी शक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता था, परन्तु आधुनिक शिक्षा पद्धति में व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों व क्षमताओं के विकास पर जोर दिया गया है जो कि शिक्षा द्वारा उसकी आदतों, स्वभाव, विचारों पर प्रभाव डालती हैं तथा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक तथा सर्वांगीण विकास करती हैं। जबकि स्वास्थ्य शिक्षा का तात्पर्य उन सम्पूर्ण साधनों से है जो मानव को स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा में घनिष्ठ सम्बन्ध है। यद्यपि स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल मनुष्य के स्वास्थ्य से है और शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि यह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है तथापित ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक छात्र को जहाँ अक्षर ज्ञान के साथ सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है, वहीं उसका स्वयं को स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों को जानने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा ग्रहण करना भी आवश्यक है। इसके बाद ही एक शिक्षक छात्रों के शैक्षणिक विकास के साथ–साथ उनका मानसिक तथा शारीरिक विकास करने में सफल हो सकेगा। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य

स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्यों को समझने से पहले हमें अनेक आधार को जानना होगा। सामान्यतः हम इन दोनों का अर्थ एक ही मान लेते हैं जबकि यह दोनों भिन्न हैं।

लक्ष्य–स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य शारीरिक तथा माँसपेशियों का ही विकास नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सांवेगिक पक्षों का भी विकास करना है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य (लक्ष्य) लोगों को सक्रिय रूप से उन कार्यक्रमों और उन सेवाओं में लगाना और भागीदार बनाना है जिनका आयोजन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है अर्थात् लोगों को अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए सिखाना और सीखने में सहायता देना स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेषज्ञ समिति के अनुसार, "स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य लोगों की अपने कार्यों और प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता करना है।" इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा जीवन का वह गुण उत्पन्न करने का उद्देश्य सामने रखती है जो कि एक व्यक्ति को अधिक जीने और अच्छे से अच्छे ढंग से सेवा करने योग्य बनाये। अतः स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य का अभिप्राय यह हुआ कि यह मनुष्य को समाज में सुखी, व्यवस्थित, संतोषजनक और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के ढंगों का ज्ञान कराती है। गुड के अनुसार, "लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है, जो किसी क्रिया का मार्गदर्शन करता है।"

उद्देश्य को परिभाषित करते हुए गुड कहते हैं, "स्कूल द्वारा निर्देशित अनुभवों के द्वारा छात्रों के व्यवहार में आया वांछित परिवर्तन ही उद्देश्य है।" **सी0ई0 टर्नर के अनुसार,** "छात्रों का समुचित विकास स्वास्थ्य शिक्षा पर निर्भर करता है।" अतः उनके लिए शिक्षा के निम्न उद्देश्य होने चाहिए–

1. विद्यालय में स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण बनाए रखना।
2. सभी छात्रों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करना व निर्देश देना।
3. व्यक्तिगत सफाई व स्वच्छता के बारे में न केवल ज्ञान प्रदान करना बल्कि अभ्यास भी कराना।
4. बच्चों में ऐसी स्वाभाविक आदतों का विकास करना जो स्वास्थ्यप्रद हो।
5. स्कूल, घर और समाज में उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आपसी सहयोग की भावना विकसित करना।
6. संक्रामक रोगों से बचने के उपाय करना।
7. सभी छात्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान तथा अभिवृत्ति का विकास करना।

स्वास्थ्य शिक्षा के सामान्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए **रूथ ई0 ग्राऊट** ने भी कुछ विशिष्ट उद्देश्य बताए हैं जो सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों से सम्बद्ध हैं। **ग्राऊट के अनुसार ये उद्देश्य हैं–**

- व्यक्ति का सर्वाधिक विकास (शारीरिक व भावनात्मक)।
- स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानवीय सम्बन्धों की बेहतर व्यवस्था।
- स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यों एवं सिद्धान्तों का आर्थिक दक्षता के संदर्भ में प्रयोग।
- नागरिक उत्तरदायित्व (विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में)।

प्रो0 एण्डरसन ने स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में अपने विचार निम्न रूप में व्यक्त किए हैं–

- छात्रों को स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ज्ञान प्रदान करना।
- विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा दोषों का ज्ञान प्राप्त करना और उनकी रोकथाम करना।
- अपने वातावरण की स्वच्छता की महत्ता समझना।
- छात्रों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित करना।

- प्रत्येक छात्र के स्वास्थ्य की जांच करना तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझना।
- छात्रों में अच्छे स्वास्थ्य के प्रति रूचि तथा अभिरूचियाँ विकसित करना।
- सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करना।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा के निम्न उद्देश्य दर्शाए गए हैं–

- स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की पहचान करने की क्षमता को विकसित करना।
- स्वास्थ्य के सम्बन्ध में वैज्ञानिक विचारधारा को स्वीकार करना।
- दूसरों के समक्ष अच्छे स्वास्थ्य का आदर्श प्रस्तुत करने की योग्यता उत्पन्न करना।
- स्वास्थ्य के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेने की क्षमता पैदा करना।
- स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निदान में रूचि विकसित करना।

उपरोक्त विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों के साथ स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा के मुख्य उद्देश्य भी हैं जो विभिन्न स्तर पर अपना महत्व रखते हैं।

सामाजिक न्याय

एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय (Social Justice) की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के अवधारणा पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे 'उत्तम जीवन' की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पाएँ। विकसित हों या विकासशील, दोनों ही तरह के देशों में राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में सामाजिक न्याय की इस अवधारणा और उससे जुड़ी अभिव्यक्तियों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अर्थ हमेशा सुस्पष्ट ही होता है। सिद्धांतकारों ने इस प्रत्यय का अपने–अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में भी, भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय का नारा वंचित समूहों की राजनीतिक गोलबंदी का एक प्रमुख आधार रहा है। उदारतावादी राजनीतिक सिद्धांत में उदारतावादी–समतावाद से आगे बढ़ते हुए सामाजिक न्याय के सिद्धांतीकरण में कई आयाम जुड़ते गये हैं। मसलन, अल्पसंख्यक अधिकार, बहुसंस्कृतिवाद, मूल निवासियों के अधिकार आदि। इसी तरह, नारीवाद के दायरे में स्त्रियों के अधिकारों को ले कर भी विभिन्न स्तरों पर सिद्धांतीकरण हुआ है और स्त्री–सशक्तीकरण के मुद्दों को उनके सामाजिक न्याय से जोड़ कर देखा जाने लगा है।

यद्यपि एक विचार के रूप में विभिन्न धर्मों की बुनियादी शिक्षाओं में सामाजिक न्याय के विचार को देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश धर्म या सम्प्रदाय जिस व्यावहारिक रूप में सामने आये या बाद में जिस तरह उनका विकास हुआ, उनमें कई तरह के ऊँच–नीच और भेदभाव जुड़ते गये। समाज–विज्ञान में सामाजिक न्याय का विचार उत्तर–ज्ञानोदय काल में सामने आया और समय के साथ अधिकाधिक परिष्कृत होता गया। क्लासिकल उदारतावाद ने मनुष्यों पर से हर तरह की पुरानी रूढ़ियों और परम्पराओं की जकड़न को खत्म किया और उसे अपने मर्जी के हिसाब से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र किया। इसके तहत हर मनुष्य को स्वतंत्रता देने और उसके साथ समानता का व्यवहार करने पर जोर जरूर था, लेकिन ये सारी बातें औपचारिक स्वतंत्रता या समानता तक ही सिमटी हुई थीं। बाद में उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में कई उदारतावादियों ने राज्य के हस्तक्षेप द्वारा व्यक्तियों की आर्थिक भलाई करने और उन्हें अपनी स्वतंत्रता को उपभोग करने में समर्थ बनाने की वकालत की। कई यूरोपियाई समाजवादियों ने भी एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव न होता हो। स्पष्टतः

इन सभी विचारों में सामाजिक न्याय के प्रति गहरा सरोकार था। इसके बावजूद मार्क्स ने इन सभी विचारों की आलोचना की और जोर दिया कि न्याय जैसी अवधारणा की आवश्यकता पूँजीवाद के भीतर ही होती है क्योंकि इस तरह की व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर कब्जा जमाये कुछ लोग बहुसंख्यक सर्वहारा का शोषण करते हैं। उन्होंने क्रांति के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य रखा जहाँ हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करने और अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजें हासिल करने की परिस्थितियाँ प्राप्त कर सकें। लेकिन बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में मार्क्सवाद और उदारतावाद का जो व्यावहारिक रूप सामने आया, वह उनके आश्वासनों जैसा न हो कर विकृत था। मार्क्सवाद से प्रेरित रूसी क्रांति के कुछ वर्षों बाद ही स्तालिनवाद की सर्वसत्तावादी संरचनाएँ उभरने लगीं। वहीं उदारतावाद और पूँजीवाद ने आंतरिक जटिलताओं के कारण दुनिया को दो विश्व–युद्धों, महामंदी, फाँसीवाद और नाजीवाद जैसी भीषणताओं में धकेल दिया। पूँजीवाद को संकट से उबारने के लिए पूँजीवादी देशों में क्लासिकल उदारतावादी सूत्र से लेकर कींस की नीतियों तक हर सम्भव उपाय अपनाने की कोशिश की गयी। इस पूरे संदर्भ में सामाजिक न्याय की बातें नेपथ्य में चली गयीं या सिर्फ इनका दिखावे के तौर पर प्रयोग किया गया। इसी दौर में उपनिवेशवाद के खिलाफ चलने वाले संघर्षों में मानव–मुक्ति और समाज के कमजोर तबकों के हकों आदि की बातें जोरदार तरीके से उठायी गयीं। खास तौर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सभी तबकों के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर गम्भीर बहस चली। इस बहस से ही समाज के वंचित तबकों के लिए संसद एवं नौकरियों में आरक्षण, अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था के अनुसार अधिकार देने और अपनी भाषा का संरक्षण करने जैसे प्रावधानों पर सहमति बनी। बाद में ये सहमतियाँ भारतीय संविधान का भाग बनीं।

इसी के साथ–साथ मानकीय उदारतावादी सिद्धांत में राज्य द्वारा समाज के कुछ तबकों की भलाई या कल्याण के लिए ज्यादा आय वाले लोगों पर टैक्स लगाने का मसला विवादास्पद बना रहा। कींस ने पूँजीवाद को मंदी से उबारने के लिए राज्य के हस्तक्षेप के जरिये रोजगार पैदा करने के प्रावधानों का सुझाव दिया, लेकिन फ्रेड्रिख वान हायक, मिल्टन फ्रीडमैन और बाद में रॉबर्ट नॉजिक जैसे विद्वानों ने आर्थिक गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप की आलोचना की। इन लोगों का मानना था कि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक आजादी को चोट पहुँचती है। ताकतवर दलीलें दीं, आखिर क्यों समाज के कमजोर तबकों की भलाई के लिए राज्य को सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए। अपनी थियरी में रॉल्स शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए वितरणमूलक न्याय के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। अपने न्याय के सिद्धांत में उन्होंने हर किसी को समान स्वतंत्रता के अधिकार की तरफदारी की। इसके साथ ही भेदमूलक सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सामाजिक और आर्थिक अंतरों को इस तरह समायोजित किया जाना चाहिए कि इससे सबसे वंचित तबके को सबसे ज्यादा फायदा हो।

बाद के वर्षों में रॉल्स के सिद्धांत की कई आलोचनाएँ भी सामने आयीं, जो दरअसल सामाजिक न्याय के संदर्भ में कई नये आयामों का प्रतिनिधित्व करती थीं। इस संदर्भ में समुदायवादियों और नारीवादियों द्वारा की गयी आलोचनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। समुदायवादियों ने सामान्य तौर पर उदारतावाद और विशेष रूप से रॉल्स के सिद्धांत की इसलिए आलोचना की कि इसमें व्यक्ति की अणुवादी संकल्पना को पेश किया गया है। रॉल्स जिस व्यक्ति की संकल्पना करते हैं वह अपने संदर्भ और समुदाय से पूरी तरह कटा हुआ है। बाद में, 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में, उदारतावादियों ने समुदायवादियों की आलोचनाओं को उदारतावाद के भीतर समायोजित करने की कोशिश की जिसके परिणामस्वरूप बहुसंस्कृतिवाद की संकल्पना सामने आयी। इसमें यह माना गया कि अल्पसंख्यक समूहों के

साथ वास्तविक रूप से तभी न्याय हो सकता है, जब उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़े विविध पहलुओं की हिफाजत करने और उन्हें सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी मिले। इसके लिए यह जरूरी है कि इनके सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी जाए। इस तरह सैद्धांतिक विमर्श के स्तर पर बहुसंस्कृतिवाद ने सामाजिक न्याय की अवधारणा में एक नया आयाम जोड़ा।

यहाँ उल्लेखनीय है कि साठ के दशक से ही पश्चिम में नारीवादी आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, गेलेस्बियन और ट्रांसजेंडर आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन आदि उभरने लगे थे। बाद के दशकों में इनका प्रसार ज्यादा बढ़ा और इन्होंने सैद्धांतिक विमर्श को भी गहराई प्रदान की। मसलन, नारीवादियों ने उदारतावाद और रॉल्सवादी रूपरेखा की आलोचना की। अपने विश्लेषण द्वारा उन्होंने पितृसत्ता को नारीवादियों के समान हक के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट के रूप में रेखांकित किया। इसी तरह, गेलेस्बियन और ट्रांसजेंडर लोगों ने समाज में 'सामान्य' या 'नार्मल' की वर्चस्वी रूपरेखा पर सवाल उठाया और अपने लिए समान स्थिति की माँग की। नागरिक अधिकार आंदोलनों द्वारा पश्चिम में, खास तौर पर अमेरिकी समाज में काले लोगों ने अपने लिए बराबरी की माँग की। मूल निवासियों ने भी अपने सांस्कृतिक अधिकारों की माँग करते हुए बहुत सारे आंदोलन किये हैं। बहुसंस्कृतिवादियों ने अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा में इन सभी पहलुओं को समेटने की कोशिश की है। इन सभी पहलुओं ने सामाजिक न्याय के अर्थ में कई नये आयाम जोड़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विविध समूहों के लिए सामाजिक न्याय का अलग–अलग अर्थ रहा है।

असल में विकासशील समाजों में पश्चिमी समाजों की तुलना में सामाजिक न्याय ज्यादा रैडिकल रूप में सामने आया है। मसलन, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों ने रंगभेद के खिलाफ और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी के लिए जोरदार संघर्ष किया। इस संघर्ष की प्रकृति अमेरिका में काले लोगों द्वारा चलाये गये संघर्ष से इस अर्थ में अलग थी कि दक्षिण अफ्रीकामें काले लोगों को ज्यादा दमनकारी स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। इस संदर्भ में भारत का उदाहरण भी उल्लेखनीय है। बहुसंस्कृतिवाद ने जिन सामुदायिक अधिकारों पर जोर दिया उनमें से कई अधिकार भारतीय संविधान में पहले से ही दर्ज हैं। लेकिन यहाँ सामाजिक न्याय वास्तविक राजनीति में संघर्ष का नारा बन कर उभरा। मसलन, भीमराव आम्बेडकर और उत्पीड़ित जातियों और समुदायों के कई नेता समाज के हाशिये पर पड़ी जातियों कोशिक्षित और संगठित होकर संघर्ष करते हुए अपने न्यायपूर्ण हक को हासिल करने की विरासत रच चुके थे। इसी तरह पचास और साठ के दशक में राममनोहर लोहिया जी ने इस बात पर जोर दिया कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और स्त्रियों को एकजुट होकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। लोहिया जी चाहते थे कि ये समूह एकजुट होकर सत्ता और नौकरियों में ऊँची जातियों के वर्चस्व को चुनौती दें। इस पृष्ठभूमि के साथ नब्बे के दशक के बाद सामाजिक न्याय भारतीय राजनीति का एक प्रमुख नारा बनता चला गया। इसके कारण अभी तक सत्ता से दूर रहे समूहों को सत्ता की राजनीति के केंद्र में आने का मौका मिला। गौरतलब है कि भारत में भी पर्यावरण के आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन ये लड़ाइयाँ स्थानीय समुदायों के अपने 'जल, जंगल और जमीन' के संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह विकासशील समाजों में अल्पसंख्यक समूह भी अपने खिलाफ पूर्वग्रहों से लड़ते हुए अपने लिए ज्यादा बेहतर सुविधाओं की माँग कर रहे हैं। इस अर्थ में सामाजिक न्याय का संघर्ष लोगों के अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा हुआ संघर्ष है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक न्याय के नारे ने विभिन्न समाजों में विभिन्न तबकों को अपने लिए गरिमामय जिंदगी की माँग करने और उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। सैद्धांतिक विमर्श में भी यूरोपियाई समाजवाद से लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक न्याय में

बहुत सारे आयाम जुड़ते गये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि विकसित समाजों की तुलना में विकासशील समाजों में सामाजिक न्याय का संघर्ष बहुत जटिलताओं से घिरा रहा है। अधिकांश मौकों पर इन समाजों में लोगों को सामाजिक न्याय के संघर्ष में बहुत ज्यादा संरचनात्मक हिंसा और कई मौकों पर राज्य की हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए चलने वाले संघर्षों के कारण इन समाजों में बुनियादी बदलाव हुए हैं। कुल मिला कर समय के साथ सामाजिक न्याय के सिद्धांतीकरण में कई नये आयाम जुड़े हैं और एक संकल्पना या नारे के रूप में इसने लम्बे समय तक खामोश या नेपथ्य में रहने वाले समूहों को भी अपने के लिए जागृत किया है।

सन्दर्भ सूची–

1. जॉन रॉल्स (1971), ए थियरी ऑफ जस्टिस, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन।
2. इलानोर जिलियट (1986), 'द सोशल एण्ड पॉलिटिकल थॉट ऑफ बी.आर. आम्बेडकर', थॉमस पैंथम और केनेथ एल. ड्युश्च (सम्पा.), पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इण्डिया, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
3. विल किमलिका (1996), मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप : ए लिबरल थियरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, क्लेरैंडन प्रेस, ऑक्सफर्ड।
4. विल किमलिका (2009), समकालीन राजनीति दर्शनः एक परिचय, (अनु. कमल नयन चौबे) पियर्सन, नयी दिल्ली।
5. त्रिपाठी, डॉ. प्रतिभा, व्यवहार भूमिका में मनोविज्ञान, के.एस.के. पब्लिकेशन।
6. त्रिपाठी, डॉ. प्रतिभा, शिक्षा और मनोविज्ञान, के.एस.के. पब्लिकेशन।
7. शर्मा, प्रो. बैजनाथ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एण्ड सोशियोलॉजी, राधा प्रकाशन मन्दिर।

किशोरों की सोशल मीडिया के उपयोग के बाद पुस्तकों से बढ़ती दुरी का एक अध्ययन

डॉ. रमेन्द्र कुमार सिह
स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग
महाराजा कालेज, आरा

प्रिती कुमार
शोध छात्रा, मनोविज्ञान विभाग
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

सारांश–

इस शोध का मूल उद्धेश्य किंशोरो द्वारा सोशल मिडिया के उपयोग के बाद किताबों से बढ़ती दूरी एवं उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन करना है। इसके लिए 15 से 20 वर्ष के 80 किशोरों का चयन आरा शहर से किया गया। शोध उपकरण के रूप में www.havefard.edu द्वारा बनाई गई का प्रयोग किया गया। अध्ययनों में यह पाया गया कि सोशल मिडिया तथा पुस्तक पढ़ने की रूचि के बीच ऋणत्मक सम्बन्ध हैं।

परिचय

सोशल मीडिया आज के हर गतिविधि से अपडेट रहने का एक बेहतरीन साधन है। लेकिन जिस तरह से विज्ञान वरदान है तो अभिषाप भी है। यह बात सोशल मीडिया पर भी लागु होता है। हमारे कहने का अर्थ यह नहीं है कि सोशल मीडिया का उपयोग नही करना चाहिए। जबकि सोशल मीडिया का उपयोग बेहद ही सावधानी के साथ करना चाहिए। क्योंकि इसकी लत भी शराब, अफिम जैसे नशे की लत के समान ही है।

पहले जब लोग खाली समय में होते थे तो वे अखबार या कोइ किताब पढ़ते थें। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया से ही टाइम कहाँ है जरूरी काम खत्म करके लोग सोशल मीडिया में व्यस्त हो जा रहे हैं कोई–कोई तो ऐसा है कि उसके लिए सोशल मीडिया पर Reels शेयर करना, मैसेज पढ़ना फोटो शेयर करना, दुसरे के मैसेज पर लाइक और कमेन्ट करना ही सबसे जरूरी कार्य है। 21 वीं सदी से पहले यात्रा करते वक्त ट्रेन या बस में लोग टाइम पास करने के लिए किताब पढ़ते थे। एक अखबार से ट्रेन का पुरा डब्बा अपडेट हो जाता था। अखबार का एक पन्ना एक व्यक्ति तो दुसरा किसी और व्यक्ति के पास होता था। ऐसा पुरा न्यूज सभी के पास पहुँच जाता था।

परन्तु आज के इस डिजिटल युग ने इतना प्रगती कर लिया है कि आज के ट्रेन या बस में सभी व्यक्ति अपने निजी स्मार्टफोन में सर झुकाऐ नजर आता है। ऐसा लगता है कि सभी का कुछ ना कुछ खो गया है। जो इन स्मार्ट फोन में ही मिल सकता है। और वो इतनी सजगता से ढूंढ़ने में व्यस्त है। जिन्हें आस–पास के लोगों से कोई मतलब ही नहीं दिखता है।

सोशल मीडिया का बढ़ते चलन का प्रभाव बच्चे एवं किशोरों पर ही नहीं है इसका उपयोग का भूत प्रोढ़ अवस्था में पहुँच चुके लोगों पर भी सिर चढ़ कर बोल रहा है।

परन्तु ऑनलाइन रहने का मतलब यह नहीं है कि सोशल मीडिया का ही उपयोग किया जा रहा है। आज के डिजिटल युग में अब किताबें भी ऑनलाइन है। 21वीं सदी में किताबों की एक सुन्दर दुनियाँ ऑनलाइन ई–बुक्स के रूप में मौजुद हैं। लगभग सभी किताबें एक क्लीक से मिल जाते हैं। पहले जिस किताबों को पढ़ने के लिए पैसे के साथ समय को भी खर्च करना पड़ता था वो अब कम पैसे में ऑडियों रूप में भी मौजुद है जिसे किसी कार्य के दौरान भी सुन सकते हैं। पहले लोग एक पुस्तक के लिए पुस्तक मेले का इंतजार कई महीनों तक करते थे। साथ ही एक किताब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी के भी कई भ्रमण करना पड़ता था परन्तु अब पुस्तक मेला एवं लाइब्रेरी के जनसंख्या में काफी कमी देखी जा रही है।

ई–बुक्स एक इलेक्ट्रानिक किताब है जिसे इन्टरनेट के माध्यम से कम्प्युटर, स्मार्टफोन, टेबलेट इत्यादी पर पढ़ा जा सकता है। ई–बुक्स भी समान्य बुक्स के तरह ही दिखता है। समान text तथा समान Image होता है।

ई–बुक्स काफी तेजी से हमारे पास पहुँच जाता है। बस पेमेंट करो और डाउनलोड करो बस पढ़ने के लिए तैयार है। कुछ बुक्स फ्री भी होता है। बस डाउनलोड करने की देरी है।

शोध का उद्देश्य–

1. किशोरों में सोशल मीडिया के उपयोग के बाद किताबों से बढ़ती दूरी का अध्ययन।
2. सोशल मीडिया के उपयोग का समय और नैतिकता पर मनोवैज्ञानिक अंतसम्बध अध्ययन।

शोध विधि–

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है आज के डिजिटल युग में किशोर वर्ग जिस तरह से सोशल मीडिया की तरफ रूझान देखा जा रहा है क्या उसके कारण किताबों से उनकी दूरी बनी है या नही या जो और ई–बुक्स के आ जाने के कारण किताबों के नजदिक हो गये है। इसके लिए 15 से 20 वर्ष के किशोरों से साक्षात्कार सह प्रश्नावली विधि के उपयोग कर प्रश्न पुछा गया है। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव के आधार पर इस तथ्य से सम्बंधी प्रश्न का जवाब दिया जिसे वो प्रतिदिन करते आये हों।

प्रतिदर्श

इस अध्ययन में 15 से 20 वर्ष के 80 ऐसे किशोर सामिल हुए है। जो इंटरनेट के उपयोग काफी समय से कर रहें है।

प्रतिदर्श चयन के लिए हिमकंदुक प्रतिदर्शन (Non Probability Sampling) का प्रकार है।

शोध उपकरण

1. स्वनिर्मित प्रश्नावली इसमें इन्टरनेट एवं पुस्तकों से सम्बंधी प्रश्न पुछे गये है।
2. www.haverfard.edu द्वारा बनाई गई इन्टरनेट के उपयोग सम्बंधित प्रश्नावली का भी उपयोग किया गया है।

शोध के परिणाम एवं विवेचना

इस शोध में प्रश्नावली को प्रतिदर्श के सोशल मिडिया के ही ग्रुप में एवं कुछ को व्यक्तिगत तौर पर भेजा गया एवं उन से आगे इस प्रश्नावली को प्रेषित करने का भी अनुरोध किया गया। इस प्रश्नावली से प्राप्त परिणाम के आधार पर कुल 80 प्रतिभागियों ने अपना जवाब ऑनलाइन सर्वे वेबसाइट गुगल फॉर्म के माध्यम से प्राप्त हुआ जो कुछ मुख्य प्रश्न इस प्रकार है।

प्रश्न संख्या– 1 आप कौन–कौन सी सोशल मीडिया का उपयोग करते है?

उत्तरदाता कि संख्या – 80.

- फेसबुक – 79 – 98.75 प्रतिशत
- टिवटर – 32 – 40.00 प्रतिशत
- ब्लॉग – 12 – 15.00 प्रतिशत
- इन्स्टाग्राम – 60 – 75.00 प्रतिशत
- वाट्सप – 80 – 100.00 प्रतिशत
- ई–बुक्स– 12 – 15.00 प्रतिशत
- यूट्यूब – 80 – 100.00 प्रतिशत
- लिक्डइन – 02 – 02.50 प्रतिशत
- स्नैपचैट – 40 – 50.00 प्रतिशत
- स्काइप – 42 – 52.50 प्रतिशत
- अन्य – 02 – 02.50 प्रतिशत

प्रश्न संख्या–2. आप कितने देर ऑन लाइन रहते हैं?

उत्तरदाता की संख्या – 80

- 8 घंटे – 12 – 15.00 प्रतिशत
- 4 घंटे – 09 – 11.25 प्रतिशत
- 2 घंटे – 25 – 31.25 प्रतिशत
- 1 घंटे – 19 – 23.75 प्रतिशत
- $^1/_2$ घंटे – 15 – 18.75 प्रतिशत

प्रश्न संख्या– 3. क्या आप ऑनलाइन रहते हैं तो सोशल मीडिया चलाते हैं या फिर किताबें पढ़ते हैं या कोई जानकारी युक्त वेबसाइट भी पढ़ते हैं?

उत्तरदाता की संख्या – 80

- सिर्फ सोशल मीडिया चलाते हैं। – 46 – 57.50 प्रतिशत
- ई– पुस्तक पढ़ते हैं। – 10 – 10.00 प्रतिशत
- जानकारी युक्त वेबसाइट देखते हैं। – 09 – 11.25 प्रतिशत
- तीनों कार्य करते हैं। – 13 – 16.25 प्रतिशत
- अन्य कार्य करते हैं। – 04 – 05.00 प्रतिशत

प्रश्न संख्या– 4. सोशल मीडिया के उपयोग से पहले क्या अपने सिलेबस को छोड़ कर कोई कहानी/शिक्षा प्रद किताब पढ़ते हैं?
उत्तरदाता की संख्या – 80

- हाँ अक्सर पढ़ते थे – 42 – 52.50 प्रतिशत
- कभी–कभी – 34 – 42.50 प्रतिशत
- नहीं – 04 – 05.00 प्रतिशत

प्रश्न संख्या– 5. सोशल मीडिया के उपयोग के बाद भी क्या आप अपने सिलेबस को छोड़ कर कोई कहानी या शिक्षा प्रद किताबें पढ़ते हैं?
उत्तरदाता की संख्या – 80

- हाँ अक्सर पढ़ते हैं – 30 – 37.50 प्रतिशत
- कभी–कभी – 12 – 15.00 प्रतिशत
- नहीं – 38 – 47.50 प्रतिशत

प्रश्न संख्या– 6. अगर आप सोशल मीडिया क उपयोग के बाद भी पुस्तक पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं?
उत्तरदाता की संख्या – 42

- ऑनलाइन (ई–बुक्स) – 23 – 54.76 प्रतिशत
- ऑफलाइन (प्रिन्टेड) – 19 – 45.23 प्रतिशत

प्रश्न संख्या– 7. क्या सोशल मीडिया से किशोरों के जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है?
उत्तरदाता की संख्या – 80

- हाँ – 41 – 51.25 प्रतिशत
- नहीं – 04 – 05.00 प्रतिशत
- थोड़ा बहुत – 22 – 27.50 प्रतिशत
- कुछ कह नहीं सकते – 13 – 16.25 प्रतिशत

प्रश्न संख्या– 8. क्या सोशल मीडिया के उपयोग के बाद आपको समय (Time) के बारे में क्या सोचते है?
उत्तरदाता की संख्या – 80

- जल्द खत्म हो जाता है – 17 – 21.25 प्रतिशत
- काफी समय बच जाता है। – 08 – 10.00 प्रतिशत
- कोई अंतर नहीं है। – 20 – 25.00 प्रतिशत
- अन्य काम के लिए कम पड़ जाता है। – 15 – 18.75 प्रतिशत

- ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के उपयोग में अधिक समय बर्बाद हो रहा है। – 18 – 22.50 प्रतिशत
- समय का सही उपयोग हो रहा है। – 02 – 02.50 प्रतिशत

प्रश्न संख्या– 9. सोशल मीडिया पर अनैतिक एवं अश्लिल मैसेज, विडियो एवं फोटोज आ जाता है तो आप को कैसा महसुस होता है?

उत्तरदाता की संख्या – 80

- कोई बात नहीं देख लेते हैं – 14 – 17.50 प्रतिशत
- अच्छा नहीं लगता है पर देख लेते हैं – 21 – 26.25 प्रतिशत
- अच्छा नहीं लगता skip करते हैं – 22 – 27.50 प्रतिशत
- डिलिट कर देते हैं – 05 – 06.25 प्रतिशत
- वैसे मैसेज करने वाले को Block कर देते है – 18 – 22.50 प्रतिशत

प्रश्न संख्या– 10. ई–बुक्स के उपयोग के बाद किताब पढ़ना कैसा है?

उत्तरदाता की संख्या – 80

- पहले से आसान – 63 – 78.75 प्रतिशत
- कोई प्रभाव नहीं – 00 – 00.00 प्रतिशत
- पहले से मुसकील – 00 – 00.00 प्रतिशत
- ऑनलाइन पढ़ने में परेशानी – 08 – 10.00 प्रतिशत
- प्रिंटेड किताबें ही ज्यादा अच्छा है – 09 – 11.25 प्रतिशत

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ऑनलाइन रहने वाले 100 प्रतिशत किशोर यूट्यूब एवं वाट्सप का उपयोग करते हैं। 98.75 प्रतिशत किशोर फेसबुक का उपयोग करते हैं एवं अन्य सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले की संख्या भी कम नहीं है। मात्र 15 प्रतिशत किशोर ई–बुक्स पढ़ते है। इस से यह पता चलता है कि ऑनलाइन रहने वाले किशोरों में अधिकांश किशोर अपना समय सोशल मिडिया पर बिताते हैं।

ऑनलाइन रहने वाले 10 प्रतिशत ही सिर्फ किताब पढ़ने के लिए ऑनलाइन रहते हैं। जबकी 57.50 प्रतिशत किशोर सिर्फ सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।

सोशल मीडिया के उपयोग से पहले 52.50 प्रतिशत किशोर गैर सिलेबस कहानियों या शिक्षाप्रद पुस्तक अक्सर पढ़ते थे और 42.50 प्रतिशत किशोर कभी–कभी पढ़ते थे।

लेकिन सोशल मीडिया के उपयोग के बाद 37.50 प्रतिशत ही अक्सर किताब पढ़ने वाले किशोरों की संख्या पाई गई जबकी कभी–कभी किताब पढ़ने वाले की संख्या घटकर 15 प्रतिशत ही रह गई।

उपरोक्त आकड़े के अनुसार हम कह सकते है कि सोशल मीडिया के उपयोग के बाद किताब पढ़ने वाले किशोरों में कभी देखी गई। लेकिन जो किशोर किताब पढ़ते थे उनमें से 78.75 प्रतिशत किशोरों ने बताया कि ई–बुक्स के आने से उनका पढ़ना आसान हो गया है।

प्रश्नों के आधार पर किशोर न चाहते हुए भी सोशल मीडिया में समय को बिता रहे है। क्योंकि 22. 50 प्रतिशत को लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है। 21.25 प्रतिशत किशोरों को लगता है कि समय कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। 18.75 प्रतिशत को लगता है कि समय जल्द खत्म हो जाता है।

अर्थात मनोवैज्ञानिक अंत सम्बध के अनुसार 62.50 प्रतिशत किशोरों को समय सम्बंधित परेशानीयों का सामना करना पड़ता है।

अश्लिल एवं अनैतिक मैसेज से काफी किशोर असहज महसूस करते हैं। 17.50 प्रतिशत किशोर वैसे मैसेज एवं विडियो को ऐसे ही आराम से देखते हैं। 26.25 प्रतिशत को बुरा तो लगता पर देखते है।

अर्थात 43.75 प्रतिशत किशोर अनैतिकता को कही–ना–कहीं सुन एवं सीख रहे हैं।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि किशोर सोशल मीडिया के कारण किताबों से दूर तो हुए लेकिन किताब पढ़ने वाले के लिए ई–बुक्स किसी वरदान से कम नहीं है।

सुझाव– समय एवं धन के अभाव में यह शोध कार्य होता है। एक अच्छे परिणाम के लिए इसे बड़े स्तर पर करना होगा। जिसमें प्रतिदर्श कि संख्या ज्यादा हो।

संदभ ग्रंथ सूची

- प्रोद्योगिकी ने प्रभावित किया पढ़ने की आदत लेखक– कर्नाड, गिरीश।
- सोशल मीडिया किशोर और पढ़ने के बीच की दूरी
  लेखक– एवामारिनी, स्टाफ राइटर।
- http://socialmediainpolitics.blogspot.in/
- Victoria University
  http://www.vu.edu.au>study-space
- http://csic.georgetown.deu>social.media
- http://socialnetworking.procor.org
- http://www.ijsrp.org>socialmedia

पंचायती राज अधिनियम का ग्रामीण अनुसूचित महिलाओं पर प्रभाव

शोध छात्रा
माधुरी यादव
जे0आर0एफ0
समाजशास्त्र

शोध निर्देशक
प्रो0 रवीन्द्र नाथ मिश्र
स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग
मर्यादा पुरूषोत्तम पी0जी0 कालेज,
भुड़सुरी, रतनपुरा, मऊ, उ0प्र0

सारांश

पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण है इस अधिनियम का महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देकर उनको समाज में पुरूषों के समान अधिकार दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका है जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को यह विशेष आरक्षण देता है ताकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को भी समाज की अन्य महिलाओं के समान सामाजिक अधिकार प्राप्त हो सके, उक्त अध्ययन का मूल उद्देश्य पंचायती राज अधिनियम का ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है का अध्ययन करना है।

शब्द कुंजी– पंचायती राज अधिनियम, ग्रामीण अनुसूचित जाति, महिलायें, सत्ता का विकेन्द्रीकरण, जनतंत्र।

प्राचीन काल से ही गांवों में पंचायत का अस्तित्व किसी न किसी रूप में देखने को मिलता रहा है। यदि हम महाभारत के समय देखे तो पंचायतों की शक्ति इतनी अधिक थी की इनके कार्यो में राजा को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। महाभारत के पंचायत को गण या सभा कहा जाता था। चाणक्य के

अर्थशास्त्र में भी ग्राम के प्रमुख (मुखिया) को ग्रामिक कहा गया है। मौर्य काल में चाणक्य ने प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा का निमार्ण करवाया था और यह ग्राम सभा गांव के प्रत्येक मामले में अपना हस्तक्षेप करती थी यहां तक की लोगों को दण्ड देना व आर्थिक व्यवस्था का संचालन भी इसी के हाथ में था। ग्राम पंचायत के सदस्य गांव के ही जनता के द्वारा निर्वाचित किये जाते थे और पंचायत का सम्मान सर्वोपरि होता था पंचायतों का मुख्य कार्य भूमि वितरण, करों की वसूली, दण्ड देना व सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखना पंचायतों का मुख्य कार्य था तथा विपत्ति के समय यह पंचायत ही ग्रामीणों को सुरक्षा भी प्रदान करती थी। मुखिया या पंचायत का प्रधान एक न्याय प्रिय शासक के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार भारतीय ग्रामीण समाज में पंचायत ग्रामीण स्वायत्तशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई थी और इसका संगठन पूर्णतया प्रजातांत्रिक आधार पर होता था।[1]

पंचायत जिसे सामान्यतः ग्रामीण सरकार भी कहा जाता है यहां तक सर चार्ल्स मेटकॉफ ने तो ''गांवों को लघु गणराज्य'' की संज्ञा दी है सर चार्ल्स मेटकाफ ने ग्रामीण समाज के सम्बन्ध में यह लिखा है कि ''जहां कुछ भी नहीं टिकता वहां ग्रामीण समाज टिका रहता है। पंचायती राज को सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धजीवी और सरकारी कर्मचारी अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित करते है जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था केवल सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है राजनेताओं का मत है कि पंचायती राज गांवों तक जनतंत्र का विस्तार है किन्तु गांधीवादी कार्यकर्ता और कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि शक्ति के विकेन्द्रीकरण के साथ आर्थिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।[2]

पंचायती राज व्यवस्था जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक अच्छा उदाहरण है जिसका जनपद, विकासखण्ड और ग्राम स्तर पर अभ्यास किया जाता है यह योजना जनतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा राजनैतिक शक्ति के अधिकतम विकेन्द्रीकरण किये जाने का एक प्रयास है। इस प्रकार हम देखते है कि पंचायती राज राजनीतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर आमलोगों की जनतांत्रिक प्रणाली का अभ्यास करने का अवसर उपलब्ध कराता है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानीय लोगों को उनके स्वयं के मामले (झगड़े) निबटाने की क्षमता प्रदान करता है तथा सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से ग्राम स्तर पर युवा नेतृत्व को जन्म देने व विकास की दिशा में अग्रसर होने के अवसर प्रदान करता है।[3]

दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि पंचायती राज व्यवहारिक दृष्टि से जनतांत्रिक शासन प्रणाली में लोगों को भागीदार बनाने का एक सशक्त प्रयास है जहां वे अपने विभिन्न समस्याओं और कार्यो का स्वयं समाधान कर लेते है जनतंत्र पद्धति में प्रत्येक पुरूष अथवा महिला से यह आशा की जाती है कि वह अधिकारों के प्रति सजक रहते हुये अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का भली–भांति अनुभव करते रहे, पंचायती राज का यही आशय है।

पंचायती राज संस्थाएं जनतंत्र की प्राथमिक इकाई के रूप में कार्य करती हैं एक सच्चे जनतंत्र में सरकार की भावना अपने से निचले स्तर की इकाइयों को अधिकतम शक्ति के विकेन्द्रीकरण की होती है जिससे अत्यधिक लोग प्रशासन में भाग लेकर प्रभावी भूमिका निभा सके। यही जनतंत्र की सफलता की कुंजी है। इस प्रकार पंचायती राज स्थानीय समस्याओं को स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं समाधान प्रस्तुत कर सामाजिक कार्यो में व्यक्ति का भागीदारी का अवसर देते हुए राजनैतिक दृष्टि से नागरिकता की शिक्षा सुलभ कराता है।

पंचायती राज जनतंत्र की प्रथम पाठशाला है और जनतंत्र मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। कोई भी जनतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक निचले स्तर पर जनतांत्रिक मान्यताएं एवं मूल शक्तिशाली न हो। जनतंत्र व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जनता के दरवाजे तक लाता है। इस व्यवस्था में स्थानीय लोगों की स्थानीय शासन कार्यो में रूचि बनी रहती है क्योंकि वे अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर कर सकते है इस प्रकार पंचायती राज संस्थायें स्थानीय जनता के शासन कार्य में भागीदार एवं हिस्सेदार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करके ये स्थानीय जनप्रतिनिधि ही कालांतर में विधानसभा एवं संसद का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते है इस प्रकार पंचायती राज संस्थाएं की राष्ट्र को नेतृत्वकर्ता उपलब्ध कराने में भी अहम भूमिका निभाती है। किसी भी राष्ट्र में जनतंत्र का विकास तभी सम्भव है जब नीचे से उपर तक के शासन में जन सामान्य को समान भागीदारी हो और यह भागीदारी ही जनतंत्र का मापदण्ड निश्चित करती है।

इस प्रकार पंचायती राज ग्रामीण लोगों को उनके समग्र विकास करने में समुचित सहायता समर्थन, मार्गदर्शन एवं आवश्यक शक्तियों से युक्त करते हुए उनमें स्वयं प्रारम्भिकता की प्रेरणा एवं जागरूकता उत्पन्न करने की एक विधि है। पंचायती राज केवल एक प्रयोग ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के आधार पर एक सुंदर पद्धति है। जिसे शनैः–शनैः जीवन से सम्बद्ध किया जाना है जब तक हम पंचायती राज को उपर से लादे गये प्रयोग के रूप से जानते रहेगें तबतक वांछित उपलब्धि सम्भव नहीं है पंचायती राज का संस्थागत स्वरूप चाहे कुछ भी हो किन्तु भारतीय जीवन में इसे सुंदर मार्ग के रूप में विकसित होना है।

भारत में पंचायती राज–

शाब्दिक दृष्टि से पंचायती राज शब्द हिन्दी भाषा के दो शब्दों 'पंचायत' और 'राज' से मिलकर बना है। जिसका संयुक्त अर्थ होता है ''पांच जनप्रतिनिधियों का शासन'' किन्तु पंचायती राज की अवधारणा के सम्बन्ध में राजनीतिक विज्ञान तथा लोक प्रशासन के विचारकों में सांमजस्य नहीं है। आज पंचायती राज की विभिन्न अवधारणायें हैं जो राजनीतिक, नौकरशाही तथा सामाजिकता से सम्बद्ध है। कुछ राज्यों में पंचायती राज की अवधारणा का अभिप्राय सामुदायिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में लिया जाता है। पंचायती राज की दूसरी अवधारणा यह है कि पंचायती राज ग्रामों तक राजनीतिज्ञों के बीच अनुकूलता स्थापित करने के लिए जनतंत्र का विस्तार है। पंचायती राज की तीसरी अवधारणा यह भी है कि नौकरशाही पंचायती राज को स्थानीय स्तर तक प्रशासन का विस्तार मानती है। पंचायती राज की एक अन्य अवधारणा जो गांधीवादियों से सम्बन्धित है कि राजनैतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण आर्थिक शक्तियों तथा सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण के साथ ही होना चाहिए।[4]

भारत में पंचायती राज की अवधारणा नवीन नहीं है यहां प्राचीन संस्थाओं से सम्बन्धित अवधारणा को ही परिवर्तित स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। भारत के प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थों में भी पंचायत अथवा ''पंचायती'' शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। उनके अनुसार ''पंचायत'' शब्द संस्कृत भाषा के ''पंचायतम'' शब्द से बना हुआ है। संस्कृत भाषा के ग्रन्थों के अनुसार किसी आध्यात्मिक पुरूष सहित पांच पुरूषों के समूह अथवा वर्ग को पंचायतन के नाम से सम्बोधित किया जाता था और धीरे–धीरे पंचायतन की इस अवधारणा में परिवर्तन होता गया और वर्तमान में पंचायत का अभिप्राय इस प्रकार की निर्धारित सभा से है जिसकी सदस्य संख्या प्रधान सहित पांच होती है और जो स्थानीय स्तर के विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

गांधी जी ने भी पंचायत शब्द की व्याख्या में लिखा है कि पंचायत शब्द का शाब्दिक अर्थ ग्रामवासियों द्वारा चयनित पांच जन प्रतिनिधियों से है और यह वह पद्धति थी जिसके द्वारा भारत के असंख्य ग्राम, लोक, राज्यों का शासन चलता था। इस प्रकार पंचायत का वास्तविक अर्थ गांवों की देखभाल करने के लिए गांवों के चुने हुये पांच वयोवृद्धों की सभा से है। पंचायत के मुखिया को 'सरपंच' और इसके सदस्यों को 'पंच' कहा जाता हैं।

पंचायती राज का इतिहास–

भारत में पंचायती राज की पृष्ठभूमि अतिप्राचीन रही है। यद्यपि उसका स्वरूप पृथक–पृथक रहा है। वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय प्रशासन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। इस व्यवस्था का उद्भव कब हुआ तथा इसका तत्कालीन स्वरूप क्या था यह कहना काफी कठिन है यह अनुभव किया जा सकता है कि जब मानव समाज का उदय हुआ। उसी समय से पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव हुआ होगा। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास की कहानी को सुविधा ढंग से समझने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित चार चरणों में विभक्त कर सरलतापूर्वक समझा जा सकता है।

1. प्राचीनकाल में पंचायती राज
2. मध्यकाल में पंचायती राज
3. ब्रिटिश काल में पंचायती राज
4. स्वतंत्रा के पश्चात् पंचायती राज

प्राचीन काल में पंचायती राज–

गांवों के उदाहरण भारतीय सभ्यता के प्रारम्भिक इतिहास में देखने को मिलते है और उनमें किसी न किसी प्रकार का शासन व्यवस्था पाया जाता था, ये गांव सामाजिक और आर्थिक जीवन की आधारभूत इकाईयां थी गांवों के ये प्रशासक निर्वाचित नहीं होते थे, किन्तु अन्य लोगों से अधिक शक्ति इनके पास हुआ करता था, और गांव में इन्हें सम्मान भी प्राप्त था। गांव के स्थानीय मामलों का संचालन एक खुली बैठक में किया जाता था। इसका प्रमाण हमें वैदिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है वैदिक ग्रन्थों में सभा व समितियां जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के वर्णन से मिलता है ये सभा व समितियां प्रशासन के क्षेत्र में अपने स्वामी को सहयोग प्रदान करती थी।[5]

इसके अतिरिक्त स्मृति की पुस्तकों में भी सभा व समितियों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत राजा के लिए विभिन्न सामाजिक परम्पराओं का पालन करना अनिवार्य होता था। मनुस्मृति के अनुसार ग्रामीण शासन के लिए जो कर्मचारी उत्तरदायी होता था उसे ग्रामीक नाम से जाना जाता था इस पदाधिकारी का प्रमुख कार्य ग्रामवासियों से कर एकत्रित करना था।

मौर्य काल की यदि बात करते है तो वहां भी ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था और वह ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था किन्तु यह वेतन भोगी कर्मचारी नहीं था, गुप्तकालीन व्यवस्था में भी ग्राम पंचायतों का विशेष महत्व था जबकि गुप्तकाल में राजतंत्र विद्यमान था।

किन्तु शासन का विकेन्द्रीकरण विभिन्न स्तरों पर किया गया था, ग्राम की सुरक्षा, शान्ति व मर्यादा के लिए ग्रामिक ही उत्तरदायी होता था इस कार्य के लिए उसकी मदद पांच सदस्यों की समिति किया करती थी। इस प्रकार भारत में पंचायती राज व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है यह प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में विद्यमान रहा है। पंचायत के पांचों सदस्यों को पंच परमेश्वर अर्थात् ईश्वर की संज्ञा दी गयी है, पंचायतों का फैसला ईश्वर के फैसले के बराबर हुआ करता था।[6]

मध्यकाल में पंचायती राज–

मध्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था में कोई आमूल–चूल परिवर्तन नहीं हुआ और ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था पूर्व की भांति चलता रहा इसका मूल कारण था मुस्लिम शासकों द्वारा एक अत्यधिक केन्द्रित स्थानीय शासन व्यवस्था की स्थापना। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि बिना केन्द्रित शासन के इतने बड़े देश पर शासन करना अत्यधिक कठिन होगा इसके फलस्वरूप उन्होंने विकेन्द्रीकरण को स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि इस काल में स्थानीय शासन का विकास नहीं हुआ और इस काल में स्थानीय प्रशासन की इकाईयां अपने पुरातन रूप में विद्यमान रह गयी।[7]

ब्रिटिश काल में पंचायती राज–

ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया। लार्ड रिपन प्रथम वायसराय थे जिन्होंने ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पर अपना ध्यान केन्द्रित किया जिसके फलस्वरूप नार्थवेस्टर्न– प्राविन्सेज एक्ट– 4 1883 पारित किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद की स्थापना किया जाना था और प्रत्येक जनपद को दो उपजनपदों में विभाजित किया जाना था और उप जनपदों में एक स्थानीय परिषद की स्थापना की जानी थी। लेकिन उनकी यह व्यवस्था असफल सिद्ध होने लगी। और इसकी असफलता को जांच करने के लिए शाही 'विकेन्द्रीकरण आयोग' की नियुक्ति की गयी इस शाही आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया कि ग्रामीण प्रशासन का विकास एवं प्रबंधन के लिए पंचायती राज की स्थापना की जाय।[8]

स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज–

वैसे यदि हम स्वतंत्रता के बाद संविधान में पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था को कोई स्थान नहीं दिया गया जिसके फलस्वरूप तत्कालीन राजनीतिज्ञों द्वारा उनकी कटू आलोचना हुई।

जबकि हमारा देश गांवों का देश है और इसमें लगभग सात लाख गांव है और गांव प्रशासन का सबसे लघु इकाई है। जबकि स्वतंत्र देश का संविधान स्थानीय स्वायत्त शासन पर निर्भर होना चाहिए।

19 नवम्बर 1948 को संविधान सभा में राज्य के नीति–निदेशक तत्वों पर विचार विमर्श के समय संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित एक नया अनुच्छेद रखने का प्रयास किया गया, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया यह नवीन अनुच्छेद संविधान का 40वां अनुच्छेद था, जिसमें व्यवस्था थी कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठायेगा। तथा इनको इतनी शक्ति एवं अधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त सरकार की इकाईयों के रूप में कार्य करने में योग्य बना सके।[9]

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाओं को जनतंत्र की प्राथमिक इकाई कहा जाता है क्योंकि पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण है और यदि हम भारत देश की बात करें तो यहां पंचायती राज व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है यहां प्राचीन काल से ही ''सभा व समितियाँ'' इनके माध्यम से ग्रामीण समस्याओं का निस्तारण व प्रशासन किया जाता था भारत में मध्यकाल एक ऐसा काल था जिसमें पंचायतों का विकास नहीं हुआ क्योंकि इस काल में सत्ता का एकीकरण था और ब्रिटिश काल में भी लार्ड रिपन ने सर्वप्रथम पंचायतों के ऊपर ध्यान दिया और उनको बढ़ावा दिया तथा स्वतंत्र भारत में भी पंचायतों के विकास पर काफी ध्यान दिया गया और संविधान के 73वें संशोधन में इसे स्थान दिया गया जिसे लोकतंत्र की प्रथम इकाई कहा गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. Naan Iqbal the concept of Panchaitiray and Institutional Implication in India Asian survey Vol. 1965, pp. 456
2. Elphinstions History of India, Londan, John Murray 1905, P. 68
3. शिव कुमार अग्रवाल, पंचायत राज का अर्थ समाज सेवा, अप्रैल 1971 पंचायत एवं समाज सेवा विभाग, म०प्र०, भोपाल, पृ० 71
4. H. Khan Government in rural India Asia publishing House Bombey 1969, P. 31
5. H.I. Khan, Government in Rural India, Asia Publishing house, Bombay, 1969, P 31.
6. बी0एस0 शर्मा, लोकतंत्र के उन्नयन में पंचायती राज की भूमिका योजना नई दिल्ली मई, 1997, पेज– 16
7. Govt of India "The punchayat's The publication Division Govt of India 1956, p.04
8. H.D. Malviya, Village punchayats in India delhi 1956, P.43
9. भारत सरकार, दि थ्री बेसिक इन्स्टीमिनिस्ट्री ऑफ सी0डी0 एण्ड सी0 गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया प्रेस, फरीदाबाद 1959

उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राओं में आधुनिकता

(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

कविता चौबे
शोध छात्रा (समाजशास्त्र)
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर

सारांश

भारतीय समाज के संदर्भ में आधुनिकीकरण परम्परागत जीवन तरीकों में आधुनिक तत्वों के सम्मिलित होने की एक प्रक्रिया है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की अनुसूचित जाति की उच्च शिक्षारत छात्राओं में आधुनिकताा के प्रति उनके विचारों को जानने का प्रयास प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है। अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में स्थित विभिन्न महाविद्यालयों का चयन किया गया है। चयनित महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की 300 छात्राओं का चयन निदर्श के रूप में किया गया है।

प्रमुख शब्द– अनुसूचित जाति, आधुनिकता, आधुनिक वस्तुएँ, भौतिक साज–सज, कार्यकुशलता।

आधुनिकता समाज के बहुमुखी विकास तथा सर्वांगीण परिवर्तन का नाम है, क्योंकि इसका मूल कारण नवीन ज्ञान का विकास है और जब मनुष्य के ज्ञान तथा जानकारी में वृद्धि होती है तो वह उसका

प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक समस्या को सुलझाने में करता है। आधुनिकता एक नवीन मानसिक स्थिति का दूसरा नाम है। जब कोई व्यक्ति, समूह या समाज अपनी स्थिति या समस्या को तर्कसंगत आधार पर समझने की चेष्टा करता है तो ऐसी मानसिक क्रियाशीलता को आधुनिकता का प्रतीक माना जा सकता है, अर्थात् आधुनिकता को एक ऐसा दर्शन कहा जा सकता है जो किसी प्रकार की पूर्व कल्पनाएँ नहीं बनाता। एक अन्य विचारक ने भी अपने अध्ययन में लिखा है कि आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का परिणाम औद्योगीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन, धन तथा सामग्री का बड़े पैमाने में संगठन, मशीनीकरण तथा नगरीकरण संभव होता है। राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण की अभिव्यक्ति एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रात्मक कल्याण, राज्य के रूप में होती है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार इत्यादि के सम्बन्ध में अपने विस्तृत उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है और कानून के सामने सबको समान मानते हुए सबके लिए न्याय उपलब्ध करवाता है। सामाजिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण प्रदत्त प्रास्थिति (Ascribed Status) की तुलना में (Achived Status) पर अधिक बल देता है और सभी के लिए विवाह, पेशा, परिवार तथा धर्म के मामले में समान अवसरों को उपलब्ध करवाता है तथा अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।

वैयक्तिक स्तर पर आधुनिकीकरण भाग्य पर भरोसा करने के विचार को त्यागने तथा अपने परिश्रम व प्रयासों पर विश्वास रखने पर बल देता है जिससे समाज का प्रत्येक सदस्य सामाजिक परिवर्तन व प्रगति की दिशा में अपना सक्रिय योगदान कर सके।

अतः स्पष्ट है कि आधुनिकता एक बहुआयामी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो समाज के सदस्यों के संपूर्ण जीवन को एक नया स्वरूप व अर्थ प्रदान करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राओं की दृष्टि से आधुनिकता क्या है।
2. यह जानने का प्रयास करना कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राएँ आधुनिकता को किस रूप में देखती हैं।
3. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राएँ किस स्तर तक आधुनिक हैं।
4. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राओं के जीवन में क्रियाशील आधुनिकता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना।

प्राक्कल्पनाएँ

1. भाग्य में विश्वास को परम्परावादी दृष्टिकोण मानने के बिंदु पर उच्च मध्यम एवं निम्न आर्थिक स्थिति की अनुसूचित जाति की छात्राओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. नवीनता में आधुनिकता समझने के प्रश्न पर कलात्मक, वैज्ञानिक और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं की प्रक्रिया में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
3. विशिष्ट अध्ययन को आधुनिक समझने के बिन्दु पर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की अनुसूचित जाति की छात्राओं के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन उ. प्र. के वाराणसी जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के उच्च शिक्षारत केन्द्रों के रूप में स्थापित महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति की छात्राओं पर आधारित है। वाराणसी जनपद के तीन महाविद्यालय क्रमशः डॉ. घनश्याम सिंह पी. जी. कॉलेज सोयेपुर–वाराणसी, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रभुनारायण सिंह पी. जी. कॉलेज चोलापुर–वाराणसी तथा पं. रामप्रवेश चौबे महाविद्यालय कुरौली नियार–वाराणसी का चयन इस आशय से किया गया है कि एक महाविद्यालय नगर की सीमा के समीप एवं दो नगर से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है।

निदर्श

प्रस्तुत अध्ययन के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में स्थित तीन महाविद्यालयों में उच्च शिक्षारत अनुसूचित जाति की छात्राओं का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। कुल 300 उत्तरदात्रियों के लिए प्रत्येक महाविद्यालय से 100–100 छात्राओं का चयन किया गया है।

तथ्य संकलन की प्रविधि

प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रमुख रूप से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा किया गया है।

सारणी संख्या 1

आधुनिकता के प्रतीक के रूप में भौतिक साज–सज्जा

क्र.सं.	प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशतता
1.	हाँ	245	81.6
2.	नहीं	55	18.3
योग		**300**	**99.9**

सारणी संख्या 1 के आंकड़ों के अवलोकन से यह पता चलता है कि हमारे संपूर्ण निदर्श की 81.6 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ आधुनिकता के प्रतीक के रूप में भौतिक साज–सज्जा को स्वीकार करती हैं। 18.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। अतः स्पष्ट है कि उच्च शिक्षारत छात्राएँ भौतिक साज–सज्जा को आधुनिकता का प्रतीक मानती हैं।

भारतीय समाज के लोग घर की भौतिक साज–सज्जा के प्रति अब धीरे–धीरे आकर्षित हो रहे हैं। अब हमारे समाज में भौतिक साज–सज्जा का महत्व दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आधुनिकता के एक उपकरण के रूप में भौतिक सुख–सुविधाओं का उपयोग, प्रदर्शन और संरक्षण जैसी प्रवृत्तियों की मात्रा बढ़ती जा रही है और लोग इसे सामाजिक प्रस्थिति का प्रतीक भी मानते हैं। भौतिक साज–सज्जा आधुनिकता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आज के इस आधुनिक परिवेश में भौतिक साज–सज्जा भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता बन गयी है। जिनके पास भौतिक सुख–सुविधाओं का अभाव है उन्हें समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ा समझा जाता है। हमारे समाज में शिक्षितों का एक ऐसा वर्ग भी उभर रहा है जो अपनी मध्यम अथवा उच्च आय प्रस्थिति के कारण भौतिकता की और गृह सजावट की वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हमारे संपूर्ण निदर्श के अधिसंख्यक (81.6) उत्तरदात्रियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि निःसंदेह आज के इस आधुनिक परिवेश में व्यक्ति और उसके परिवार का मूल्यांकन घर पर उपलब्ध भौतिक सुविधाओं के आधार पर ही किये जाने की प्रवृत्ति हो गयी है और इसे व्यक्ति तथा उसके परिवार की सामाजिक हैसियत का प्रतीक माना जाता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण निदर्श की अधिकांश उत्तरदात्रियाँ इस तथ्य को स्वीकार करती हैं कि भौतिकता प्रस्थिति का आधार है जिनके पास जितने भौतिक संसाधन है

व वर्तमान परिवेश में उतना बड़ा सम्पन्न और आधुनिक है। भौतिक साज–सज्जा का नवीन परिवर्तित स्वरूप चारपाई की जगह बेड और डबल बेड, कुर्सी के स्थान पर सोफा आधुनिक प्रकार के बर्तन, पर्दे, चादर तथा गृह सजावट के विभिन्न सामान आधुनिकता के प्रतीक हैं। ऐसा उत्तरदात्रियों द्वारा स्वीकार किया जाता है।

सारणी संख्या 2

परिधान के नवीनतम उत्पादों को आधुनिकता की श्रेणी में रखना

क्र.सं.	प्रतिक्रिया	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग
1.	हाँ	274	91.3	274
2.	नहीं	26	8.6	26
योग		**300**	99.6	**300**

सारणी संख्या 2 के आंकड़ों के अवलोकन से यह दृष्टिगोचर होता है कि संपूर्ण निदर्श की 91.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ परिधान के नवीनतम उत्पादों को आधुनिकता की श्रेणी में रखने के प्रति सकारात्मक स्वीकृति प्रदान करती हैं तथा इसी बिन्दु पर केवल 8.6 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिधान के नवीन उत्पाद युवा पीढ़ी को अपनी ओर बहुत तेजी से आकर्षित कर रहे हैं। यही कारण है कि उच्च शिक्षारत छात्राएँ परिधान के नवीनतम उत्पादों को आधुनिकता की श्रेणी में रखती हैं।

वैश्वीकरण के इस दौर में संपूर्ण संसार एक ही छतरी के नीचे खड़ा दिखाई पड़ रहा है। फैशन और परिधान में यदि एक स्थान पर कोई बदलाव या परिवर्तन होता है तो संचार माध्यमों से क्षण भर में ही यह संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। इस बिन्दु पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली छात्राओं का मानना है कि जो व्यक्ति परिधान के जितने नवीन उत्पादों का उपयोग करता है वह उतना ही अधिक आधुनिक माना जाता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पुराने या पहले के परिधान धारण करता है तो उसे अनपढ़ या पिछड़ा समझा जाता है। अतः इस भौतिक परिवेश में आधुनिक बनने की होड़ सी लगी हुई है। जो व्यक्ति जितने ही नवीन महंगे एवं शानदार उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं आज के दौर में उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक प्रस्थिति उतनी ही ऊँची समझी जाती है। हमारे निदर्श की उत्तरदात्रियाँ भी अधिसंख्यक रूपों में उस तथ्य का समर्थन कर रही हैं। उन्हें आधुनिकता का ज्ञान है एवं वे परिधान के नवीनतम उत्पादों को आधुनिकता की श्रेणी में रखती हैं।

सारणी संख्या 3

कार्यकुशलता के रूप में आधुनिकता

क्र.सं.	प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशत	योग
1.	हाँ	278	92.6	278
2.	नहीं	22	7.3	22
योग		**300**	**99.6**	**300**

सारणी संख्या 3 के आंकड़ों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि हमारे संपूर्ण निदर्श की 92.6 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ कार्यकुशलता के रूप में आधुनिकता के प्रति सकारात्मक सोच रखती हैं तथा इस बिन्दु पर 7.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करती है।

सकारात्मक सोच रखने वाली उत्तरदात्रियों का मानना है कि व्यक्ति जितना अधिक आधुनिक वस्तुओं के संचालन में ज्ञान रखेगा वह व्यक्ति अपने कार्यों को उतनी ही दक्षता एवं कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकता है। आज का समय आधुनिक आविष्कारों एवं यंत्रों का है। व्यक्ति में इन यंत्रों एवं आविष्कारों के सम्बन्ध में जितना ही अधिक ज्ञान एवं संचालन की क्षमता होगी वह आज के इस आधुनिक और प्रतियोगी समाज में उतना ही आधुनिक समझा जाएगा। कार्यकुशलता में आधुनिकता सन्निहित है।

सारणी संख्या 4

जाति व्यवस्था में अविश्वास के रूप में आधुनिकता

क्र.सं.	प्रतिक्रिया	आवृत्ति	प्रतिशत	योग
1.	हाँ	160	53.3	16.
2.	नहीं	140	46.6	140
योग		**300**	**99.9**	**300**

सारणी संख्या 4 के आंकड़ों के अवलोकन से हमें परिलक्षित होता है कि हमारे संपूर्ण निदर्श की 53. 3 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ जाति व्यवस्था में अविश्वास को आधुनिक मानव की विशेषता मानने की पक्षधर हैं तथा 46.6 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ इस सम्बन्ध में नकारात्मक स्वीकृति व्यक्त करती हैं।

सकारात्मक स्वीकृति व्यक्त करने वाली उच्च शिक्षारत छात्राओं का मानना है कि आज के इस आधुनिक परिवेश का मनुष्य जाति–बन्धन, ऊँच–नीच एवं किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानता है। वे कहती हैं कि जाति–व्यवस्था मानव समाज के विकास के लिए एक रोड़ा है जो मानव समाज के विकास में हमेशा रूकावट पैदा करता है। जाति व्यवस्था में विश्वास न रखने वाले आधुनिक हैं। उच्च शिक्षारत छात्राएँ जाति व्यवस्था की विकृतियों एवं सामाजिक समरसता को कमजोर करने वाली जाति व्यवस्था एवं उससे सम्बन्धित अनेक बन्धनों जैसे खान–पान, विवाह एवं व्यवसाय आदि को विशुद्ध परम्परावादी मानते हैं। जाति व्यवस्था के प्रति अविश्वास को आधुनिकता की दृष्टि से देखने एवं स्वीकार करने के लिए उच्च शिक्षारत छात्राएँ अपने को आधुनिक होने का दावा करती हैं।

आज वर्तमान समाज में मनुष्य जाति व्यवस्था में रहते हुए भी उसके गुण–दोषों की विवेचना के आधार पर विश्वास और अविश्वास के द्वन्द्व में उलझा हुआ है। आज का आधुनिक मानव जहाँ एक ओर 53. 3 प्रतिशत भाग जाति व्यवस्था में विश्वास का पक्षधर नहीं है वहीं दूसरी ओर 46.6 प्रतिशत भाग जाति व्यवस्था में विश्वास करता हुआ दिखाई पड़ता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति की छात्राओं में वर्तमान परिवेश के अनुसार आधुनिकता के प्रति जागरुकता दिखाई पड़ रही है। भौतिकता प्रास्थिति का आधार है। जिनके पास जितने भौतिक संसाधन हैं वह वर्तमान परिवेश में उतना बड़ा सम्पन्न और आधुनिक है। व्यक्ति जितने ही नवीन, महंगे एवं शानदार उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, आज के दौर में उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक प्रास्थिति उतनी ही ऊँची समझी जाती है। व्यक्ति जितना अधिक आधुनिक वस्तुओं के संचालन में ज्ञान रखेगा वह व्यक्ति अपने कार्यों को उतनी ही दक्षता एवं कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। जाति व्यवस्था के प्रति अविश्वास को आधुनिकता की दृष्टि से देखने एवं स्वीकार करने के लिए उच्च शिक्षारत छात्राएँ अपने को आधुनिक होने का दावा करती हैं।

संदर्भ सूची–

1. श्रीनिवास, एम. एन. (1972). सोशल चेन्ज इन मार्डन इण्डिया, मुम्बई,
2. गांधी, एम. के. (1933). हरिजन, फरवरी 11
3. धुरिये, जी. एस., कास्ट क्लास एण्ड आक्यूपेशन
4. दुर्खीम, इमाईल (1959).एजुकेशन एण्ड सोसियोलॉजी', द फ्री प्रेस ग्लामकास इलिन्वायस
5. लीच. ओ. एम.(1974).द पोलिटिक्स ऑफ अनट्चविलिटी', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली,
6. हट्टन, जे. एच.(1961). कास्ट इन इण्डिया थर्ड एडीशन
7. पणिक्कर, के. एम.(1956).हिन्दू सोसाइटी ऐट क्रॉस रोड्स, एशिया पब्लिकेशन हाउस, बम्बई,
8. मिश्रा, आर. बी. एण्ड सिंह सी. पी.(1992).इण्डियन वीमेन चैलेंज एण्ड चेन्ज, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली
9. सिंह, के. एस.(1997). पीपुल ऑफ इण्डिया : दी शिड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल सीरीज आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
10. सिंह, योगेन्द(1978).एसेज ऑन माडर्नाइजेशन, नई दिल्ली
11. सिंह, योगेन्द्र 'माडर्नाइजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडिशन', रावत पब्लिकेशन

ग्रामीण राजनीति में महिलाओं का हस्तक्षेप : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(उत्तर प्रदेश में विशेष सन्दर्भ में)

पूजा सिंह
शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

डॉ. राहुल गुप्ता
सह0 आचार्य,समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सारांश

प्राचीन काल से भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज रहा है और महिलाओं को गौण स्थान पर रखा गया जिसकी वजह से महिलाओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं

के समाधान हेतु 19वीं सदी से काफी अथक प्रयास किया जाने लगा। 20वीं शताब्दी में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया गया।

प्रारम्भ में भारतीय ग्रामीण समाज में महिलाओं को अपने पारिवारिक निर्णयों में बोलने का भी हक नही था, समाज की तो बात ही अलग है। धीरे–धीरे समाज में परिवर्तन देखने को मिला। समाज के विकास में 'महिलाओं के साथ विकास' करने पर बल दिया जाने लगा। भारतीय सवंधान में भी पुरूष एवं महिलाओं के मध्य समानता का प्रावधान किया गया।

भारतीय संविधान के अनु0 14 में महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक के साथ–साथ राजनीतिक क्षेत्रों में भी समता के अवसर उपलब्ध कराए गये है। भारत पहला ऐसा देश है जिसने भारत सरकार अधिनियम–1919 के तहत राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया लेकिन इसका प्रयोग 1932 में किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की सहभागिता का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। यह शोध पत्र द्वितीयक स्रोत पर आधारित है।

बीज शब्द– राजनीति, महिला, ग्रामीण, सहभागिता, पंचायती राज व्यवस्था।

प्रस्तावना–

भारतीय समाज की संरचना ऐसी है जहाँ की आधे से अधिक आबादी गाँवों में निवास करती है। ऐसे में भारतीय समाज को यदि ग्रामीण समाज भी कहा जाए तो कुछ गलत नही
है। अब बात होती है भारत की जनसंख्या की तो संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट 8 मई, 2023 को प्रस्तुत करते हुए भारत की वर्तमान जनसंख्या 1,418,533,462 (141 करोड़) बताया है।

वर्तमान समय में आबादी के रूप में दुनिया में भारत, चीन, अमेरिका, इण्डोनेशिया एवं पाकिस्तान के बाद उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 23.5 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में पुरूषों की संख्या सम्पूर्ण जनसंख्या का 52 प्रतिशत है अर्थात् 48 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,278 अर्थात् (77.73%) है। गाँव में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। खेती सम्बन्धी कार्यो से जुड़े होने की वजह से ग्रामीण महिलाएँ अधिकांशतः घर के कामों मे लगी रहती है। घर के बाहर की दुनिया से काफी अंजान होने के कारण महिलाओं की सहभागिता का कई क्षेत्रो में अभाव देखा गया है।

भारत में ही नही विश्व के कई देशों में महिलाओं की स्थिति के विषय में काफी चर्चाए होती रही है। भिन्न–भिन्न समय–कालों में महिलाओं की स्थिति का अलग–अलग वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य वैदिक काल में महिलाओं का अधिकार पुरूषों के समान था। शैक्षिक जगत से लेकर धार्मिक जगत तक महिलाओं को समान रूप से भागीदार बनाया जाता था। वैदिक काल ऐसा काल रहा जिसमें पश्चिमी देशों की अपेक्षा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यन्त उच्च कोटि एवं सम्मानीय रूप में पाया गया।

दूसरा काल संक्रमणकालीन उत्तर वैदिक काल (600 ई.पू.) का रहा जिसमें सिद्धान्त के रूप में महिलाओं के अधिकार को वैदिक काल के समान ही रखा गया। लेकिन व्यवहारिक रूप में महिलाओं की स्वतंत्रता एवं अधिकारों पर रोक लगाया जाने लगा था।

तीसरा काल धर्मशास्त्र काल का आरम्भ तीसरी सदी से माना जाता है। इस काल में स्मृतियों के आधार पर नियमों को व्यवहारिक हिस्सा बनाया गया। इस काल में बाल–विवाह की प्रथा का प्रचलन बढ़ने

लगा, लड़कियों को शैक्षिक जगत से दूर किया जाने लगा, सम्पत्ति अधिकारों से बाहर किया जाने लगा, विधवा–पुनर्विवाह को अधार्मिक बताया गया।

मनुस्मृति में कहा गया, "स्त्रियों का अपना कोई आस्तित्व नही होता, उन्हें बचपन में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना आवश्यक है।"

11वीं शताब्दी के आरम्भ में ही मध्यकाल अर्थात् मुस्लिम शासन काल आया।इस काल में स्त्रियों की स्थिति इतनी विचित्र हुई जिसकी कल्पना भी नही की जा सकती। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध से लेकर स्वतंत्रता पूर्व तक ब्रिटिश शासन काल का बोलबाला रहा। इस काल के आरम्भ में मध्यकाल की विभिन्न कुरीतियाँ समाज का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ समय अंतराल के पश्चात राजाराममोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद तथा श्रीमती ऐनीबेसेन्ट जैसे भारतीय समाज सुधारको के प्रयत्नों के फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिला।

भारत की सबसे छोटी इकाई गाँव को माना गया है। गाँव के विकास से भारत का विकास हुआ। गाँव के विकास में पहला योगदान सन् 1919 में बंगाल की सरकार का रहा तत्पश्चात् 1920 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई। संविधान निर्मित होने के पश्चात् अनु0 40 में राज्य के नीति–निदेशक तत्वों के रूप में पंचायतों की स्थापना में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया।

पंचायती राज व्यवस्था–

भारतवर्ष में पंचायती राज की स्थापना 1947 अर्थात् स्वतंत्रता के पश्चात् हुआ। संविधान के भाग–4 के नीति–निर्देशक तत्व अनु0 40 में ग्राम–पंचायतो के गठन की बात कही गयी है। आजादी के 10 वर्षो के बाद 1957 में योजना आयोग द्वारा 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' (1952) तथा 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम' (1953) के विषय में अत्याधिक जाँच हेतु बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया। मेहता ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर 1957 में दिया जिसमें उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए तीन–स्तरीय मॉडल की बात कहा जो 'ग्राम स्तर', 'ब्लॉक स्तर' एवं 'जिला स्तर' के रूप में था। 'बलवंत राय मेहता समिति' की सिफारिशों को स्वीकृति 'राष्ट्रीय विकास परिषद' ने 12 जनवरी 1958 में दी। तत्पश्चात् पं0 जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजराज, महाराष्ट्र, पंजाब एवं आंध्र प्रदेश मे भी लागू किया गया।

अनुमानतः 3 दशक के बाद पंचायती राज व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव करने हेतु भारत सरकार ने 1989 में संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के निम्न सदन के समक्ष विधेयक प्रस्तुत किया, 22 दिसम्बर, 1992 को 73वें संविधान संशोधन को लोकसभा से पारित कर दिया गया तथा 24 अप्रैल 1993 को सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया।

इस संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 पद संरक्षित किया गया जिसका ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भूमिका में अहम योगदान रहा।

73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान के भाग–9 (पंचायत अनु0 243, 243(क) से अनु0 243(ण) तक का उल्लेख किया गया तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पर कार्यभार सौंपा गया जिसमें 25वें स्थान पर 'महिला एवं बाल विकास' से सम्बन्धित विषय है।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गये कुशल कार्यो की पारदर्शिता हेतु 27 मई, 2004 को 'पंचायती राज मंत्रालय' की स्थापना की गयी थी।

साहित्य पुनरावलोकन–

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र की छोटी इकाई ग्राम–पंचायत होती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने में पहली समिति 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बनायी गयी। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतीराज व्यवस्था की शुरूआत हुई। पंचायतों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान पं0 जवाहरलाल नेहरू का रहा है। नेहरू का कहना था कि "गाँवों के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए। उनको काम करने दो चाहे वो हजारों गलतियाँ करें। इससे घबराने की जरूरत नही। पंचायतों को अधिकार दो।"

पंचायती राज व्यवस्था में 33% स्थान राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। बात होती है भागीदारी की तो इसी संदर्भ में (गिलब्रैथ) ने राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता के लिए तीन गतिविधियॉ बतलाते है– दर्शक गतिविधि, सांक्रांतिक गतिविधि तथा लड़ाकू गतिविधि। दर्शक गतिविधि में मानव राजनीतिक चर्चा में शामिल होता है, सांक्रांतिक गतिविधि में स्वयं सक्रिय रूप से सहभागी बनकर राजनीति को व्यवसाय के रूप में देखता है।

लड़ाकू गतिविधि में महिलाएँ अत्यन्त धीमी गति से शामिल हो पायी। क्योंकि समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा सदैव अल्प रूप में देखी जाती रही है। इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानन्द का कहना है कि, "जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नही होगा तब तक विश्व कल्याण नही हो सकता। किसी भी पंक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नही है।"

भारत के बदलते परिदृश्य में महिलाओं की प्रस्थितियों में काफी सुधार दिखाई देने लगा। वयस्क महिलाओं को मताधिकार की प्राप्ति से राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि होने लगा। के.एम. पाणिक्कर का कहना है कि, "जब स्वतंत्रता ने पहली अंगड़ाई ली, तब तक भारत के राजनीतिक जीवन में स्त्रियों को मिलने वाले पद को देखकर बाहरी दुनिया चौंक पड़ी, क्योंकि यह तो हिन्दू स्त्रियो को पिछड़ी हुई, अशिक्षित एवं प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई समझने की अभ्यस्त थी।"

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता–

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ही राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में पुरूष एवं महिला दोनों को ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया, परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् 1950 से भारतीय संविधान के भाग–15, अनु0 326 में भारत के लोकसभा एवं राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचन में महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया।

मतदान–

1962 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की सहभागिता प्रतिशत 46.63 थी 1984 में वृद्धि करते हुए 58.60 प्रतिशत हो गयी। 2014 के संसदीय चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 65.63 रहा। भारत के 29 राज्यों में से 16 राज्यों में महिलाओं ने अधिक मतदान किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने मतदान के मामले में 4.66% पुरूष मतदान से अधिक मतदाताओं की सूची में शामिल हुई।

राज्य की विधान सभा चुनाव में महिलाओं की सहभागिता में भी वृद्धि पायी गयी। 2012 के विधान सभा चुनाव में महिलाओं के मतदान में वृद्धि के मामले में 'उत्तर प्रदेश' प्रथम स्थान पर रहा जिसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 58.82% से 60.29% तक रहा। 2021 में चुनाव में भी महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि पायी गयी है। 28.86 लाख महिलाओं का नाम नए मतदाता सूची में जोड़ा गया।

लोक सभा एवं राज्य विधान सभा में महिला राजनेताओं का स्थान–

यदि बात की जाय राजनीतिक क्षेत्र की तो महिलाओं के लिए 33% स्थान सुरक्षित किया गया है। वर्तमान समय में भारत के निम्न सदन (लोकसभा) एवं उच्च सदन(राज्य सभा) में महिला सांसदों की प्रतिशतता 14.36% एवं 10% से अधिक का आंकड़ा प्राप्त हो रहा है।

लोकसभा मे महिला सदस्यों की संख्या

क्रमांक	वर्ष	महिला सांसदों की संख्या	महिला सांसदो का प्रतिशत
1	1951	22	4.50%
2	1957	22	4.45%
3	1962	31	6.28%
4	1967	29	5.58%
5	1971	28	5.41%
6	1977	19	3.51%
7	1980	28	5.29%
8	1984	43	7.95%
9	1989	29	5.48%
10	1991	39	7.30%
11	1996	40	7.37%
12	1998	43	7.92%
13	1999	49	9.02%
14	2004	45	8.29%
15	2009	59	10.87%
16	2014	66	12.15%
17	2019	78	12.36%

पहली लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 489 थी लेकिन वर्तमान समय में 542 है। पहली लोकसभा चुनाव 1951 में महिला सांसदो की संख्या मात्र 22 अर्थात् 4.5% थी। दूसरी लोकसभा चुनाव 1957 में भी महिलाओं की सदस्यता 22 ही रही। 1962 के लोकसभा चुनाव मे महिलाओं की संख्या में वृद्धि देखी गयी जो 31 अर्थात् 6.28% थी। 1991 में दसवीं लोकसभा चुनाव से लेकर 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 तक में लगातार वृद्धि देखी गयी अपवाद स्वरूप 2004 को छोड़कर।

1991 में 39(7.30%), 1996 में 40(7.37%), 1998 में 43(7.92%), 1999 में 49(9.02%), 2004 में घटोत्तरी करते हुए 45(8.29%), 2009 में 59(10.87%), 2014 में 66(12.15%) तथा 2019 में 17वें लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों की संख्या 78 अर्थात् (12.36%) हो गयी।

उत्तर–प्रदेश विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या

क्रमांक	वर्ष	महिला विधायकों की संख्या
1	1952	20
2	1957	18
3	1962	20
4	1967	06
5	1969	18
6	1974	21
7	1977	11
8	1980	23
9	1985	31
10	1989	18
11	1991	10
12	1993	14
13	1996	20
14	2002	26
15	2007	23
16	2012	35
17	2017	42
18	2022	47

भारत की संसद के उच्च सदन अर्थात् राज्य सभा के विधानसभा चुनावों में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी मात्रा में रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 सीटों के चुनाव में 1952 में महिलाओं की संख्या 20 थी, 1957 में 18, 1962 में 20 महिलाएँ, 1967 में बहुत ही कम संख्या में मात्र 6 महिलाएँ ही अपनी सदस्यता दर्ज करायी। 1969 के चुनाव में बढ़कर 18, 1974 मे 21 तथा 1977 में घटकर 11 हो गयी जबकि 1980 में बढ़ोत्तरी करते हुए 23 की संख्या में अपना परचम लहराने में कामयाब रही। 1985 के चुनाव में छलांग लगाते हुए 31 महिलाए सदन में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। 1993 आते–आते सदस्यता घटकर 14 पहुँच गयी। 1996 के चुनाव में थोड़ी मात्रा में बढ़ोत्तरी कर 20 की संख्या में सदस्यता हासिल की। 2002 के चुनाव में सदस्यता बढ़कर 26 तो 2007 के चुनाव में घटकर 23 हो गयी। 2012 के विधानसभा चुनाव में 35 महिलाओं ने अपनी सदस्यता दर्ज कराया तथा 2017 के चुनाव में 42 महिलाओं ने अपना परचम लहराया जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 47 महिलाएँ सदस्यता दर्ज कराने में कामयाब रही।

Global Gender Gap Report, 2022 के अनुसार भारत राजनीतिक अधिकार के मामले में (मुख्य रूप से संसद में महिलाओं के लिए मंत्रीपरिषद एवं उनकी प्रतिशतता) 146 देशों में से 48वें स्थान को प्राप्त किया।

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 जिला पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत तथा 58194 ग्राम पंचायते शामिल है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 12.39 करोड़ है जिसमें से 46.99% महिलाएँ मतदाता के रूप में सम्मिलित है।

उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में महिलाओं की दावेदारी उनके लिए आरक्षित स्थान अर्थात् 1/3 से भी अधिक देखने को मिला। कहने का तात्पर्य पंचायतों में 53.7% सत्ता महिलाओं के हाथ मे है। ग्राम प्रधान से लेकर ब्लाक प्रमुख स्तर तथा जिला पंचायत अध्यक्ष का पद महिलाओं का सिरताज बना है।

2021 के ग्राम–पंचायत चुनाव में 58176 पदों चुनाव किया गया जिसमें से महिलाओं ने 31, 212 पदों पर अपना परचम लहराने में कामयाब रही। अर्थात् आधे से भी अधिक पदों पर महिलाओं का कब्जा है। पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में 25,809 महिलाएँ ही गाँव की मुखिया बनी थी।

इसी तरह क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष अर्थात् ब्लॉक प्रमुख के 826 पदों में महिलाओं ने 447 पद अर्थात् आधे से अधिक (54.2%) पदों पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल किया।

प्रदेश के 75 जिलो के जिला पंचायत अध्यक्ष के 42 पदों पर महिलाओं का बोलबाला रहा अर्थात् यहाँ भी 56% महिलाए अपनी सदस्यता दर्ज कराने मे कामयाब रही।

सकारात्मक पक्ष–

कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब महिलाओ को घर के बाहर नही निकलने दिया जाता था उन्हें घरेलू कार्यो में सदैव लिप्त रहना पड़ता था लेकिन जैसे–जैसे समय व्यतीत होने लगा, समयानुसार परिवर्तन भी होता गया।

स्वतन्त्रता के पश्चात भारत मे महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार नजर आने लगा। महिलाओं के समाजिक एवं आर्थिक अधिकारो के लिए विभिन्न प्रकार का कानून भी बनाया गया।

इन सब के अतिरिक्त महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के लिए भी विभिन्न प्रकार का प्रावधान किया गया। राजनीतिक क्षेत्र मे महिलाओं की सहभागिता अत्यन्त सराहनीय दृष्टि से देखा जाने लगा। भारत जैसे देश मे जहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवो में निवास करती है। राजनीति के क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या ने बढ़–चढ़कर कर हिस्सा लिया। प्रारम्भ मे ग्रामीण महिलाओ की हिस्सेदारी काफी निम्न रही लेकिन संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के पश्चात् इसमे अत्यन्त वृद्धि देखी गयी।

भारत की राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान बनाया गया।कहने का तात्पर्य महिलाओं के लिए पंचायतो मे एक–तिहाई स्थान आरक्षित किया गया। आज वर्तमान समय में आधे से भी अधिक स्थानों पर महिलाओ का वर्चस्व देखने को मिल रहा। ग्रामीण राजनीति में महिलाओं के हस्तक्षेप को काफी प्रशंसनीय दृष्टि से देखा जा रहा है।

नकारात्मक पक्ष–

भारत की ग्रामीण राजनीति मे जहाँ महिलाओं का सफल योगदान देखने को मिल रहा है उसके पीछे का कारण उनके लिए सुरक्षित स्थान का रहा है। राजनीति के मामले में महिलाओ का हस्तक्षेप जिस तरह पंचायत के चुनावो मे देखने को मिल रहा है, उस तरह संसदीय चुनावो मे नही।

भारत की संसद ने मिलकर ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को लेकर जो स्वप्न देखा था, वह पूर्ण तो होता नजर आया है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी उनकी पुरूषत्व जैसी मानसिकता में बदलाव की जरूरत है क्योंकि ग्रामीण राजनीति के क्षेत्र में कुछ ऐसी महिला जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख तथा ग्राम–प्रधान है जो इन पदों पर केवल नाम के लिए है। इन पदों से जुड़े कार्यभार महिला के

पति या उनके परिवार के किसी वरिष्ठ पुरूष संभालते है।ग्रामीणांचल में महिला प्रधान–पति जैसी धारणाएँ देखने को मिल रहा है।

निष्कर्ष–

ग्रामीण राजनीति में महिलाओं का हस्तक्षेप विभिन्न क्षेत्रो में देखने को मिल रहा है चाहे वो मतदान के रूप में हो या चुनावी सदस्य संख्या के रूप में। मतदान के विषय में देखा जाय तो 2012 से 2021 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की सूची में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

एक तरफ उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के प्रत्येक कार्यकाल में महिलाओं की सहभागिता सर्पिलाकार में पायी गयी क्योंकि उनकी सदस्यता कभी बढ़ती तो कभी घटती नजर आने लगती थी। इसी तरह महिलाओं की सहभागिता लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला।

दूसरी तरफ पंचायती चुनावों में लक्ष्यित आरक्षण की सीमा को भी पार कर दिया गया है। इन सभी ऑकड़ों को देखने के पश्चात् एक बहुत बड़ा तथ्य निकल कर सामने आया जो कि महिला 'आरक्षण' या 'कोटा' है। पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के 33% आरक्षण की व्यवस्था करने के बाद ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की सहभागिता 50% के ऑकड़ो को पार चुकी है।

महिला आरक्षण से सम्बन्धित विधेयक को सर्वप्रथम एच.डी. देवगौड़ा ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल (1 जून,1996– 21 अप्रैल, 1997) में 12 सितंबर, 1996 में संसद के निम्न सदन में प्रस्तुत किया। इसका प्रमुख उद्देश्य संसद के उच्च सदन एवं निम्न सदन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करना था। वों भी आरक्षण 'रोटेशन' अर्थात् चक्रानुक्रम के तहत किये जाने की बात कही गयी थी जिसमें प्रति–निरंतर तीन आम चुनाव में एक सीट को मात्र एक ही बार आरक्षित किया जायेगा।

21 अप्रैल, 1996 को देवगौड़ा का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात 1998 में अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा इस विधेयक को आगे तक ले जाने का प्रयास किया गया फिर भी यह विधेयक पास न हो सका।

तकरीबन एक दशक के बाद डॉ0 मनमोहन सिंह की सरकार ने मई, 2008 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया।

तत्पश्चात् विधेयक के बार–बार प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त, 9 मार्च, 2010 को संविधान के 108वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सभा द्वारा विधेयक को पारित किया गया लेकिन लोक सभा से इसका सकारात्मक जवाब अभी भी अधर मे लटका पड़ा है।

प्रस्तुत शोध–पत्र के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ता के स्तर पर लाने में ग्रामीण महिलाओं की अहम भूमिका रही है। कुछ थोड़ी बहुत कमियों जैसे– पंचायत–पति या प्रधान–पति जैसी अवधारणाओं को खत्म करने के साथ ही साथ संसद के सदनों में महिलाओं के एक–तिहाई आरक्षण को लागू करने की भी आवश्यकता है।

सरकार के अथक प्रयास से ही भारत की ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की सहभागिता द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को एक चरमोत्कर्ष स्तर पर पहुँचाया जा सका है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- एल.एन.शर्मा, कृष्ण मुरारी, राजनीतिक समाजशास्त्र (2014) ISBN: 9788125054382
- abplive.com
- अग्रवाल, जी.के. , ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र (2013), एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस

- गुप्ता, एम.एल , शर्मा, डी.डी. , समाजशास्त्र (2018) , साहित्य भवन पब्लिकेशन , आगरा ,ISBN: 978-93-84885-96-0
- अग्रवाल , अमित , भारत में ग्रामीण समाज (2009) , विवेक प्रकाशन जवाहर नगर , दिल्ली– 7ISBN: 81-7004-258-5
- Wikipedia.org
- navbharattimes.indiatimes.com
- panchayatiraj.up.nic.in
- amarujala.com. 15 july.2021
- कुरूक्षेत्र. अप्रैल. 2023

जाति व्यवस्था के बदलते प्रकार्यात्मक प्रतिमान

जिलाजीत जैसवारा
(शोध छात्र)
समाजशास्त्र विभाग
श्री अग्रसेन कन्या पी0जी0 कॉलेज, वाराणसी
(सम्बद्ध : म0गाँ0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

सारांश

आज जाति व्यवस्था के बंधन टूट रहे हैं क्योंकि जाति व्यवस्था जन्म और वंशानुगत व्यवसाय पर आधारित होने के कारण एक कठोर व्यवस्था बन गयी थी। मध्यकाल की शुरुआत में वर्ग या व्यवसायिक विभेदों ने जाति प्रथा के स्वरूप को निश्चित रूप दे दिया था। परन्तु आज जाति व्यवस्था की नींव व्यवसाय में व्यापार परिवर्तन हुआ। आज अधिकांश लोग गैर–परम्परागत व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसायिक भेदभाव की धारणा में परिवर्तन हुआ, खानपान, रहन–सहन सम्बन्धी प्रतिबंध पूरी तरह समाप्त हो चुका है। व्यवसाय चुनाव करने की स्वतंत्रता है। सामाजिक सम्पर्क के प्रतिबंध टूट चुका है। जाति संगठनों का प्रभाव कमजोर हुआ है। जजमानी प्रथा टूट गयी, छुआ–छुत व जाति भेदभाव में कमी आयी है। जातीय सम्बन्धी मनोवृत्तियों में अधिक परिवर्तन हुआ। निम्न जातियों के जीवनशैली में परिवर्तन हुआ। ब्राह्मण पुरोहित के व्यवसाय में बदलाव आया। जीचन चक्र के कर्मकाण्डों में अधिका परिवर्तन आया। वर्तमान औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप विशेषीकरण, श्रम विभाजन, निम्न जातियों की प्रस्थिति में सुधार आदि में तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है।

प्रमुख शब्दावली : वर्ण, जाति, जाति व्यवस्था, व्यवसाय, जाति प्रथा, प्रतिबंध, परिवर्तन, प्रकार्य, परम्परागत, गैर–परम्परागत, योग्यता व कुशलता, उच्च जाति एवं निम्न जाति, विवाह, औद्योगिकीकरण, पवित्र–अपवित्र, वंशानुगत, पुरोहित, ब्राह्मण, शूद्र।

जाति एक अन्तःवैवाहिक समूह अर्थात् इसके सदस्य अपने ही जाति के सदस्यों से विवाह करते हैं। एक जातियों में जन्मा मनुष्य जीवनपर्यन्त उसी में रहता है। हर जाति के सदस्यों के व्यवसाय वंश परम्परा के आधार पर अलग–अलग होता रहा है। जातियों के पद सोपान में एक जाति का एक निश्चित सोपान होता है। जिसके ऊपर और नीचे अन्य जातियाँ होती हैं। सोपान के शिखर पर ब्राह्मण होते हैं और अधोभाग पर अछूत जातियाँ होती हैं। जातियों में खान–पान और सामाजिक अन्तःक्रिया के कुछ विशेष नियम होते हैं। जिनका पालन सभी जातियों को करना पड़ता है। इन नियमों को लागू करके जाति पंचायत अपने सदस्य के व्यवहार को नियमित करती रहती है। जाति एक गतिशील संस्था है। वृहद समाज में हुए परिवर्तनों के अनुरूप इसमें भी परिवर्तन आया है।

वैदिक काल :

जाति प्रथा की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद में वर्ण (रंग) शब्द का उल्लेख मिलता है। आर्य का अर्थ गोरे वर्ण और दास का आशय काले रंग से है, परन्तु ऋग्वेद में ब्राह्मण या क्षत्रिय का उल्लेख नहीं मिलता है। ये दो वर्ण केवल धर्म से अलग–अलग थे बल्कि पूजा और बोली में भी दोनों वर्णों के लोग भिन्न थे। इस प्रकार के अन्तर प्रजातीय और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के थे। ब्राह्मण, राजन्य (क्षत्रिय) और वैश्य आर्य वर्ण में थे और दास वर्ण में अनार्य थे। ऋग्वेद में एक भाग (पुरुष सूक्त) में वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र क्रमशः ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जाँघों और पैरों से उत्पन्न हुए हैं। यही वर्ण कालान्तर में अनेक जातियों में परिणत हो गये। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिसमें यह कहा गया है कि ये वर्ण वंशानुगत हो गये थे, ये केवल प्रकार्यात्मक थे, पुरोहित एवं योद्धा का स्थान वैश्य और शूद्र से ऊपर था, परन्तु ये वंशानुगत नहीं था और न ही अन्य कार्यों का पारस्परिक बदलाव होता था और अन्तर्विरोधी होते थे। शूद्रों द्वारा पकाया हुआ भोजन को खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, छुआछूत का कोई स्थान नहीं था।

उत्तर वैदिक काल :

उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की धारणा पर अधिक बल दिया गया था। उपनिषद में प्रथम बार हिन्दू धर्म के मुख्य तथ्य कर्म, माया, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा में मिलन और मुक्ति के सिद्धान्तों का उल्लेख मिलता है। यज्ञ करने वाले को ब्राह्मण के नाम से पुकारा जाता था ये लोग एक शिथिल वर्ग बन गये और इनको बहुत

श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि ये लोग धार्मिक कार्यों को सम्पन्न करते थे जो आर्य पूर्व और दक्षिण दिशाओं में बढ़े उन्हें मूल निवासियों से संघर्ष करना पड़ा और वे एक अन्य वर्ग (क्षत्रिय) के रूप में उभर कर आये। क्षत्रियों का कर्त्तव्य विजित क्षेत्रों की रक्षा करना था शेष आर्य पृथक वर्ग बन गये और उन्हें वैश्य की संज्ञा दी गयी। अनार्य चतुर्थ वर्ग के रूप में शूद्र कहलाए। प्रारम्भ में ये वर्ग कठोर प्रभाग नहीं थे। परन्तु कालान्तर में कर्त्तव्यों में परिवर्तन करना वर्जित हो गया, जो जातियाँ आज अन्तःवैवाहिक समूह है, इन्हीं समूहों को स्थानीय स्तर पर जातियाँ कहते हैं और भारत में इनकी संख्या आज लगभग तीन हजार से अधिक है। इस जाति समूहों में उपप्रभाग को उभरने के साथ–साथ व्यवसायिक विभेदीकरण भी आवश्यक हो गया। जाति का परिवर्तन असाधारण बात थी फिर भी असम्भव नहीं था। उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों के साथ विवाह कर सकते थे परन्तु शूद्रों के साथ विवाह करना वर्जित था। शूद्रों को यज्ञ करने की छूट नहीं थी। स्पर्श द्वारा अपवित्रता की धारणा भी प्रकट होकर सामने आई फिर भी लोग साथ–साथ बैठकर भोजन करते थे। जाति प्रथा उत्तर वैदिक काल में कठोर नहीं थी।

स्मृति काल में प्रत्येक जाति और व्यवसाय के लिए नियमों का उल्लेख है, नियम में कठोरता नहीं थी, परन्तु इस काल के अन्त में जातियों और उपजातियों के बीच शक्ति विभेद किया जाने लगा। खानपान, विवाह, स्पर्श और धार्मिक कृतियों के आधार पर अन्तर्जातीय सम्बन्धों को परिभाषित किया गया जिन्होंने जाति नियमों का विरोध किया उन्हें जाति से बहिष्कृत किया जाने लगा, स्त्रियों का अपमान शुरू हुआ जो सामूहिक संगठन प्रारम्भिक वैदिक काल में निर्मित हुए थे वह विघटित होने लगे, भारत एक बन्द और स्थिर समाज हो गया।

मध्य काल में वर्ग या व्यवसायिक विभेदीकरण नष्ट हो गये फिर भी मुगल शासन के कारण जाति व्यवस्था पर इसके सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं के सन्दर्भ में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। ब्राह्मण मंदिरों की देखभाल करते थे। हिन्दुओं के वैयक्तिक कानून को क्रियान्वित करते थे और अनेक तरीकों से हिन्दू समाज की सेवा करते थे। क्षत्रिय राजा, राय और जमींदार थे। यह रणप्रिय लोग थे। अपने हितों, पद और प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु उन्होंने विदेश आक्रमणकारियों के विरूद्ध युद्ध किया। वैश्य बहुत सम्पन्न व्यक्ति थे चूँकि वह लोन देने, व्यापार, यातायात और दस्तकारी के काम में लगे हुए थे, उन्होंने शाही परिवारों तथा धनी लोगों की सेवा किया करते थे। शूद्रों की हालत पहले जैसी थी क्योंकि वे सामाजिक निर्योग्यताओं के शिकार बने हुए थे।

ब्रिटिश काल में भी स्वतंत्रता आन्दोलन के अन्तर्गत महात्मा गाँधी तथा अनेक दूसरे राष्ट्रीय नेताओं ने जातिगत असमानताओं का लगातार विरोध किया, इसके बाद ही सामाजिक परिवर्तन स्पष्ट होने लगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जाति व्यवस्था से सम्बद्ध नियमों और विश्वासों में व्यापक परिवर्तन हुए। संविधान निर्माण के द्वारा जातिगत विभेद को दूर करके एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सका। फलस्वरूप यह व्यवस्था कर दी गयी कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, वंश अथवा जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेगा। संविधान के अनुच्छेद 38(1) के अन्तर्गत राज्य प्रभावकारी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और सुरक्षा के द्वारा लोक कल्याण में वृद्धि करेगा जिससे राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं के द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिल सकें। संविधान के द्वारा दलित जातियों के निर्योग्यताओं को पूरी तरह उन्मूलन किया गया।

परिभाषा :

मजूमदार और मदान : जाति एक बन्द वर्ग है।

केतकर : जाति एक सामाजिक समूह है, जिसकी दो विशेषताएँ हैं––

1. सदस्यता उन्हीं लोगों तक सीमित है जो इस समूह में जन्म लेते हैं।
2. सदस्य को कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह से बाहर विवाह करने की मनाही होती है।

चार्ल्स कूले : जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित है तो हम उसे जाति कहेंगे।

एच0पी0 फेयरचाइल्ड : भारत में जाति शब्द का प्रयोग एक ऐसे सहधर्मी, समरूप एवं अन्तर विवाही समूहों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपने विशिष्ट कर्मकाण्डों एवं संस्कारों के द्वारा धार्मिक पवित्रत से सम्बन्धित सदस्यों के आचरण एवं परस्पर व्यवहार को नियंत्रित करते हुए निम्नात्मक संगठन का निर्माण करते हैं।

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक सन्दर्भ में जाति एक महत्वपूर्ण इकाई है। अतः हम सकते हैं कि जाति का सम्बन्ध व्यक्ति की वंशानुगत अस्मिता से है जो अपने सदस्यों के वैवाहिक, कर्मकाण्डीय, खान–पान तथा अन्य आचरणों को एक निश्चित मापदण्ड के अन्तर्गत सम्पादित करने सम्बन्धी आवश्यकता पर बल देता है।

जाति की विशेषताएँ :

गोविन्द सदाशिव घुर्ये : घुर्ये अपनी पुस्तक 'कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया' में जातिगत समाज की विशेषताएँ इस प्रकार मानते हैं––

1. जाति व्यवस्था समाज के खण्डनात्मक विभाजन को स्पष्ट करती है।
2. विभिन्न जातियों के बीच ऊँच–नीच का एक स्पष्ट संस्तरण होता है।
3. विभिन्न जातियों के बीच खान–पान तथा सामाजिक सम्पर्क पर अनेक प्रतिबंध होते हैं।
4. जाति व्यवस्था अनेक नागरिक तथा धार्मिक निर्योग्यताओं और विशेषाधिकारों से सम्बन्धित है।
5. जाति व्यवस्था व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध लगाती है।
6. जाति व्यवस्था अनेक विवाह सम्बन्धी प्रतिबंधों पर आधारित है।

एन0के0 दत्ता ने जाति व्यवस्था की प्रमुख छः विशेषताओं का उल्लेख किया है जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है––

1. एक जाति के सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं।
2. प्रत्येक जाति के सदस्यों पर दूसरी जाति के लोगों का खान–पान के सम्बन्ध रखने पर कुछ विशेष प्रतिबंध होते हैं।
3. अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं तथा व्यक्ति को अपने पेशे में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती है।
4. सभी जातियों के बीच ऊँच–नीच का एक निश्चित संस्तरण होता है इस संस्तरण में ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊँची होती है।
5. व्यक्ति के जाति का निर्धारण जन्म से होता है जाति के नियमों को तोड़ने पर अपनी जाति से बहिष्कृत किया जा सकता है।
6. सम्पूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता पर आधारित है।

इरावती कर्वे : अपनी पुस्तक 'हिन्दू सोसायटी : द इण्टरप्रटेशन' में जाति व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख किया है––

1. जातियाँ अन्तर्विवाही समूह हैं।
2. जातियाँ कतिपय सीमित क्षेत्रों में निवास करती हैं।

3. जातियों के कतिपय पारम्परिक व्यवहार विद्यमान होते हैं जो सम्मानित बुजुर्ग व्यक्तियों से बनी जाति पंचायत द्वारा लागू किया जाता है।
4. जातियाँ एक दूसरे के साथ रहती तो हैं किन्तु बहुत सीमित अवसर को छोड़ इनमें आपस में अन्तः सम्मिश्रण नहीं होता।
5. प्रत्येक जाति का सामान्यतः एक पैतृक व्यवहार होता है।
6. जातियों का एक संस्तरण या पदानुक्रम होता है।

प्रकार्यात्मक सम्बन्धी विशेषता :

जाति व्यवस्था में सभी जातियाँ कुछ व्यवसायों को अपना परम्परागत व्यवसाय स्वीकार करती हैं और त्यागना उचित नहीं समझती हैं। साधारणतया जाति व्यवस्था का नियम भी यही है साथ ही साथ केवल जातियों का ही नहीं बल्कि उनके द्वारा किये जाने वाले पेशों में भी ऊँचा–नीचा पेशों में एक व्यक्ति को अपवित्र वस्तुओं के सम्पर्क में आना होता है। जो उन पेशों को नीचा माना जाता है। अपवित्र वस्तुओं में भी ऊँच–नीच का संस्तरण है। मलमूत्र सबसे अधिक अपवित्र है। इसी प्रकार चमड़े का काम और गन्दे कपड़े धोने का काम दो पृथक श्रेणी के व्यक्तियों का होता है। इनके विपरीत धर्म से सम्बन्धित समस्त कार्य परम् पवित्र माने जाते हैं, परन्तु कुछ व्यवसाय अथवा पेशे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर जाति के लोग अपना सकते हैं। कृषि, व्यापार, नौकरी आदि इसका उदाहरण है। परन्तु अधिकांश व्यवसाय पर कठोर प्रतिबंध था, परन्तु मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद पेशे सम्बन्धित प्रतिबंध दिन–प्रतिदिन दुर्बल ही होता गया जैसा कि बेन्स का कथन है कि जाति का पेशा परम्परागत होता है लेकिन यह किसी भी अर्थ में आवश्यक नहीं है। उसी के द्वारा सब या अधिकतर जातियाँ आज अपनी जीविका निर्वाह करती हैं। यही कारण है कि मुगल काल में ब्राह्मणों ने परम्परागत पेशों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के पेशों को भी चुनना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के कान्यकुब्ज ब्राह्मणों ने सेना में नौकरी और खेती का काम प्रारम्भ कर दिया।

व्यवसायिक भेद–भाव की धारणा में परिवर्तन :

उद्योग धंधे तथा सेवा के नये क्षेत्र ने आज सर्वाधिक व्यवसाय करने का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। परम्परागत रूप से ग्रामीण समुदाय के पेशे आज नये स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। नई–नई एजेंसियाँ परम्परागत व्यवसायों को सम्पन्न कर रही हैं। इनमें सभी जाति के सदस्य बिना किसी भेदभाव के कार्य कर रहे हैं। जूते बनाने का काम आज बाटा, एक्सन, शूज जैसी अनेकों बड़ी–छोटी कम्पनियाँ कर रही हैं तथा इसे बेचने का काम दुकानों द्वारा हो रहा है। इसमें सभी जातियों के सदस्य समान रूप से लगे हुए हैं। इसी प्रकार से कपड़े धोने का काम अब छोटी–बड़ी लॉन्ड्रिया कर रही हैं। परम्परागत रूप से ये कार्य जाति विशेष के लोग करते थे जिस आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव किया जाता था आज यह भेदभाव आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी द्वारा सृजित व्यवसायिक व्यवस्था में किसी भी स्तर पर सम्भव नहीं है। जिन पेशों में धन, सत्ता आदि की प्राप्ति ज्यादा होती है, आज वही पेशे उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही आज व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का भी निर्धारण होता है। इसलिए आज पुरोहितों का पेशा एक अफसरगिरी के पेशों से निम्न दर्जे का है।

खान–पान के प्रतिबंधों में शिथिलता :

आधुनिक शिक्षा के आधार पर समानता के विचारों का पनपना, यातायात के साधनों में उन्नति, सामाजिक गतिशीलता का बढ़ना, नगरों, विभिन्न जाति, धर्म और राष्ट्रों के लोगों के सम्पर्क में आने से सामाजिक सहनशीलता का बढ़ना मिल–कारखानों, दफ्तर और नगरों में अज्ञात जाति के लोगों के साथ परिचय और

मित्रता, होटलों और जलपानगृहों की लोकप्रियता आदि ऐसे कारण तथा परिस्थितियाँ हैं, जिनके फलस्वरूप खाने–पीने के सम्बन्ध में परम्परागत नियम क्षीण होने लगे हैं।

औद्योगिक नगरों में सैकड़ों व्यक्ति एक साथ कारखानों में काम करते हैं और अवकाश के समय सभी जाति के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। होटल, जलपानगृहों, चाय पार्टियों, सार्वजनिक स्थलों तथा उत्सवों में सभी जाति के व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बनाये गये खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। भले ही वह पदार्थ उन व्यक्तियों द्वारा बनाये गये हों जिनका स्पर्श करना भी जाति व्यवस्था द्वारा वर्जित था आज यात्रा के दौरान सभी लोग निम्न जातियों के लोगों द्वारा बनायी गयी वस्तुओं को खाने में कोई संकोच नहीं करते।

सामाजिक सम्पर्क के क्षेत्र में विस्तार :

यद्यपि आज भी बहुत सी जातियाँ मानसिक रूप से निम्न जातियों से श्रेष्ठ होने का दावा करती हैं, लेकिन अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए उन सभी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करने में संकोच नहीं करते हैं, जिन्हें कुछ समय पहले तक अपवित्र मानकर उनका बहिष्कार किया जाता था। इस परिवर्तन के फलस्वरूप सभी उच्च और निम्न जातियाँ एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आई हैं।

ए0आर0 देसाई तथा मजूमदार ने लिखा है कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप जाति व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। नगरों तथा औद्योगिक केन्द्रों में रहने वाले लोगों के सम्पर्क में आने से ग्रामीण अब उन प्रथाओं में विश्वास नहीं करते हैं जो एक लम्बे समय तक उनके जीवन को प्रभावित करते रहे।

जाति संगठनों के प्रभाव में कमी :

परम्परागत रूप से जाति व्यवस्था को स्थायी बनाये रखने में जाति पंचायतें तथा जाति सभाओं का बहुत बड़ा योगदान था लेकिन आज जातिगत संगठनों को न तो इस प्रकार के कोई अधिकार मिले हुए हैं और न ही कोई व्यक्ति जाति सभाओं के ऐसे निर्णय की चिन्ता ही करता है। ग्रामीण जीवन में जाति पंचायतें अब पूर्णतया निष्क्रिय संस्थाएँ रह गयी हैं।

जजमानी प्रथा में परिवर्तन :

औपनिवेशिक युग में जाति व्यवस्था ने काफी गहराई तक जड़ें जमाई हुई थीं उस वक्त प्रत्येक जाति के सदस्यों को पैदा होते ही उपहार–स्वरूप मिली परम्पराओं और कार्य का पालन करना होता था हालाँकि विभिन्न जातियों को सामाजिक रूप से अलग किया गया फिर भी उस समय कई जातियाँ एक–दूसरे पर निर्भर रहती थीं। इस तरह की परस्पर निर्भरता को जजमानी प्रणाली का नाम दिया गया था।

परिवहन और संचार के तेजी से विस्तार होने के कारण इस जजमानी व्यवस्था में काफी गिरावट आ गई कामिन गाँवों से बाहर जाकर अन्य व्यवसाय तलाश करने में सक्षम हो गये और साथ में सामाजिक सुधार आन्दोलनों के प्रभाव के कारण शोषित जातियों को काफी लाभ मिलने लगा। आर्य समाज जैसे विभिन्न धार्मिक सुधार आन्दोलनों ने जजमानी प्रणाली को बन्द करने में काफी योगदान दिया है। आज अधिकांश गाँव जजमानी–कामिन प्रणाली के अधीन नहीं है।

विशेषीकरण में वृद्धि :

विशेषीकरण का महत्व बढ़ने से लोगों के प्रस्थिति का निर्धारण जन्म के आधार पर न होकर उनकी योग्यता व कुशलता पर होने लगा है। आज सभी जातियों के लोग उन व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं जिन्हें कुछ समय पहले तक वे जाति के नियमों के अनुसार नहीं कर सकते थे। इस परिवर्तन ने भारतीय समाज की परम्परागत संरचना एवं प्रकार्य को पूरी तरह बदल दिया है।

निम्न जातियों के जीवनशैली में परिवर्तन :

परम्परागत रूप से जाति व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न जातियाँ सभी तरह के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों से वंचित थीं, लेकिन आज इन जातियों के स्थिति में सुधार होने के साथ ही जीवनशैली में सुधार, नई चेतना की जागृति, रहन–सहन आदि में परिवर्तन हुआ है। आज कुछ जातियों एवं निम्न जातियों में किसी तरह का स्पष्ट अन्तर कर पाना बहुत कठिन है।

संस्कृतिकरण के फलस्वरूप जाति के परम्परागत नियम बहुत तेजी से कमजोर होते जा रहे हैं। आज विभिन्न जातियों के लोग निषेधों को नहीं मानते हैं। निम्न जातियाँ अपनी परम्परागत पेशों को छोड़कर राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग और व्यापार में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। निम्न जातियों के धार्मिक व्यवहार उच्च जातियों की तरह होता जा रहा है। परम्परागत रूप से सभी जातियों का कर्त्तव्य ब्राह्मणों के प्रभुत्व को स्वीकार करना था लेकिन आज उच्च जातियों के अधिकार कम होने लगे हैं। निम्न जातियों की राजनीतिक और सामाजिक शक्ति बढ़ने से भी शक्ति संरचना पर उच्च जातियों का एकाधिकार समाप्त हो गया।

परम्परागत व्यवसायों पर जब उच्च जातियों का एकाधिकार समाप्त हो गया तो बहुत से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों ने चमड़े, शराब और बीड़ी बनाने जैसे व्यवसायों के अतिरिक्त कपड़े धाने की लॉण्ड्री खोलना आरम्भ कर दिये। कुछ जातियों के बहुत से लोग खेती या मजदूरी के द्वारा भी आजीविका उपार्जित करने लगे। निम्न जातियों के समान उच्च जातियों में मांस और मदिरा का उपयोग भी बढ़ने लगा। ये सभी वे दशाएँ हैं जिन्हें श्रीनिवास ने असंस्कृतिकरण कहा है।

वैवाहिक रीतियों में परिवर्तन :

प्रत्येक जाति अपने सदस्यों को यह निर्देश देती है कि वे अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करें लेकिन वर्तमान समय में इन प्रतिबंधों में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विलम्ब विवाह और प्रेम विवाह करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और ऐसे विवाहों में प्रायः जाति–पात के भेदभाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता है।

पुरोहित ब्राह्मणों के विचारों तथा व्यवसायों में परिवर्तन :

परम्परागत रूप से भारतीय समाज में पुरोहित ब्राह्मण का मुख्य कार्य पठन–पाठन करना तथा धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न करना था परन्तु ब्रिटिश शासन काल में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ तो अन्य जातियों की तुलना में स्वयं ब्राह्मण जातियाँ अंग्रेजी शिक्षा के प्रति सबसे अधिक आकर्षित हुईं। ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरी निम्न जातियाँ नई शिक्षा ग्रहण करके लोगों ने जब प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक जैसे प्रतिष्ठित पदों को प्राप्त करना आरम्भ कर दिया तो पुरोहितों के व्यवसाय में लगे हुए लोगों की प्रतिष्ठा बहुत कम समझी जाने लगी। इसी का परिणाम है कि अनेक ब्राह्मण पुरोहितों ने भी अपने परम्परागत व्यवसाय को छोड़ना आरम्भ कर दिया।

जीवन चक्र के कर्मकाण्डों में परिवर्तन :

आज एक ऐसी आचार–संहिता का विकास हुआ है जो धार्मिक कम धर्मनिरपेक्ष अधिक है। उदाहरण के लिए अनुष्ठानों तथा कर्मकाण्डों को पूरा करने के लिए ब्राह्मण पुरोहितों से उसी तरह का मेहनताना तय कर लिया जाता है जिस तरह इसका निर्धारण नाई, माली या दूसरे काम करने वालों के साथ होता है। विवाह जैसे महत्वपूर्ण संस्कार की पूर्ति में भी धार्मिक क्रियाओं की तुलना में स्वागत समारोह को अधिक महत्व दिया जाता है। इस अवसर पर जो व्यक्ति जितने अधिक उच्च अधिकारी, राजनेताओं तथा प्रभावशाली लोगों का स्वागत करने में सफल हो जाता है। उसकी स्थिति समाज में उतनी ही ऊँची मानी जाती है।

निष्कर्ष :

आज जाति व्यवस्था के प्रकार्यों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। जाति व्यवस्था के व्यवसाय प्रतिबंध के नियम कमजोर हो चुके हैं जो जाति व्यवस्था को बनाये रखने में सहायक थी। दूसरे शब्दों में जाति प्रथा का बन्द द्वार अब धीरे–धीरे खुल रहा है। जिसके कारण विभिन्न जातियों के सदस्यों में वह दूरी तथा विशेषाधिकार भी नहीं रहे जो पहले थे। विभिन्न जातियों के सदस्यों में पारस्परिक व सामाजिक आदान–प्रदान में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। जाति प्रथा में वर्ग प्रथा के अनेक गुण तथा विशेषताएँ स्पष्ट हो गई है। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में जाति क्रमशः वर्ग के रूप में विकसित हो रही है। बहुत लम्बे समय से भारत की सामाजिक संरचना के निर्धारण में जाति व्यवस्था से सम्बन्धित नियम प्रभाव पूर्ण बने रहे। प्रत्येक व्यक्ति को परम्परागत जाति व्यवस्था के अन्तर्गत एक दूसरे की तुलना में कम और अधिक अधिकार मिलते रहे। सभी जातियों की स्थिति भी एक दूसरे की तुलना में ऊँची और नीची थी, परन्तु आज जातियों में ऊँच–नीच का संस्तरण पूरी तरह टूट चुका है। कोई भी किसी भी जाति की तुलना में अपने को निम्न नहीं मानता है। अनेक निम्न जातियों की प्रस्थिति उच्च जातियों से बेहतर होती जा रही हैं। जाति व्यवस्था से सम्बन्धित सामाजिक सम्पर्क व्यवसाय और खान–पान से सम्बन्धित प्रतिबंध पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। जाति सम्बन्धी मनोवृत्तियों में भी व्यापक परिवर्तन हुआ है।

वर्तमान में औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप नगरीकरण, विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन बढ़ा है। खान–पान व रहन–सहन में परिवर्तन हुआ है। छुआछूत व जाति–पात के भेदभाव में कमी आई है। शिक्षा का प्रसार हुआ है। रूढ़िवादिता व अंधविश्वासों में कमी आयी है। तार्किक व्यवहार में नये विश्वास पनपे हैं। अनुसूचित जाति के स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुआ है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है। ये सभी परिवर्तनों ने पारम्परिक जाति व्यवस्था को झकझोर दिया है और परिणामस्वरूप उसमें परिवर्तन की नवीन प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची–

1. शर्मा, के0एल0 : संरचना एवं परिवर्तन, रावत पब्लिकेशंस, 2010, पृष्ठ संख्या 155.
2. लुई ड्यूमा : हामो हाइरार्किकस, द कास्ट सिस्टम एण्ड इट्स पब्लिकेशंस, 1966, पृष्ठ संख्या 151–158.
3. घुर्ये, जी0एस, कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया, बाम्बे, पापुलर बुक डिपो, 1950.
4. श्रीनिवास, एम0एन0 : आधुनिक भारत में सामाजिक परितर्वन, राजकमल प्रकाशन प्रा0 लि0, 2019, पृष्ठ संख्या 85.
5. मजूमदार और मदान : एन इन्ट्रोडक्शन टू सोशल एन्थ्रोपोलॉजी, 2020, पृष्ठ संख्या 221.
6. दूबे, श्यामाचरण : भारतीय समाज, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2020, पृष्ठ संख्या 46.
7. मुकर्जी, रविन्द्र नाथ : भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली–7, 2007, पृष्ठ संख्या 111.
8. नदीम हसनैन : भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे, पलका प्रकाशक, 2016, पृष्ठ संख्या 128.

अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास के लिए किए गये सरकारी और गैर सरकारी प्रयास

(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

वन्दना मौर्य

शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग
महाराज बलवंत सिंह पी० जी० कॉलेज
गंगापुर, वाराणसी
प्रो० आलोक कुमार कश्यप
शोध निर्देशक, समाजशास्त्र विभाग
महाराज बलवंत सिंह पी० जी० कॉलेज
गंगापुर, वाराणसी

साराशः–
भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से एक विशाल देश है यह एक ऐसा विविधता वाला देश है जहां विभिन्न प्रकार के समाज व समुदाय के लोग रहते हैं सामान्यतरू इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के रहन–सहन, कला, भाषा और साहित्य के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक स्थितियों में भी भिन्नता पाई जाती है इन भिन्नताओ में एक वर्ग है अनुसूचित जाति की महिला, जिनको समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं इन कमजोर वर्गों के लिए संविधान में भी विशेष प्रावधान किया गया है।
महिला को कमजोर वर्गों में रखा जाता है क्योंकि हजारों वर्षों से समाज द्वारा इनके ऊपर सामाजिक, धार्मिक निर्योग्यताएं लादी गई हैं जिनके कारण इन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है। किसी भी समाज के विकास का सीधा सम्बन्ध उस समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है महिलाओं के विकास के बिना व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत हमारे कानूनों, विकास सम्बन्धी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की उन्नति को उद्देश्य बनाया गया है।
प्रस्तुत शोध लेख में अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास के लिए किए गए प्रयास का वर्णन किया गया है। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कानून, अनुसूचित जाति से सम्बन्धित प्रमुख अनुच्छेद, पंचायत व स्थानीय निकायों में आरक्षण, गैर सरकारी प्रयास, महिला, अंग्रेजी शासन काल में महिलाओं के सुधार के लिए किए गए प्रयास, स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जाति की महिलाओं की विकास के लिए किए गए प्रयास, संविधान में अनुसूचित जाति के महिलाओं से सम्बन्धित प्रावधानो के बारे में बताया गया है।

मुख्य बिंदु :–
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से सम्बन्धित प्रमुख कानून व अनुच्छेद, महिला, महिलाओं से सम्बन्धित प्रावधान, विकास, महिला विकास निगम, महिला आरक्षण विधेयक।

प्रस्तावनाः–
प्रत्येक समाज की संरचना के समान ही भारतीय सामाजिक संरचना में भी उच्च वर्ग व निम्न वर्ग विद्यमान है। भारतीय समाज में कुछ समूह सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं जिन्हें कमजोर वर्ग कहा जाता है। इन वर्गों केउत्थान के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। **गेलेन्टर** ने अपनी पुस्तक (Competing Inequalities) में लिखा है कि इस देश के इतिहास के विभिन्न कालों में कमजोर वर्गों का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त शोषण हुआ है इन कमजोर वर्गों का धर्मविधि में भी सबसे नीचा स्थान दिया गया है, स्वतन्त्रता के बाद इन कमजोर वर्गो को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अर्थात उनके विकास के लिए संविधान ने संवैधानिक सुविधाएं एवं सुरक्षाएं दी है। **गेलेन्टरइ** से **क्षतिपूरक भेदभाव** (Compensatory Discrimination) कहते हैं। वे कहते है कि संविधान ने जो सुविधाएँ दी है वह

कोई सरकार की अनुकम्पा नहीं है वास्तविकता तो यह है की राज्य को वर्गो को ऐसे अवसर देने है जिनके माध्यम से ये समानता की प्रतिष्ठा पा सके ।

अनुसूचित जाति (Scheduled Castes)**:**

अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1927 में साइमन कमीशन द्वारा किया गया। 1935 के अधिनियम में इन्हें सूचीबद्ध किया गया तथा इन्हें **'अनुसुचित जाति'** नाम दिया गया। वे अस्पृश्य जातिया जिन्हें और औपचारिक एव वैधानिक रूप से संविधान की अनुसूची (अनुछेद 341) में शामिल किया गया है इन्हें सामूहिक रूप से **अनुसूची जाति** कहा जाता है।

साइमन कमीशन द्वारा 229 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है।

डी० एन० मजूमदार के शब्दों में अस्पृश्य जातियां वह है जो विभिन्न सामाजिक एवं निर्योग्यताओं से पीड़ित है जो उच्चतर जातियों द्वारा लागू की गई है।

अनुसूचित जाति को अंग्रेजों द्वारा दलित जाति/वर्ग (dipressed cast) शब्द का प्रयोग किया गया। **1931 की जनगणना** में हट्टन (cast in india) में बहिष्कृत जातियां/बाहरी जातियां,**महात्मा गांधी** ने हरिजन,**डॉक्टर अंबेडकर** ने भग्न पुरुष/जाति कहा।

2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की आबादी 16.6% या (20.13 करोड़) है सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु तथा सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, यू०पी० में है। मिजोरम, मेघालय, गोवा में सबसे कम प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति से संबंधित प्रमुख कानून :–

अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955 1976 में इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया जो 19 नवंबर 1976 से लागू है

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989:– 30 जनवरी सन् 1990 से लागू किया गया

मैलाढोने की कुप्रथा का प्रतिरोध एवं पुनर्वास अधिनियमः– 6 दिसंबर 2013 (सुलभ इंटरनेशनल) 1970 बिंदेश्वर पाठक।

राज्य अनुसूचित जाति विकास नियमः– 1978 – 1979।

अनुसूचित जाति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदः–

अनुच्छेद 15 (1)धर्म, मूल–वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थल आदि के आधार पर राज्य नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा ।

अनुच्छेद 15 (2) धर्म, मूल–वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थल आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता।

अनुच्छेद 15 (4) सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को उत्थान के लिए विशेष प्रावधान।

अनुच्छेद 16 (1) राज्याधीन नौकरियों में अवसर की समानता ।

अनुच्छेद 16 (4) राज्याधीन नौकरियों में संरक्षणात्मक भेदभाव ।

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत सिविल अधिकार अधिनियम 1955 ।

अनुच्छेद 19 (1) व्यवसाय की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 23 में बेगार/बंधुआ मजदूरी को गैरकानूनी बनाया गया है ।

अनुच्छेद 46 कमजोर वर्ग की विशेष आर्थिक एवं शैक्षिक सहायता, सामाजिक न्याय, शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण ।

अनुच्छेद 25 हिंदुओं के सार्वजनिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के खोल दिया गया। **अनुच्छेद 29(2)** राज्य द्वारा पूर्व अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान मेंकिसी नागरिक को धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता।

अनुच्छेद 330, 332 में संसद, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। वर्तमान में लोकसभा में 543 में 79 सीटें तथा राज्य विधानसभा में 562 सीटें आरक्षित है।

पंचायत एवं स्थानीय निकायों में आरक्षण :–

अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण

अनुच्छेद 338 विशेष अधिकारी (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त) की नियुक्ति का प्रावधान था। 65 वें संविधान, 1990 में विशेष अधिकारी के स्थान पर एस०सी० एवं एस०टी० के एक कहीं आयोग बनाया गया था बाद में अनुच्छेद 338 (ए) में 89 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान

अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार

गैर सरकारी प्रयास :–

सत्यशोधक आंदोलन 1873:– यह एक ब्राह्मण विरोधी, सामाजिक–धार्मिक सुधार आंदोलन है। मूर्ति पूजा, कर्मकांडवाद, कर्म सिद्धांत की आलोचना।

ई० वी० रामास्वामी नायकर (पेरियार) 1879:– 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन। जाति व्यवस्था का विरोध। धार्मिक ग्रंथों की आहुति एवं अतिवादी आंदोलन।

सी०वी० रमन पिल्लई एवं के० रामाकृष्ण पिल्लई :– द्वारा त्रावणकोर, केरल में नम्बूदरी ब्राम्हणों के वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन

श्री नारायण गुरु:– एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की कल्पना को लेकर केरल का समाज सुधार आंदोलन। श्री नारायण धर्म परिपालन संस्थान की स्थापना। एझावा जाति से सम्बन्धित दलितों के लिए अलग मंदिर एवं पुरोहित बनाना ।

तमिलनाडु में नदार आंदोलन, पल्ली आंदोलन तथा 1920 में महाराष्ट्र में बाबा गोपाल मावलकर एवं भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिरों में प्रवेश द्वार को लेकर आंदोलन चलाया गया

हरिजन सेवक संघ 1932:– ए०बी० उक्कर बापा के निर्देशन में।

बहिष्कृत हितकारिणी सभा :– डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा

रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1956 अनुसूचित जाति फेडरेशर/संघ की स्थापना

ब्रह्म समाज:– 1828 राजा राम मोहन राय द्वारा

प्रार्थना समाज :– 1876 आत्माराम पांडुरंग के द्वारा।

महिला (woman) **:–**महिलाओं को कमजोर वर्ग में रखा जाता है क्योंकि हजारों वर्षों से समाज द्वारा उनके ऊपर उनके सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताए लादी गई जिसके कारण उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है।

सिमोन दी बुआ का कथन है:– स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि समाज द्वारा बनाई जाती है

सामाजिक आधार पर भेदभाव को जेंडर कहा जाता है

वर्तमान में लोकसभा 78/14.3% तथा राज्यसभा में 24 महिला सांसद है 2022 वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत 135 से स्थान पर है 2011 को महिला साक्षरता दर 65.46% है तथा स्त्री पुरुष लिंग अनुपात 946 है ।

भारत में महिलाओं की स्थिति **वैदिक काल** में समानता पर आधारित थी। शिक्षा का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गिरावट आना प्रारंभ हो गया जो धर्म काल में भी जारी रही। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि समस्याएं मध्यकाल में अपने चरम पर था। जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय थी। अंग्रेजी शासन काल में पुनः सुधार के प्रयास प्रारंभ हुए जो निम्न प्रकार से है–

1 **सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829**– राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को 4 सितम्बर 1987 की घटना के बाद 3 जनवरी 1988 को संशोधन किए गए।
2 **विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856**– ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 16 जुलाई 1856 से लागू। लॉर्ड डलहौजी के समय बना लॉर्ड कैनिंग के समय लागू हुआ।
3 **विशेष विवाह अधिनियम 1872**
4 **बाल विवाह अधिनियम 1929**– हरबिलास शारदा के प्रयासों से इसे 1 अप्रैल 1930 से लागू किया गया। 1978 में विवाह की आयु 18 वर्ष व 21 वर्ष तथा 2006 में संशोधन हुआ 1 नवंबर 2007 से लागू है।
5 सर्वप्रथम 1917 में श्रीमतीएनीबेसेंट द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महिला मताधिकार की बात कही गई।
6 सन् 1917 में मद्रास में भारतीय महिला समिति का गठन किया गया।
7 सन् 1927 में अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना हुई।
8 1932 में महिलाओं के लिए दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज स्थापित किया गया
9 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन अधिनियम) 1929
10 हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का अधिनियम 1937 ।

स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के विकास के लिए किए गए प्रयास :–

1 विशेष विवाह अधिनियम 1954।
2 हिंदू विवाह अधिनियम 1955
3 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956।
4 भरण पोषण अधिनियम 1956
5 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 2005 में संशोधन
6 हिंदू विवाह और अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946
7 हिंदू दत्तक ग्रहण और अनुरक्षण अधिनियम 1956
8 दहेज निवारण अधिनियम 1961, 1986 में संशोधन
9 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 2017में संशोधन 730 का अवकाश।
10 प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961
11 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
12 शिशु गृहों की स्थापना 1976
13 स्त्री अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम 1986।
14 वेश्यावृत्ति/अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986।
15 प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 (कन्या भ्रूण हत्या के लिए)

16 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953

17 1957 सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

18 8 मार्च 1992 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया तभी से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है

19 महिला विकास निगम (WDC) सन 1986–87 में स्थापित

20 महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष 2003–2004 में स्थापित।

21 2 अक्टूबर 1993 से महिला समृद्धि योजना प्रारंभ की गई।

22 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया

23 30 मार्च 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया

24 2 अक्टूबर 1997 को बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत

25 स्वयंसिद्धा योजना मार्च 2001 में लागू

26 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990

27 महिला एवं बाल विकास विभाग 1985

संविधान में महिलाओं से सम्बंधित प्रावधान

अनुच्छेद 15– समानता का अधिकार

अनुच्छेद14– विधि के समक्ष समानता

अनुच्छेद16– अवसर की समानता

अनुच्छेद39– समान कार्य के लिए समान वेतन

अनुच्छेद40– पंचायती राज में आरक्षण 73 वे संविधान संशोधन

अनुच्छेद42– प्रसूति सहायता

अनुच्छेद45– महिलाओं हेतु पोषाहार व जीवन स्तर में सुधार

अनुच्छेद51– में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले रीति–रिवाजों एवं परंपराओं का त्याग

महिला आरक्षण विधेयक 1998–330 (1) व 332(1)में 33%आरक्षण के बात

1950 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना

अनुच्छेद46– कमजोर वर्गों की विशेष आर्थिक एवं सुरक्षित सहायता।

महिलाओं से संबंधित प्रमुख दिवस एवं वर्ष

1 भारतीय महिला संघ 1917

2 1927 अखिल भारतीय महिला सभा

3 1957 महिला व 1975–1985 महिला दशक, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

4 2001 महिला सशक्तिकरण / अधिकारिता वर्ष

5 महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति–20 मार्च 2001

6 2013 महिला सुरक्षा वर्ष

7 24 जनवरी राष्ट्रीय–बालिका दिवस

निष्कर्ष :–

प्रस्तुत शोध लेख में यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास के लिए जो प्रयास किए, सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर, उनके लिए जो संविधान में जो प्रावधान बनाए गयेए स्वतंत्रता से पहले तथा स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उनसे उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी अनुसूचित जाति की महिलाएं पूर्ण रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

- कुमार अरुण, (2015) "आधुनिक शिक्षा एवं दलित" रावत पब्लिकेशन ।
- त्रिपाठी, प्रो० मधुसूदन, त्रिपाठी पतंञ्जलि (2016) "भारत में अनुसूचित जाति–जनजाति" अरुण प्रकाशन।
- शर्मा, सुमित्रा (2021) "वैश्वीकरण सामाजिक गतिशीलता एवं अनुसूचित जाति" रावत पब्लिकेशन।
- तिवारी, ए० के० (2015) "समाजशास्त्र" टारगेट पॉइंट प्रकाशन, प्रयागराज ।
- अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिकाः ग्रामीण महिलाओं के बदलते सामाजिक मूल्य एवं आकांक्षाएं, 2015
- विकिपीडिया
- क्रोम वेब ब्राउजर
-

ग्रामीण नेतृत्व के बदलते प्रतिमान : पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता के विशेष संदर्भ में

प्रो0 ब्रजेश कुमार सिंह
समाजशास्त्र विभाग,
म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सारांश :
पंचायतीराज व्यवस्था लागू होने तथा महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण के पश्चात् महिलायें परिवार व समाज के सहयोग से न केवल पंचायत चुनावों में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही हैं बल्कि पंचायत सदस्य व पदाधिकारी के रूप में महिला पंच व सरपंच औरतों से जुड़े मुद्दों के साथ–साथ सामान्य विकास के कार्यों में भी दिलचस्पी लेने लगी है और ग्रामीण जीवन के सामाजिक समीकरण को भी बदलने लगी हैं। सच तो यह है कि जब महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों का प्रावधान किया गया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि यही एक कदम ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण और गांवों की स्थिति सुधारने के लिए इतना महत्वपूर्ण बन जाएगा। पिछले 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि राजीव गांधी ने गांवों के परम्परागत ढांचे में उपेक्षित और वंचित वर्गों को सत्ता का भागीदार बनाने का जो सपना देखा था वो सामाजिक दृष्टि से अत्यंत क्रांतिकारी सिद्ध हुआ है। निर्णय लेने की प्रक्रिया और सत्ता संचालन में भागीदारी मिलने से स्वयं महिलाओं का ही नहीं समूचे ग्रामीण क्षेत्र की कायापलट करने में मदद मिल रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से पंचायतीराज व्यवस्था द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण व ग्रामीण नेतृत्व में उनकी भूमिका का अध्ययन करना है।

मुख्य शब्द– पंचायतीराज व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, महिला नेतृत्व, महिला आरक्षण, परिवार, समाज

प्रस्तावना : महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 73वें संविधान संशोधन विधेयक को जाता है। देश के इतिहास में पहली बार पंचायत व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए यह आरक्षण पंचायत के पदाधिकारियों के पदों पर भी लागू हुआ है जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश की पंचायतीराज व्यवस्था के विभिन्न पदों यथा सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख इत्यादि पर महिलाएं पदासीन हुई हैं। संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां शासन के निम्नतम स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। भारत की केन्द्रीय सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर 24 अप्रैल, 1993 से लागू कर दिया था। भारत में मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायतों के चुनाव कराये। 73वां संविधान संशोधन पास हुए अभी डेढ़ दशक ही पूर्ण हुआ है किंतु वर्षों से घर की चहारदीवारी के अन्दर बन्द महिलाओं ने बाहर समाज में आकर एक कुशल प्रशासक के रूप में जिस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है; वह निःसंदेह ग्रामीण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन का कदम है।

ग्रामीण नेतृत्व में परिवर्तन :

ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन, जमींदारी व्यवस्था का समापन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बल मिला जिससे परम्परागत ग्रामीण शक्ति संरचना तथा

नेतृत्व में मूल परिवर्तनों का प्रादुर्भाव हुआ। परिवर्तित परिस्थितियों में यह देखा गया है कि नेतृत्व के नये प्रतिमान बदलते हुए सामने आये है। नेतृत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रामीण जीवन के शक्ति के दो ही स्रोत प्रमुख रहे हैं– जन्म और कर्मकाण्ड आधारित श्रेष्ठता तथा समूह विशेष का संख्या बल। आज जन्मजात श्रेष्ठता की अपेक्षा संख्या बल का महत्व शक्ति संरचना में तेजी से बढ़ा है। परिणाम स्वरूप यह देखा गया है कि गांवों में नेतृत्व का परम्परागत स्वरूप शिथिल पड़ने लगा है, लेकिन उच्च जातियों को भी नकारा नहीं जा सकता, चाहे वे उच्च जातियां परोक्ष रूप में ही क्यों न हो।

ग्रामीण नेतृत्व में अधिकांश ग्रामों की मध्य स्थिति की कृषक जातियां उभरकर आ रही है। भूस्वामित्व और उच्च अनुष्ठानिक पद शक्ति के मुख्य आधार थे, लेकिन बालिग मताधिकार और पंचायतीराज व्यवस्था ने इनको समाप्त किया है। राजनैतिक दलों ने संगठन को विशेष महत्व दिया है। राजनैतिक कार्य और निर्णय पूर्व की भांति जाति से नहीं निर्धारित होते बल्कि पद और सत्ता लोगों को जातीय विचार के बिना प्राप्त हो रहे हैं। तीन दशक पहले उच्च जातियों का एकाधिकार था लेकिन आज ऐसा नहीं है। हर राजनैतिक दल ऐसे युवक और महत्वाकांक्षी लोगों की तलाश करता है जिन्हें वह विधानसभा या लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाये। स्वतंत्रता के बाद कई नवीनतम संरचनाओं का उदय हुआ, जैसे ग्राम पंचायत या क्षेत्रीय समिति, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, स्थानीय शासन के अनेक संगठन और श्रमसंघ, किसान संघ, नये पुराने राजनीतिक दल विधानसभा व संसद के चुनावों के समय गांवों में प्रवेश किये, जिससे पुराने इलाकेदारों और जमींदारों का प्रभाव कम हुआ है। ये लोग अब गांव के नेता नहीं रह गये। नेता के लिए जमींदार होना आवश्यक नहीं है। हर गांव में राजनैतिक दल अपना छोटा संगठन बना लिया है जिससे विधायक पार्टी व गांव के नेता एक तार में बंधे रहते है। आज गांवों में जो नेता आ रहे है वो इलाकेदार या जमींदार वर्ग के नहीं, बल्कि छोटे सामान्य कास्तकार है उनकी शक्ति गांव के समर्थकों पर निर्भर है। नेता गांव के छोटे–छोटे समूहों के पास आता है उनकी समस्याओं को सुनता है समाधान हेतु पहल करता है अर्थात जो सरलता से जनता को संगठित करने का गुण रखता है, वहीं आज की तारीख में सफल नेता है। ऐसे स्वयंसेवक या पार्टी संगठन से जुड़े हुए युवा नेता पार्टी को राजनैतिक सत्ता प्राप्त होने पर आर्थिक सुरक्षा हेतु सरकारी विभागों से सम्पर्क स्थापित कर ऋण, खाद, बीज, सरकारी सब्सिडी तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ अपने अनुयायियों को दिलाता है। इसी सूत्र से गांव का नेता विधायकों व सांसदों से सम्पर्क स्थापित करके अपने गांव की समस्याओं से अवगत कराता है। इस प्रकार कह सकते है कि गांव का भी राजनीतिकरण हो चुका है। गांव के नेता राजनीति के माध्यम से गांव, ब्लाक, जिला और राज्य एकसूत्र में बंध जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में यह विश्वास जड़ पकड़ता जा रहा है कि व्यक्तिगत और गांव व क्षेत्र के उत्थान के लिए राजनीति में रूचि लेना आवश्यक है। ग्रामीण नेता शहरों की भागीदारी राजनीति के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। बालिग मताधिकार ने राजनीति में गांवों को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है। गांवों में पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर राजनीति का विस्तार हो रहा है जो वर्ग अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करता है वह राजनीति में रूचि लेता है। पूर्व में ग्रामीण राजनीति उच्च व सम्पन्न परिवारों के हाथ का खिलौना रही हैं किंतु अब उसमें कृषक जातियों का जोर बढ़ा है और निरंतर आने वाले प्रभाव में मध्यम वर्ग कृषक जातियों का ग्रामीण राजनीति पर ही नहीं बल्कि जिला और राज्य स्तर पर भी प्रभाव बढ़ रहा है। राज्य स्तर पर ग्रामीण प्रतिनिधित्व का अनुपात और प्रभाव दोनों ही बढ़ रहे है।

पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता तथा तद्जनित परिवर्तन :

पंचायतीराज व्यवस्था के लागू होने से देश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है। इससे जहां एक ओर लोगों में सत्ता समीकरणों में सदियों से चली आ रही जड़ता को तोड़ने में मदद मिली वही दूसरी ओर पंचायतीराज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों व महिलाओं के आरक्षण से इन वर्गों की सहभागिता सत्ता में बढ़ी है।

सच तो यह है कि जब महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का प्रावधान दिया गया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि यही एक कदम ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण और गांवों की स्थिति सुधारने के लिए इतना महत्वपूर्ण बन पाएगा। पिछले 25 वर्षों का अनुभव बताता है कि राजीव गांधी ने गांवों के परम्परागत ढांचे में उपेक्षित व वंचित वर्गों को सत्ता का भागीदार बनाने का जो सपना देखा था वो सामाजिक दृष्टि से अत्यंत क्रांतिकारी सिद्ध हुआ है। निर्णय लेने की प्रक्रिया और सत्ता संचालन में भागीदारी मिलने से स्वयं महिलाओं का ही नहीं समूचे ग्रामीण क्षेत्र की कायापलट करने में मदद मिल रही है।

जैसा कि हमारे समाज में होता है। शुरू–शुरू में पंचायतों में गांवों के प्रभावशाली लोगों ने अपनी पत्नियों, बहनों और रिश्तेदारों को चुनाव में उतारकर समझ लिया कि वे उनके इशारों पर चलेगी। किंतु एक बार सत्ता का हिस्सा बनने के बाद महिला पंच और सरपंच औरतों से जुड़े मुद्दों के साथ–साथ सामान्य विकास के कार्यों में दिलचस्पी लेने लगी और ग्रामीण लोगों के सामाजिक समीकरण भी बदलने लगा। धीरे–धीरे पंचायतीराज संस्थाओं का स्वरूप बदल रहा है जो संस्थाएं पहले समाज के प्रभुत्व वर्ग की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम हुआ करती थी अब वे सच्चे अर्थों में ग्राम स्वराज की इकाई बनती दिखाई दे रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र की यू0एन0एफ0पी0ए0 एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत में पंचायतों में आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं में उपजी नई चेतना की सराहना की है। आज सभी राज्यों में पंचायतों के माध्यम से महिलाएं नए उत्साह और स्फूर्ति के साथ विकास गतिविधियों में योगदान दे रही है। अनेक राज्य सरकारों ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी है। पंचायतीराज व्यवस्था की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार सभी राज्यों में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत 33 को पार कर गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शुरू में महिला आरक्षण और उसके चुनाव का मजाक उड़ाया जाता था और पुरूषों की कठपुतली मानकर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता था, किंतु अब महिलाओं की अपनी क्षमताओं का एहसास हो गया है और वे कुछ कर दिखाने तथा अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी इच्छा से चुनाव लड़ रही है। इनमें अनुसूचित जातियां और जनजातियों की महिलाएं भी आगे आ रही हैं।

सत्ता में भागीदारी की यह मात्रा केवल संख्या या अनुपात तक सीमित नहीं है। पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की उपस्थिति से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्हें पहली बार एहसास हुआ है कि चूल्हा चौका और बच्चे पलने के साथ–साथ वे अपने गांव और समाज के लिए ऐसे काम भी कर सकती है जिनके लिए शासित समाज में पहले कभी उन्हें मौका ही नहीं दिया। मध्यावधि समीक्षा की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महिला प्रतिनिधि पंचायतों का बजट तैयार करने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा रही है। इसमें घरेलू बजट तैयार करने का उनका अनुभव और सूझबूझ काम आ रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि बजट तैयार करते हुए वे उन कार्यों को अधिक महत्व देती हैं जो महिलाओं के उपयोग के हैं। इस प्रकार महिलाओं के प्रति अभी तक चले आ रहे भेदभाव को दूर करने में मदद मिल रही है। यह भी देखने में आया है कि पंचायत की पदाधिकारी बनने से घर–परिवार में और आस–पास उनका सम्मान बढ़ गया है

और जो मर्द पहले औरतों के सुझावों की अनदेखी करते थे वे अब उनकी बातों को गंभीरता से लेते है और उनसे समानता का बर्ताव करते हैं। इस नये सम्मान व प्रतिष्ठा के चलते महिलाएं गांवों के छोटे–छोटे झगड़े और विवाद भी निपटाने लगी है। जहां महिलायें सरपंच चुनी गई हैं वहां पंचायतों के कामकाज में काफी सुधार देखा गया है। पंचायतों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी कल्याणकारी तथा रोजगार देने वाले कार्यक्रमों को अधिक मुस्तैदी से लागू किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा किये गये ये प्रयास निश्चय ही देश के ग्रामीण राजनैतिक भविष्य की इबारत बदलने के लिए पर्याप्त है।

वैसे देखा जाये तो ग्रामीण महिलाएं जब अपने घरेलू कार्यों के साथ–साथ कृषि कार्यों को भी सही प्रबंधन कर निपटा लेती है तथा अपने बच्चों का भी पालन–पोषण कर लेती है तो ऐसी कुशल प्रबंधक को पंचायत का पोषण करने में कहां समस्या आ सकती है। वे अपने उद्देश्यों के प्रति अपने संस्कारों की वजह से अधिक प्रतिबद्ध, ईमानदार और उत्साही रहती हैं। जरूरत इस बात की है कि सम्पूर्ण व्यवस्था उनके पक्ष को लेकर पुर्नव्यवस्थित हो और पारिवारिक सहमति उसमें शामिल हो। हमें पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी के लगभग 27 वर्षों बाद अनुभवों को महत्व देते हुए प्रत्येक पहलू की पुर्नव्यवस्था करनी होगी।

जाहिर है कि सत्ता क्षेत्र में पहली बार पदार्पण करने के कारण बहुत सी महिला पंच या सरपंच अनुभवहीन है। उन्हें सरकारी नियम कायदों और कानून की सम्यक् जानकारी नहीं है। कई सदस्य अशिक्षित भी होते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकारें उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है जिनमें शामिल होकर विभिन्न नियमों–कानूनों की जानकारी पाने के साथ–साथ वे एक दूसरे के अनुभव बांट सकती है। इससे वे विभिन्न समस्याओं से निपटने के अलग–अलग तरीकों को समझ सकती है। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुचारू तथा व्यापक बनाने की जरूरत है।

निष्कर्ष : महिला पंचों और सरपंचों को जहां एक ओर अवसर मिले हैं, वहीं दूसरी ओर उनके सामने अनेक चुनौतियां भी है। उनके हर कदम पर आलोचनात्मक नजर पुरूषों की रहती है। उनकी अपनी परंपरावादी सोच और पुरूष सत्तावादी समाज भी उनके आगे बढ़ने में बाधक बन सकते है, इसलिए उन्हें संभल–संभल कर और पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करना होगा। उनके कई अपेक्षाएं हैं। सबसे पहला काम है गांवों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देना। प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति ठीक हो, वहां अध्यापकों की नियुक्ति हो, दोपहर के भोजन की सही व्यवस्था हो, लड़कियों को स्कूल भेजने में मॉ–बाप कोताही न करें, इन सब बातों पर महिला आंगनवाड़ी सही ढंग से अमल करें, महिलाओं के लिए रोजगार परियोजनाओं तथा स्वरोजगार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सही तरीके से हो, आपदाओं के समय सहायता वितरण में भ्रष्टाचार न हो, इन सब पहलुओं पर भी नजर रखनी होगी। पंचायतों के महिला प्रतिनिधियों को ग्रामीण भारत में दीप स्तम्भ की तरह चारों ओर चेतना और कार्यकुशलता की रोशनी फैलानी होगी। लड़कियों से भेदभाव और भ्रूण हत्या जैसी नई पनप रही समस्याओं का मुकाबला भी उन्हें स्वयं करना होगा। जाहिर है कि ये सभी दायित्व निभाना सरल नहीं है। असल में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण उनके सशक्तीकरण और ग्रामीण समाज के चहुंमुखी विकास की संभावनाओं के इतने द्वार खोल देगा। इसमें कोई शक नहीं कि अपेक्षाएं बहुत है, किंतु महिलाओं में क्षमताओं और ऊर्जा का कोई अभाव नहीं है। समाज उनका साथ दें और उन्हें उचित प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिलता रहे जैसे–जैसे महिला साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा वैसे–वैसे अपने ज्ञान व अनुभव के बल पर वे अपने आपको विधान सभाओं और लोकसभा में जाने के लिए तैयार कर सकेगी। संसद और विधान सदस्यों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक देर–सबेर पारित होना ही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. परमार, संदीप (1998), ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान, राधा प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. मोदी, अनीता (2009), ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं का योगदान, कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, अक्टूबर, पृष्ठ 28–37
3. अग्रवाल उमेश चन्द्र (2000), राजनीति और प्रशासन में महिलाएं, योजना, मासिक पत्रिका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, दिसम्बर, पृष्ठ सं0 14–15

सूचना प्रौद्योगिकी : बदलते पारिवारिक संबंध

डॉ0 प्रतिभा
समाजशास्त्र विभाग
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

सारांश–*भाषा के माध्यम से वह अपने भावों को अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्ति का यह स्वरूप लिखित और मौखिक दोनों रूपों में होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध संचार द्वारा ही साकार होता है कल जो सूचना प्रेषित करने की प्रवृत्ति प्रचलित थी वह आज नए रूप में नजर आ रही है, सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा पुल तैयार करती है जिसके अंर्तगत व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से गांव, गांव से कस्बा, कस्बा से शहर, शहर से राज्य, राज्य से देश और देश से विदेश एक छत के नीचे दिखाई देता है। सूचना प्रौद्योगिकी में आज हमारे जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम अपने दैनिक जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो हमें इस प्रौद्योगिकी की आधुनिक उपकरणों का सहारा लेना ही पड़ता है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने सामाजिक प्रबंधन के माध्यम से हम सभी को एक दूसरे से जोड़े रखा है। एक तरफ इन उपकरणों ने मानव जीवन को बहुत सरल बना दिया है तो दूसरी ओर इनके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं।*

मुख्य शब्द– सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना समाज, सामाजिक नेटवर्क, कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मानव यंत्र, डिवाइस, निर्वैयक्तिक, द्वैतियक

प्रस्तावना–

मानव विकास के साथ–साथ सूचनाओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए तीव्र साधनों की आवश्यकता महसूस होने लगी। कहा जाता है कि आवश्यकताएँ ही अविष्कार की जननी होती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में समाज को बदलने की शक्ति है। जैसे –जैसे आवश्यकता बढ़ी संचार के साधन भी बढ़ने लगे। और इस प्रकार धीरे–धीरे सूचनाओं के आदान–प्रदान का विकास होने लगा। साधारण भाषा में समझें तो सूचनाओं के आदान–प्रदान में विशेष तकनीकी का प्रयोग करना, जिससे कि सूचनाओं के आदान–प्रदान में आसानी हो, इसी विशेष तकनीकी को सूचना प्रौद्योगिकी कहते है।

आज हम एक ही समय में एक साथ कई कार्यों को अंजाम दे रहें है तो यह प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पा रहा है। प्रारम्भ में जब सूचना प्रौद्योगिकी का प्रार्दुभाव हुआ तो समस्त विश्व के लोंगों में यह भ्रम विकसित होने लगा था कि कहीं यह प्रौद्योगिकी हमें बेरोजगार न कर दे। समय के साथ यह भ्रम गलत साबित हुआ, आज हम सूचना प्रौद्योगिकी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी दिनचर्या में इतने उपकरण जुड़ गए है कि उनके उपयोग के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। विभिन्न डिवाइस जैसे–स्मार्ट मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप तथा इन्टरनेट के माध्यम से प्रतिक्रिया करना, ऑडियो, विडियो, वाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर ब्लॉग, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है।

सूचना प्रौद्योगिकी एक विस्तृत क्षेत्र है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं।

1. Network technology (संचार प्रौद्योगिकी)
2. Computer hardware technology (कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी)

3. Computer Software technology (सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी)

संचार प्रौद्योगिकी में संचार के माध्यममोबाइल, टेलीफोन, तार, इंटरनेट एवम् इंटरनेट से जुड़ी सभी चीजें आती हैं।

कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में कम्प्यूटर हार्डवेयरसे सम्बन्धित समस्त चीजें जैसे– बड़े कम्प्यूटर, मिनी कम्प्यूटर, मेनफ्रेम कम्प्यूटर, स्टोरेज की सभी प्रकार की डिवइसेज एवम सभी प्रकार के कम्प्यूटर एवम इनपुट, आउटपुट आदि कम्प्यूटर हार्डवेयर में ही आते हैं।

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में समस्त प्रकार के डेटा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, सर्वर, वेब ब्राउजर लैंग्वेज, कोडिंग आदि आते हैं।

वर्तमान समय में मानव जीवन के हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की माँग बढ़ती ही जा रही है। आज ई.–कामर्स, ई.–प्रशासन, ई.–सर्विस, ई–होटल, ई–रजिस्ट्रेशन, ई–मेल, ई–चौपाल, ई–लाइब्रेरी, ई–बैंकिग, ई–मैरिज, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन तथा परीक्षा परिणाम जैसी अनेक गतिविधियों को सफलता पूर्वक संचालित किया जा रहा है। आज विकसित संचार प्रौद्योगिकी के कारण व्यक्ति घर बैठे ही सम्पूर्ण दुनिया से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी ने मानव के रोजमर्रा के जीवन को बहुत से रूपों में प्रभावित किया है। तथा साथ ही साथ इसने मनुष्य के पारिवारिक सम्बन्धों को भी प्रभावित किया है। 21 वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रांति ने तो मानों मनुष्य के पारिवारिक सम्बन्धों को बहुत बड़े स्तर पर बदल दिया है। यह बदलाव हर प्रकार के सम्बन्धों पर देखने को मिलतें है। चाहे सम्बन्ध पिता पुत्र का हो, दादा का पोते–पोतियों से हो या पति–पत्नी का।

मानव सम्बन्ध र्निवैयक्तिक और द्वैतियक होते जा रहे हैं। सब ओर "मानव यंत्र" दिखाई पड़ते हैं जिसमें गति है परन्तु मौलिकता नहीं, स्पन्दन है परन्तु भावना नहीं, हृदय है परन्तु अनुभूतियाँ नहीं।सभी दौड़ रहे हैं। किसी को किसी ओर देखने की फुरसत नहीं है। सामाजिक मूल्यों के इन परिवर्तनों का **एरिक फ्रॉम** ने अपना पुस्तक "The sane society"में अच्छा वर्णन किया है।**ग्रीन** ने ठीक ही लिखा है कि **"प्रौद्योगिक परिवर्तन सामाजिक मूल्यों और नैतिक नियमों को प्रभावित करतें हैं"।**

जब सूचना प्रौद्योगिकी अपने विकास के प्रारम्भिक स्तर पर थी तब इसका प्रभाव सकारात्मक था परन्तु समय के साथ–साथ यह प्रभाव नकारात्मक रूप में भी देखने को मिलतें है। निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से हम सूचना प्रौद्योगिकी के कारण बदलते पारिवारिक सम्बन्धों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करेंगें–

रचनात्मक पक्ष– सूचना प्रौद्योगिकी सदैव ही समाज के लिये विकास का अंग रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मनुष्य के जीवन एवं उसके परिवार के लिए वरदान साबित हुई है। इसने मानव जीवन को इतना सरल एवं सुगम बना दिया है कि इसका सीधा प्रभाव उसके पारिवारिक सम्बन्धों पर देखा जा सकता है। जैसे–सूचना प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में एक क्रांति साबित हुई है। आज मनुष्य मीलों दूर बैठकर भी अपने परिवार से जुड़ा है। आज विभिन्न सोशल मीडिया प्लेट फार्म का उपयोग कर व्यक्ति अपने सम्बन्धियों का हाल जान सकता है, कोई महत्वपूर्ण सूचना दूर बैठ व्यक्ति तक कुछ मिनटों में पहुंचा सकता है। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी ने पूरे संसार को बहुत करीब ला दिया है। परिवार का कोई सदस्य कहीं भी रहे दूर रहकर भी वह पारिवारिक सम्बन्ध कायम रख सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की है जो आज एक

वरदान सिद्ध हुई है, आज परिवारों का छोटा होना एक जरूरत बन गई है। जितना छोटा परिवार उतनी सुख सुविधाएं। यह प्रौद्योगिकी की ही देन है कि जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न तकनीकें आम जनता तक पहुंच पाई।

अर्थव्यवस्था में भी सूचना प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, आज दुनिया के किसी कोने में बैठकर व्यक्ति अपने व्यवसाय को बखूबी अंजाम दे रहा है। गांव में बैठा व्यक्ति देश–विदेश की खबरों से अवगत हो रहा है, रोजगार के नये–नये अवसरों से परिचित हो रहा है। सुरेश कुमार इस संबंध में लिखतें हैं–"सूचना प्रौद्योगिकी कानून –2000" के नाम से पारित है। इसे लागू करने वाला भारत दुनिया का 12वां देश है। यह कानून 18 अक्टूबर 2000 से देश में प्रभावी है। इसमें 04 अनुसूचियों के साथ 13 अध्याय और 90 से ज्यादा धाराएं शामिल हैं। इससे ई–दस्तावेजों और ई–हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता मिल गई है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी तरह के भेद भाव समाप्त हो रहें हैं, व्यक्ति का आर्थिक स्तर सुधर रहा है।शिक्षा एवं रोजगार के नये–नये द्वार खुल रहे है। सन् 2022 में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। आईटी उद्योग ने वित्तिय वर्ष 2022 में लगभग 5 लाख कर्मचारियों को रोजगार दिया है। इसमें लगभग 50 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं जिससे यह सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों में से एक बन गया है।

शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक युग के विकास एवं क्रांति का युग है। कक्षा शिक्षण में शिक्षण तकनीकी , अनुदेशन तकनीकी,सूचना तकनीकी,संचार तकनीकी, व्यवहार तकनीकी आदि का उपयोग किया जाता रहा है। शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी ने मानवीय ज्ञान में वृद्धि की है। आज शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक सूचना एवं संचार माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है:, जैसे–रेडियो, दूरदर्शन, कम्प्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि। तकनीकी के विकास से शिक्षा के क्षेत्र में आज कम्प्यूटर आधारित तकनीकी द्वारा नए युग का सूत्रपात हुआ है जिसका प्रभाव आज किसी न किसी रूप में परिवार पर पड़ रहा है। आज किसी भी उम्र का व्यक्ति प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर खुद को शिक्षित कर रहा है।जिससे एक सफल परिवार की स्थापना हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी नई–नई चाजें सीखने में हमारी मदद कर रहा है।

आज सूचना प्रौद्यिगिकी के कारण ही हमें एक स्थान से दूसरेस्थान तक जानें में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। पहले किसी भी चीज की जानकारी के लिए हमें सशरीर वहां पहुँचना पड़ता था, लेकिन अब हम घर से ही सारी जानकारी लेकर निकलते है। जिससे कार्य सुगमता से सपन्न हो जाते है।

अस्वीकारात्मक पक्षः– आज जहां तकनीकी हर चीज को नियंत्रण में ले रही है वहीं समाज एवं परिवार को भीनुकसान पहुँचा रही है। आज आलस्य का प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी रूप में दिख रहा है जो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को जन्म दे रहा है। ड्राईविंग करते समय फोन पर बात करना आम बात हो गयी हैं जिससे दुर्घनाओं में काफी इजाफा हुआ। बच्चों के सोचने के तरीके बदल गयें है।आज के कुछ वर्ष पहले हमें किसी शब्द का अर्थ जानना होता था तो डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता था लेकिन आज के युग में हम छोटी से बड़ी हर समस्या के समाधानके लिए इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं।

भारतीय समाज एवं परिवार पर इसका नकारात्मक प्रभाव अलगाव के रूप में देखा जा सकता है। आज हर रिश्ते मात्र दिखावे के हो गये हैं, परिवार में भावनात्मक लगाव कम होते जा रहे हैं,लोग संयुक्त पारिवारिक से अलग होने के साथ–साथ सामाजिक जीवन से भी दूर होते जा रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है कि आज बच्चों का बचपना प्ले स्कूलों तथा दाई,आया,आदि के सानिध्य में गुजर रहा है। पहले बच्चों का बचपन दादा–दादी, नाना–नानी जैसे बुजुर्गों के छांव में बीतता था, ये बुजुर्ग ही बच्चों में संस्कार के बीज बोते थे। परन्तु आज स्थिति बिल्कुल उलट गयी, अब वे इन बुजुर्गों से संस्कारित होने के बजाय टी0वी0 सिनेमा,कम्प्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो गेम के माध्यम से उत्तर आधुनिक संस्कारों को ग्रहण कर रहे है। बच्चों का लगाव सोशल साइटों से लगातार बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप आँख की समस्या एवं अनेक मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि समाज के साथ कम संपर्क ने चिंता औरअवसाद जैसे विभिन्न प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को और आगे बढ़ाया है।

आज परिवार के सदस्यों में दिखावेपन की प्रवृति बढ़ी है वे परम्परागत वस्तुओं को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरणकरने में गर्व महसूस करतें हैं। आज स्टेटस मेन्टेन करना एक शौक बन गया है जिसका सीधा असर व्यक्ति के जेब पर पड़ रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी के आने के बाद से लोगों के बीच वास्तविक जीवन का संपर्क कम होता जा रहा है। आमने–सामने मिलने के बजाय ऑनलाइन मिलने और बधाई देने की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हो रही है।

निष्कर्षः–सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से बदल दिया है,जैसे–जैसे तकनीकी आगे बढ़ रही है, हमारे दैनिक जीवन का अत्यधिक हिस्सा प्रभावित हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी ने लोंगो को अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्यों के प्रति जागरूक बनाकर एक प्रगतिशील समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। संचार और परिवहन से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को बेहतर बनाया है। यह दिनोदिन और अधिक उन्नत सुविधाओं के साथ विकसित हो रहा है। सूचना क्रांति से समाज के सम्पूर्ण क्रियाकलाप हुए हैः– शिक्षा (e-learning) ,स्वास्थ्य (e-health)व्यापार(e-commerce), प्रशासन(e-governance), उद्योग, विकास,संगठन,प्रचार,धर्म आदि सभी क्षेत्रों का कायापलट दिया है। आज का समाज सूचना समाज कहलाने लगा है। उम्मीद है कि इसके प्रयोग से मानव जीवन को बड़े सामाजिक और आर्थिक लाभ होंगें तथा विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके माध्यम से (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) 21वीं सदी में हम बेहतर समाज का गठन कर पायेंगें।इसके लिए संचार माध्यम के दुरूपयोग को रोका जाना आवश्यक है।

संदर्भः–

1. डॉ0 बघेल डॉ0 एस0, "भारतीय समाज" कैलाश पुस्तक सदन,भोपाल।
2. दृष्टि द विजन, "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी", मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग।
3. सिंह वी0एन0 एवं सिंह जनमेजय 2015 नगरीय समाज शास्त्र, रावत पब्लिकेशन, मेरठ।
4. www.sieallahabad.org
5. कुमार रविन्द्र शिक्षा में "सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी" सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ।

6. www.hindilibraryindia.com
7. yindia.franchiseindia.com
8. राम गोविन्द, "सूचना प्रौद्योगिकी कल आज और कल" रक्षा मंत्रालय, मेटकॉफ हाउस, दिल्ली।
9. शर्मा जी0 एल0 "सामाजिक मुददे" रावत पब्लिकेशन, जयपुर , पृ0सं0316
10. आरियंट ब्लैक स्वॉन : "भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास" प्रकाशक ओरियन्ट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड, आसफ अली रोड नई दिल्ली।
11. जाटव भूरसिंह : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का भारतीय सामाजिक परिर्वतन पर प्रभाव।

झारखण्ड में मुंडा जनजाति के शैक्षणिक विकास में मिशनरी विद्यालयों की भूमिका

बसन्त सुरीन,
एम०ए०, एम. फिल, स्नातकोतर समाजशास्त्र विभाग
राँची विश्वविद्यालय, राँची

सारांश–
यह लेख भारत के झारखंड में मुंडा आदिवासी समुदाय के शैक्षिक विकास में मिशनरी स्कूलों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की पड़ताल करता है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने, साक्षरता को बढ़ावा देने, स्वदेशी संस्कृति को संरक्षित करने और सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में इन स्कूलों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। लेख ऐसे संस्थानों के निरंतर महत्व और सभी आदिवासी समुदायों के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समर्थन और सहयोग की आवश्यकता पर जोर देता है।

मुख्य शब्दः मिशनरी स्कूल, शैक्षिक विकास, मुंडा जनजाति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, समावेशी शिक्षा।

भूमिकाः

विविध संस्कृतियों और समृद्ध परंपराओं की भूमि, झारखंड कई जनजातीय समुदायों का घर है जिन्होंने सदियों से अपनी अनूठी विरासत को संरक्षित रखा है। इन समुदायों में मुंडा जनजाति राज्य के सामाजिक ताने–बाने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। झारखंड के परिदृश्य में गहराई से निहित इतिहास के साथ, मुंडा आदिवासी समुदाय ने क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान में अमूल्य योगदान दिया है। मुंडा जनजाति, जिसे मुंडा लोग या मुंडा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड में रहने वाले प्रमुख जनजातीय समुदायों में से एक है। उनकी एक अलग भाषा है जिसे ''मुंडारी'' कहा जाता है और वे अपने पारंपरिक रीति–रिवाजों और प्रथाओं का पालन करते हैं। परंपरागत रूप से, मुंडा लोग मुख्य रूप से कृषि में लगे हुए थे, चावल, मक्का और दालों जैसी फसलों की खेती करते थे। उनका प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध है और उन्हें अपने पर्यावरण की गहन समझ है। अपनी मजबूत सांस्कृतिक विरासत के बावजूद, मुंडा जनजाति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें शिक्षा और सामाजिक–आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुंच शामिल है। ऐतिहासिक रूप से, उन्हें हाशिए पर रखा गया है और वे अक्सर गरीबी और सामाजिक असमानता से जूझते रहे हैं। हालाँकि, हाल के दिनों में, इन असमानताओं को दूर करने और मुंडा समुदाय की शैक्षिक स्थिति को ऊपर उठाने के प्रयास किए गए हैं।

मुंडा आदिवासी समुदाय का शैक्षिक विकास इसके सदस्यों को सशक्त बनाने और झारखंड के सामाजिक–आर्थिक विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, मुंडा बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने और उनके समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में मिशनरी स्कूलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इन स्कूलों ने शैक्षिक अंतर को पाटने और मुंडा समुदाय के लिए एक उज्जवल भविष्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने अनूठे दृष्टिकोण के माध्यम से, मिशनरी स्कूलों ने न केवल अकादमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि मुंडा लोगों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने का भी प्रयास किया है। स्वदेशी ज्ञान, भाषाओं और परंपराओं का जश्न मनाने वाले समावेशी वातावरण का निर्माण करके, ये स्कूल मुंडा समुदाय की पहचान और आत्मसम्मान को संरक्षित करने के लिए उत्प्रेरक बन गए हैं ।

शिक्षा किसी भी समुदाय के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है जो व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देता है और कई तरीकों से समाज के विकास में योगदान देता है। यहां शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने वाले कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:

सशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकासः शिक्षा व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और महत्वपूर्ण सोच क्षमताओं से लैस करके सशक्त बनाती है। यह लोगों को सूचित निर्णय लेने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। शिक्षा व्यक्तियों को व्यक्तिगत विकास, आत्म–अभिव्यक्ति और आत्म–बोध के अवसर प्रदान करती है।

सामाजिक और आर्थिक गतिशीलताः शिक्षा सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता का मार्ग है। यह व्यक्तियों को गरीबी के चक्र से मुक्त होने और बेहतर रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। शिक्षित व्यक्तियों द्वारा अधिक वेतन वाली नौकरियाँ सुरक्षित करने, आर्थिक विकास में योगदान देने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की अधिक संभावना होती है। शिक्षा समुदाय के सभी सदस्यों को समान अवसर प्रदान करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है।

स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ानाः शिक्षा स्वास्थ्य परिणामों और समग्र कल्याण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यक्तियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और बीमारी की रोकथाम के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षित व्यक्तियों में स्वस्थ व्यवहार अपनाने, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य देखभाल लेने और अपनी भलाई के बारे में जानकारीपूर्ण निर्णय लेने की अधिक संभावना होती है। शिक्षा स्वस्थ और अधिक लचीले समुदायों के विकास में योगदान देती है।

सामाजिक सामंजस्य और सहिष्णुता को बढ़ावा देनाः शिक्षा सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देती है और सहानुभूति, सम्मान और सहिष्णुता जैसे मूल्यों को विकसित करती है। यह व्यक्तियों को विविध दृ ष्टिकोणों, संस्कृतियों और विचारों से अवगत कराता है, विभिन्न समुदायों के लिए समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देता है और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। शिक्षा ऐसे समावेशी समाजों को प्रोत्साहित करती है जो विविधता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय को महत्व देते हैं।

नवाचार और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देनाः शिक्षा नवाचार, वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक प्रगति की नींव है। यह रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, समस्या–समाधान कौशल और ज्ञान की प्यास का पोषण करता है। शिक्षित व्यक्ति अनुसंधान, तकनीकी प्रगति और नए विचारों के विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में योगदान करते हैं।

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धनः शिक्षा किसी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पारंपरिक ज्ञान, रीति–रिवाजों और भाषाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित करने की अनुमति देता है। शिक्षा व्यक्तियों को व्यापक दुनिया के साथ जुड़ते हुए, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने और समाज को समृद्ध करते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान अपनाने का अधिकार देती है।

संक्षेप में, शिक्षा एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो व्यक्तियों, समुदायों और समाजों को आकार देती है। यह व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाता है, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है। किसी भी समुदाय के समग्र विकास और समृद्धि के लिए शिक्षा को पहचानना और उसमें निवेश करना आवश्यक है।

ईसाई मिशनरियों के आगमन से पहले जनजातियों की स्थितियाँः

ईसाई मिशनरियों के आगमन से पहले जनजातियाँ, जो भूमि के मूल निवासी थे, ने अपनी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में गहन कठिनाइयों का सामना किया। वे गुलामी के समान राज्य में रहते थे, जो शासक राजा, जमींदारों, साहूकारों और कर संग्रहकर्ताओं द्वारा उन पर थोपा गया था। अधिकांश उपजाऊ भूमि को जबरदस्ती और धोखे के माध्यम से किसानों से अन्यायपूर्ण तरीके से जब्त कर लिया गया, जिससे कई सशस्त्र विद्रोह हुए, जिन्हें अंततः राजनीतिक प्रभुत्व के माध्यम से दबा दिया गया। हालाँकि, कॉन्स्टेंट लिवेन्स, सिल्वेन ग्रोसजेन, बैपटिस्ट हॉफमैन और अन्य करिश्माई शख्सियतों के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियों ने विश्वास और समर्थन स्थापित करने के लिए आदिवासियों की हताशा का चतुराई से उपयोग किया, और उन्हें खुद को दमनकारी परिस्थितियों से मुक्त करने में सहायता की पेशकश की। नतीजतन, आदिवासियों की एक बड़ी संख्या ने ईसाई धर्म अपना लिया, जिससे एक परिवर्तनकारी लहर पैदा हुई जिसने न केवल धार्मिक परिवर्तन लाया बल्कि समाज के भीतर शक्ति की गतिशीलता को भी मौलिक रूप से बदल दिया । इस आंदोलन को एक सामाजिक क्रांति के रूप में देखा जा सकता है, जो धार्मिक रूपांतरण से परे कई अतिरिक्त परिवर्तन लाती है।

यह रेखांकित करने योग्य है कि मिशनरियों के प्रयासों में केवल शिक्षा प्रदान करने से कहीं अधिक शामिल थाय इसके साथ चर्च में शामिल होने का निमंत्रण भी था। हालाँकि, इसका यह अर्थ गलत नहीं लगाया जाना चाहिए कि केवल धर्म परिवर्तन करने वालों को ही शिक्षा तक पहुंच प्रदान की गई थी। इसके विपरीत, शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ हो गई, चाहे उनकी जाति, वर्ग, रंग या धार्मिक मान्यता कुछ भी हो। बहरहाल, जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया, उन्हें अधिमान्य उपचार प्राप्त हुआ। दिलचस्प बात यह है कि मिशनरी शिक्षा के प्रभाव की जांच करने वाले विभिन्न अध्ययनों से लगातार पता चला है कि सबसे बड़े लाभार्थी वास्तव में ऐसे व्यक्ति थे जो खुद को ईसाई नहीं मानते थे।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का योगदानः

भारत में ईसाई आबादी का एक छोटा प्रतिशत होने और यह हिंदुओं की बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद, देश के सभी हिस्सों में ईसाइयों की भागीदारी बहुत गहरी थी। एकमात्र कारण यह था कि शैक्षणिक संस्थान केवल हिंदू पदानुक्रमित प्रणाली की उच्च जाति के लिए या केवल वर्ण व्यवस्था के तहत द्विज जातियों के लिए थे, खासकर प्राचीन भारत में। ऐतिहासिक रूप से, निचली जातियों और आदिवासियों को हाशिये पर रखा गया, उनका शोषण किया गया और उन्हें शैक्षिक अवसरों से वंचित रखा गया। इस प्रकार, इन लोगों को सामाजिक रूप से जीवन के सभी क्षेत्रों से बहिष्कृत कर दिया गया। और इसलिए ईसाई मिशनरियों ने भारतीय समाज में प्रचलित पदानुक्रम की इस प्रणाली को अनुभव किया और पहचाना और इन लोगों के लिए सेवा प्रदान करने का अपना तरीका खोजा। हालाँकि, जब उन्होंने इन लोगों की सेवा करना शुरू किया, तो आबादी के अन्य वर्गों को उनसे भी अधिक लाभ हुआ।

भारत में ईसाई आबादी बहुसंख्यक हिंदू आबादी की तुलना में अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद, ईसाइयों का प्रभाव और भागीदारी पूरे देश में फैली हुई है। इस व्यापक प्रभाव को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि प्राचीन भारत में शैक्षणिक संस्थान मुख्य रूप से पदानुक्रमित हिंदू प्रणाली के भीतर उच्च जातियों के लिए आरक्षित थे, विशेष रूप से वर्ण व्यवस्था के अनुसार द्विज जातियों के लिए। परिणामस्वरूप, ऐतिहासिक रूप से, निचली जातियों और जनजातीय समुदायों को हाशिये पर धकेल दिया गया, उनका शोषण किया गया और शैक्षिक अवसरों से वंचित कर दिया गया, जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं से उनका सामाजिक बहिष्कार हो गया। भारतीय समाज के भीतर इस स्थापित

पदानुक्रम को पहचानते हुए, ईसाई मिशनरियों ने इन हाशिए पर रहने वाले समूहों तक अपनी सेवाएँ बढ़ाने के लिए मजबूर महसूस किया। दिलचस्प बात यह है कि जहां उनका ध्यान इन समुदायों की सहायता करने पर था, वहीं आबादी के अन्य वर्गों ने भी उनके प्रयासों से महत्वपूर्ण लाभ उठाया, जो अक्सर लक्षित लाभार्थियों से अधिक था।

भारत में आधुनिक शिक्षा को आकार देने में ईसाई मिशनों का प्रभाव वास्तव में उल्लेखनीय है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों योगदान हैं। विशिष्ट रूप से संगठित और कुशलतापूर्वक प्रबंधित, ईसाई शैक्षणिक संस्थान देश में बेहतरीन संस्थानों में से कुछ के रूप में उभरे। इन समर्पित मिशनरियों ने आदिवासी समुदायों को जंगलीपन की स्थिति से आधुनिकता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत सरकार पर एक महत्वपूर्ण बोझ से राहत मिली। उनके अथक प्रयासों ने भारत के युवाओं की शिक्षा पर अमिट छाप छोड़ी है।

ईसाई मिशनरियों ने लिंग, पंथ, रंग या जाति के भेदों की परवाह न करते हुए देश के युवाओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और कई प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण किया। प्रारंभिक शिक्षा की खोज का नेतृत्व दूरदर्शी सेंट फ्रांसिस जेवियर ने किया था, जिन्होंने हर गाँव में स्कूलों की स्थापना की वकालत की थी। 1542 में, भारत आने वाले पहले जेसुइट सेंट फ्रांसिस जेवियर ने भारतीय मिशन की शुरुआत की, इस प्रकार इन स्कूलों की नींव रखी गई जो बाद में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगी। अतीत पर विचार करते हुए, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे पहले धर्मांतरण दक्षिण भारत के परवारों के बीच हुआ, जो ईसाई मिशनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और भारतीय समाज पर उनका गहरा प्रभाव है।

पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में मिशनरियों के अथक प्रयासों ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। 16वीं शताब्दी के बाद से, इन समर्पित व्यक्तियों द्वारा कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई है। विशेष रूप से, गोवा, अंगमल्ले, कोचीन, वाइपिन, क्रैंगनोर और बेसिन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सदियों पहले से ईसाई कॉलेज उभरे हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर की उल्लेखनीय विरासत से प्रेरित जेसुइट्स ने इस शैक्षिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान, उन्होंने भारत में कई प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। अपने सम्मानित पूर्ववर्ती के नक्शेकदम पर चलते हुए, जेसुइट्स ने विद्वतापूर्ण गतिविधियों को आगे बढ़ाया, जिससे देश के शैक्षिक परिदृश्य को और समृद्ध किया गया।

समय के साथ, देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कॉलेज उभरे, जो शैक्षिक अवसरों में महत्वपूर्ण विस्तार का संकेत देते हैं। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में, ईसाई मिशनरियों ने अपने नवीन दृ ष्टिकोण का प्रदर्शन करते हुए शिक्षक प्रशिक्षण स्कूलों की नींव रखी। बोर्डिंग स्कूलों की अवधारणा ने भी जेसुइट्स के अग्रणी प्रयासों के माध्यम से भारत में अपनी जड़ें जमा लीं। मिशनरियों का योगदान पारंपरिक शिक्षा से आगे तक बढ़ा, क्योंकि उन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल का भी नेतृत्व किया। भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के महत्व को पहचानते हुए, ईसाई मिशनरियों ने उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे यह स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे कि यदि महिलाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की क्षमता का अभाव है तो एक संपन्न समाज को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। नतीजतन, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रगति के प्रारंभिक चरणों के दौरान ईसाई महिलाओं ने मुख्य रूप से भारतीय महिलाओं की तीन महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा कियाः शिक्षक, डॉक्टर और नर्स[8]।

भारत में ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश शासन के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। ईसाई मिशनरियों का आगमन अंग्रेजों से पहले हुआ था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के साथ उनके सक्रिय जुड़ाव को दर्शाता है। विलियम कैरी, एक प्रमुख बैपटिस्ट मिशनरी, ने 1793 ई. में भारत की यात्रा शुरू की और 1800 ई. में सेरामपुर में एक बैपटिस्ट मिशन की स्थापना की। कैरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिक्षा के महत्व को पहचाना और तुरंत बैपटिस्ट मिशन के निकट कई प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। इसके अलावा, उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जिसने बंगाली भाषा में पुस्तिकाएँ तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैरी ने स्वयं 1800 ई[9]. में रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनकी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर, बाइबिल का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, और हैलहेड के बंगाली व्याकरण का एक नया संस्करण प्रकाशित किया गया। 1818 ई. में, उनके उत्साह से प्रेरित होकर, सेरामपुर में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई, जो अब सेरामपुर कॉलेज के रूप में प्रसिद्ध है[10]। उल्लेखनीय है कि 1813 के चार्टर एक्ट से पहले ब्रिटिश शासक मिशनरियों की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से बचते थे और कभी–कभी उनका विरोध भी करते थे। यह सतर्क दृष्टिकोण इस चिंता से उपजा है कि अंग्रेजी में मिशनरी शिक्षा संभावित रूप से धार्मिक रूपांतरण के संबंध में हिंदुओं के बीच असंतोष को भड़का सकती है, जिससे अशांति पैदा होगी और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चुनौतियाँ पैदा होंगी।

1813 का चार्टर अधिनियम, ब्रिटिश शासन के दौरान अधिनियमित एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण जोर दिया। विशेष रूप से, इस अधिनियम में एक मिशनरी खंड शामिल था, जो चार्टर अधिनियम से जुड़ा था और संसद द्वारा पारित किया गया था। इस खंड ने व्यक्तियों, विशेष रूप से ईसाई मिशनरियों को, अंग्रेजी भाषा और उनकी धार्मिक मान्यताओं के प्रसार के साथ–साथ नैतिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने के इरादे से भारत की यात्रा करने की अनुमति दी[11]। अधिनियम के भीतर एक महत्वपूर्ण प्रावधान में साहित्य के पुनरुद्धार और प्रचार, देशी विद्वानों के प्रोत्साहन और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान की शुरूआत और उन्नति के लिए सालाना कम से कम 1 लाख रुपये की पर्याप्त राशि आवंटित की गई। हालाँकि, अधिनियम में स्पष्ट रूप से उन विशिष्ट तरीकों या चौनलों की रूपरेखा नहीं दी गई है जिनके माध्यम से इन निधियों का उपयोग शैक्षिक विकास के लिए किया जाना था[12]।

आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के रूप में जाना जाता है, 1813 का चार्टर अधिनियम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए चार्टर को नवीनीकृत करता है, जिससे भारत में उनके शासन का विस्तार होता है। इसके बाद, 1833 के चार्टर अधिनियम ने अन्य देशों के मिशनरियों की उपस्थिति को और अधिक विनियमित किया, जिससे उन्हें भारत के भीतर शैक्षिक प्रयासों में संलग्न होने की अनुमति मिल गई। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम ने शैक्षिक अनुदान को 10,000 पाउंड प्रति वर्ष से बढ़ाकर प्रभावशाली 100,000 पाउंड प्रति वर्ष कर दिया।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, 1833 में भारत सरकार अधिनियम ने लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की परिषद के उद्घाटन कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के छठे वर्ष से स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अपनाने की वकालत करके औपनिवेशिक भारत के भाषाई परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समर्थित संस्थानों में संस्कृत या अरबी के प्रचलित उपयोग से एक विचलन था[13]।

2 फरवरी, 1835 को अपने प्रभावशाली भाषण में, लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा तक पहुंच से वंचित न करने के महत्व पर जोर दिया। व्यापक शिक्षा को लागू करने की चुनौतियों को पहचानते

हुए, उन्होंने एक ऐसी नीति का प्रस्ताव रखा जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग को तैयार करना था जो शासक ब्रिटिश और उनके द्वारा शासित लाखों लोगों के बीच की खाई को पाट सके। मैकाले ने इस वर्ग की कल्पना की थी कि वह अपनी विरासत और जातीयता के मामले में भारतीय हो, फिर भी अपनी प्राथमिकताओं, दृष्टिकोण, मूल्यों और बौद्धिक गतिविधियों में अंग्रेजी हो[14]। उनका प्रस्ताव भारत और ब्रिटेन के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक अंतर्संबंध बनाने की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है। भारतीय और अंग्रेजी विशेषताओं के मिश्रण वाले व्यक्तियों के इस वर्ग का पोषण करके, मैकाले का उद्देश्य शासक शक्ति और भारतीय जनता के बीच प्रभावी संचार और समझ को बढ़ावा देना था।

1854 का शैक्षिक प्रेषण, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, औपनिवेशिक युग के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधारशिला के रूप में मानी जाने वाली, इसने व्यापक शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, स्थानीय भाषाओं की उन्नति और शैक्षणिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने जैसे नए उपाय पेश किए। प्रेषण ने उच्च शिक्षा के प्राथमिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी के उपयोग पर जोर देते हुए कला, विज्ञान और यूरोपीय साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। हालाँकि, अंग्रेजी पर इस जोर के कारण स्थानीय भाषाओं का प्रतिस्थापन नहीं हुआ। इन सुधारों को लागू करने के लिए, प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा परिषदों को बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, उत्तर–पश्चिमी प्रांत और पंजाब के पांच प्रांतों में सार्वजनिक शिक्षा विभागों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो उस समय प्रशासनिक प्रभाग थे। 1854 की शुरुआत में, केवल 36,000 छात्रों ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की, जबकि मिशनरी स्कूलों ने लगभग दोगुनी संख्या में शिक्षा प्राप्त की। नतीजतन, 1854 के शिक्षा प्रेषण ने अनुदान–सहायता प्रणाली के माध्यम से जन शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा दिया, जिससे इसके व्यापक प्रसार को बढ़ावा मिला[15]।

1932 की हॉकिंग रिपोर्ट में प्रस्तुत तालिका संख्या 1, भारत में ईसाई मिशनरी संस्थानों द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डालती है, जो उनके विकास और प्रभाव के आकर्षक साक्ष्य प्रस्तुत करती है।

तालिका–1. भारत में शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति

शैक्षणिक संस्थानों के प्रकार	मिशनरी संस्थाएँ	प्रतिशत (सरकारी एवं गैर सरकारी)
बालिका मध्य विद्यालय	197	30
बालिका उच्च विद्यालय	101	45
महिला महाविद्यालय	13	50
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	67	50

निष्कर्षों के अनुसार, 1932 से पहले, मिशनरियों का आधे से अधिक शैक्षणिक प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण था। विशेष रूप से, भारतीय शिक्षा पर ईसाई प्रभाव उनके स्कूलों और कॉलेजों की असाधारण गुणवत्ता से चिह्नित था, जिसने पूरे देश में ज्ञान को बढ़ावा देने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल ने मिशनों को अपने शैक्षिक प्रयासों को पूरा करने के लिए आवश्यक स्वायत्तता प्रदान की।

हालाँकि, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की शुरुआत और ब्रिटिश शासन के अंत के साथ, विदेशी मिशनरियों की उपस्थिति कम होने लगी। 1813 में जब बीसीआई कंपनी द्वारा ब्रिटिश–नियंत्रित क्षेत्रों में उन्हें अनुमति दी गई थी, तब उपमहाद्वीप में उन्हें जो सुरक्षा और समर्थन प्राप्त था, वह कम होने लगा। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति ने उनके मिशनरी प्रयासों के लिए एक आश्रय वातावरण प्रदान किया था। 1960 के

दशक की शुरुआत तक, जिन मिशनरियों को वीजा की आवश्यकता थी, उन्हें वापस बुला लिया गया या वापस ले लिया गया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या ने अंतिम बचाव का रास्ता बंद कर दिया, जिससे भारत से सभी विदेशी मिशनरियों की प्रभावी वापसी हुई।

तालिका–2. मिशनरियों का विकास (1972–1997)[17]

वर्ष	क्रॉस कल्चरल मिशनरीज	घरेलू या स्थानीय मिशनरी	कुल
1972	543	–	543
1980	2208	–	2208
1983	3369	–	3369
1988	10243	–	10243
1994	12000	–	12000
1997	15000	5000	20000

वर्तमान समय में, भारत में मिशनरियों के इतिहास में एक संक्रमणकालीन चरण सामने आया है। भारतीय ईसाइयों ने मिशनरी गतिविधियों में अपना स्थान ढूंढकर, अपने सीमित आंतरिक संसाधनों और विदेशी समर्थन के बीच एक नाजुक संतुलन बनाकर समायोजन किया है। तालिका संख्या 2, 1972 और 1997 के बीच मिशनरियों के विकास की विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, जो भारत में उनकी उपस्थिति के बदलते परिदृश्य और गतिशीलता को दर्शाती है।

झारखण्ड में मुंडा जनजाति के शैक्षणिक विकास में मिशनरी विधालयों का योगदानः

1845 में ईसाई मिशनरियों के पहले समूह के झारखंड पहुंचने के बाद से, वहां के सामाजिक परिदृश्य में काफी बदलाव देखा गया है। 1845 में, रेव गोस्सनर ने जर्मनी से इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों (लूथरन) के पहले समूह का नेतृत्व किया। कैथोलिक मिशनरी 1868 में आए और 1885 में कॉन्स्टेंट लिवेन्स के आगमन के बाद फले–फूले, एक जेसुइट मिशनरी जिसे छोटानागपुर के प्रेरित के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा 1834 में स्थापित किशनपुर का इंग्लिश स्कूल (अब रांची का जिला स्कूल), एक लूथरन मिडिल स्कूल है। लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए एक मिडिल स्कूल 1857 में अस्तित्व में केवल तीन मिडिल स्कूल थे, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष था। हाल ही में धर्मांतरित हुए बच्चों के लिए, बाद के दो लूथरन मिशनरियों द्वारा चलाए गए थे। विशेष रूप से कैथोलिक चर्च ने वंचितों और ग्रामीण युवाओं को पढ़ाने के लिए समर्पित कर्मियों और सुविधाओं के मामले में काफी प्रतिबद्धता जताई है। मिशनरियों के शुरुआती प्रयास, विशेष रूप से झारखंड में कैथोलिक चर्च की स्थापना के बाद किए गए प्रयासों ने ही शैक्षणिक संस्थानों के नेटवर्क को जन्म दिया जो आज भी मौजूद है। वास्तव में, ईसाई मिशनरियों ने सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को पहचाना, जो अनिवार्य रूप से जन शिक्षा से जुड़ा है। आदिवासी लोगों को उनके स्वामित्व अधिकारों की रक्षा करने और खुद को दिकुओं से मुक्त करने में मदद करने के लिए, लिवेन्स रांची चले गए और उनके लिए एक स्कूल खोलने पर विचार किया। जर्मन इवेंजेलिकल लूथरन स्कूलों का प्राथमिक उद्देश्य बाइबिल का ज्ञान प्रदान करना था, लेकिन कैथोलिक मिशनरियों ने व्यापक शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन लाने की कुंजी माना।

जनजातीय लोगों के लिए शिक्षा का लक्ष्य मानवीय गरिमा की खोई हुई भावना को पुनः प्राप्त करना था। परिणामस्वरूप, इन स्कूलों ने एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जो उनके लिए उपयुक्त था। इस पाठ्यक्रम में पढ़ना, लिखना, गणित, इतिहास, भूगोल, भौतिकी और धर्म के साथ–साथ जानवरों की देखभाल, स्थानीय हर्बल चिकित्सा, व्यापक भूमि माप, बढ़ईगीरी, लोहार और बुनाई शामिल थे। जनजातीय लोगों को दूसरों के

बराबर लाने के लिए, हिंदी और अंग्रेजी के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया। 1885 के बाद से, कैथोलिक मिशनरियों ने गांवों में स्कूलों का निर्माण शुरू कर दिया। लूथरन मिशनरियों के आगमन से पहले, इस क्षेत्र में औपचारिक स्कूली शिक्षा शायद ही कभी जानी जाती थी। जेसुइट मिशनरियों ने एक ही वर्ष में 30 स्कूल खोले। 1887 तक 70 स्कूल थे, जिनमें 2400 पुरुष और 70 लड़कियाँ सेवारत थीं। नीचे दी गई तालिका 3 दर्शाती है कि समय के साथ स्कूली शिक्षा कैसे बदल गई है।

वर्ष	विधालयों की संख्या	विधार्थियों की संख्या	चर्चों के अंतर्गत स्कूलों की संख्या
1857	3	165	2
1869	5	208	4
1881	492	12569	19
1891	524	16282	26
1901	796	20503	86
1914	1307	39967	138

झारखण्ड में 1857 से 1914 के बीच शिक्षा का विकास[19]

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वास्तविकता में, मिशनरियों ने गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों को चुना जबकि सरकार का प्राथमिक ध्यान शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों या बड़े बाजार केंद्रों में स्कूल बनाने पर था। यहां तक कि घने, अगम्य जंगलों के बीच में भी उन्होंने स्कूल संचालित करना शुरू कर दिया। 19वीं सदी के अंतिम दशक और 20वीं सदी के पहले दशक में कैथोलिक चर्च ने स्कूल स्थापित करने की दौड़ में बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया।

निष्कर्ष:

मिशनरी स्कूलों ने अक्सर जनजातीय समूहों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के शैक्षिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धार्मिक संगठनों या मिशनरियों द्वारा स्थापित और संचालित इन स्कूलों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करके, साक्षरता को बढ़ावा देने और सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर आदिवासी समुदायों के शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

झारखंड में मुंडा आदिवासी समुदाय के मामले में, मिशनरी स्कूल समुदाय के सदस्यों तक शिक्षा पहुंचाने में सहायक रहे हैं। इन स्कूलों ने बुनियादी ढांचे की कमी, सीमित संसाधनों और सांस्कृतिक मतभेदों जैसी बाधाओं को दूर करने में मदद की है जो अक्सर आदिवासी समुदायों के लिए शैक्षिक अवसरों में बाधा बनती हैं। जनजातीय क्षेत्रों के भीतर या उसके निकट स्कूल स्थापित करके, मिशनरियों ने शिक्षा को अधिक सुलभ और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बना दिया है।

मिशनरी स्कूलों ने न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि मुंडा समुदाय की स्वदेशी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पाठ्यक्रम में स्थानीय भाषाओं, रीति–रिवाजों और परंपराओं को शामिल करने के महत्व को पहचाना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रदान की गई शिक्षा आदिवासी छात्रों के लिए प्रासंगिक और सार्थक है। इसके अलावा, इन स्कूलों ने मुंडा आदिवासी समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके, उन्होंने आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित किया है। इससे बेहतर

रोजगार संभावनाओं और बेहतर आजीविका के अवसर खुले हैं, जिससे समुदाय समग्र रूप से सशक्त हुआ है।

निष्कर्षतः, झारखंड में मुंडा आदिवासी समुदाय सहित आदिवासी समुदायों के शैक्षिक विकास में मिशनरी स्कूलों के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। इन संस्थानों ने परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया है, शैक्षिक विभाजन को पाट दिया है और समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाया है। हालाँकि, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि इन स्कूलों का काम जारी है और इसके लिए निरंतर समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है। प्रगति के बावजूद, कई आदिवासी समुदायों को अभी भी शैक्षिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे स्कूलों तक सीमित पहुंच, संसाधनों की कमी और सांस्कृतिक बाधाएं। सभी आदिवासी समुदायों के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इन संस्थानों को समर्थन और मजबूती देना जारी रखना आवश्यक है।

आदिवासी क्षेत्रों में संचालित मिशनरी स्कूलों के लिए वित्तीय संसाधन, बुनियादी ढाँचा और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों को एक साथ आने की आवश्यकता है। सहयोगात्मक प्रयासों को शैक्षणिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शिक्षा आदिवासी छात्रों के लिए प्रासंगिक और सशक्त है। इसके अलावा, मिशनरी स्कूलों और स्थानीय समुदायों के बीच साझेदारी स्वामित्व और स्थिरता की भावना को बढ़ावा दे सकती है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समुदाय के सदस्यों को शामिल करके और उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाकर, हम एक अधिक समावेशी और समग्र शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं।

निष्कर्षतः, मिशनरी स्कूलों का निरंतर महत्व आदिवासी समुदायों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की उनकी क्षमता में निहित है, जो उन्हें गरीबी और हाशिए के चक्र को तोड़ने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समर्थन और सहयोग आवश्यक है कि प्रत्येक आदिवासी बच्चे की शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति तक पहुंच हो, जो एक उज्जवल और अधिक न्यायसंगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे।

संदर्भ सूची

1. गॉडडेरिस आइडेसबाल्ड, क्रिस्टियान्स किम, वेरस्ट्रेट पीटर (2021), मिशनरी एजुकेशन, ल्यूवेन यूनिवर्सिटी प्रेस, जर्मनी।
2. सा फेडिलिस डे, मीर्समैन अकिलिस (1975), क्राइसिस इन छोटा नागपुर, रिडेम्प्टोरिस्ट पब्लिकेशन्स, यू० क०।
3. कालापुरा, जे० छोटानागपुर में चर्चः शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन में मध्यस्थता। बेनी में, ए०, एक्का, एस० जे०, सिंह, एच० के०, शरण, वी० पी०, प्रसाद, ए० (संस्करण)। झारखंड में कैथोलिक चर्चः परिवर्तन का एक मध्यस्थ, पृ० सं–209।
4. नाइक, आर० रोल ऑफ मिशनरी इन सोशल चेंज ऑफ उड़ीसा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज, 2014, वॉल्यूम में। 3, संख्या 3, पृ० 41–51।
5. चौधरी एस० हायर एजुकेशन इन इंडियाः ए सोसिओ–हिस्टोरिकल जर्नी फ्रॉम एन्सिएंट टाइम्स तो 2006–2007, द जर्नल ऑफ एजुकेशनल इंक्वायरी, 2008, वॉल्यूम–8, नंबर 1, पृ० सं–50–72।

6. डी'सिल्वा लुई, डी'पेन्हा एच० जे०, कास्त्रो जो, डी'सूजा यूजीन (1984), द क्रिश्चन कम्युनिटी एंड द नेशनल मेनस्ट्रीम, स्पाइसर कॉलेज प्रेस, एम० ई० चेरियन, पृ० सं–56।
7. कालापुरा, द लिगेसी ऑफ जे. फ्रांसिस जेवियरः जेसुइट एजुकेशन इन इंडिया, 16वीं–18वीं सेंचुरी। इग्नासिओ, ए०, कार्लोस, एम० आई०, सेंट फ्रांसिस जेवियर और जेसुइट मिशनरी एंटरप्राइज, पृ० सं–91।
8. लैंकिना, टी०, गेटाच्यू, एल० कॉम्पिटीटिव रिलीजियस एन्तेप्रेनुएर्सः क्रिश्चन मिशनरीज एंड फीमेल एजुकेशन इन कोलोनियल एंड पोस्ट–कोलोनियल इंडिया, ब्रिटिश जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 2013, वॉल्यूम–43। नंबर 1, पृ० सं–103–131।
9. ब्रॉकिंगटन, जे० एल० विलियम कैरी सिग्निफिकेंस एज एन इंडोलॉजिस्ट, इन आईटी, 1994, वॉल्यूम–7, नंबर 8 (1991–1992), पृ० सं–81–102।
10. साहू, डी० सेरामपुर देन एंड नाउ, इंडियन जर्नल ऑफ थियोलॉजी, 1993, वॉल्यूम–35, नंबर 1, पृ० सं–81–102।
11. वेबस्टर ए०, द पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशनः द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इन द इकॉनोमिक हिस्ट्री रिव्यु, 1990, वॉल्यूम में। 43, संख्या 3, पृ० सं–404–419।
12. किंगडम, जी०, मुजम्मिल, एम० द पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ एजुकेशनः टीचर पॉलिटिक्स इन उत्तर प्रदेश, पृ० सं–46।
13. मेयू, ए० द (1997) एजुकेशन ऑफ इंडियाः ए स्टडी ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल पालिसी इन इंडिया, 1835 दृ 1920, एंड ऑफ इट्स बेअरिंग ऑन नेशनल लाइफ एंड प्रोब्लेम्स इन इंडिया टू–डे, फेबर एंड ग्व्येर।
14. डोबिन, सी० बेसिक डाक्यूमेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड पाकिस्तान, 1835–1947, पृ० सं–18।
15. वेंकटनारायणन, एस०,ट्रेसिंग द जेनेओलोजी ऑफ एलेमेंट्री एजुकेशन पालिसी इन इंडिया टिल इन्डेपेंडेन्स, सेज ओपन में, 2013, अक्टूबर–दिसंबर, पृ० सं–30।
16. हॉकिंग, वी० ई० रीथिंकिंग मिशन्सः ए लेमेन्स इंक्वायरी आफ्टर वन हंड्रेड इयर्स, पृ० सं–124।
17. के राजेंद्रन (1998), व्हीच वे फॉरवर्ड इंडियन मिशंस?: ए क्रिटिक ऑफ ट्वेन्टी फाइव इयर्स, 1972–1997, एस ए एसी एस प्रेस, कर्णाटक।
18. बेनी, ए०, एक्का, एस०, सिंह, एच०, शरण, वी०, प्रसाद, ए०,द कैथोलिक चर्च इन झारखण्डःए मीडिएटर ऑफ चेंज, पृ० सं–168।
19. पूर्वोक्त।

The Opinion V.11, N. 22 J-D 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

वर्तमान समय की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

संजू रंजना होरो
सहायक प्राध्यपक, बी०एड० संकाय
डा०एस० राधाकृष्णन् शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
बड़की लारी, रामगढ़, झारखण्ड़।

वह व्यक्ति जो शिक्षा देने का कार्य करता है, वह शिक्षक कहलाता है। विद्यार्थी के मन में सीखने की इच्छा को वह जागृत करता है शिक्षक के द्वारा ही बालक का भविष्य का निर्माण होता है। शिक्षक ही एक बालक के कोमल ह्रदय को बेहतर तरीके से जान प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दे सकती है। शिक्षक की बालको अच्छी ओर बुरी बातों का ज्ञान प्रदान करता है बालक को अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान प्रदान करता है बालकों के अच्छे आदतों को बढ़ावा देता है और बुरी आदतों छुडवाने का प्रयास करता है।
डॉ० से पी जे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर हम अपने देश को भष्टाचार मुक्त बनाना है तो हमें 3 लोगों की आवश्यकता है और यह तीन हैं माता–पिता और गुरू। माता पिता संस्कार प्रदान करते और गुरू ज्ञान प्रदान करता है। कक्षा में आने से पहले एक अच्छा शिक्षक रोज शिक्षा के अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करता है हर शिक्षक के पढ़ाने की अपनी अलग–अलग खासियत होती है और शिक्षक अपने ज्ञान कौशल और व्यवहार से हर विषय को बेहतर बनाते हैं सभी बालकों का सबसे अच्छा पल स्कूली शिक्षा का समय है यह समय है जिसमें बालक शिक्षा के लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास, खेल, समूह चर्चा, निबंध लेखन आदि अन्य गतिविधियां में भाग लेता है जिसे शिक्षक अनुभव के द्वारा छात्रों को उनके अन्य विषयों में भी ज्ञान एवं रूचि का विकास करवाते है।

एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को एक मित्र की तरह व्यहार करके सही दिखाते है, और अपने विद्यार्थियों की सफलता में खुश होते हैं। शिक्षक अपने सामने आने वाली चुनौतियों के लिए खुद तैयार रहता हूं, और अपने छात्रों को भी तैयार कर आता है।

शिक्षक सक्रिय रूप से और अपनी सूझबूझ से अपने छात्र के जीवन पर एक प्रभावशाली असर डालता है।

शिक्षक न केवल ज्ञान के स्रोत के रूपमें कार्य करता है बल्कि वह रोल मॉडल, संरक्षक, संरक्षक एवं सलारकार के रूप में कार्य करता है।

मुख्य रूप से, कक्षा में शिक्षकों की भूमिकों अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करना है जो उन्हें एक विशिष्ट एवं सामान्य विषय के बारे में नई चीजों सीखने और सिखाने में मदद कर सके।

शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थियों को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और शिक्षित करने के लिए है।

शिक्षक की भूमिका हमेशा एक सूत्रधार कि होती है, ना कि तानाशाह की।

शिक्षक की गुणवता खराब होने का कारणः–

- शिक्षक पर कार्यभार बढ़ना(मध्यम भेजन, चुनाव शुल्क)
- शिक्षक छात्र अनुपात (1:3) का पालन नहीं करना।
- शिक्षक के छात्र मूल्यांकन के लिए निगरानी प्रणाली की कमी
- निजी कोचिंग में विधि और शिक्षकों की भागीदारी
- पर्याप्त संख्या में उचित शिक्षकों की कमी

- शिक्षक नियुक्ति में विभिन्न स्तारों पर भष्टाचार।

सरकार के द्वारा शिक्षकों की गुणवता में सुधार कार्य :–

- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद पूरी देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का विकास की योजना बनाती है और उसे समन्वय करती है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में देश भर में 42 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण करने के उद्देश्य से प्रमुख स्कूलों और शिक्षकों का समय विकास के लिए राष्ट्रीय पहल की शुरूवात की।
- शिक्षक शिक्षा को देखने के लिए वर्क वर्मा आयोग और पूनम बत्रा समिति को नियुक्त किया गया था, उनके निरंतरता बहु अनुशासनिक वातावरण में कार्यक्रम की गई शिक्षक शिक्षा बनाने पर आधारित थे।

शिक्षक के लिए छात्रों की शिक्षा का उद्देश्यः–

1. **ज्ञानः–**
   शिक्षक छात्रों के अध्ययन या ज्ञान, अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं से परिचय कराना।
   शिक्षक छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान करना।
   शिक्षक के द्वारा छात्रों के अध्ययन की संख्यात्मक व गुणात्मक विधियों का ज्ञान प्रदान करना।
2. **बोधः–**
   छात्रों में गहन और सुक्ष्म अध्ययन या प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों का बोध कराना
   शिक्षक द्वारा विभिन्न क्षेत्र में जैसे कि पर्यावरण, जनसंख्या, भौतिकी, मानव संसाधन, शिक्षा, उर्जा, स्वास्थ्य, भोजन, संचार, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के संदर्भ में छात्रों को अध्ययन की आवश्यकता और समझाने की क्षमता का विकास करना।
3. **व्यवहारः–**
   शिक्षक द्वारा छात्रों की अध्ययन से संबंधित अभ्यासों के माध्यम से विधार्थियों में विस्तृत चिंतन की क्षमता करना।
   शिक्षक द्वारा छात्रों के अध्ययन की विभिन्न विधियों के माध्यम से भविष्य संबंधित अभ्यासों के लिए अनुभव प्रदान करना।
   शिक्षक द्वारा छात्रों के कथन या वाणी के आधार पर संभावित योजनाओं के लिए आवश्यक कुशलता का विकास करना।
4. **दृष्टिकोण और चेतनाः–**
   शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए भविष्योन्मुखी विचारों, चिंतन और अभ्यासों के प्रति सकरात्मक दृष्टिकोणों का विकास करना।
   शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए न केवल भविष्य ही नही, बल्कि वांछित भविष्य के प्रति चेतना उत्पन्न करना।

शिक्षकों के द्वारा छात्रों के लिए कियें जाने वाले कार्यः–

शिक्षक भविष्य में आने वाले परिवर्तनों के प्रति छात्रों को चेतना प्रदान करना।
शिक्षक द्वारा तकनीकी विकास के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप को समझने की क्षमता प्रदान करता है।

शिक्षक द्वारा छात्रों के भविष्य में दीर्घकालीन योजनाओं का मार्ग प्रशस्त करता है
शिक्षक छात्रों के लिए भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रम की योजना तैयार करना।
शिक्षक छात्र के लिए शिक्षा के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करता है।
शिक्षक छात्रों के समाज के आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक, जैविक, धार्मिक, वाणिज्य–व्यापार, शैक्षिक तथा मानवीय पक्षों को तैयार करता है।

शिक्षक और शिक्षा की चुनौतियां

शौक्षिक क्षेत्र का निजीकरणः–निजी स्कूल और कॉलेज बहुत अधिक कीमत पर शिक्षा प्रदान करते है। कई माता पिता अपने बच्चे को उच्च शिक्षा केवल इसलिए छुडवाने के लिए मजबूर होते है क्योंकि वह धन कि व्यवस्था नही कर पाता है।

रोजगार योग्य कौशल का अभावः–छात्र सैद्धांतिक ज्ञान तो सीख रहे हैं लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में कौशल का अंतर आ गया है। भारत में स्नातकों में योग्य कौशल का अभाव पाया गया है।

कोटा प्रणाली की व्यापकताः– भारत में माधवी छात्रों की काफी संभावनाएं है, लेकिन किसी तरह कोटा प्रणाली के प्रभाव के कारण इन छात्रों का एक बड़ा प्रतिशत उपलब्ध शैक्षिक अवसरों से प्रतिबंधित है कोटा प्रणाली अभी भी एक विवादित विषय है।

छात्रों के नैतिक मुद्देः– बचपन से ही छात्रों को उन व्यवसायों के लिए तैयार करना सिखाया जाता है जिनमें भारी वेतन पैकेज होता है। यह छात्रों के उनके करियर की शुरूआत से ही धन–उन्मउख बनाता है जहां एक छात्र की मानसिकता अधिक से अधिक कोशल और ज्ञान सीखने की होनी चाहिए।

अनुसंधान के अवसरों की कमीः–नवाचारों को प्रेरित करने के लिए यह एक चिंताजनक चिंता का विषय है। क्यों कि पिछले दशक से भारत से शोध प्रकाशन बढ़ रहे हैं लेकित फिर भी यह प्रमुख प्रतिशत के साथ अन्य देशों से पीछे है।

निष्कर्षः–

शिक्षक को भविष्य निर्माता कहा गया है अतः एक शिक्षक की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। बिना गुरू के ज्ञान नहीं है एक शिक्षक का कार्य बहुत ही कठिन होता है जिसे शिक्षक ईमानदार एवं मेहनत से अपनी भूमिका निर्वाह करते है। शिक्षक अपने कांधे पर देश एवं छात्रों का भविष्य का भार ले कर चलता है और उनका प्रयास रहता है कि छात्रों का भविष्य हमेशा अच्छा और उज्जवल रहे। आज के समय में शिक्षा जो चुनौतियों देखने को मिला जहां है उसमें शिक्षक को update रहना। आपने छात्रों को सही ज्ञान और पाठ्क्रम को निर्धारित समय में पुरा करना।

संदर्भ ग्रंथः–

शिक्षा के दाशनिक एवं सामजशास्त्रीय सिद्धांत
www.govtvacancy.net
Testboot.com
Teaching.world.in
Data to biz
Edumpus.com

The Opinion V.11, N. 22 J-D 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

जनजातीय समस्याओं के निराकरण में मीडिया की भूमिका
(झारखंड राज्य के विशेष संदर्भ में)

अंकुर कुमार पाण्डेय
शोध छात्र
ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज.

सारांश

भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से एक विशाल देश है। यहाँ काभौगोलिक क्षेत्र एक–दूसरे से भिन्न तथा पृथक विशेषताओं के कारण अपनी भिन्न पहचान रखते हैं। सामान्यतया इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के रहन–सहन, कर्म, कला, भाषा, और साहित्य के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक व राजनीतिक स्थितियों में भी भिन्नता पायी जाती है। इन्हीं भिन्नताओं में एक वर्ग है आदिवासी समुदाय का जो देश के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक ढाँचे का अभिन्न हिस्सा है। विकासात्मक गतिविधियों एवं समाज की मुख्य धारा से जुड़ना इस समुदाय की बड़ी चुनौती है। आदिवासी समुदाय दुर्गम, बीहड़ क्षेत्रों में तथा जंगलों में फैला हुआ है। भारत के कई क्षेत्रों में आज भी आदिवासी समाज विकास का बाट जोह रहा है। कई क्षेत्रों में ये आधुनिक सभ्यता के लाभों से वंचित, प्रगति के दौड़ में पिछड़ा, शिक्षा के वरदान से अछूता, शोषण का शिकार, आधुनिक कृषि एवं उद्योग–धंधों से अनभिज्ञ तथा सभ्यता के आरंभिक सोपानों में अवस्थित है। पहाड़ी धरातल, अनुपजाऊ भूमि, अविकसित यातायात एवं सघन वन आदिवासी क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता रही है।

बीज शब्द–जनजाति, विकास, सरकार, योजना, मीडिया, संविधान, समस्याएं, संचार, समाज, सामुदायिक, अनुसूचित क्षेत्र।

आदिवासियों को मूल निवासी कहा जाता है वे आदिकाल से देश में निवास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से समाज का क्रमागत विकास हुआ, लोगों के जीवन स्तर, खान–पान, आचार–विचार, शिक्षा व स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, तकनीक का विकास हुआ, कार्यालयों में नए–नए उपकरणों का प्रयोग होने लगा, ऑनलाइन माध्यम से कार्य संपादित किए जाने लगे वहीं दूसरी तरफ आदिवासी लोगों के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। हजारों वर्षों से जंगलों व पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को हमेशा से दबाया व कुचला जाता रहा है, जिससे उनकी जिंदगी अभावग्रस्त ही रही है। इनका खुले मैदान के निवासियों और तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले लोगों से न के बराबर ही संपर्क रहा है। सरकार आदिवासियों के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में करती है इसके बाद भी 6–7 दशक में उनकी आर्थिक स्थिति व जीवन–स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है। स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का साफ पानी आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए वे आज भी तरस रहे हैं। सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उन योजनाओं का हश्र क्या होता है, उन योजनाओं का लाभ आदिवासी ले पा रहे हैं कि नहीं, यह जानने भर की फुर्सत किसी को नहीं है। जरूरत है नेक नीयत की क्योंकि कानून, योजना, परियोजना तो बहुत बनाये गए किन्तु उन्हें सही ढंग से लागू नहीं किया गया। भ्रष्टाचार, बदनीयत, संवेदनहीनता, राजनीतिक

दांव–पेंच, क्षेत्रीय अशान्ति, अपराधीकरण, शोषण, भेद–भाव इन सारे कारणों के चलते आज भी भारत के जनजातियों को ठगा सा महसूस हो रहा है।

भारत में कई प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं किंतु उनमें प्रमुख हैं भील, गोड़, संथाल, मीणा, नायर, उरांव, मुंडा, हो, गुज्जर, भूमिज, कोया, बोरो, खोड़, लुशाई इत्यादि। अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड जनजातियों की दृष्टि से भारत का एक प्रमुख राज्य है। यहाँ 32 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ हैं। अनुसूचित जनजातियों को मुख्यतया दो भागों में विभाजित किया गया है– प्रमुख जनजाति एवं आदिम जनजाति। झारखंड में 24 जनजातियाँ प्रमुख जनजाति की श्रेणी में तथा 8 आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनजातियों की कुल आबादी 86.45 लाख है। जिसमें प्रमुख जनजातियों की कुल आबादी करीब 83.52 लाख है वहीं 8 आदिम जनजाति की कुल आबादी 2.93 लाख है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की तीन सबसे बड़ी जनजाति– संथाल (27. 54लाख), उरांव (17.16लाख), मुंडा (12.29लाख) है।

अनुसूचित क्षेत्र– संविधान के पांचवी अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244(1) तथा 244(2) में अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। भारतीय संविधान की धारा 244(1) की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6(1) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह देश के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किसी राज्य का वह भूखंड है जहां अनुसूचित जनजातियाँ रहती है।

संविधान के अनुसूची 5 के पैराग्राफ 6(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राज्यपाल के सलाह के बाद एक राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि का आदेश दे सकते है। किसी राज्य और राज्यों के संदर्भ में इस पैराग्राफ के अंतर्गत जारी आदेश और आदेशों को राज्य के राज्यपाल की सलाह से निरस्त कर सकते है और अनुसूचित क्षेत्र को फिर से परिभाषित करने के लिए एक नया आदेश दे सकते है। अनुसूचित क्षेत्र को पहली बार 1950 में अधिसूचित किया गया था।

भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत भारत के निम्न राज्यों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जो कि वर्तमान में उनके मूल अथवा संशोधित रूप में है–

क्र.सं.	राज्य का नाम	अधिसूचना जारी होने का दिनांक	आदेश
1	आंध्र प्रदेश	26–01–1950	अनु० क्षेत्र (भाग अ राज्य) आदेश, 1950
2	तेलंगाना	07–12–1950	अनु० क्षेत्र (भाग ब राज्य) आदेश, 1950
3	हिमाचल प्रदेश	21–11–1975	अनु० क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975
4	गुजरात	31–12–1977	अनु० क्षेत्र (गुजरात) आदेश, 1977
5	उड़ीसा	31–12–1977	अनु० क्षेत्र (उड़ीसा) आदेश, 1977
6	राजस्थान	12–02–1981	अनु० क्षेत्र (राजस्थान) आदेश, 1981
7	महाराष्ट्र	21–12–1985	अनु० क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985
8	छत्तीसगढ़	20–02–2003	अनु० क्षेत्र (छत्तीसगढ़) आदेश, 2003
9	मध्यप्रदेश	20–02–2003	अनु० क्षेत्र (मध्यप्रदेश) आदेश, 2003
10	झारखंड	11–04–2007	अनु० क्षेत्र (झारखंड) आदेश, 2007

संप्रति देश में 4,17,199 वर्ग किलोमीटर अनुसूचित क्षेत्र हैं जहां 429.41 लाख अनुसूचित जनजातियों की आबादी है। अगर गौर किया जाए तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के क्रम में राष्ट्रपति ए.

पी.जे. अब्दुल कलाम के द्वारा अनुच्छेद 44(2) के तहत संविधान के पांचवी अनुसूची के प्रावधान में झारखंड राज्य को 2007 में शामिल किया गया। झारखंड राज्य के 260 विकास खंड क्षेत्रों में से 112 पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में आते है।(24 जिलों में से 15 जिलों में फैले हुए)

ऐसे प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है और यदि राष्ट्रपति निर्देश दे तो किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां है, किंतु अनुसूचित क्षेत्र नही है, एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। जो 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से यथाशम्य निकटतम तीन–चौथाई उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। परंतु यदि उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों से कम है तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे।

दृष्टव्य है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए उक्त राज्यों के राज्यपाल यदि चाहें तो सामान्य कानूनों को जनजातियों पर लागू करते समय परिवर्तन या परिसीमन कर सकते है। वे इन घोषित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने एवं प्रशासन के भली–भांति संचालन के लिए नियम भी बना सकते है। ये नियम पांचवी अनुसूची में वर्णित भूमि हस्तांतरण को रोकने, भूमि आवंटन करन, व्यापारियों एवं महाजनों की गतिविधियों को नियंत्रित करने आदि के बारे में हो सकते है। राज्यपाल राज्य के उन अनुसूचित जनजातियों को विशेष कानून के दायरे में ला सकता है जो वास्तव में अनुसूचित क्षेत्र के नहीं रहते है। जिसकी सूचना वह राष्ट्रपति को दे देता है। अनेक राज्यों में इस संबंध में नियम बनाए जा चुके है तथा कुछ राज्यों ने अपने पूर्व अधिनियमों में जनजातियों के हितार्थ आवश्यक परिवर्तन भी किए है। अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य का राज्यपाल वार्षिक रूप से अथवा जब कभी राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के ऊपर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

महत्वपूर्ण बातों को जानने के बाद बावजूद आदिवासियों की समस्या को आसानी से तय कर पाना कत्तई आसान नहीं है। हर क्षेत्र की परिस्थितियाँअलग अलग हो सकती हैं अर्थात अलग–अलग क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों की समस्या भिन्न–भिन्न हो सकती है। वर्षों से शोषित रहे इस समाज के लिए परिस्थितियां आज भी बहुत कष्टप्रद व समस्याएं बहुत अधिक हैं। ये समस्याएं प्राकृतिक तो होती ही हैं साथ ही यह मानवजनित भी होती है। विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों की समस्या थोड़ी बहुत अलग हो सकती है किंतु बहुत हद तक एक समान ही होती है।

आदिवासियों की प्रमुख समस्याएं–

गरीबी– निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आदिवासी समस्याओं का महत्वपूर्ण तत्व गरीबी से जुड़ा है।ऋणग्रस्तता हो या भूमि हस्तांतरण सभी के पीछे गरीबी ही प्रमुख कारण है। संपूर्ण भारत के लिए गरीबी एक अभिशाप है। हमारे यहां गरीबी का आलम यह है कि बहुत से लोगों को बमुश्किल एक वक्त का ही भोजन नसीब हो पाता है। यह हालात अनुसूचित जनजातियों के लिए और भी सोचनीय व दयनीय है। आदिवासियों से जंगलों के वन–उत्पाद से संबंधित उनके परंपरागत अधिकार पूरी तरह से छीन लिए गए हैं। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर उन्हें मजदूरी करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाती है, जिससे समय के सापेक्ष उनकी गरीबी कम होने की जगह बढ़ी ही है।

शिक्षा– शिक्षा मानव के विकास में सहायक होता है। आदिवासी समाज का शिक्षा से कम सरोकार होना उनके कई समस्या से जुड़ा हुआ है। ऋणग्रस्तता, भूमि हस्तांतरण, स्वास्थ्य, बेरोजगारी एवं गरीबी आदि कई समस्याएं हैं जो शिक्षा से प्रभावित होती है। सन 2011 के आंकड़ों को देखें तो स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट

हो जाती है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता की दर जहां 80.9प्रतिशत थी, वहीं झारखंड में यह महज 67.63 प्रतिशत थी। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 76.48 प्रतिशत एवं महिलाओं की महज 55.4 प्रतिशत थी। इसके मुकाबले राज्य में आदिवासी साक्षरता दर सिर्फ 47.63 प्रतिशत थी। यही नहीं स्कूल स्तर पर भी बच्चों की बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने यानी ड्रॉपआउट की दर काफी अधिक है। इससे यह समझना कठिन नहीं है कि जिस समुदाय में इतनी अधिक संख्या में बच्चे स्कूली स्तर पर ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, आखिर उच्च शिक्षा में उनकी स्थिति क्या होगी।

बेरोजगारी– आदिवासी हमेशा से दूर–दराज के क्षेत्रों में समाज के मुख्यधारा के लोगों से दूर रहे हैं। साथ ही जंगलों पर अपना अधिकार समझने वाले आदिवासियों का इन पर भी अब कोई अधिकार नहीं रहा। अशिक्षित या कम शिक्षित होने के कारण इनके पास रोजगार के साधन भी सीमित है। बेरोजगारी के मोर्चे पर झारखंड राज्य के लिए अच्छी खबर नहीं है, बेरोजगारी दर में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है।

ऋणग्रस्तता– आदिवासी लोग अपनी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी तथा अपने दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण ऋण लेने को मजबूर होते है। जिसके कारण दूसरे लोग इनका फायदा उठाते है। आदिवासियों के लिए ऋणग्रस्तता की समस्या सबसे जटिल है जिसके कारण प्रायः जनजातीय लोग साहूकार जैसे लोग के चंगुल में फंस जाते हैव उनके शोषण के शिकार होते हैं।अपनी पुस्तक जनजातीय भारत में नदीम हसनैन ने बताया है कि नृजातीय अध्ययनों तथा प्रमाणों से यह स्पष्ट पता चलता है कि ठेकेदारों तथा अन्य लोगों के द्वारा जनजातीय क्षेत्र में हस्तक्षेप से पूर्व ये जनजातियां इतनी दुर्बल, निर्धन व विवश नहीं थी। ये लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे। वन संपदा पर इनका अधिकार था। दुर्भाग्यवश जब आर्थिक विकास की परियोजनाओं के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में विकास का झोंका आया तथाइनके क्षेत्र सभी प्रकार के लोगों के लिए खोल दिए गए तो विकास का लाभ उठाने के लिए ये जनजातियां प्रायः तैयार नहीं थी। प्रशासन के संगठित प्रयास की अनुपस्थिति में बाहरी तथा तथाकथित सभ्य लोगों ने इन जनजातियों की संवेदनशीलता का भरपूर लाभ उठाया। नदीम हसनैन आगे कहते हैं कि यद्यपि हमारे पास ऋणग्रस्तता से संबंधित वैज्ञानिक तरीकों से इकट्ठा किए गए आंकड़े बहुत कम है फिर भी कहा जा सकता है कि यह समस्या बहुत ही गंभीर है।

भूमि हस्तांतरण– आदिवासी समाज मुख्य रूप से अपनी जीविका के लिए कृषि पर ही आश्रित होता है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 88 प्रतिशत जनजातीय आबादी कृषक है। जनजातियों का अपनी भूमि से बहुत भावनात्मक लगाव रहता है। संचार व्यवस्था में विस्तार होने के कारण समस्त जनजातीय क्षेत्र बाहरी लोगों के लिए खुल गया। ये बाहरीवर्ग इन क्षेत्रों में अपने अपने उद्देश्यों व स्वार्थों के साथ प्रवेश कर गया। जिसके कारण भूमि अधिग्रहण में काफी इजाफा हुआ है। अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अन्य बहुत से तरीके हैं जिनके द्वारा बाहरी लोग जनजातियों की भूमि को हड़प लेते है।

अस्थाई कृषि– भारतीय जनजातियों में अस्थाई कृषि का प्रचलन बहुत पुराना है। अस्थाई कृषि का अर्थ है कि कुछ समय तक एक ही भूमि पर कृषि कार्य करना फिर उसे खाली छोड़ देना। भारत में इसका प्रचलन असम के सुदूरवर्ती पहाड़ों, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार व झारखंड में अधिक है। यद्यपि अधिकतर क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है फिर भी इसका प्रचलन सीमित स्तर पर ही सही परंतु देखा जा सकता है। भूतपूर्व उपमहानिरीक्षकएम. डी. चतुर्वेदी के अनुसार "इस विचार को त्यागना चाहिए, भूमि कटाव के लिए मुख्यतःअस्थाई कृषि ही उत्तरदाई है।" अतः अस्थाई कृषि को एक बुराई के रूप में देखा गया है।

स्वास्थ्य– जनजातीय समाज के लोगों का सामान्य स्वास्थ्य बहुत बुरा नहीं होता है परंतु लगातार संक्रमण से उन्हें अक्सर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दूर–दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा की कमी के कारण उनको काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। कभी–कभी तो हालात काफी मुश्किल हो जाते हैं और तब अस्पताल के अभाव में इनके जीवन मृत्यु तक बात पहुंच जाती है। यह बात सही है कि सरकार स्वास्थ्य तथा चिकित्सा की दिशा में अधिक से अधिक सुविधाएं देने के इच्छुक है किंतु यह भी कटु सच्चाई है कि सरकारी योजनाओं व नीतियों का धरातल पर पहुंच न के बराबर ही हो पाता है। प्रायः जनजातीय लोग सरकारी अस्पतालों में कम ही आते हैं इसका प्रमुख कारण है इनकी अपनी चिकित्सा पद्धतियां। ढेबर आयोग की टिप्पणी के अनुसार "एक सरल प्रकृति का मनुष्य पुजारी तथा डॉक्टरदोनों के पास जाएगा। पुजारी उसके लिए प्रार्थना करेगा, डॉक्टर उसको दवा देगा। मान्यता यह है कि ईश्वर पुजारी की प्रार्थना सुनता है जिससे दवा का प्रभाव बढ़ जाएगा। डॉक्टर एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से दैवीय शक्तियां कार्य करती है।" अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति को इन जनजातियों तक पहुँचाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थानीय विश्वासों, आस्थाओं तथा संवेदनाओं को ध्यान में रखना आवश्यक होगा।

मदिरापान–जनजातियों में मदिरापान का बहुत अधिक प्रचलन है। अधिकतर जनजातियाँ मदिरापान के संबंध में बहुत संवेदनशील हैं तथा महुए के पेड़ को पवित्र मानती है। मदिरापान सदियों से उनकी परंपराओं का एक भाग रहा है। जनजातीय समाज में लोग अपने ही घरों में मदिरा बनाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी क्रियाविधि हो सब में मदिरा का सेवन जनजातीय समाज के लोग करते हैं। झारखंड राज्य में भी मदिरा का सेवन आदिवासी समुदाय में बहुतायत मात्रा में किया जाता है। अपने शोध कार्य के दौरान वहाँ के लोगों से अन्तःक्रिया के उपरांत पता चला कि मदिरापान सदियों से उनकी परंपरा का भाग रहा है। मदिरा को बनाने के लिए वह प्रायः महुए के फल को इस्तेमाल में लाते हैं। महुए के अलावा बाजरा व चावल से भी मदिरा का निर्माण करते हैं। आदिवासियों के पास अपनी बनाई मदिरा पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों द्वारा बाहरी मदिरा के विक्रय ने आदिवासियों को बहुत सी समस्याओं में उलझा दिया है। मदिरा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बाहरी असामाजिक तत्व इन पिछड़े समुदायों के बीच पहुंचकर आपत्तिजनक कार्य करते हैं। साथ ही इसके आदी होकर आदिवासी अपने को आर्थिक रूप से और भी कमजोर करते जाते हैं।

आवास– सरकार द्वारा निर्धन जनजातियों को उपलब्ध कराए जाने वाले अधिकतर आवास इनकी आवश्यकतानुसार नहीं होते है। इन आवासों का नक्शा अक्सर एक ऐसा वास्तुकार बनाता है जोजनजातीय बस्तियों या आवश्यकताओं, परंपराओं तथा संस्कृति से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। इन जनजातियों के विश्वासों, परंपराओं तथा रीति–रिवाजों पर ध्यान दिए बगैर कोई भी आवासीय योजना सफल नहीं हो सकती है। नगरीय संस्कृति के आधार पर बने आवास इन जनजातियों को स्वीकार्य नहीं होंगे। किसी भी आवास योजना के बनने से पूर्व जनजातियों से उनकी आवश्यकताओं के संबंध में वार्तालाप किया जाना आवश्यक होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि इनकी आवासीय स्थिति में सुधार न किया जाए बल्कि इसका आशय यह है कि मकानों की संरचना के संबंध में इन जनजातीय लोगों के विचारों तथा विश्वासों को ध्यान में रखकर सुधार किया जाए। इसके साथ–साथ स्थान का चयन तथा आवासों की संरचना भी उनके रीति रिवाज एवं परंपराओं के अनुसार ही होनी चाहिए।

संचार–सदियों से आदिवासी समाज के लोग घने जंगलों और दूरवर्ती क्षेत्रों में रहते आए हैं। जहां आम लोगों का पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। संचार माध्यमों की कमी इसका मुख्य कारण है। आज के परिवेश में यह मानी हुई बात है कि किसी भी क्षेत्र के विकास व प्रगति में संचार व्यवस्था का होना अत्यंत

आवश्यक है। आज जिस समाज में टेलीविजन, समाचार–पत्र,रेडियो तथा टेलीफोन जैसे संचार माध्यम का अभाव हो तो वहां का विकास स्वतः ही धीमा पड़ जाता है। दूरभाष तथा वायु–संचार की दिशा में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दूरभाष एवं वायु–संचार की कोई व्यवस्था नहीं है। कठिनाइयों का सामना कर रही जनजातियों के लिए ये सुविधाएं निश्चित ही बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। यहां कमी प्रायः सरकार के प्रयास की भी है, जिन्होंने इन बातों पर प्रभावी ढंग से विचार नहीं किया। हालांकि इधर कुछ सालों से आदिवासी क्षेत्र में संचार के माध्यमों का विकास तेजी से हुआ है, किंतु वह पर्याप्त नहीं है।

संचार व्यवस्थाओं का विकास जनजातियों की राष्ट्रीय जागरूकता तथा बौद्धिक विकास में निश्चित रूप में सहायक होगा। ये संचार व्यवस्थाएं जनजातीय क्षेत्रों की आर्थिक स्थितियों के सुधार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इतिहास साक्षी है कि जब भी जनजातीय क्षेत्रों में विकास की योजनाओं कोक्रियान्वित किया गया है स्थानीय लोग बुरी तरह से शोषित हुए हैं। अतः योजनाओं को बनाते व कार्यान्वित करते समय इन जनजातीय लोगों को बाहरी तत्वों के शोषण से बचाने की समुचित व्यवस्था पर भी उपयुक्त बल दिया जाना चाहिए।

औद्योगीकरण व नगरीकरण– यह कार्पोरेट साम्राज्यवाद का युग है और कार्पोरेट जगत अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए राजनीतिक व रणनीतिक मोलभाव का व्यवस्थित उपयोग करना बखूबी जानता है। साम्राज्यवाद की यह अन्धी दौड़ उपनिवेशवाद का एक छदम रूप भी है। जहां वर्चस्व स्थापित करने की परस्पर होड़ कंपनियों में लगी रहती है। वर्तमान वैश्विक युग में कार्पोरेट जगत दुनिया के हर उस पहलू पर अपना आधिपत्य जमा लेना चाहता है जो उसके व्यावसायिक हितों की पूर्ति करता है।

बाद 5 नवंबर, सन 2009 की है जब 37 गैर–सरकारी संगठनों से जुड़े झारखंड के दूर–दराज के जनजातीय इलाकों से आए सैकड़ों आदिवासियों ने रांची रेलवे स्टेशन से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया था। वे यहां विकास परियोजनाओं में न तो अपनी हिस्सेदारी की मांग करने के लिए आए थे और ना ही उनकी मंशा राजनीतिक ताकत को इकट्ठा करने की थी। बल्कि वे लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके झारखंड की राजधानी रांची में सरकार से अपनी जमीन पर अधिकारके मांग को लेकर यहां पहुंचे थे।यह ऐसी जमीन थी जो औद्योगिक अथवा खननपरियोजनाओं के चलते उनसे छीनी जा रही थी। जनजातियों का आर्थिक उत्थान इन विकास योजनाओं का तर्कसंगत परिणाम होना चाहिए था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। झारखंड की मैथन, कोनार तथा पचेत जैसी प्रमुख विद्युत परियोजनाएं साथ ही रांची तथा जमशेदपुर की स्टील परियोजनाएं ऐसी कुछपरियोजनाएं है जो जनजातियों के विस्थापन का प्रमुख कारणबनी।

निर्जनीकरण व जनसंख्या ह्रास– निर्जनीकरण व जनसंख्या ह्रास की समस्या जनजातीय भारत की एक दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर पेश करती है। यह एक अजीब विडंबना है कि एक ओर बड़ी जनजातियां जैसे गौड़, भील, संथाल आदि की जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से बढ़ रही है तो दूसरी ओर दर्जनों छोटी–छोटी जनजातियां निरंतर लुप्त होने के कगार पर है। जनजातीय निर्जनीकरण के प्रमुख कारणों में परिस्थितियों में परिवर्तन को प्रायः प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है। प्रकृति–मानव साम्य मेंविघ्न तथा वन नीति का अमानवीकरण ऐसी स्थितियां है जिसके कारण आदिम समुदाय सामाजिक–आर्थिक शोषण व वंचन के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिनमें जीवन को जीना ही उनके लिए सजा के समान है। पेयजल की कमी, कुपोषण तथा अन्य बीमारियां ऐसी जनजातियों का भाग्य बन चुकी हैं।

झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं जिनमें से 08 जनजाति आदिम जनजातियाँ हैं, जिन्हें अब विशेष जनजाति का दर्जा दिया गया है। ये जनजातियां असुर, विरहोर, विरजिया, माल–पहाड़िया, सौरिया–पहाड़िया, सबर, हिल खड़िया, परहिया हैं। वर्ष 2011की जनगणना के अनुसार झारखंड में विशेष जनजाति की कुल आबादी 2 लाख 92 हजार है। जिसमें सबर की आबादी तीन प्रतिशत ही है। अगर सरकार ने समय रहते हुए इन्हें विलुप्ति से बचाने के लिए कोई अहम कदम नहीं उठाया तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क(च्म्त्छ) के द्वारा वर्ष 2017 में किए गए एक शोध में यह निकला है कि एक हजार सबर लोगों में हर साल 10 लोगों की मौत हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार शून्य से पाँच वर्ष के सबर समुदाय के 68 प्रतिशतबच्चे अपने सामान्य वजन से कम हैं। क्रॉनिक हंगर के कारण 56 प्रतिशत बच्चे नाटेपन की समस्या से जूझ रहे है और 42 प्रतिशत बच्चों में दुबलेपन की समस्या है। प्रति एक हजार पर 131 लोग बीमार हैं। इस जाति विशेष में टी. बी. और मलेरिया जैसी बीमारियां ज्यादा है। 68 प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए। ये सर्वे पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखण्ड में 284 सबर परिवारों के बीच किया गया था। झारखंड में कुल सबर की जनसंख्या 8117 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे–4 (छथ्भ्) के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 32 प्रतिशत महिला और 24 प्रतिशत पुरुष ऐसे हैं जिनका ठडै कम है। इसका मुख्य कारण उचित पोषण का न मिल पाना है।

अतः हम गौर करें तो जनजातीय समुदाय मेंनिर्जनीकरणव जनसंख्या ह्रास की समस्या केवल झारखंड के ही कुछ विशेष जनजातियों की ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत के विभिन्न हिस्सों में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय की है। इसीलिए इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का नाम भारत सरकार द्वारा दिया गया है।

प्रवसन– जनजातीय प्रवसन कोई नई घटना नहीं हैलेकिन योजनाबद्ध तरीके से तथा संगठित तौर पर बिचौलियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रेरित प्रवसन अवश्य एक नई घटना है। विश्व भर में लगभग सभी समुदायों को विशेष रुप से आदिम समुदायों को अपनी जमीन व मूल निवास स्थान से गहरा भावनात्मक संबंध रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि जनजातीय प्रवसन सामान्य परिस्थितियों में नहींहोता। जनजातीय प्रवसन को दो पहलुओं से समझा जा सकता है पहला, वेकारकजो जनजातीय समूह को बाहर की ओर जाने के लिए मजबूर करते हैं और दूसरे वे कारक जो किसी जनजातीय समूह को अपनी ओर खींचते हैं या उन्हें विविध तरीके से आकर्षित करके अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए उकसाते है। पहली श्रेणी के कारकों में सामाजिक आर्थिक शोषण, बीमारी व भुखमरी तथा बाढ़ व सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाओं को शामिल किया जाता है। दूसरे प्रकार के कारकों में शहरों में रोजगार के बेहतर अवसर व अधिक मजदूरी जैसे कारक शामिल किए जा सकते हैजिसके कारण बहुत सी जनजातियां प्रवासी बन जाती है। बिहार तथा झारखंड के उरांव,हो, मुंडा तथा संथाल जैसी जनजातियां उत्तरी बंगाल के असम के चाय बागानों में काम के लिए जाती रही है परंतु पिछले कुछ दशकों में इन क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब और इसी तरह अन्य राज्यों की ओर पलायन या प्रवसन एक नई घटना है। विविध प्रकार के रिपोर्टों में यह उजागर किया गया है कि किस प्रकार प्रवसित जनजातियों का शोषण व उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं।असंगठित होने के कारण ये प्रवासी अपने शोषण व अत्याचार के खिलाफ प्रभावी आवाज भी नहीं उठा पाते हैं।

इन सबके अतिरिक्त आदिवासी समाज की और भी कई छोटी–बड़ी समस्याएं हैं जो उनके अस्तित्व व पहचान के लिए बाधक और खतरनाक हैं। उपरोक्त सभी समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन व क्रियान्वयन किया जाता रहा है। विशेष प्रावधानों के तहत विशेष योजना का भी प्रावधान किया जाता है जो कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास में

काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। जितनी भी योजनाओं का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है उनके क्रियान्वयन एवं अनुपालन में कई तरह की परेशानियां आती है और इससे संबंधित समाचार मीडिया में प्रकाशित–प्रसारित होते रहते है। लेकिन इन समाचारों को पर्याप्त फॉलोअप नहीं किया जाता साथ ही गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह एवं राजनीतिक पार्टियां इत्यादि का सहयोग भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता।

जनजातीय समस्याओं की बात की जाए तो मुख्यधारा की मीडिया से ज्यादा अपेक्षा नहीं किया जा सकता है बल्कि वैकल्पिक मीडिया अधिक गंभीरता से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। साथ ही सामुदायिक समाचार पत्र–पत्रिकाओं, सामुदायिक रेडियो का कार्य अत्यंत सराहनीय है। प्रस्तुत शोध पत्र में जनजातीय समस्याओं पर मीडिया का कवरेज, नजरिया और निराकरण में मीडिया की भूमिका को परिलक्षित किया गया है।

मीडिया और जनजातीय समाज– मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र के तीन स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। वर्तमान समय में मीडिया की उपयोगिता, महत्व एवं भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। कोई भी समाज, सरकार, वर्ग, संस्था, समूह, व्यक्ति मीडिया की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता। आज के जीवन में मीडिया एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गया है।

मीडिया के कई रूप हैं– प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया और न्यू मीडिया। इसके साथ ही सामुदायिक मीडिया और सोशल मीडिया। मीडिया एक समग्र तंत्र है जिसमें सूचना के विभिन्न माध्यम सम्मिलित होते है। इन सभी मीडिया की भूमिका को आदिवासी विकास के नजरिए से समझा जा सकता है–

प्रिन्ट मीडिया–प्रिंट मीडिया ऐसी तकनीकों का एक समूह है जिनका उपयोग प्रिंटेड (मुद्रित) रूप में सूचनाओं के प्रसारण और संकलन के लिए किया जाता है। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत अखबार, पत्र–पत्रिकाएं, पुस्तकें, पर्चे व पत्रक इत्यादि आते है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया संचार के लिए आवश्यक कोई लिखित या प्रकाशित सूचना है। यह जनसंचार का लिखित या चित्रमय रूप है आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर कम है और प्रिंट मीडिया का उपयोग करने के लिए पढ़ा लिखा होना एक अनिवार्य शर्त है। इस नजरिए से देखा जाए तो आदिवासी इलाकों में प्रिंट मीडिया ज्यादा सफल नहीं हो सकता। हालांकि सामुदायिक समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से प्रिंट मीडिया गांव तक पहुंच रहा है।

इलेक्ट्रानिक मीडिया–इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाला जनसंचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनसंचार का मुख्य माध्यम है। इससे हजारों मील दूर की गतिविधियों की लाइव जानकारी पल भर में उपलब्ध हो जाती है। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट और मल्टी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के घटक है। आदिवासी इलाकों में रेडियो एक सस्ता, सुलभ और प्रभावी माध्यम है। रेडियो भी प्रायः दो तरह के सरकारी व गैर सरकारी है। सरकारी रेडियो यानि आकाशवाणी की पहुँच 99 प्रतिशत क्षेत्रों तक है। सूचना तथा मनोरंजन की दृष्टि से आकाशवाणी एक सशक्त माध्यम है। आकाशवाणी के प्रसारण केंद्रों ने हमारी भारतीय संस्कृति व अन्य क्षेत्रीय संस्कृति को सहेजने एवं सँजोने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके कार्यक्रम विशिष्ट श्रोता वर्ग को ध्यान में रखकर प्रसारित किए जाते हैं जिनमें युवाओं के लिए 'युववाणी', किसानों के लिए 'खेती किसानी' या 'चौपाल', बच्चों के लिए 'बाल–जगत' इत्यादि शामिल है।

आकाशवाणी रांची से आदिवासियों की भाषा में 'आदिवासी अखाड़ा' नामक कार्यक्रम भी लगातार प्रसारित किया जा रहा है। जनजातियों की विशिष्टता को आज भी आकाशवाणी ने संजो कर रखा है।

निजी रेडियो के प्रसारण अभी गांवों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच सके है। टेलीविजन और इंटरनेट का अभी भी आदिवासी इलाकों में बहुत व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार नहीं हो पाया है।

परंपरागत माध्यम– परंपरागत माध्यमों के अंतर्गतलोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, लोककला, लोकनृत्य, नुक्कड़, नाटक, कठपुतलीनाच इत्यादि आते है। यह मीडिया भारत की परंपराओं से बना है इसीलिए इसे परंपरागत माध्यम कहा जाता है। वास्तव में यही एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो आदिवासी क्षेत्रों के विकास में पूरी तल्लीनता से अपना योगदान दे रहा है। इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद यह माध्यम अन्य माध्यमों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है।

न्यू मीडिया–न्यू मीडिया वास्तव में परंपरागत मीडिया कासंशोधित रूप हैजिसमें तकनीकी क्रांतिकारी परिवर्तन व इसका नया रूप सम्मिलित है। इंटरनेट के आने के उपरांत जब इंटरनेट का प्रयोग मीडिया के लिए किया जाने लगा तो उसे न्यू मीडिया कहा गया। इसमें वेबसाइट, ईमेल,ई–समाचार पत्र,ई मैगजीन, ब्लाग, वेब–पोर्टल इत्यादि आते है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के उपभोक्ताओं की संख्या बहुत कम है। ऐसे में आदिवासी विकास में न्यू मीडिया की भूमिका बहुत ही कम या नगण्य है।

सामुदायिक मीडिया– प्रत्येक समुदाय की अपनी विशिष्ट संस्कृति व अपनी विशेषताएं होती है। साथ ही उनकी अपनी समस्याएं एवंसंभावनाएं होती है। अलग–अलग समुदाय के विकास के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मीडिया को सामुदायिक मीडिया कहते है। इसमें सामुदायिक समाचार–पत्र, सामुदायिक रेडियो, सामुदायिक पत्रिकाएं, सामुदायिक टीवी आदि शामिल है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास में और जन–जागरूकता फैलाने में सामुदायिक मीडिया बहुत कारगर है। इसमें समुदाय की जरूरतों, आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं की भाषा में विविध कार्यक्रम तैयार किए जाते है व उनका प्रसारण किया जाता है। सामुदायिक रेडियो व सामुदायिक टी.बी. इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाई जाने वाली योजना, नीतियों व कार्यक्रम को सामुदायिक मीडिया के माध्यम से आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।

सोशल मीडिया–सोशल मीडिया को मुख्य मीडिया के अंतर्गत नहीं रखा गया है। लेकिन कभी–कभी यह मुख्य मीडिया से अधिक प्रभावशाली होता है। सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ने और खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है। इसमें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक, ट्विटर, लिंकडइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस जैसी वेबसाइट्स इसके वाहक है। इसके माध्यम से किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय को आसानी से लोगों तक पहुंचाना संभव है और लोगों की एक राय बनाना और सहमति कायम करना आसान है। इससे जुड़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत के तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर है। और अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 तक यह संख्या लगभग 447 मिलियन पहुँच जाएगी।वर्ष 2019 के जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते है। आदिवासी क्षेत्र में चूंकि इंटरनेट का व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं हो पाया है इसलिए आदिवासी विकास व उनके समस्याओं के निराकरण में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत कम या नगण्य है। हालांकि धीरे–धीरे इंटरनेट की पहुँच के कारण आदिवासी क्षेत्र के लोग भी सोशल मीडिया पर उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तथा अपनी बातों को सबके समक्ष रख रहे हैं।

जनजातीय समस्याओं के निराकरण में मीडिया की भूमिका– विकास कार्यों में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मीडिया लोगों तक पहुंचने तथा उनके विकास के लिए काफी प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, परंपरागत और न्यू मीडिया द्वारा लोगों को जागरूकता, सूचना, शिक्षा,

मनोरंजन, प्रेरणा व सतर्कता आदि प्रदान किया जाता है। मीडिया द्वारा ही विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाता है। साथ ही लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी सरकार तक पहुंचाया जाताहै। आदिवासियों की समस्याओं के निराकरण और उनके विकास में मीडिया की भूमिका का परीक्षण करने पर पता चला कि आदिवासियों के प्रगति व विकास में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन अफसोस कि आदिवासी मुद्दों को मीडिया उतनी गम्भीरता से नहीं लेता या फिर घटनाओं का सही से कवरेज नहीं करता।

सवाल यहाँ कई हैं किन्तु सबसे यक्ष प्रश्न यह है कि मीडिया में आदिवासी समाज या ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को कितनी जगह मिल पाती है। आदिवासी मुद्दों पर तभी ध्यान दिया जाता है जब विस्थापन, भूमि–अधिग्रहण या फिर आदिवासी संघर्ष की बातें सामने आती है। सुधीश पचौरी ने अपनी पुस्तक भूमंडलीय समय एवं मीडिया में अपने एक लेख **'अहा ग्राम जीवन तू कहाँ'** में इस बात का जिक्र किया है कि मीडिया मेंबाजारवाद का भी बहुत व्यापक असर हुआ है। लोगों को सूचना, शिक्षा, और मनोरंजन प्रदान करने के अलावाउन्हें जागरूक करने, प्रेरित व प्रोत्साहित करने, जनसमस्याओं को उठाने और उसके निराकरण में मीडिया की अग्रणी व महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सत्य है कि आज के समय में हम मीडिया की भूमिका व इसके प्रभाव को नकार नहीं सकते इसलिए यहां यह तय करने की आवश्यकता है कि आदिवासी समाज के विकास में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए। क्योंकि मीडिया का प्रभाव हर जगह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में पड़ता ही है।

अध्ययन का महत्व–सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक समूहों के उत्थान के लिए विकास की परियोजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। आदिवासी समाज के विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों/योजनाओं और बड़े पैमाने पर बजट का प्रावधान होता है। प्रस्तुत अध्ययन में आदिवासी के समस्याओं और उन समस्याओं और मुद्दों पर सरकार का पक्ष और नजरिया तथा मीडिया की भूमिका को परिलक्षित किया गया है।

निष्कर्ष– जनजातीय लोगों की कई समस्याएं है जिनमें अशिक्षा, बेरोजगारी, अंधविश्वास, स्वास्थ्य, आवागमन के साधन, सड़क, बिजली, भूमि अधिग्रहण, जल, जंगल, जमीन, मृत्यु दर, कुपोषण, गरीबी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, कृषि उपज में कमी, संस्थागत शक्तियों का हस्तांतरण, वामपंथी अतिवाद, सामाजिक समस्या जैसे टोनही प्रथा, बाल विवाह इत्यादि शामिल है। इन सभी मुद्दों व समस्याओं पर मीडिया अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। समय–समय पर आदिवासी मुद्दों पर खबरें प्रकाशित व प्रसारित की जाती है। सरकार आदिवासी समुदाय के समस्याओं व मुद्दों के निराकरण के लिए योजनाएं व कार्यक्रम तो बनाती है लेकिन इन योजनाओं व कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाता है।

आवश्यकता इस बात की है कि मानसिक स्थिति के साथ–साथ आर्थिक व सामाजिक दशा के संबंध में भरपूर जानकारी प्राप्त किए बिना विकास के कदम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इस दायित्व को प्रायः मीडिया के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। स्थानीय और वैश्विक जितने भी लोग मीडिया जैसे स्तम्भ से जुड़े है वे जनजातीय क्षेत्रों में जाएं और वहां के सभी पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण करके समाज व सरकार को बताए कि वहां के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। और उनका विकास उनकी विशिष्टता को संजोए रखते हुए कैसे किया जा सकता है। सरकार द्वारा भी इस दिशा में उचित कदम उठाकर आदिवासी मुद्दों पर गंभीरतासे कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

सुझाव–बात चाहे जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण की सुरक्षा की हो, या फिर मामला पूंजीपतियों एवं प्रभावशाली लोगों द्वारा महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की कवायद से जुड़ा

हो, मीडिया दोनों स्थितियों में 'ओपिनियन मेकिंग' यानि जनमत निर्माण का कार्य करता है। लेकिन जब मीडिया भी उन्हीं लोगों के हाथों में हो, जो संसाधनों की होड़ में जुटे हैं तो मीडिया की निष्पक्षता और वंचितों के अधिकार हाशिये पर धकेल दिए जाते है। बड़े मीडिया घरानों पर दोष मढ़ने से काम नहीं चलेगा कि वे जनसरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता से परहेज करते है। बल्कि ग्राम अथवा ब्लॉक स्तर पर छोटे–छोटे सामुदायिक 'क्लस्टर' बनाकर जनसहभागिता पर आधारित पत्रकारिता का मॉडल खड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि वैकल्पिक मीडिया की ईमानदार व प्रतिबद्ध चुनौती ही बाजार में टिके रहने के लिए कार्पोरेट मीडिया को भी जनमुद्दों पर आधारित रिपोर्टिंग के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव के लिए प्रेरित कर सकती है। जिसका स्पष्ट प्रभाव आज धीरे–धीरे दिखने लगा है।

मीडिया को जनजातीय मुद्दों पर मुहिम चलाना चाहिए। जनजातीय मुद्दों को विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा उठाना चाहिए औरसमय–समय पर उनका फॉलोअप करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि सरकार उनके लिए कार्य करे और उनकी समस्याएं सुने। मीडिया को खुद पहल करके जनजातीय मुद्दों को कवर करना चाहिए, जैसा कि दो दशक पहले तक होता था। आज पत्रकारों में बदलाव के लिए या तो जज्बे की कमी है या फिर वे विवश हैं। जनजातीय मुद्दों को मीडिया में लाने के लिए सामाजिक संस्थाओं और एन.जी.ओ. को भी आगे आना होगा। को–आपरेटिव मीडिया के छोटे–छोटे मॉडल भी कारगर हो सकते हैं। इस काम में गैर–सरकारी संगठनों और पत्रकारिता व जनसंचार से जुड़े अकादमिक संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी। अकादमिक संस्थान इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद कर सकते हैं।

शोधकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनो और संवेदनशील पत्रकार भी इस काम में अपना योगदान दे सकते है। ताकि लोगों को उनके मूल निवास स्थान से न उजाड़ा जाए, उनके सामूहिक व स्वायत्त जीवन को सम्मान दिया जाए और उनके क्षेत्र के नियोजन में उनकी भलाई को ही सबसे ऊपर रखा जाए। लेकिन यह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि निर्णय प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी ना हो। हालांकि पंचायतीराज व्यवस्था और स्थानीय निकायों के निर्णय प्रक्रिया में जनभागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन इन अधिकारों के बारे में लोगों को बहुत अधिक जागरूकता नहीं होने से समस्या हो रही है। मीडिया लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकता है, जिससे संसाधनों की लूट को रोकने में मदद मिल सकती है साथ ही मूल निवासियों को अपने नैसर्गिक आवास से बेदखल भी नहीं होना पड़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

- दुबे, श्यामचरण (1992), 'विकास का समाजशास्त्र', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
- पचौरी, सुधीश (1998), 'मीडिया और साहित्य', राजसूर्य प्रा. लि., दिल्ली
- फरियाद, एम (2018), 'सोशल मीडिया के विविध आयाम', स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली
- बबल, अनामीशरण (2009), 'मीडिया विवाद–संवाद', श्री नटराज प्र., दिल्ली
- भीम सिंह, वी. कृष्ण (2014), 'आदिवासी विमर्श', स्वराज प्रकाशन, दिल्ली
- भारत की जनगणना, 2001;http//Jharkhand.nic.in
- मिश्र, डॉ० स्मिता (2002), भारतीय मीडिया, अंतरंग पहचान, भारत पुस्तक भंडार प्र., दिल्ली
- योजना (मई, 2013), प्रकशन विभाग, नई दिल्ली

- रफत, जे (2018), 'सोशल मीडिया एवं इसका ग्रामीण युवाओं पर प्रभाव', रिव्यू ऑफ रिसर्च
- शर्मा, डॉ० बिमलाचरण, विक्रम, नीति (2006), 'झारखंड की जनजातियाँ', क्राउन पब्लिकेशन, रांची
- शर्मा, राजीव लोचन (1967), 'जनजातीय जीवन और संस्कृति', सहचरी प्रकाशन, कानपुर
- सिंह, अरविन्द कुमार (2017), 'वेब पत्रकारिता', आदि बुक्स, नई दिल्ली
- हसनैन, नदीम (2005, सातवाँ संस्करण), 'जनजातीय भारत', जवाहर पब्लिशर्स, दिल्ली
- श्रीवास्तव, एवं कुमार (2017), 'सोशल मीडिया और युवा विकास', मीडिया मीमांसा
- Chaudhuri, B, (1982). 'Tribal Development in India Problems and Prospects'. Inter-India Publication.Delhi
- Couldry, Nick. (2013). 'Media] Society World Social Theory and Digital Media Practice', Polity Press Cambridge. UK.
- Pavarala, Vinod. (2003). 'Building solidarities: A case of community radio in Jharkhand', Economic and Political Weekly, Retrieved from http:// wwJstor.org/stable/4413632
- Rath, Govind C. (Ed- 2006). 'Tribal Development in India: Contemporaray Debate' Sage. New Delhi

ग्रामीण सामाजिक संरचना में राजनैतिक सम्बन्ध एवं दलीय सम्बद्धता

शोध छात्रा– सन्ध्या,
(जे0आर0एफ0 समाजशास्त्र)
शोध निर्देशक–
प्रो0 रविन्द्र नाथ मिश्र,
स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग,
मर्यादा पुरूषोत्तम पी0जी0 कालेज भुड़सुड़ी, रतनपुरा, मऊ, उ0प्र0

सारांश

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब से वह अस्तित्व में आया तब से समूह में रहता आया है और किसी न किसी समूह का सदस्य रहा है वह चाहे, गोत्र के रूप में, टोटम के रूप में, समूह के रूप में, संस्था के रूप में किन्तु आज जब समाज में सत्ता लोकतंत्र के हाथो में आ गयी तो वह किसी न किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखता है और उस पर भरोसा कर उसी को मतदान करता है। उक्त अध्ययन ग्रामीण सामाजिक संरचना में राजनीति सम्बन्ध एवं दलीय सम्बद्धता का विश्लेषण है।

शब्द कुन्जी– जाति, राजनीति, राजनैतिक सम्बन्ध, दलीय सम्बद्धता।

प्रस्तावना

प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा को सकारात्मक स्वरूप प्राप्त करने हेतु प्रतिनिध्यात्मक पद्धति की आवश्यकता होती है। प्रतिनिधियों को एक स्थायी अस्तित्व प्रदान करने हेतु विभिन्न राष्ट्रों में एक सार्वजनिक मंच के रूप का मूर्त प्राकट्य है– राजनीतिक दल। जो विभिन्न विरोधी विचारों को सम्मान जनक स्थान देने में सक्षम होता है। जनाकांक्षों की पूर्ति हेतु सर्वथा उद्यत रहता है जन भावनाओं के अनेक अलग–अलग स्वरूप को उजागर करता है तथा किसी राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करता है।

मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और मानव की इस विवेकशीलता के कारण एक ही प्रकार की समस्याओं के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार से विचार किया जाता है। विचारों की इस भिन्नता के साथ ही साथ अनेक व्यक्तियों में आधारभूत बातों के सम्बन्ध में विचारों की साम्यता भी पाई जाती है। विचारों की समानता रखने वाले ये व्यक्ति अपनी सामान्य भी पाई जाती है। विचारों की समानता रखने वाले ये व्यक्ति अपनी नीति को कार्यरूप में परिणत करने के लिए प्रयत्नशील रहते है और इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर उनके द्वारा जिन संगठनों का निर्माण किया जाता हैं, उन्हें ही राजनीतिक दल कहा जाता है।

राजनीतिक विचारों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कुछ लोग मिलकर एक समूह या संघ कर निर्माण कर लेते है तो ऐसा समूह या संघ राजनीतिक दल कहलाता है।

एडमण्ड बर्क ने political parties नामक लेख में स्पष्ट किया है कि ''राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धान्त के आधार पर जिस पर वे एक मत हो, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के जिए एकता में बंधे होते है।''[1]

मैकाइवर ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि–

''राजनीतिक दल ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धान्त अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो, जिसे वह वैज्ञानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता है।''[2]

राजनीतिक दल आर्थिक हित एवं धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाएं आदि पर आधारित है। भारतीय समाज में अधिकतर व्यक्ति किसी न किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण की है और उसी दल को अपना मतदान करते है।

विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल के स्वरूप भी निर्धारित होते है। एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय पद्धति द्वारा विभिन्न राष्ट्रों में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व किया है, भारत जैसे विशाल देश में बहुदलीय पद्धति अपनायी गयी है जिससे बहुसंस्कृति तथा आचरण वाले इस राष्ट्र में सबकी समेकित राजनीतिक भागीदारी या सहभागिता सुनिश्चित की जा सकें।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में विविध संस्कृतियों, विचारधाराओं तथा रीतियों का उपस्थित होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में राजनैतिक दलों का दायित्व व्यापक हो जाता है, अनेकता में एकता सामाजिक, समरसता, सहिष्णुता, समन्वय तथा परस्पर विरोधी विचारों को संकलित कर राजनीतिक व्यवस्था के प्रति स्वाभाविक आज्ञा–पालन, आस्था, निष्ठा तथा स्वामी भक्ति को प्रेरित करके सकारात्मक रचनात्मक विकास में अभिवृद्धि करना मुख्य लक्ष्य हो जाता है।[3]

इस लक्ष्य को पूर्णता प्रदान करने हेतु जागरूक नागरिको से अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्र–निर्माण हेतु वे आगे आकर अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें और प्रकृति के अनुरूप राजनैतिक दल से अपनी सम्बद्धता सुनिश्चित करे।

राजनीतिक दलों द्वारा सरकार के कार्यों के प्रति मतदाता जागरूक होते है। जो दल ईमानदारी से कार्य करते है, उन्हे ही जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती हैं राजनीतिक दल के प्रमुख पदाधिकारी पूरे संगठन के उद्देश्यों के अनुसार पूरे दल के सामाजिक हित कें लिए कार्य करते है।

राजनीतिक दल वे समितियाँ है जिनको अकेले या बहुदलीय आधार पर या किसी वास्तविक अथवा भावी स्वायत्ता राज्य की सरकार के कर्मचारियों तथा नीतियों के लिए अन्य समरूपीय समितियों से निर्वाचकीय प्रतियोगिता द्वारा कानूनी नियन्त्रण को प्राप्त करने अथवा इसे बनाए रखने के सुस्पष्ट एवं घोषित उद्देश्यों द्वारा गठित किया जाता है।

दलीय सम्बद्धता–

दलीय सम्बद्धता का अभिप्राय उस प्रेरक तत्व अथवा भावना से है जिसके वशीभूत होकर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए स्वयं प्रतिबद्ध होते है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो मानव मस्तिष्क में राजनैतिक संगठनों के प्रति लगाव या मनुष्य में संगठनिक महत्ता को दर्ज कर देगी।[4]

राजनैतिक दल भी अपनी उत्पत्ति तथा विकास में संविधान के रूप में प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र में इस बात का ध्यान रखते है कि भारतीय नागरिको के आंकाक्षाओं को पूर्ण सम्मान मिले। भारतीय समाज में कई राजनीतिक दल स्थापित किये गये है। जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नवत् है–

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस–

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना श्री ए0 ओ0 हयूम ने 1885 में मुम्बई में की थी। उनका प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्रीय आन्दोलन को गति प्रदान करके देश को स्वाधीन कराना। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इसने भारतीय नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति हेतु अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। परिणामस्वरूप स्वतन्त्र भारत में बहुत दिनों तक यह दल लगातार सत्ता में बना रहा।

भारतीय साम्यवादी दल–

भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1824 में हुई थी। जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीब और मजदूर वर्ग को संगठित करना साम्राज्यवाद का विरोध तथा कृषक वर्ग की क्रान्ति को प्रोत्साहित करके पूर्णराष्ट्रीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति था।

भारतीय जनता पार्टी–

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 दिल्ली के राम लीला मैदान में की गयी। पहले जनसंघ फिर जनता पार्टी और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति का आधार गाँधी वादी अर्थ दृष्टि को प्रमुख उद्देश्य माना गया है।

बहुजन सामाजवादी पार्टी–

बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना काशीराम के नेतृत्व में 14 अप्रैल 1984 उत्तर प्रदेश में हुई थी। जिसका प्रमुख उद्देश्य दलितोत्थान तथा पिछड़ी जातियों के विकास में वृद्धि करना था।

सामाजवादी पार्टी–

समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में श्री मुलायम सिंह यादव ने की थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा तथा कृषक वर्ग का समुचित विकास करना और बेरोजगार लोगो को रोजगार देना, जाति तथा धर्म के नाम पर समाज का विघटन होने से रोकना था।

भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी–

इसकी स्थाना नवम्बर 1964 में हुई थी। इसके संस्थापक सीताराम येचुरी थे। यह पार्टी वामपंथी, साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता, सर्वहारा, पूँजीवाद विरोधी, समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी।

आम आदमी पार्टी–

इसकी स्थाना नवम्बर 2012 में हुई थी। इसके संस्थापक अरविन्द केजरीवाल हैं। यह पार्टी लोक लुभावनवाद, धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रवाद, समाजवादी विचारधारा पर आधारित है।

एन0डी0ए0–

इसकी स्थापना जनवरी 2013 में कानरॉड संगमा के द्वारा किया गया, यह पार्टी क्षेत्रवाद व जातीवार पर आधारित है।

उपरोक्त विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह जानने का प्रयास किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दल के इस बात से प्रभावित होकर अपनी सम्बद्धता सुनिश्चित करता है।

1. दल की स्थापना के समय निश्चित किये उद्देश्य किसी भी समर्थक को प्रथम दृष्टया प्रभावित करते है।
2. दल की सामयिक परिवर्तन–क्षमता समर्थ को जीवन्तता प्रदान करती है।
3. दल का नेतृत्व व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से भी लोक प्रियता अर्जित करता है।
4. दल का अनुशासन पारदर्शिता, ईमानदारी तथा समन्वय की क्षमता आम व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करती है।
5. प्रचार माध्यमों द्वारा प्रमुखता दिये जाने पर भी दलीय सम्बद्धता का विकास होता है।[5]

निष्कर्ष

भारत में लोकतंत्रीय व्यवस्था है इसलिए यहाँ लोक कल्याण के लिए विभिन्न लोकतांत्रिक पार्टियाँ है, इन पार्टियों पर जाति व वर्गों का प्रभाव रहता है क्योंकि भारत में अभी भी शिक्षा का स्तर निम्न है, यहाँ राजनैतिक दलों की कल्पना भी लोग जाति के आधार पर ही करते हैं, और उसी राजनैतिक दल की

सदस्यता ग्रहण करते हैं जिसमें उनकी जाति की बाहुल्यता हो, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, यहाँ अपनी पार्टी के प्रत्याशी को लोग अच्छा मानते हैं और राजनैतिक दल के हित में जाति व्यवस्था को अच्छा मानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. आलमण्ड डी0ए0 एंड कोलीमैन जे0एस0– पोलिटिक्स ऑफ द डेवलपमेन्ट एरिया, 1960, पेज–7
2. रघुकुल तिलक– ''लोकतन्त्र' स्वरूप एवं समस्याएं'' उ0प्र0 ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ।
3. एस0आर0 माहेश्वरी–''भारत में स्थानीय शासन'' लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा, 2004
4. प्रमोद कुमार अग्रवाल–(पंचायत घर) राजनीतिक नेतृत्व की पौधशाला है योजना अक्टूबर, 2002
5. उदयवीर सिंह– राजनैतिक प्रपंच द्वादश श्रेणी प्रेस, अलीगढ़।

मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक पर लगे प्रतिबन्ध का समाजशास्त्रीय अध्ययन

शोध छात्र– पीयूष कुमार सिंह (नेट समाजशास्त्र)
शोध निर्देशक– डॉ0 संजय कुमार सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
(समाजशास्त्र विभाग), सहकारी पी0जी0 कालेज मिहरावाँ, जौनपुर।

सारांश

तलाक–ए–विद्दत या ट्रिपल तलाक का एक रूप है जो इस्लाम में प्रचलित था, जिसके तहत एक मुस्लिम व्यक्ति तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था जिसके लिए उस पुरूष को तलाक के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है और तलाक के उच्चारण के समय पत्नी को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इससे पीड़ित महिलाओं का जीवन नर्क बन जाता था, क्रोध एक विवेकशील प्राणी या हम कह सकते हैं कि एक जीवित प्राणी जो अपने बुद्धि विवेक से सामान्य हो सभी में होता है यहाँ तक पशुओं में भी क्रोध होता है और उस क्रोध से किसी का जीवन बर्बाद हो जाय, यह उचित नहीं है। यह तलाक एक तरफा था जिसमें केवल पुरूष ही इसका इस्तेमाल कर सकता था, क्रोध में कहे ये तलाक, तीन बार से ही विवाह विच्छेद हो जाता था।

यदि पुरूष को बाद में पछतावा हो कि मेंने ये गलत किया और मुझे फिर से अपनी पत्नी को अपना लेना चाहिये तो उस स्त्री को 'हलाला' करवाना पड़ता था।[1]

यह 'हलाला' एक प्रकार का धार्मिक विवाह होता है, जिसे ट्रिपल तलाक पीड़ित महिला करती है। यह विवाह वह तलाक के तीन महीने बाद किसी गैर पुरूष से करती है और उसके साथ पत्नी के रूप में रहती है और फिर व व्यक्ति उस स्त्री को तीन तलाक का उच्चारण कर तलाक देता है तब दोनो का विवाह विच्छेद होता है, इस प्रकार अब उसका पहला पति उससे विवाह कर सकता है, यदि दुसरे तलाक के बाद पहले पति ने विवाह नहीं किया तो वह पुनः किसी और से विवाह करती है इस प्रकार वह बार–बार विवाह और हलाला करते–करते वेश्यावृत्ति के तरफ चली जाती है, और उसका जीवन नर्क बन जाता है इस प्रकार तीन तलाक अधिनियम मुस्लिम महिला के लिए वरदान हो गया।

शब्द कुन्जीः– तलाक, अधिनियम, विवाह, ट्रिपल।

प्रस्तावना

तीन तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाने की मुस्लिम महिलाओं की लम्बे समय से मांग थी। उत्तराखण्ड की एक महिला शायरा बानो, जिसे दहेज की माँग पूरी नहीं करनें के लिए उसके पति और उसके परिवार द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, को उसके पति ने एक पत्र के माध्यम से ''तलाक'' तीन तलाक दे दिया, जिससे उनकी 14 साल की शादी समाप्त हो गई। उनके पति ने भी उन्हें अपने दो बच्चों की कस्टडी से इनकार कर दिया।[2]

शायरा बानो ने इस प्रथा को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस आधार पर चुनौती थी कि उक्त प्रथा भेदभावपूर्ण है और महिलाओं के खिलाफ है।

दिनांक 2017 में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और भारत में तीन तलाक के मामलों का हवाला देते हुए सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2017 पेश किया, जिसमें तीन तलाक को किसी भी रूप में बनाने का प्रस्ताव विधेयक बोली जाने वाली, लिखित रूप में या इलेक्ट्रानिक माध्यम से अवैध और शून्य घोषित किया। कानून के उल्लंघन की सजा तीन तलाक कहने वाले पति के लिए तीन

साल तक की कैद शामिल करनें का प्रस्ताव था। इस बिल को भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा ने उसी दिन पारित कर दिया था लेकिन राज्य सभा ऊपरी सदन में विपक्ष द्वारा रोक दिया गया था।

जुलाई 2019 में बिल को फिर से पेश किया गया और लोकसभा व राज्य सभा द्वारा पारित किया। नतीजन बिल को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिली। यह अधिनियम एक पीड़ित महिला को अपने आश्रित बच्चों के लिए रख–रखाव की माँग करनें का भी अधिकार देता है। बाद में इसे उसी महीने कानून के रूप में अधिसूचित किया गया। अधिनियम 19 सितम्बर 2018 से पूर्व व्यापक रूप से प्रभावी होंगे। हालांकि, मुस्लिम पुरूषों को अभी भी बहुविवाह की अनुमति है और मामूली रकम देकर आसानी से तलाक भी दे सकते हैं।[3]

सुप्रीम कोर्ट के इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित करनें के आदेश के बाद भी तीन तलाक की प्रथा जारी रही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख से यानी 22 अगस्त 2017 से संसद में बिल पेश करनें तक यानी 28 दिसम्बर 2017 तक देश में तीन तलाक के उच्चारण के लगभग 100 मामले सामने आए हैं।

चूँकि ट्रिपल तलाक का अभ्यास जारी रखने वालों को दण्डित करनें और ऐसी प्रथा के पीड़ितों को कानूनी उपचार प्रदान करने के लिए कोई कानून नहीं था इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।[4]

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की प्रतिबद्धता मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय, लैंगिक गरिमा और लैंगिक समानता देना इस सुधार के पीछे एक प्रमुख पहल थी।

<u>यह अधिनियम निम्नलिखित वैधानिक प्रावधान करता हैः–</u>

1. एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रानिक रूप से या किसी भी अन्य तरीके से तलाक की कोई भी घोषणा शून्य और अवैध होगी।
2. कोई भी मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है, उसे कारावास की सजा दी जायेगी जो तीन साल तक की हो सकती है, और जुर्मोने के लिए भी उत्तरदायी होगी।
3. एक विवाहित मुस्लिम महिला जिसे तलाक दिया गया है, अपने पति से अपने और आश्रित बच्चों के लिए गुजारा भत्ता की ऐसी राशि प्राप्त करनें की हकदार होगी जैसा की मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
4. एक विवाहित मुस्लिम महिला अपने पति द्वारा तलाक की घोषणा की स्थिति में अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी की हकदार होगी जैसा की मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
5. इस अधिनियम के तहत एक दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा। यदि अपराध किये जाने से सम्बन्धित जानकारी किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को उस विवाहित महिला द्वारा दी जाती है। जिसे तलाक दिया गया है या कोई व्यक्ति जो रक्त या विवाह से सम्बन्धित है।
6. इस अधिनियम के तहत एक दण्डनीय अपराध विवाहित मुस्लिम महिला के कहने पर जिसे मजिस्ट्रेट की अनुमति से तलाक दिया गया है, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो वह निर्धारित कर सकता है मानने योग्य होगा। इस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जायेगा जब तक की मजिस्ट्रेट आरोपी द्वारा दायर एक आवेदन पर और उस विवाहित मुस्लिम महिला को सुनने के बाद संतुष्ट न हो जाए। जिसे तलाक दिया गया है।[5]

भारत में ट्रिपल तलाक कानून का विरोधः–

इस प्रथा को मुस्लिम महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा जिसमें से कुछ ने इस प्रथा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की इसे प्रतिगामी करार दिया याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937(A) की धारा 2 को संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समता) के खिलाफ बताते हुए इसे खत्म करनें के लिए कहा। 13 मई 2017 को अपने अंतिम फैसले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल तीन तलाक का विवाह विघटन का सबसे खराब रूप बताया। यह नोट किया गया कि उसदी अरब, मोरक्को, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुस्लिम बहुल देशों में रिवाज पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, 8 दिसम्बर 2016 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि एक बार में तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिक थी और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती थी।

मार्च, 2017 में 10 लाख से अधिक भारतीय मुसलमानों ने, जिनमें से अधिकांश महिलाएं तत्काल तीन तलाक को समाप्त करनें के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। यह याचिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बद्ध इस्लामी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा शुरू की गयी थी। एक बार में तीन तलाक के खिलाफ सिर्फ एक नयापन है जिसका कुरान की मान्यताओं से कोई लेना–देना नहीं है। यह कई इस्लामिक विद्वानों ऐतिहासिक साक्ष्यों और कानूनी मिसाल द्वारा कुरान के पाठ की व्याख्या द्वारा समर्पित है।

10 मई 2017 को वरिष्ठ मौलाना सैयद शहाबुद्दीन जलाफी फिरदौसी ने तीन तलाक और निकाह हलाला की निन्दा की, उसे महिलाओं पर अत्याचार करनें के लिए गैर–इस्लामी प्रथा और उपकरण कहा। इस प्रथा का हिन्दू राष्ट्रवादियों और मुस्लिम उदारवादियों ने भी विरोध किया था।

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया ''अदालत में आम सहमति के अभाव में समुदायों के बीच आम सहमति बनाना अधिक कठिन हो जाता है। खुशी है कि अदालत ने एक ''पापपूर्ण प्रथा को अलगकर दिया। हालांकि, सिब्बल ने तीन तलाक का समर्थन करते हुये बयान दिया कि साल दर साल भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन और कई महिला संगठनों ने विशेष रूप से इस प्रथा का विरोध किया और मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों में और सुधार की मांग की।

<u>ट्रिपल तलाक का संरक्षणः–</u>

ट्रिपल तलाक को ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) द्वारा समर्थित किया गया है जो एक गैर सरकारी निकाय है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के आवेदन की निगरानी करता है। इसका मानना है कि राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करनें का अधिकार नहीं है। AIMPLB के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि हालाँकि एक बार में तलाक को कुछ लोग पाप के रूप में सोच सकते हैं, लेकिन ''एक समुदाय के रीति–रिवाजों और प्रथाओं की वैधता निर्धारित करना एक फिसलन ढलान है। कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 371ए का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ तक कि संविधान भी समुदायों के अभ्यास परम्परा और रीति–रिवाजों के मामलों की रक्षा करनें का इरादा रखता है। हालाँकि सिब्बल ने भी अभ्यास के विरोध में बयान दिए हैं।

ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) इस प्रथा का बचाव रखता है। अप्रैल 2017 में मुस्लिम महिला अनुसंधान केन्द्र द्वारा महिलाओं के लिए शरिया समिति के समन्वय में तैयार की गयी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एआईएमपीएलबी ने दावा किया कि अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में मुस्लिमों में तलाक की दर कम है। इस तर्क का प्रतिकार करते हुए कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा तलाक दर है। तीन तलाक की प्रथा के कारण देश में तलाक की संख्या अधिक है। इसने यह भी दावा

किया कि उसे शरीयत और तीन तलाक का समर्थन करनें वाले देश भर की 35 मिलियन मुस्लिम महिलाओं से फार्म प्राप्त हुए थे।[7]

AIMPLB ने अप्रैल 2017 में तीन तलाक की प्रथा पर विवाद ने जवाब में तलाक के सम्बन्ध में एक आचार संहिता जारी की थी। इसने चेतावनी दी कि जो लोग शरीयत के तहत निर्धारित नहीं किए गए कारणों से तलाक लेते हैं, उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा, साथ ही उन लोगों के बहिष्कार का भी आह्वान किया जाएगा, जो लापरवाही से और बिना किसी औचित्य के तीन तलाक का इस्तेमाल करते हैं। यह भी कहा गया है कि इसे कम से कम एक महीने के अन्तराल के साथ तीन बैठकों में वितरित किया जाना चाहिए।[8]

निष्कर्ष

ध्यातव्य है कि तीन तलाक में पति–पत्नी दोनों की प्रत्यक्ष उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होती कभी–कभी पति पत्र के माध्यम से या मोबाइल, दूरभाष के माध्यम से बिना कारण बताये तीन बार तलाक का उच्चारण कर देता है और तलाक हो जाता है, इस प्रकार यह इस्लाम धर्म की बहुत बड़ी कुप्रथा थी, जिसको मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 द्वारा समाप्त किया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

(1) हनफी न्यायशास्त्र तीन तलाक को प्रतिबन्धित करता है। टाइम्स ऑफ इण्डिया। 23 अगस्त 2017
(2) मोट्जकी हेराल्ड (2008) शादी और तलाक जेन डैममेन मैकआलिफ (एड.) में कुरान का विश्वकोष 1 वाल्यूम 3 ब्रिल पी 279
(3) राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने तीन तलाक बिल को दी मंजूरी 'द हिन्दू 1 अगस्त 2019, 25 अगस्त 2019 को पुनः प्राप्त।
(4) संदीप फुकन (28 दिसम्बर 2017) लोक सभा ने तीन तलाक बिल पास किया 'दि हिन्दू'
(5) S.C. ने तीन तलाक की 1400 साल पुरानी इस्लामिक प्रथा को खत्म किया 'आउटलुक 22 अगस्त 2017
(6) इस्लाम का हिस्सा नहीं: तीन तलाक पर प्रतिबन्ध लगाने के फैसले के 5 उद्धरण। एन.डी.टी.वी.
(7) उमर राशिद (8 दिसम्बर 2016) ट्रिपल तलाक मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रचलित तलाक का एक क्रूर और सबसे नीचा रूप है एच.सी. द हिन्दू 21 अप्रैल 2017 को लिया गया।
(8) अनुषा सोनी (12 मई 2017) मुस्लिमों में तीन तलाक अवांछनीय, विवाह विच्छेद का सबसे बुरा रूप सुप्रीम कोर्ट इण्डिया टुडे 22 अगस्त 2019 पुनः प्राप्त।

The Opinion V.11, N. 22 J-D 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

स्त्री मुक्ति की आकांक्षा और आधे–अधूरे

डॉ0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह
सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
मंजू चौरसिया
शोध छात्रा, हिन्दी विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सारांशिका

'आधे–अधूरे' मोहन राकेश का तीसरा सबसे चर्चित एवं महत्त्वपूर्ण नाटक है, जिसमें मध्यमवर्गीय परिवार की विसंगतियों को बड़े सार्थक ढंग से प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। 'स्त्री मुक्ति की आकांक्षा एवं आधे–अधूरे' विषयक शोधपत्र स्त्री के अति महत्त्वाकांक्षा तथा बहुत कुछ पाने की चाह में प्राप्त को भी खो देने की व्यथा को रेखांकित करता है। प्रस्तुत शोध पत्र में विश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रविधियों का यथा सम्भव प्रयोग किया गया है। यह शोध पत्र आधुनिक पढ़े–लिखे मध्यमवर्गीय स्त्री की अति महत्त्वाकांक्षा के दुष्परिणाम को बखूबी चित्रित करता है। सब कुछ पाने की चाह में परिवार के टूटने की स्थिति प्राप्त हो जाती है।

बीज शब्द : विघटन, टूटन, बिखराव, पारिवारिक, अन्तर्द्वन्द्व, जीवन मूल्य, निकम्मापन, छटपटाहट एवं बदमिज़ाज आदि।

प्रस्तावना

'आधे–अधूरे' सन् 1969 ई0 में लिखा गया मोहन राकेश का तीसरा नाटक है। इसके पूर्व उन्होंने आषाढ़ का एक दिन (1958) और लहरों के राजहंस (1963) लिखा था जिसकी कथावस्तु ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि पर आधारित है, परन्तु 'आधे–अधूरे' नाटक वर्तमान युग बोध से प्रेरित होकर लिखा गया एक सशक्त नाटक है। लीक से हटकर लिखे गये इस नाटक ने हिन्दी नाटकों को अन्धेरे बन्द कमरे से बाहर निकाला और यथार्थ के संवेदनशील धरातल पर ला खड़ा किया। इस नाटक में मध्यवर्गीय परिवार की मनःस्थिति, टूटन और बिखराव को बड़े ही संजीदगी के साथ चित्रित किया गया है। इस नाटक में एक आधुनिक स्वतंत्र नारी को अभिव्यक्त किया गया है, जो पुरुष के निकम्मेपन का विरोध करती है।

इस नाटक में तीन स्त्री पात्र हैं– सावित्री, बड़ी लड़की– बिन्नी और छोटी लड़की– किन्नी। सावित्री इस नाटक की नायिका है, जिसके माध्यम से नाटककार ने नारी की मुक्ति भावना, विघटनशील जीवन मूल्य, वैवाहिक सम्बन्धों की विडम्बना और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले टूटन, बिखराव और छटपटाहट पर पर्याप्त प्रकाश डालने का सार्थक प्रयत्न किया है। नाटक में सावित्री को निम्न मध्यवर्गीय आधुनिक नारी के रूप में चित्रित किया गया है, जो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी स्त्री है। सावित्री के विषय में नाटककार लिखते हैं कि– ''उम्र चालीस को छूती। चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष।''[1] सावित्री महेन्द्रनाथ की पत्नी और कामकाजी स्त्री है। उसकी दो बेटी और एक बेटा है। वह बाईस वर्षों से अपने वैवाहिक जीवन को ढ़ो रही है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कन्धों पर है। आर्थिक रूप से वह परिवार की धुरी है। इसके साथ–साथ गृहस्थी का बोझ भी उसी के कन्धों पर है। वह इस दोहरी जिम्मेदारी के बीच निरन्तर पिसती रहती है। इसकी वजह से वह चिढ़ती और झुंझलाती रहती है। नाटक के आरम्भ में सावित्री जब दफ्तर से घर लौटती है तो उसके हाथ में रजिस्टर और फाइल के साथ घर का जरूरी सामान भी होता

है। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलकती है। घर आने पर पूरा घर अस्त–व्यस्त मिलता है। महेन्द्रनाथ का पाजामा, चाय की जूठी प्यालियाँ, अशोक का सामान और किन्नी का स्कूल बैग सभी अस्त–व्यस्त बिखरे पड़े रहते हैं, जिसे देखते ही सावित्री झुंझला उठती है– ''पता नहीं यह क्या तरीका है इस घर का? रोज आने पर पचास चीजें यहाँ–वहाँ बिखरी मिलती हैं।''[2] सावित्री अपने पति महेन्द्रनाथ के व्यक्तित्व को सहन नहीं कर पाती है। वह चाहती है कि महेन्द्रनाथ भले ही कोई काम न करें, परन्तु घर पर निठल्ला बनकर बैठे नहीं। कम से कम घर और बच्चों की जिम्मेदारी तो ढंग से निभा ही सकता है। वह कहती हैं– ''यूँ तो जो कोई भी आदमी की तरह चलता–फिरता, बात करता है, वह आदमी ही होता है..... ..। पर असल में आदमी होने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि उसमें अपना एक माद्दा, अपनी एक शख्शियत हो?..... इस लिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है, हमेशा हर चीज के लिए किसी न किसी का सहारा ढूँढ़ते पाया है।''[3]

सावित्री का अपने पति के विषय में इस तरह सोचना बिल्कुल निराधार नहीं है। पति और पत्नी दोनों पर ही गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है। यदि वह बाहर जाकर काम कर रही है और घर की आर्थिक जिम्मेदारी को सम्भाल रही है तो महेन्द्रनाथ को घर के कामों में उसकी मदद करनी चाहिए, जो कि वह नहीं करता। फलस्वरूप पति–पत्नी में कड़वाहट बढ़ती जाती है। महेन्द्रनाथ का किसी बात पर स्वयं निर्णय न ले पाना, कारोबार में लगातार घाटा होना और सावित्री के प्रति अमर्यादित आचरण उनके सम्बन्धों को और अधिक कसैला बना देता है। दोनों एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। दोनों एक–दूसरे को छोड़कर चले जाना भी चाहते हैं। परन्तु उन्हें साथ रहने के लिए विवश होना पड़ता है। सावित्री का मन निरन्तर अन्तर्द्वन्द्वों में जूझता रहता है। उसका आन्तरिक तनाव उसके इस कथन से स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है– ''वह सब नहीं मानती। वह नफ़रत करती है, इस सबसे इस आदमी के ऐसा होने से। वह एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए..... एक पूरा आदमी। गला फाड़कर वह यह बात कहती है। कभी इस आदमी को वह आदमी बना सकने की कोशिश करती है। कभी तड़पकर अपने को इससे अलग कर लेना चाहती है। पर अगर उसकी इस कोशिश से थोड़ा भी फ़र्क पड़ने लगता है इस आदमी में, तो दोस्तों में इसका ग़म मनाया जाने लगता है। सावित्री महेन्द्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारे महेन्द्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है! जैसे कि आदमी न होकर बिना हॉड़–मांस का पुतला हो वह एक बेचारा महेन्द्र!''[4] यही वजह है कि सावित्री पूरे आदमी की तलाश सिंहानिया, जुनेजा और जगमोहन में करती है।

सावित्री चाहती है कि घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में उसका बड़ा बेटा उसकी मदद करे, जिसके लिए वह अपने बॉस सिंहानिया से बात करती है। वह सिंहानिया के विचित्र व्यवहार को भी सहती है तथा कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहती है।

सावित्री के व्यक्तित्व का प्रभाव बड़ी बेटी बिन्नी पर भी पड़ता है। वह भागकर अपनी माँ के प्रेमी मनोज से शादी कर लेती है, परन्तु वह भी असन्तुष्ट रहती है। वह कहती है– ''एक गुबार–सा है जो हर वक्त मेरे अन्दर भरा रहता है और मैं इन्तजार में रहती हूँ जैसे कि कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ।''[5]

माता–पिता के सम्बन्धों को देखकर बिन्नी अन्दर से भयभीत रहती है। उनके बीच पनपने वाले तनाव से बिन्नी भी अछूती नहीं है। अपने माता–पिता से बिन्नी बताती है कि मनोज अक्सर उससे एक बात कहता है कि– ''मैं इस घर से ही अपने अन्दर कुछ ऐसी चीज ले कर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देतीं।''[6] अपने वैवाहिक रिश्ते के बारे में वह अपनी माँ सावित्री को बताती है कि–

''मेरा मतलब है.....शादी से पहले मुझे लगा था कि मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पर अब आकर. .... अब आकर लगने लगा है कि वह जानना बिल्कुल जानना नहीं था।''[7] बिन्नी भी आजादी चाहती है। आत्मनिर्भर बनना चाहती है परन्तु मनोज उसे नौकरी नहीं करने देता। बिन्नी भी अपने रिश्ते में एक अजीब सा खालीपन महसूस करती है, परन्तु वह क्या है? और कैसे उससे छुटकारा पाएं? वह समझ नहीं पाती। वह अपने भाई बहन का ध्यान रखती है और उनके लिए चिन्तित रहती है। बातों को भी समझती है जो उसकी परिपक्वता का परिचायक है।

नाटक में एक अन्य स्त्री पात्र छोटी लड़की किन्नी है। किन्नी अपनी माता–पिता, भाई–बहन किसी के प्रति लगाव महसूस नहीं करती है– ''अपनी छोटी–छोटी आवश्यकताओं की आपूर्ति से बेहद कड़वी होकर वह कैंची की तरह जुबान चलाती है और यौन सम्बन्धों में दिलचस्पी लेने लगती है, जो उसकी आयु से कहीं आगे है। उसकी बदमिज़ाजी दिन– पर–दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिता की बेकारी, माँ के पुरुष–मित्रों और बड़ी बहन के घर से भाग जाने के कारण उसे बाहरी लोगों की कुत्सित बातें सुननी पड़ती है।''[8] उसे बराबर यही लगता है कि कोई उस पर ध्यान नहीं देता। बड़ा भाई भी उसे बात–बात पर पीटता रहता है। जब वह स्कूल से घर लौटती है तो घर में किसी को न देखकर वह दुःखी होती है और बाहर चली जाती है। माँ के पूछने पर शिकायत करती है कि– ''स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में, और घर आने पर घंटा–घंटा दूध ही नहीं होता गरम।''[9] सावित्री जब बाहर होती है तो वह उसे लगातार याद करती रहती है और रोती रहती है। कई बार वह बड़ों की तरह बातें भी करती है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मोहन राकेश ने सावित्री के माध्यम से मध्यमवर्गीय परिवार में स्त्री के अन्तर्द्वन्द्व का जो चित्र खींचा है वह बनावटीपन से दूर और परिस्थितिजन्य है। रामचन्द्र तिवारी इस सम्बन्ध में कहते हैं कि ''आधे–अधूरे के सभी पात्र अनचाही पारिवारिक परिस्थितियों में जीने की विवशता से उत्पन्न तनाव झेल रहे हैं।''[10] सावित्री टूटती है, बिखरती है परन्तु अपनी जिम्मेदारियों को उठाती है। वह अपने जीवन से असन्तुष्ट रहती है। इन सबसे दूर जाना चाहती है, परन्तु फिर भी साथ रहने को विवश होती है। नाटक के अन्त में पुरुष–चार सावित्री से एक सच बात कहता है– ''तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है– कितना–कुछ एक साथ होकर, कितना–कुछ एक साथ पाकर और कितना–कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वह उतना–कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह न मिल पाता; इसलिए जिस– किसी के साथ भी जिन्दगी शुरू करती, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती।''[11] बड़ी लड़की बिन्नी भी माँ की तरह अन्तर्द्वन्द्व से जूझती है, परन्तु कुछ भी समझ नहीं पाती और उसका भी वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त रहता है। छोटी लड़की किन्नी नकचढ़ी और बदतमीज़ हो जाती है। मोहन राकेश ने दर्शाया है कि यदि परिवार में पुरुष अपनी सोच बदलकर स्त्री को उचित सम्मान और समानता का अधिकार नहीं दे सकता तो परिवार का टूटना और बिखरना निश्चित है। स्त्री की स्वतन्त्रता और उसका स्वच्छन्द निर्णय लेना उतना ही आवश्यक है जितना पुरुष का। साथ ही यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अतिमहत्त्वाकांक्षा में सब कुछ पाने की चाह में प्राप्त को भी खो देना दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि सावित्री अन्त में यह महसूस करती है कि सब के सब आधे–अधूरे हैं।

सन्दर्भ

1. मोहन राकेश, आधे–अधूरे, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली 2016, पृ0 XV (भूमिका से उद्धृत)
2. वही, पृ0 20
3. वही, पृ0 88–89
4. वही, पृ0 91

5. वही, पृ0 33
6. वही, पृ0 33
7. वही, पृ0 31
8. वही, पृ0 x (भूमिका से उद्धृत)
9. मोहन राकेश, आधे–अधूरे, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली 2016, पृ0 36–37
10. रामचन्द्र तिवारी, हिन्दी का गद्य–साहित्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, अष्टम् संस्करण : 2012, पृ0 363
11. मोहन राकेश, आधे–अधूरे, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली 2016, पृ0 94–95

The Opinion V.11, N. 22 J-D 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

महिला स्वास्थ्य कार्यक्रमों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

पुष्पा तिवारी
शोध–छात्रा
समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ0प्र0)

———————————————————————————————————

सारांश–

प्राचीन भारतीय समाज में महिला एवं पुरूष को लगभग अधिकार प्राप्त थे। इस तरह के दृष्टान्त विभिन्न ग्रन्थों से प्राप्त होते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, युद्ध कौशल, वेदों का अध्ययन इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएँ अपना परचम फहरा रही थी तथा पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही थी। परन्तु जैसे–जैसे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते गये तथा समाज में रूढ़ियों का बोलबाला होता गया वैसे–वैसे समाज में महिलाओं की दशा में गिरावट दर्ज होती गई। लेकिन इन सबके अतिरिक्त भारतीय समाज में महिलाओं की दशा में सर्वाधिक गिरावट बाहर से आने वाले आक्रान्ताओं की वजह से हुई। इन्हीं आक्रान्ताओं के कारण विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं यथा– पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि का चलन भारतीय समाज में हो गया। जिसने सीधे तौर पर महिलाओं को प्रभावित किया। जहाँ एक तरफ इन कुप्रथाओं ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया वही सर्वाधिक असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा और यह क्रम भारत वर्ष की स्वतंत्रता तक चलता रहा। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की विभिन्न सरकारों ने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान दिया और विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य पर। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा समय–समय पर महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए चलाए गये योजनाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इस शोध–पत्र को द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से तैयार किया गया है। जिसके लिए विभिन्न पत्रिकाओं, बेबसाइट, पुस्तकों इत्यादि की सहायता ली गई है।

बीज शब्द– पंचवर्षीय योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य, सुरक्षा योजना, शिक्षा रोजगार, आर्थिक भागीदारी।

प्रस्तावनाः–

स्वस्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। प्राचीन समय में स्वास्थ्य का तात्पर्य केवल शरीर को अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता के रूप में समझा जाता था। जब तक शरीर ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, शरीर को स्वस्थ्य समझा जाता था लेकिन धीरे–धीरे यह धारणा बदली। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मनुष्य की इस धारणा को बदलते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को स्वास्थ्य के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए न कि स्वास्थ्य को केवल बीमारियों के अभाव के रूप में देखा जाना चाहिए।

1980 मे स्वास्थ्य की एक नयी अवधारणा आई जिसके तहत स्वास्थ्य को एक संसाधन के रूप में माना गया। ग्रामीण अंचल में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य के अनेक कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संचारित हो रहे है, जिसके फलस्वरुप महिलाओं के स्वास्थ्य पर काफी हद तक सुधार हुआ है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार कुपोषण, मातृत्व, मृत्युदर सुरक्षित प्रसव टीकाकरण लिंगानुपात जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि क्षेत्रों में प्रभावी रूप से दिखायी पड रहा है। पंचवर्षीय

योजनाओं के दौरान भी अनेक योजनाएँ ग्रामीण स्वास्थ्य विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बनायी गयी। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं एवं शिशु स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से पड़ा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिसन योजना जो कि 12 अप्रैल 2005 को आयी। महिला स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्न लिखित योजनाएँ आती है।

1– राष्ट्रीय ग्रामीण योजना
2– राज्य स्तरीय योजना
3– राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
4– केन्द्र सरकार की योजनाएँ
5– मिसन इन्द्रधनुष
6– प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
7– महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम
8– जननी सुरक्षा योजना
9– जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
10– ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस
11– मातृ सशक्तिकरण
12– आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (PMJY)
13– प्रधानमन्त्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
14– प्रधानमन्त्री मातृत्व वन्दना योजना
15– गृह आधारित नवजात शिशु की देखभाल योजना
16– सबला योजना
17– राष्ट्रीय वेक्टर वार्न डिजीज या रोग कन्ट्रोल प्रोग्राम
18– राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम
19– कैन्सर नियन्त्रण कार्यक्रम
20– निक्षय पोषण दिवस कार्यक्रम
21– मुख्य मन्त्री कन्या सुभंगला योजना
22– एनीमिया मुक्त भारत
23– फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
24– किशोरी योजना

<u>महिला एंव स्वास्थ्य</u>

स्त्री पुरुष समाज की दो महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। दोनों का अपना अपना अलग महत्व होता है। परिवार के लिए समाज के लिए राष्ट्र के लिए दोनों का समान महत्व है। स्वास्थ्य का तात्पर्य सिर्फ बीमारियों का अभाव नहीं है। बल्कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ्य होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी 14वीं वर्षगाँठ में 1978 में 2000 सदी तक ''सब के लिए स्वास्थ्य, सब स्वास्थ्य के लिए का नारा लगाया। विश्व में सभी पुरुष महिलाओं के लिए व बच्चों के लिए अरोग्य सम्बन्धित सेवाएँ प्रदान करवाने की घोषणा की।

परन्तु यदि गहन अध्ययन किया जाय तो विश्व की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएँ इससे बहुत कम ही लाभावन्तित हुयी है अधिकांश देखा गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया

जाता है। अनेक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कारणों से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति कमजोर बनी हुयी है। महिलाएँ शिक्षा, रोजगार एवं आर्थिक भागीदारी में पुरुषो की तुलना में अभी कुछ कदम पीछे है। स्वस्थ्य समाज किसी भी देश की वास्तविक पूँजी होती है। इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना किसी भी देश के लिए एक सर्वोत्तम कार्य है। इसी क्रम में भारत सरकार ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम समय–समय पर उठाएँ है।

मिशन इन्द्रधनुष योजना

मिसन इन्द्रधनुष अभियान भारत सरकार के केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा चलाया गया है। इस योजना का प्रारम्भ 25 दिसम्बर 2014 को किया गया इस योजना के अन्तर्गत सभी बच्चों का टीकाकरण सम्मिलित किया गया है। इन्द्रधनुष के सात रंगो को प्रदर्शित करने वाला मिसन इन्द्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चो का 2020 तक टीकाकरण करना है। जिन्हें अभी तक टीके नही लगे है। इस कार्यक्रम को चरणवद्ध माध्यम चलाया गया है। पहले चरण में 201 जिलो की पहचान की गयी है। जिसमें 50 प्रतिशत बच्चो को टीके नही लगे हैं। या उन्हें आंशिक रूप से टीके लगाए गए है।

इन जिलों को नियमित रूप से टीकाकरण की स्थिति सुधारने के लिए लक्ष्य बनाया जायेगा। मंत्रालय ने कहा है कि 201 जिलों में से 82 जिले केवल चार राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से है और चार राज्य के 42 जिलों में 25 प्रतिशत बच्चों को टीके नहीं लगाए गए हैं। इस मिसन का कार्यान्वयन 7 अप्रैल 2015 से विश्व स्वास्थ्य दिवस से प्रारम्भ हुआ इन जिलो मे इस मिसन के तहत चार लाख उच्च जोखिम वाली बस्तियों पर ध्यान दिया जायेगा। इन क्षेत्रो मे भौगोलिक, जनांकिकीय, जातीय और संचालन सम्बन्धी 'अन्य चुनौतियों के कारण कम टीके लगाए जा सके हैं।

मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम का उद्देश्य–

स्वास्थ्य मन्त्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत और उससे अधिक बच्चों को टीकाकरण में शामिल किया जायेगा। इस लक्ष्य को तेजी से पूरा करने के लिए मिसन इन्द्रधनुष को अपनाया गया है। इस योजना के अनुसार प्रणालीबद्ध टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा। जिसका उद्देश्य उन बच्चो तक पहुंचना है जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। मिसन इन्द्रधनुष के अन्तर्गत जनवरी तथा जून 2015 के बीच चार विशेष टीका अभियान चलाया जायेगा। इसका व्यापक नीति होगी और अभियानों की निगरानी की जायेगी। मिसन की नीति बनाने और उसे लागू करने पोलियों कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सहायता ली जायेगी पहले चरण में 201 जिले रखे जायेंगे दूसरे चरण में 297 जिलो को लक्ष्य बनाया जायेगा।

स्वास्थ्य मन्त्रालय ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण संगठनों को भी इसमें सम्मिलित किया है। और यह निर्धारित किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन–यूनीसेफ, रोटरी इण्टरनेशनल तथा अन्य सहयोगी मन्त्रालय को तकनीकी समर्थन देगे। मिसन इन्द्रधनुष देश भर के महत्वपूर्ण व्यवहारिक क्षेत्रो में उच्च टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम होगा। इसमें उन जिलो को विशेष ध्यान दिया जायेगा जहाँ टीकाकरण कम हुआ है। इस योजना को सफल बनाने के लिए चार आधारभूत अवयव सम्मिलित किए गए हैं–

1– सभी स्तरों पर अभियानों की व्यवहारिक योजना तैयार करना नियमित टीकाकरण सत्र के दौरान पर्याप्त टीका लगाने वालों और सभी टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिलो मे सभी ब्लाक एवं शहरी क्षेत्रो मे सूक्ष्म योजनाओं में संशोधन करना है।

2– प्रभावी जन सम्पर्क और सामाजिक रूप से संगठित करने के प्रयास आवश्यकता पर आधारित जनसम्पर्क की रणनीति के जरिए टीकाकरण, सेवाओं के प्रति जागरुकता एवं मांग बढ़ाना तथा जन सम्पर्क, मीडिया, लोगों के आपसी सम्पर्क युवाओं के नेटवर्क के माध्यम से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में समुदायों की भागीदारी बढाने के लिए सामाजिक रूप से संगठित करने की गतिविधियाँ।

3– गुणवत्तापूर्ण, टीकाकरण सेवाओं के लिए नियमित टीकाकरण गतिविधियों में स्वास्थ्य अधिकारियों और कार्यकर्ताओ की क्षमता को बढ़ाना।

4– देश के सभी जिलो मे टीकाकरण के लिए जिला कार्य बलो को सुदृढ़ कर, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य मशीनरी की जिम्मेदारी को बढ़ाना, और वास्तविक समय के आधार पर कार्यान्वयन में कमियो को समाप्त करने के लिए संयुक्त सत्र निगरानी आकड़ों का उपयोग करना।

जननी सुरक्षा योजना–

जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिसन के तहत सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है इसे गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढावा देकर मात्तृत्व एवं नवजात शिशु मृत्युदर घटाने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वारा की गयी थी जननी सुरक्षा योजना 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है यह योजना गर्भावस्था के दौरान प्रसूति पूर्व देखभाल प्रसव के दौरान संस्थागत देखभाल के साथ–साथ नकद सहायता भी प्रदान करती है। इस योजना के तहत दस कम निष्पादन वाले राज्यों मुख्यतः आठ राज्य असम तथा जम्मूकश्मीर शेष राज्यो में सरकार और गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच एक सुदृढ़ कड़ी के रूप में अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता आशा की पहचान की गयी। अन्य राज्यो एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में आंगनबाडी कार्यकर्ता और आशा जैसे कार्यकर्ता इस योजना मैं सम्मिलित है।

उद्देश्य–

1– यह योजना गरीब गर्भवती महिला पर ध्यान केन्द्रित करती है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा एंव जम्मूकश्मीर राज्यो में निम्न संस्थागत प्रसव है। इन राज्यों को (एल.पी.एस) के रूप में नामित किया गया है। तथा शेष राज्यो को उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों (एच.पी.एस) के रूप में नामित किया गया है।

2– **प्रत्येक गर्भावस्था की निगरानी करना**– इस योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के पास एक एम.सी.एच. कार्ड के साथ एक जननी सुरक्षा योजना कार्ड होना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी और ए0एन0एम0 की सम्पूर्ण देख–रेख मे पहचान की गयी है। सम्वन्धित अधिकृत कार्यकर्ता आशा या आंगनवाड़ी अनिवार्य रूप से विस्तृत जन्म योजना तैयार करेंगे। यह प्रभावी से प्रसव पूर्व जाँच और प्रसव के उपरान्त देखभाल की निगरानी में मदद करेगा।

3– **नगद आर्थिक सहायता के लिए पात्रता**– गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र– यह सब एच.पी.एस. राज्यों में आवश्यक है। जहाँ पर वी.पी. एक कार्ड अभी तक जारी नहीं किए गए वहाँ राज्य या संघ शासित प्रदेश, ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य को अधिकृत करते हुए, गर्भवती माता के परिवार की जरूरत मन्द स्थिति के प्रमाण पत्र के लिए एक सरल मानदण्ड तैयार करेंगे।

4– **नगद आर्थिक सहायता प्रदान करना**– गर्भवती महिला को प्रसव के लिए मुख्यतः नगद, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसे संस्थान में ही प्रभावी ढंग से दिया जाता है। प्रसव के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान मे जाने वाली गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संस्थान में सम्पूर्ण नगद

राशि एक बार मे वितरित किया जायेगा। यह देखते हुए की कुछ महिलाएँ प्रसव पूर्व देखभाल के लिए निजी संस्था मे जाती है तो उन्हें टी.टी इन्जेक्सन सहित कम से कम तीन ए.एन.सी. प्राप्त करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नगद सहायता का कम से कम तीन चौथाई (3/4) लाभार्थी को एक बार मे सम्पूर्ण से प्रसव के समय में दे दिया जायेगा।

आयुष्मान भारत योजना–

आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य से प्रेरित इस योजना को शुरू करने का सुझाव राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा प्रस्तावित था, 21 मार्च 2018 को हुयी कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिसन के रूप में इस कार्यक्रम को स्वीकृति मिली और अब यहीं योजना–आयुष्मान भारत–प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के नाम से जानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य निम्न लिखित हैः–

1– स्वास्थ्य एंव कल्याण केन्द्र–

आयुष्मान भारत का उद्देश्य सभी तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है। इसलिए हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवा केन्द्र की उपस्थिति इसका लक्ष्य है। इसी नीति के अनुरूप फरवरी 2018 मे, भारत सरकार ने मौजूदा उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बदलकर 150000 स्वास्थ्य एंव कल्याण केन्द्र बनाने की घोषणा की. इन केन्द्रो में निःशुल्क आवश्यक दवाइयां और गैर संचारी रोगो सहित नैदानिक एवं मातृ एंव बाल स्वास्थ्य सेवाएँ भी उपलब्ध है। सभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच इन स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रो के मूल उद्देश्य है। यह स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता को संदर्भित है ताकि व्यक्ति व समुदाय जटिल स्वास्थ्य समस्याओं से बच सके।

प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना–

यह आयुष्मान भारत का दूसरा प्रमुख घटक है। जिसके नाम से अब यह योजना लोकप्रिय है। यह विश्व की सर्वाधिक विस्तृत स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके सबसे मूलभूत प्रावधान को देखे तो यह निर्धारित परिवारों को द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस प्रकार यह ग्रामीण और शहरी भारत के करीब 10.74 करोड़ परिवारों को कवर करती है। यह योजना अभी तक देश की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्यतः प्रजनन और मातृत्व स्वास्थ्य, नए जन्मे बच्चो और संक्रमित रोगो तक ही रही है। कुल मिलाकर 15 प्रतिशत ही स्वास्थ्य मांग को पूरा करते है।

प्रधानमन्त्री मातृत्व वन्दना योजना–

प्रधानमन्त्री मातृत्व वन्दना योजना का तात्पर्य होता है कि हम प्रथम वार आपके गर्भवती होने की कामना करते है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम बार गर्भवती होने पर पहला बच्चा पैदा होने पर 5000 दिया जाता है। यह धनराशि तीन किस्तो में प्रदान जाती है। पहली किस्त तव प्रदान की जाती है जब गर्भवती महिला जब संस्था में पंजीकरण कराती है। उस समय उसके खाते मे 2000रु की धनराशि दी जाती है। दूसरी किस्त तब प्रदान की जाती है। जब गर्भवती महिला अपनी सभी जांचे पूरी करवा लेती है। गर्भवती महिला की चार–बार जाँच की जाती है। इसमें से जब वह तीन जाँच पूर्ण कर लेती है तब उसे 1000रू0 प्रदान किया जाता है। तीसरी बार जब उसे बच्चा पैदा हो जाता है अर्थात प्रसव के 90 दिन बाद उसे 2000रू0 और धनराशि दी जाती है।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (V.H.S.N.D.)

यह एक सप्ताहिक कार्यक्रम है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहली वार मार्च 1975 मे अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएसन (एडीए) अब इसे न्यूट्रिशन और डाइट साइन्स अकैडमी) ने मनाया था इसे लोगो को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक बुद्धवार या शनिवार को किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। इस कार्यक्रम को ग्राम स्तर पर 1000 की आबादी पर लागू किया जाता है। यह कार्यक्रम ए0एन0एम, आशा व आंगनवाडी कार्यकताओं के सहयोग से आयोजित किया जाता है। यह राज्य और केन्द्र दोनो ही स्तर की योजना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरी को टीकाकरण किया जाता है। इसमे टी0डी0 टीका लगाया जाता है (टिटनेस, डिप्थीरिया) इसमें परिवार नियोजन की सामग्री वितरण तथा इससे सम्बन्धित अन्य जानकारियाँ दी जाती है। इसमे आंगनवाड़ी बच्चों व गर्भवती महिलाओं का वजन करती है तथा बच्चों का पोषण स्तर ज्ञात किया जाता है। इसी के अनुसार बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को पोषण के बारे मे जानकारी प्रदान की जाती है।

उद्देश्य→ इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिलाओं' को जागरुक बनाना है तथा उनको अपनी और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं विशेषकर गर्भवती महिलाओं में होने वाली बीमारियो तथा उससे बचाव के बारे में अच्छी तरह समझाना है।

विभिन्न प्रकार की जानकारी के द्वारा परिवार नियोजन के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जाता है। यही कारण है कि इस कार्यक्रम को सप्ताह में एक दिन रखा जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन अधिकांशतः स्वास्थ्य केन्द्रो पर ही किया जाता है।

गृह आधारित नवजात शिशु की देखभाल–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा कार्यकर्ता घर–घर जाकर छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल करेगी। पहले राज्य के 13 जिलो में इसकी शुरुआत की गयी थी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 माह से 15 माह तक के बच्चों के लिए आशा कार्यकर्ता घर–घर जाकर गृह आधारित देखभाल करेगी इसमें शिशु के स्वास्थ्य व पोषण का पूरा ख्याल रखा जायेगा। आशा गृह भ्रमण के दौरान छोटे बच्चों में स्तनपान टीकाकरण, स्वच्छता पूरक आहार, एनीमियां एवं आहार विविधता का ख्याल, रखेगी साथ ही छोटे बच्चों में होने वाली सम्भावित स्वास्थ्य जटिलता की पहचान कर उसके सही प्रबन्धन के लिए माता–पिता को उचित सलाह देगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से आशा कार्यकर्ता 3 माह से 15 माह के बच्चे के घर का दौरा कुल 5 बार करेगी जिसमें तीन माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह एवं 15 माह का दौरा शामिल होगा। इसको लेकर चिह्नित जिलों में आशा एवं ए0एन0एम0 को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। संस्थागत प्रसव की स्थिति में 6 बार एवं गृह प्रसव की स्थिति में 42 दिनो तक सात बार गृह भ्रमण करती है।

उद्देश्य– इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की मृत्युदर में कमी लाना है पिछले वर्ष के सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे में बिहार की शिशु मृत्युदर 3 अंक घटकर राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गयी थी। बिहार की नवजात मृत्युदर जो वर्ष 2017 में 28 थी वो वर्ष 2018 में 25 हो गयी। 3 माह से लेकर 15 माह तक के बच्चों के लिए शुरू की गयी। ग्रह आधारित देखभाल कार्यक्रम से 5 साल के अंदर वाले बच्चों की मृत्युदर मे कभी सम्भव हो सकी। बच्चो का बेहतर स्वास्थ्य समाज, राज्य, एवं देश हित के किए अत्यन्त जरूरी है। राज्य सरकार इसे गम्भीरता से लेते हुए नवजात शिशुओं के साथ बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दे रही है।

किशोरी योजनाः वालिका योजना

उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई क्षेत्रों में सफलता पायी है। कई क्षेत्रो मे अपनी खुद की पहचान बनायी है। इसके बाद भी अभी कई क्षेत्र ऐसे है। जहाँ लोगो को अपनी कामयावी की जड़े जमानी बाकी है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव पाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरफ ध्यान देते हुए किशोरी बालिका योजना की शुरूआत की है। उत्तर प्रदेश किशोरी बालिका योजना की शुभ शुरूआत मार्च 2017–18 मे हुई इस योजना का उद्देश्य किशोरी और बालिकाओं को न सिर्फ हेल्थ के प्रति जागरूक करना है। बल्कि उनके अन्दर उपस्थित पोषण की कमी को भी खत्म करता है। इसके लिए पूरे प्रदेश मे अभियान चलाकर लोगो को जागरूक किया जायेगा। कई सरकारी रिपोर्ट यह बताती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक नहीं होती है। खास कर किशोरियों में तो इसका कमी है। यही कारण है कि ऐसी बालिकाओं को बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। किशोरी बालिका योजना के अन्तर्गत 11 साल से 107 साल तक को बालिकाओं को शामिल किया गया है। 11 से 14 साल की उम्र की बालिकाओं को होम रासन था हॉट कुक्ड मील खाना दिया जायेगा इस योजना में उन्ही लड़कियों को शामिल किया जा रहा है। जो पढाई छोड़ चुकी है। होम राशन आइटम में 18 ग्राम प्रोटीन 600 ग्राम कैलोरी मात्रा रहेगी इसके अलावा उन्हें ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन करने की सलाह दी जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर पोषण घरक फार्मूला तैयार किया है। सरकार की तरफ से इस योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य जाँच की सुविधा दी जायेगी। उन्हें परिवार कल्याण, परामर्श, मार्ग दर्शन, बाल देखभाल अभ्यास जीवन कौशल शिक्षा के बारे में बताया जायेगा।

किशोरी बालिका योजना में आशा कार्यकर्तियों की भूमिका

उत्तर प्रदेश किशोरी बालिका योजना आशा कार्यकर्तियों की अहम् भूमिका होती है। आशा घर–घर जाकर सबसे पहले ऐसी लड़कियों या किशोरियों की पहचान करती जो सेहत ठीक न होने के कारण स्कूल नहीं जा पाती है। इसके बाद ऐसी लडकियों की आशा के द्वारा एक सूची तैयार की जायेगी इसके बाद बालिकाओं को इस योजना से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। इसमें आशा लड़कियों को सरकार द्वारा दिए गए गाइड लाइन के आधार पर जागरुक बनाने का प्रयास करती है। इसके किए आशा और आंगनवाडी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन धनराशि भी दी जायेगी।

इस योजना का लाभ किशोरी बालिका योजना के तहत कुपोषण की पहचान करने की अलग–अलग परियोजनाए चलायी जायेगी एक मजबूत अभिव्यक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी जहाँ युवतियां अपनी सेहत के बारे में आसानी से जानकारी हासिल कर सके। इस योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी तहत ब्लाक स्तर पर से लेकर गाँव स्तर तक एक ससम्म अभियान चलाया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत आंगनवाडी केन्द्रो की कार्यकर्तियों को भी जागरूक किया जायेगा। जिससे वे गाँव की बालिकाओं को पोषण की कमी के बारे में बता सके।

निष्कर्ष मानव संमाण में मुख्यतः दो महत्वपूर्ण पायी जाती है, महिला और पुरुष इन दोनो इकाइयों का समाज में अपना–अपना महत्व होता है। परन्तु ऐसा देखा गया है कि समाज पुरुष वर्ग की महत्ता ओपेक्षाकृत ज्यादा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे है फिर भी पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। वह चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक प्रत्येक क्षेत्र मे पुरुषो को महत्ता प्राप्त है परन्तु स्वतंत्रता के बाद से ही स्त्रियों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार अनेक, स्वास्थ्य भोजनाएँ चलाकर स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल कर रही है। किशोरी योजना किशोरियों के स्वास्थ्य की देखभाल तथा मिशन इन्द्रधनुष के द्वारा बच्चों के टीकाकरण का प्रावधान कटके बच्चों को पोलियों से बचाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार

द्वारा सुरक्षा योजना चलाकर महिलाओं की प्रसूति के उनके खान–पान की व्यवस्था कर रही है। इसे भी प्रकार से भारत सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र मे विभिन्न नियुक्तियाँ करके भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया है जैसे आशा, आगनवाडी, एवं ए0एन0एम0 इत्यादि। इन सब कार्यक्रमों का निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

संदर्भ स्रोत–

1– https://MPWCDMIS.GOV.IN
2- Ministry of Woman and Child Development https://wed.nic.in Kisory Yojana
3- https://www.drishtiias.com
4- रिपोर्ट ऑफ नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे
5- पाण्डेय, निर्मला (2008) प्रतापगढ़ जिले के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु स्थानिक नियोजन।

The Opinion V.11, N. 22 J-D 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीतियां : एक विमर्श

डॉ0 राहुल गुप्ता
एसोसिएट प्रोफेसर,समाजशास्त्र विभाग,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी।
प्रो0 बंशीधर पाण्डेय
प्रोफेसर,समाजकार्य विभाग,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी।

भारतीय समाज एक बहुल समाज है। जहां पर अनेक धर्मो संप्रदायों ,पंथों, विचारों को मानने वाले लोग एक साथ निवास करते हैं। जहां एक ओर बहुल समाज है वहीं दूसरी ओर भाषाई विविधता भी भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है। लेकिन जब हम शिक्षा के नजरिए से अपनी भाषा की बहुलता पर ध्यान देते हैं तो यह एक समस्या के रूप में दिखाई देने लगती है। भारत देश जो सैकड़ो वर्षों तक गुलाम रहा है, में ब्रिटिश हुकूमत ने अपना सिक्का चलाने के लिए आंग्ल भाषा में शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीतियों को तैयार करके इस भाषाई बहुलता को एक अस्त्र के रूप में देखा गया और विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में भाषा के साथ–साथ अनेक प्रावधानों के अंतर्गत एक नवीन शैक्षिक पैटर्न पर भी ध्यान दिया गया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। रोजगार परकता ,कौशल विकास इत्यादि क्षेत्रों पर भी पूर्व की शिक्षा नीतियों से लेकर वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जोर दिया जा रहा है। प्रस्तुत लेख स्वतंत्र भारत में निर्मित शिक्षा नीतियों के नियमन पर आधारित है जिसका उद्देश्य शिक्षा नीतियों के उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों पर विमर्श करना है। शोध पत्र के लेखन में द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

बीज शब्दः शिक्षा नीतियॉ, शिक्षा के लक्ष्य, व्यक्तित्व विकास, रोजगारोन्मुख।

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने हेतु मूलभूत आवश्यकता है । संभवतः इसी कारण ऋग्वेद में भी विद्या अर्थात शिक्षा को मनुष्यता की श्रेष्ठता का आधार स्वीकार किया गया था(ऋग्वेद 10/7/7)। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित होकर विनम्रता,सत्य,अनुशासन आत्मनिर्भरता और सभी के लिए सम्मान व आदर जैसे मूल्यों को विकसित व संरक्षित करने पर बोल देती थी। स्वामी विवेकानंद का यह कथन कि "मनुष्य की आत्मा में ज्ञान का अक्षय भंडार है तथा इसका

उद्घाटन करना है शिक्षा है।" प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को ठीक–ठीक परिभाषित कर देता है । बहुआयामी व समग्र शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व का विकास भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल मंत्र रहा है। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, पुण्यगिरी, ओदन्तपुरी आदि प्राचीन विश्वविद्यालयों के साथ अनेकों ऐसे ग्रंथ व साहित्य उपलब्ध हैं जिसमें खगोल विज्ञान, ज्योतिष, रसायन, औषधि, योग, संगीत, चित्रकला, सिलाई, काष्ठ कला जैसे विज्ञान व व्यावसायिक कार्यों के साथ–साथ वाद–संवाद, विचार–विमर्श व संचार जैसे व्यावहारिक कौशलों का भी उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि भारतीय शिक्षा का अवदान कभी भी संकुचित नहीं रहा है। यद्यपि गुलामी के दिनों में विदेशी आक्रांताओं द्वारा शिक्षा के इस समृद्ध विरासत पर भी पहचान का संकट लाने का भरपूर प्रयास किया गया तथा यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा व भारतीय शिक्षा प्रणाली दोनों ही के माध्यम से राष्ट्र विकासोन्मुख नहीं हो सकता है, इसीलिए अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा वैज्ञानिक व श्रेष्ठ दोनों है । ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किया गया यह मिथ्या प्रचार अनेकों वर्षों तक चलता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ब्रिटिश काल में चल रही शिक्षा प्रणाली को भारतीय संदर्भ में पुनः स्थापित करने हेतु यत्न व प्रयास किए जाते रहे। यद्यपि इसका प्रारंभ स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हो गया था तथापि कोठारी आयोग (1964 से 66) की सिफारिशों के पश्चात् सन 1968 में निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में पहले सुनियोजित प्रयास कहा जा सकता है । सन 1968 में निर्मित स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित है–

- शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया ।
- 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया।
- शिक्षकों में अपेक्षाकृत बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता विकसित करने पर विशेष बल दिया गया।
- इस नीति के माध्यम से प्राच्य भाषा के रूप में संस्कृत शिक्षण को प्रोत्साहन दिया गया। क्योंकि संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य अंग समझी जाती रही है।
- इस नीति के माध्यम से शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया।
- इस नीति के द्वारा माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का प्रस्ताव भी किया गया।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं विशेष रुप से विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या उस विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में ही होनी चाहिए।
- विश्वविद्यालय स्तर पर अंशकालीन तथा पत्राचार पाठ्यक्रम का व्यापक स्तर पर विकास किए जाने हेतु सुझाव दिए गए, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो नियमित कक्षाओं में सहभागिता नहीं कर सकते है, वे भी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे।
- इस नीति द्वारा पूरे देश में 10+2+3 की शिक्षा संरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

आगे चलकर सन 1986 में भारत में नवीन शिक्षा नीति के नाम से एक शिक्षा नीति लागू की गई। वास्तव में यह स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति है। इस नीति के द्वारा असमानताओं को दूर कर सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया था । इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए सन 1990 में आचार्य राममूर्ति के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसके उपरांत सन 1993 में पुनः इस नीति की समीक्षा हेतु प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं–

- सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात प्रमुखता से कही गई। इस संदर्भ में विशेष रूप से भारतीय महिलाओं,अनुसूचित जातियों/जनजातीय हेतु शैक्षिक अवसरों में बराबरी करने पर विशेष जोर दिया गया।
- शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया।
- औपचारिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित किया गया।
- इस नीति के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को में बेहतर पर्यावरण निर्माण हेतु "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" मॉडल प्रस्तुत किया गया।
- इस नीति में विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन से जोड़ने हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की योजनाओं को प्रमुख स्थान दिया गया। इसमें विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया।
- इस नीति में शिक्षा के आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- शिक्षा से जुड़ी लोकप्रिय एवं सफल सरकारी योजनाएं यथा सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि का शुभारंभ इसी नीति के तहत हुआ।
- अतीत में विरोध झेल रहे मुद्दे जैसे–विश्वविद्यालय एवं कॉलेज की स्वायत्तता को भी इस नीति में स्वीकृति प्रदान की गई ।
- नारी शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया।
- इस नीति के द्वारा 10+2+3 पैटर्न पर विशेष बल दिया गया।
- इस नीति की घोषणा के बाद 1986 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

इस शिक्षा नीति ने यद्यपि आधुनिकीकरण व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान दिया तथापि इस नीति में अनेकों ऐसी कल्पनाएं थी जो जमीनी हकीकत से अलग थी तथा संसाधनों की सीमाओं के कारण यह मूर्त रूप नहीं ले सकी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड व नवोदय विद्यालय जैसी योजनाएं भी प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में उसे लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकें जिनके लिए वह स्थापित की गई थी। इन्हीं कठिनाइयों व कमियों के साथ ही साथ परिवर्तित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मौजूदा शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकताओं की अनुभूति की जा रही थी। भारतीय शिक्षण पद्धति को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवाचार व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विगत कई वर्षों में एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता का बार–बार जिक्र हो रहा था। इन्हीं भावनाओं के अनुरूप जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया। लगभग 1 वर्ष तक इस मुद्दे पर चले देशव्यापी विमर्श के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई, 2020 को नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी तथा 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के नाम से जाना जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षा की पहुॅच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है । इस नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने की तरफ पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। 2020 की इस नई शिक्षा नीति द्वारा पूरे भारत में चले आ रहे हैं शैक्षणिक पैटर्न 10+2के स्थान पर 5+3+3+4 पैटर्न को अंगीकृत किया जाने की बात की गई है। नई शिक्षा नीति द्वारा कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से अध्यापन पर बल दिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 8 व आगे की शिक्षा हेतु भी मातृभाषा को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। यह शिक्षा नीति कहती है कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी विद्यार्थी पर भाषा के चुनाव हेतु कोई बाध्यता नहीं होगी, अर्थात उसके ऊपर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को विकसित करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में प्रस्तावित सुझावों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यवसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। बहुविषयकता, बहुभाषिकता, अवधारणात्मक समझ विकसित करने पर जोर, रचनात्मक व तार्किक सोच युक्त विद्यार्थियों के निर्माण पर बल, विभिन्न जीवन कौशल यथा–आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य, लचीलापन विकसित करने हेतु प्रयास, तकनीक के यथासंभव उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता, उत्कृष्ट स्तर के शोध हेतु गंभीर प्रयास जैसी विशेषताओं से युक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 सभी के लिए वहनीय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में ही उल्लेखित है कि 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो किसी से भी पीछे नहीं है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध हो सके । इसके द्वारा एक ओर तो प्रत्येक विद्यार्थी में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाया जा सकेगा तो दूसरी ओर यह नीति भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज बनाकर वैश्विक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जुलाई, 2022 में वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम संपन्न हुआ। इस समागम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकलना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है इसीलिए अपेक्षित है कि हम केवल डिग्रीधारक युवा तैयार न करें बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी मानव संसाधन की आवश्यकता पड़े, उन्हें हमारी शिक्षा व्यवस्था देश को उपलब्ध करायें। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों व शिक्षण संस्थानों को करना है।

निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि विगत 75 वर्षों से स्वतंत्र भारत में शिक्षा को लेकर चल रही चर्चा व प्रयासों के फलस्वरूप ही शैक्षिक प्रगति हो सकी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनने वाली दो शिक्षा नीतियॉ एक ऐसा आधार थी जिस पर खड़ी होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भव्य इमारत की भांति दिख रही है। यह अपेक्षित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारतीय शिक्षण प्रणाली को समग्र लचीला व बहु– विषयक बनाकर सन 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेगा। यद्यपि इस नीति की मंशा अनेकों रूप में आदर्श प्रतीत होती है तथापि इसका सफल क्रियान्वयन ही इसके सफलता की कुंजी होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ :–

- https://www.hindi.rajras.in/nayi-rashtriya-shiksha-neeti-2020/
- https://www.dhibaracademy.in/2022/02/1986-national-policy-of-education-1986.html
- https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE1986_H.pdf
- https://library.niti.gov.in/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28012
- https://sstmaster.com/rashtriya-shiksha-niti-1986/
- https://www.readermaster.com/new-national-education-policy/

पुस्तक–समीक्षा

पुस्तक का नाम : **पर्यावरण एवं समाज**

सम्पादक : **डॉ. आलोक कुमार कश्यप**
प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
एम.बी.एस.पी.जी. कालेज गंगारपुर, वाराणसी।
एवं
डॉ. सुरेन्द्र पाल
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, बी.एड.विभाग
डी.ए.वी.पी.जी.कालेज मुजफ्फरनगर।

प्रकाशन वर्ष : 2014. प्रथम संस्करण
पुस्तक का मूल्य : 995
कुल पृष्ठ : 296
आईएसबीएन : 9788183305105
प्रकाशक : अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली.
समीक्षक : **डॉ जयप्रकाश यादव**
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

प्रस्तुत समीक्ष्य पुस्तक पर्यावरण एवं समाज सम्पादक द्वय के अथक परिश्रम और दूरदर्शिता का परिणाम है क्योंकि हमारी नजर में किसी भी पुस्तक का संपादन करना किसी पुस्तक के स्वतन्त्र लेखन की तुलना में काफी कठिन एवं दुरूह कार्य है। इस पुस्तक मे संपादक द्वय के लेखों को सम्मिलित करते हुए कुल 22 लेखों को सम्मिलित करके पुस्तक के संपादन को अंजाम दिया गया है जिसमे पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को छुआ गया है जैसेः पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण में नारी आन्दोलनों की भूमिका, पर्यावरण और जनजातीय समाज, वन उन्मूलन का जनजातीय लोगो पर प्रभाव, वैदिक समय मे पर्यावरण की अवधारणा, विभिन्न पर्यावरणीय संकट चुनौतियां एवं समाधान, ग्लोबल वार्मिंग, पारिस्थितिकी

अपकर्ष,पर्यावरण में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका, औद्योगिक प्रदूषण का प्रसार एवं पर्यावरण संरक्षण इत्यादि।

इस प्रकार दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं की समीक्ष्य पुस्तक मे पर्यावरण के विभिन्न हिस्सों पर देश के विभिन्न भागों से ताल्लुक रखने वाले विद्वानों से आलेख आमंत्रित कर सम्मिलित किया गया है जो विभिन्न विषयों जैसेः समाजशास्त्र, विधि, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि से सम्बन्धित विद्वान है।

अतः हम पुस्तक को पढ़नें के बाद पाते हैं कि इसमें लेखन को लेकर लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमे बड़े विद्वानो के साथ–साथ शोध छात्रो को भी जगह दी गयी है। जिसमे विभिन्न राज्यों से सम्मिलित विद्वानों द्वारा उनकी पर्यावरणीय स्थानीयता से भी परिचय कराया गया है। विभिन्न विषयों से सम्मिलित विद्वान अपने–अपने विषय एवं ज्ञान की नजरों से पर्यावरण की चर्चा किये हैं जो निश्चित ही संपादित पुस्तक को प्रजातान्त्रिक कलेवर देने में चार चाँद लगाने का कार्य किये हैं।

समीक्ष्य पुस्तक भाषा शैली की दृष्टि से सरल, बोधगम्य और प्रभावभाली है जो संपादक द्वय के अथक प्रयास का प्रतिफल है। यह पुस्तक पर्यावरणीय शिक्षा के शिक्षकों, शोधार्थियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठक्रमों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं मे सम्मिलित पर्यावरण से सम्बन्धित पूछे जाने वाले प्रश्नो की समस्याओं से जूझने वाले प्रतियोगियों के लिए समान रूप से उपयोगी हो सकती है। हाँ मेरा एक सुझाव जरूर है कि इस पुस्तक को पेपर बैक्स में भी प्रकाशक द्वारा उपलब्ध कराया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा पाठकों के हाथो मे पहुँच सके।

A Book Review

Jodhka, S. Surinder (2012), *Caste: Oxford India Short Introductions,* Oxford University Press, New Delhi, pp. xvii+201: A Book Review

Dr. Pragya Tripathi, Assistant Professor, Department of Sociology
DNPG College, Fatehgarh (Farrukhabad)

'Caste: Oxford India Short Introductions' by Professor Jodhka provides a comprehensive understanding of caste and its social structure in Indian society. It follows a trajectory where he deals with the emergence of caste and moves linearly towards the analysis of caste in contemporary Indian society. Caste has been the subject of study since time immemorial and therefore a wide of range of scholars have attempted to construct and deconstruct the idea of caste through theories and many a times have provided a counter argument through empirical reality. Professor Jodhka in his book refers to all such scholars who have contributed in not only the understanding but also explanation of caste which is the *verstehen* model of Weber. This book goes beyond the works of such scholars and tries to situate the concept of caste in contemporary space and time.

He divides the book under five phases where in each phase he provides a bilateral relationship of caste with another concept.

The first relationship is between caste and tradition where he debunks the layman understanding who relates caste as a synonym of Indian tradition. To prove his argument he says that caste is derived from a Spanish word *casta* which was used by Portuguese, isolates the tradition from caste. The writings of orientalists, missionaries, administrators and the census survey further rigidified caste. The understanding of caste by colonial administrators (which was derived from the top view) and the foreign scholars was similar as they followed the secondary material of colonialists and identified certain features which were universally accepted by all scholars. Caste has been contested by movements which means the ideology of caste does not have complete consensus, it has never been universal in time and space which means it's not static and thereby the claim that India has remained 'still' is questionable and lastly its consistent presence in other faiths negates the stereotypical belief that caste is purely a Hindu concept. With the colonial construct village and caste was understood as Indian tradition. The writer very articulately conveys that Indian tradition is a modern construct.

In the second phase he gives a relationship between caste and power where he propagates that hierarchy and status are forms of power in everyday life. Power has another dimension in caste

when it is related to politics which determines the electoral politics. A caste can be dominating if it's numerically more, has educated persons in its caste and new forms of occupation. Ritual status is a major factor but not the only factor to determine the status and power of a caste. Various instances have been provided to theorize that the hierarchy is discontinuous due to multiple ideologies. When power comes under the hands of a caste it takes the liberty of accepting material gifts from other subordinate castes but skips itself. Jhodka with an analytical approach imparts that the anti Brahmin movements did not end caste rather it developed a new kind of caste solidarity and so caste experienced a horizontal consolidation which weakened the vertical solidarity of caste. The relation of caste with politics shifted from a moral concern to corrupt politics and so the power shifted from upper caste to middle dominant caste. The trend of formation of association led to pressure groups which paved for upward mobility.

In third phase he gives a relationship between caste and humiliation where he cites the plight of Dalits who face the ostracization of untouchability. The colonialists divided the shudras in four parts where *apshriyashudras* secured the most downgraded position. They were referred as depressed class but this concept further stigmatized them. The writer gives the relation of caste and humiliation and says that the untouchables were forced to stay outside the village premises and the practice of untouchability was everywhere though its range and form varied. Brahmanic view of caste was top down approach which had indological evidence whereas studies have shown that the bottom-down approach has many a times been neglected. No caste accepts the theory of humiliation from brahmanic perspective rather they cite mythological instances to promote the status of their caste. He makes clear that there are multiple hierarchies and no pan Indian hierarchy per say. Though with the process of development the public practice of caste has been reduced to some extent but its presence in private realm was evident after independence. In this caste humiliation as a social evil has been exemplified.

The next section draws the reader towards the measures adopted to contest the institution of caste. Two popular forms of social mobility were sanskritization and the conversion movement towards Buddhism and Christianity. There was an upsurge of poets like Kabir Das, Ravi Das etc propounding against the caste module. In order to garner Hinduism there was shuddhi movement to reconvert the untouchables. Movements by Dalits were initiated in areas where non-brahmin movements had already taken birth. With reservation policy the lower castes on one hand wanted to move away from the shackles of caste inequality and on other hand wanted to be a part of it for economic emancipation. Affirmative action plan took its wings with independence along with protection of their rights.

The last section has the vital role as it places caste in the contemporary Indian society which helps one to introspect the role it plays in modern Indian society. The logic which the writer paves is that as caste has always been related with tradition its impact should have disappeared but it becomes essential to point that the role of caste never vanished rather it kept on changing its form to adjust with the existing society. The aim of the constitution makers was to provide equal footing for all. There was a primordial problem of extending the provisions to the wide mass as the anti caste movements were urban centric and neglected a huge majority. Caste in

current state has taken a major shift from economic and social sphere to political sphere. There is a growth of dalit politics under Kansi Ram and Mayawati. In the economic sphere the dalits still face the discrimination on the basis of 'family background'.

Professor Jodhka in his book through the voice of words communicates the complexity of caste as a sociological process. It has been made evident that one cannot give any kind of generalizations to form a single theory of caste. Dumont's study has been taken as an ideal type to do a comparative study of field reality, so that the difference between the book view and field view can be analyzed. This book travels through various phases citing various scholars who have contributed in the understanding of caste. It is beneficial especially for people who carry a single model about caste or those non-sociologists who do not think about caste beyond the micro picture or the sociologists who are still lost with the complexity of this term. It has its own role in politics, in culture, in economics and in religion. Tradition and modernity go hand in hand and so as few elements of caste survive there are a few which take birth with the evolution.

The Opinion V.11, N. 22 J-D 2022 **ISSN. 2277-9124**
Peer Reviewed Journal, Impact Factor 4.875(IIFS)

शिक्षा से वंचित समाजों में संचार की समस्याएँ

डॉ0 अरविन्द्र कुमार राजपूत,
असि0 प्रो0 समाजशास्त्र,
श्री अग्रसेन महाविद्यालय,
मऊरानीपुर, (झाँसी) उ0प्र0

सारांश–

भारत गाँवों वाला देश है और मनुष्य ग्रामीण जनसंख्या की इकाई। भारत की जनसंख्या आज भी गाँवों में निवास करती है। गाँव में रहने वाले लोग आज भी बिना पढ़े–लिखे हैं। गाँव में आज भी अंधविश्वास, परंपरा, जादू–टोना, मिथ्याभिमान आदि सामाजिक विसंगितयाँ देखने को मिलती हैं। शिक्षा से वंचित समाजों में आज सूचना क्रांति के युग में भी लोगों के पास समुचित संचार के कुछ साधन धीरे–धीरे ग्रामीणों तथा अशिक्षितों के बीच पहुँच रहे हैं।

आधुनिक युग में गाँव की जनता अशिक्षित एवं गरीब है। टेलीवीजन व कम्प्यूटर खरीदने में वह सक्षम नहीं है। अपने जीवन यापन के लिए कठिन शारीरिक मेहनत करने के बाद या तो ये लोग आराम करना पसंद करते है या अप्रशिक्षित होने के कारण इसकी उपयोगिता से अनभिज्ञ होते हैं। आज भी कुछ गाँव ऐसे है जो शहर से काफी दूर है, जहाँ यातायात के साधन नहीं हैं, सड़कों का निर्माण भी नहीं हो पाया है या कच्ची हैं, बिजली भी पहुँचने में समय लग रहा है निःसन्देह वहाँ संचार माध्यम का असर बहुत कम देखने को मिलता है।

मुख्य शब्द– गाँव, अशिक्षित, डिजिटल, बेरोजगारी

संचार माध्यम से जो मनुष्य प्रभावित होते हैं उनमें से कुछ तरीके है– देखकर, सुनकर, पढ़कर खासकर सामान्य या विशेष रूचि के साथ अनुभव प्राप्त करके। यह प्रभाव व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों हो सकता है। किसी समाज पर संचार माध्यम का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका सामाजिक स्तरीकरण कैसा है –आर्थिक स्थिति कैसी है। साथ ही उस क्षेत्र के नागरिकों की आय, शिक्षा व सामाजिक संरचना व आर्थिक संरचना भी काफी हद तक प्रभावित करती है। शिक्षित तथा अच्छी आय वाले लोगों की संचार माध्यम तक अच्छी पहुँच होती है यही कारण है कि अशिक्षित समाजों की अपेक्षा इसका प्रचार–प्रसार शिक्षितों में अधिक हुआ है। संचार की समस्याओं का अध्ययन पार्टी और राजनीति के परिपेक्ष्य में करना है।

शुरू में जब कम्प्यूटर की चर्चा भारत में चली तो इसका काफी विरोध हुआ लेकिन आज डिजिटल दुनिया के हर पल और हर दिन बदल रहे सन्दर्भों में कम्प्यूटर हमारी दिन चर्या का मुख्य अंग बन गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाईस्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवायें इलैक्ट्रानिक रूप से जनता तक पहुँचाना है।

भारत के बारे में कहा जाता है कि इसकी आत्मा इसके गाँवों में रहती है, इस कथन को पढ़कर यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकाँक्षी योजना का लाभ भारत की आत्मा तक पहुँच पाया है कि नहीं।

प्रस्तुत लेख का उद्देश्य उन तथ्य परक बिन्दुओं या समस्याओं पर विचार करना है जो डिजिटल इण्डिया से डिजिटल गाँव की यात्रा में अवरोधक बने है। शिक्षा से वंचित समाजों में संचार की समस्याओं पर विचार एवं कारणों का पता लगाना है ताकि सरकार द्वारा इस दिशा में सुधारात्मक उपाय किये जा सकें और भारत डिजिटल रूप से सशक्त समाज के रूप में स्वयं को स्थापित कर सके।

विश्व की बहुत सी राजनैतिक प्रणालियाँ जनमत की आधार की शिला पर टिकी हुई है। जिस शासन में जनता की उपेक्षा हुई है वहाँ राजनीतिक उथल–पुथल एंव सत्ता परिवर्तन हुआ है। प्रजातंत्र में जनमत के स्वरूप को भाँपने और अपनी बात सही अर्थो में जनता तक पहँचाने के लिए सशक्त संचार व्यवस्था अनिवार्य है।

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से अशिक्षित समाजों में संचार की समस्याऐं विद्यमान है। इन समस्याओं ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में नवीन समस्याओं को जन्म देने में सहायता की है। उच्च राजनीतिक चेतना व्यक्त राजनीतिक समाज के निर्माण के लिए जन माध्यमों को जन सुलभ बनाना जरूरी है। जन संचार की तकनीक जब सही होगी और उसे बड़ा विस्तार मिलेगा तभी उच्च स्तर की राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होगा। आज भी भारत के कुछ ऐसे गाँव है जहाँ आज भी निरक्षरता की समस्या बनी हुई है। समाचार पत्र तथा अनेक पत्र पत्रिकाएँ यदि मिल भी जाती है तो अशिक्षित लोगों के लिए वे बेकार है जिससे उनमें संचार की समस्या उत्पन्न होती है। संचार की समस्या राजनैतिक तथा सामाजिक विकास में बाधा बन रही है। शिक्षा से वंचित समाजों में संचार की समस्याओं का पता लगाना आवश्यक हैं जिससे भारत की उन्नति हो सके।

(1) गरीबी –

अशिक्षित जनता बेरोजगार होती है। बेरोजगारी व्यक्ति को गरीब बनाती है। गरीबी के कारण घन की समस्या हमेशा बनी रहती है। जिसके कारण लोगों में खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। संचार के उपकरण क्रय करने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता है। अतः गरीबी ने भी व्यक्तिगत रूप से ऐसे अशिक्षित समाजों में संचार की समस्या बनी रहती है।

(2) अशिक्षा –

शिक्षा संचार का सबसे प्रमुख साधन है। शिक्षित मनुष्य दूसरे शिक्षित व्यक्ति को सूचनाओं का आदान प्रदान सही ढंग से कर लेता है लेकिन अशिक्षित वर्ग मूक बना रहता है। वह अपनी प्रतिक्रिया आदि राजनैतिक जगत से करना चाहे तो अशिक्षा के कारण नहीं कर सकता है। सरकार, नेता अनेक दल जो भी संदेश जनहित में प्रसारित करते हैं। वे इन तक नहीं पहुँच पाते है।

(3) सामाजिक, राजनीतिक सम्पर्क की कमी –

गरीबी के कारण अशिक्षित जनता का अन्य लोगों से सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक सम्पर्क नहीं हो पाता है वही स्थिति राजनीतिक व्यक्तियों के लिए भी रहती है। अतः अशिक्षित जनता का सामाजिक राजनैतिक सम्पर्क कर दायरा कम होने से संचार की समस्या रहती है।

(4) संचार की उपयोगिता को न समझना –

सूचना प्रौद्यौगिकी के युग में संचार का महत्व काफी बढ़ा है अशिक्षित लोग अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते है जो लोग घर में टी0वी0, रेडियों, कम्प्यूटर रखे हुए भी है वह उसे मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग करते है।

(5) सरकारी तंत्र की उदासीनता –

अशिक्षित समाज में सरकारी तंत्र की उदासीनता भी संचार की समस्या का कारण होती है। सरकार द्वारा सूचना के अधिकार सभी को प्राप्त है। इन अधिकारों को पहुँचाने में स्वंय सूचना प्रसारण तंत्र सक्रिय हो जाते है। संचार के उपकरणों के साधनों का ठीक से रख रखाव न हो पाने से भी संचार की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

(6) सम्मेलनों का अभाव –

अशिक्षित समाज में लोग सम्मेलनों और गोष्ठियों को अधिक नहीं जानते है। गरीबी के कारण आपकी दिनचर्या अर्थात् कार्यो में व्यस्त बने रहते है। पार्टी के सदस्य भी असुविधाओं के कारण नहीं पहुँच पाते है। अतः दोनों पक्ष कठिनाई का अनुभव करते है तथा दोनों पक्षों में संचरण की समस्या बनी रहती है। जब चुनाव आते हैं तभी नेताओं की रैली ऐसे समाजों में एक या दो बार हो पाती है। इसी कारण है से इन समाजों में आज भी राजनीतिक सहभागिता कम दिखायी पड़ती है।

(7) बिजली व्यवस्था न होना–

गाँव के लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं वे सूचना तथा संचार के लिए रेडियों, टेलीविजन पर अधिक ध्यान देते है लेकिन इन उपकरणों के अभाव में वे शहरी राजनीति से अपने को अलग मानते हैं। यदि जिनके पास देखने, सुनने (टी0वी0, रेडियों) के उपकरण हैं भी लेकिन बिजली की कटौती के कारण इन संचार साधनों का उपयोग नहीं कर पाते। दिल्ली, लखनऊ में क्या हो रहा है। सूचनाओं को अशिक्षित जनता नहीं समझ पाती है।

(8) आवागमन के साधन न होना –

वर्तमान में सड़क एवं परिवहन साधनों की कमी है। आज भी अनेकों गाँव इस प्रकार के है जहाँ आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। उन गाँवों में संचार व्यवस्था नहीं हो पायी है।

सूचना प्रौद्यौगिकी के युग में संचार का महत्व काफी बढ़ गया है। अशिक्षित जनता संचार के महत्व को या इसकी उपयोगिता के महत्व को ठीक ढंग से नहीं समझ पाती है। जो लोग घर में टी0वी0, रेडियों, कम्प्यूटर रखे हुए भी हैं वह उसे मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग करते है।

राजनीतिक प्रक्रिया के लिए संचार होना आवश्यक है कोई भी नेता अपनी बातों को संचार के बिना कैसे जनता तक पहुँच पाते है। अशिक्षित समाजों में संचार के साधनों की सबसे अधिक कमी है। संचार के साधन न होने से जनता में राजनीति के प्रति उदासीनता बनी रहती है। जो कि प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। जहाँ कि जनता शिक्षित है वहाँ मतदान अधिक होता है। जहाँ कि जनता अशिक्षित होती हैं मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहता है। मतदान कम प्रतिशत में होना राजनैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए लेकिन ग्रामीण और अशिक्षित लोगों में संचार की समस्या ने मतदान को काफी प्रभावित किया है।

संचार की कमी से सरकार द्वारा चलाये जा रहे अनेक विकास कार्यक्रमों को अशिक्षित जनता ठीक से नहीं जान पाती है। साथ ही सत्तारूढ़ दलों के विचारों का नीतियाँ को यदि जनता तक पहुँचना होता तब भी दलों के लोग संचार की समस्या के कारण अपनी बात ठीक ढंग से नहीं कर पाते है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवार कल्याण कार्यक्रमों आदि का सबसे अधिक

महत्व ग्रामीण तथा अशिक्षित समाज में होता है लेकिन संचार समस्या इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में अड़चन पैदा करती है।

अशिक्षित पिछड़े, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में संचार की समस्या ने लोगों में विश्व की राजनीति से अभी तक परिचित नहीं होने दिया। बाहरी दुनिया की राजनीतिक गतिविधि तथा वहाँ की सरकारों के क्रियाकलापों की जानकारी न मिलने से अशिक्षित समाज की स्थिति कूप–मण्डूप सी बनी रहती है।

संदर्भ–

1. डॉ0 डी0एस0 बघेल, राजनैतिक समाजशास्त्र, जवाहर नगर, दिल्ली।
2. डॉ0 टी0पी0 सिंह कुर्चुली, राजनैतिक समाजशास्त्र, जवाहर नगर, दिल्ली।
3. डिजिटल इण्डिया– दि इण्डिया एक्सप्रेस, 28 फरवरी, 2016
4. रोजगार समाचार पत्र, मार्च, 2014
5. अजय कुमार, ''डिजिटल इण्डिया'' प्रभात प्रभात प्रकाशन, न्यू दिल्ली, 2018
6. विराग, गुप्ता. ''डिजिटल इण्डिया और भारत'' अनन्य प्रकाशन दिल्ली, 2017
7. सिंह, योगेन्द्र, मोडनाईजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडीशन, 1973,
8. हुसैन, प्रो0 मुजतबा, प्रारम्भिक समाजशास्त्र, पेज 426–27.
9. दोषी, एस0एल0 व जैन पी0सी0, भारतीय समाज पेज 322.
10. सिंह, डॉ0 अमिता, लिंग और समाज, पेज 322.
11. मुखर्जी, रामकृष्ण, सोसाइटी कल्वर डेबलपामेन्ट, 1965.

मुस्लिम वसीयत – एक विधिक विश्लेषण

डॉ0 शिव कैलाश
असि0 प्रो0, विधि विभाग,
महाराज बलवंत सिंह पी० जी० कॉलेज गंगापुर, वाराणसी

सम्पत्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरण बिना प्रतिफल या तो व्यक्ति के जीवन काल में किया जा सकता है अथवा व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् । जब दो जीवित व्यक्तियों के बीच बिना प्रतिफल के अस्तित्व में रही सम्पत्ति का तुरन्त अन्तरण होता है, तो उसे दान कहते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् बिना प्रतिफल के सम्पत्ति का अन्तरण व्यक्ति की इच्छानुसार किया जा सकता है, ऐसे अन्तरण को वसीयत के नियमों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् यदि सम्पत्ति का बिना प्रतिफल अन्तरण विधिक प्रविधानों के अनुसार होता है, तो इसे दाय (inheritance) के नियमों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है।

सम्पत्ति का अन्तरण (बिना प्रतिफल के)

जीवनकाल	मृत्यु के पश्चात्
दान (हिबा)	वसीयत और दाय

परिभाषाएं (Definitions)

"Wasiyya means a will, whether oral or written, but it has also other meanings; it may signify a moral exhortation, a specific legacy or
the capacity of the executor, executorships (d), A document embodying the will is called wasiyyatnama. It is thus not difficult to reconcile the dual insistence as well as legal rectitude"[1].

''वसीया शब्द का अर्थ होता है वसीयत। यह मौखिक या लिखित में हो सकती है। परन्तु इसका दूसरा अर्थ भी होता है। इसका अर्थ नैतिक उपदेश भी होता है। यह विनिर्दिष्ट पैतृक सम्पत्ति को वसीयतकर्त्ता द्वारा वसीयत में देना है। ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा वसीयता की गई हो, वसीयतनामा कहलाता है। इसलिये किसी भी वसीयत में नैतिक उपदेशों एवं कानूनी औचित्यों को आपस में मिलाना कोई कठिन कार्य नहीं है।''[2]

DARRUL MUKHTAR :

"Will is an assignment of property to take effect after one's death"[3]

HEDAYA :

---

[1] फैजी : आउट लाइन्स ऑफ मोहम्डन लॉ, चतुर्थ संस्करण 1974, पृष्ठ 356

[2] फैजी : ''मुस्लिम विधि की रूपरेखा'' संस्करण 1986 पृष्ठ 350

[3] दारूल मुख्तार 402 (प्रथम संस्करण 1913)

"Wasiyat means an endowment with the property of anything after death as if one person should say to another, 'give this article of mine' after my death, to a particular person," [4]

TAYABJI :

"The legal declaration of the intentions of a Muslim with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death." [5]

FATWA - I - ALAMGIRI :

It defines a will (wasiyyat) as the "conferment of a right of property in a specific thing, or in a profit or a gratuity to take effect on the death of the testator."

फतवा–ए–आलमगिरी

वसीयत की परिभाषा इस प्रकार करता है –

''रिक्थदाता की मौत हो जाने पर प्रभाव में आने वाले किसी विशेष वस्तु, मुनाफे (लाभ) या वृत्ति (gratuity) में सम्पत्ति के अधिकार का दान है।''

एम0 सौतायारा का अवलोकन :

''एक मुसलमान के दृष्टिकोण से वसीयत एक दैवीय संस्था है, क्योंकि इसका निष्पादन कुरान शरीफ द्वारा विनियमित है। यह वसीयतकर्त्ता को कुछ सीमा तक उत्तराधिकार की विधि को दुरस्त करने और कुछ नातेदारों की जिन्हें उत्तराधिकार से अपवर्जित कर दिया गया है, वसीयतकर्त्ता की सम्पत्ति में से हिस्सा प्राप्त करने में समर्थ बनाने तथा किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा उसके लिये की गई सेवा और सुश्रुषा या उसके अंतिम क्षणों में उसके प्रति आस्था को मान्यता देने का साधन प्रदान करती है। इसके साथ ही पैगम्बर ने घोषित किया है कि इस शक्ति का प्रयोग वैध वारिसों (उत्तराधिकारियों को क्षति पहुॅचाने) के लिये नहीं करना चाहियें।''[6]

इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि यदि कोई व्यक्ति बिना प्रतिफल के अपनी सम्पत्ति का अन्तरण किसी अन्य के पक्ष में करने की इच्छा प्रकट करता

है, किन्तु सम्पत्ति के इस अन्तरण का निष्पादन अपनी मृत्यु तक स्थगित भी रखना चाहता है, तो व्यक्ति की इस इच्छा को वसीयत की संज्ञा दी जाती है।

जो व्यक्ति सम्पत्ति के अन्तरण की इच्छा प्रकट करता है, उसे वसीयतकर्त्ता अथवा रिक्तदाता (legator or testator) कहते हैं। जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयता की जाती है उसे वसीदार अथरवा रिक्थग्राही (legatee or testarix) कहते हैं।

मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत एक जीवित व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को हिबा द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अन्तरित कर सकता है, किन्तु मुस्लिम व्यक्ति द्वारा वसीयत करने की शक्ति पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये है। इसका कारण यह है कि मुस्लिम विधि में दाय (inheritance) के नियमों का उल्लेख

---

[4] हेदाया 670

[5] तैयबजी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 धारा 2 पर आधारित

[6] अमीर अली मोहम्डन लॉ (टैगोरस लॉ लैक्चर) चतुर्थ संस्करण पृष्ठ 5, 6, 9

पवित्र कुरान में किया गया है।[7] मुस्लिमों का कथन है कि वे कुरान में उल्लिखित विधि का अतिलंघन नहीं कर सकते। यदि मुस्लिम व्यक्ति रिक्थ (will) द्वारा अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का अन्तरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में करता है तो उसके देहान्त के पश्चात् उस व्यक्ति को सम्पूर्ण सम्पत्ति प्राप्त हो जायेगी और मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी अपने अंश को प्राप्त करने में असफल रहेंगे तथा कुरान में दिये गये नियम भी निष्प्रभावी हो जायेंगे।

वसीयत को भी मुस्लिम व्यक्ति एक दैवीय संस्था (divine instiution) समझते हैं और इसका आधार पैगम्बर मुहम्मद साहब की एक हदीस मानते हैं।

साद इब्न अली बक्कास के अनुसार उनकी बीमारी के समय पैगम्बर मोहम्मद साहब जब उनसे मिलने आये तो इब्न बक्कास ने उनसे पूछा कि उनके पास अथाह सम्पत्ति है और उनकी उत्तराधिकारी केवल एक पुत्री है, इस कारण वह चाहते हैं कि अपनी सम्पतित का 2/3 अंश धार्मिक कार्यों हेतु वसीयता द्वारा अन्तरित कर दे। इस पर मुहम्मद साहब ने कहा कि ऐसा उचित नहीं होगा। इब्ने बक्कास ने पुनः पूछा कि अपनी सम्पत्ति का 1/2 अंश धार्मिक कार्य हेतु वसीयत द्वारा करना उचित होगा अथवा नहीं। इस पर मुहम्मद साहब ने कहा कि वसीयत के द्वारा सम्पत्ति का केवल 1/3 अंश ही अन्तरित करना उचित होगा।

वसीयत द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति अपने देहान्त के बाद छोड़ी गई सम्पत्ति का 1/3 अंश ही अपनी स्वतंत्र इच्छा से अन्तरित करने की घोषणा कर सकता है। यदि इससे अधिक की सम्पत्ति के अन्तरण की वसीयता करता है तो जब तक उसके उत्तराधिकारी इस विषय में सहमति न प्रदान कर दे तब तक यह वसीयता मान्य नहीं होगी। सुन्नी विचारधारा के अन्तर्गत वसीयत यदि मृतक अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में करता है तो निर्बन्धन (restrictions) कुछ अधिक कठोर है, किन्तु यदि मृतक वसीयत अजनबी के पक्ष में करता है, तो निर्बन्धन कुछ कम है। जबकि शिया विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकारी के पक्ष में की गई वसीयत और अजनबी (गैर उत्तराधिकारी) के पक्ष में की गयी सम्पत्ति पर निर्बन्धन समान है।

यदि किसी व्यक्ति का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को वसीयत के द्वारा अन्तरित कर सकता है और यह वसीयत मान्य होगी।

मान्य वसीयत के आवश्यक तत्व (Essential elements of valid will**)**

1. वसीयतकर्त्ता अथवा रिक्थदाता की सक्षमता (Competency of legato or testator)
2. वसीयतदार अथवा रिक्थग्राहीता की सक्षमता (Competency of legatee on testatrix)
3. वसीयतदाता अथवा रिक्थग्राही की सहमति (Free consent of legato or testator)
4. वसीयतदार अथवा रिक्थग्राही की सहमति (Consent of legatee or testatrix)
5. औपचारिकताएं (Formalities)
6. रिक्थयोग्य सम्पत्ति (Bequeathable property)
7. रिक्थदाता का वसीयत करने का अधिकार (Legator's testamentary right)

1. वसीयतकर्त्ता अथवा रिक्थदाता की सक्षमता :

[7] व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उसके द्वारा छोड़ी गये सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों में किन अंशों में विभाजित होगी इसका सविस्तार वर्णन कुरान में किया गया है इसी को दाय के नियम (law of inheritance) कहते हैं।

कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो वयस्क एवं स्वस्थचित हो, कुछ निर्बन्धों के अधीन रहते हुये वसीयत कर सकता है। रिक्थदाता में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है –

I. **मुस्लिम :** वसीयत के नियन्त्रण हेतु मुस्लिम विधि के प्रविधान तभी लागू होंगे जब व्यक्ति वसीयत की रचना करते समय मुसलमान हो। यदि कोई व्यक्ति वसीयत करते समय तो मुस्लिम हो किन्तु तत्पश्चात् इस्लाम धर्म का परित्याग कर दे और अपनी मृत्यु के समय गैर मुस्लिमों की श्रेणी में आता हो, तो मुस्लिम विधि की मालिकी विचारधारा को छोड़, अन्य सभी विचारधाराओं के अन्तर्गत वसीयत का नियमन मुस्लिम विधि के प्रविधानों के अनुसार ही होगा, मालिकी विचारधारा के अन्तर्गत वसीयतकर्त्ता वसीयत करते समय एवं अपनी मृत्यु के समय दोनों अवसरों पर मुस्लिम होना चाहिये।

II. **वयस्क :** मुस्लिम विधि के अनुसार वयस्कता की आयु यौवनागमन (Age of puberty) पर निर्भर करती है, जिसे सामान्य रूप से 15 वर्ष माना गया है, किन्तु वसीयत हेतु मुस्लिम व्यक्ति की वयस्कता का निर्धारण भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के प्रविधानों के अनुसार होता है। इस प्रकार वसीयत करने हेतु मुस्लिम व्यक्ति सामान्यतौर पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर ही सक्षम होता है। किन्तु यदि उसके शरीर या सम्पत्ति हेतु न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया है अथवा प्रतिपाल्य न्यायालय (Courts of wards) के अधीन उसकी सम्पत्ति है तो वसीयत करने हेतु 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर ही वह सक्षम होता है।

III. **स्वस्थचित्त :** रिक्थदाता वसीयत करते समय स्वस्थचित्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसे अपने द्वारा किये गये कार्य के परिणामों को समझने में सक्षम होना चाहिये। इसके अतिरिक्त यदि वसीयतकर्त्ता वसीयत करने के पश्चात् छः माह के अन्दर स्वस्थचित्त न रहे तो ऐसी वसीयत शून्य हो जायेगी।

> ''वसीयत करने के पश्चात् यदि वसीयतकर्त्ता स्थायी रूप से पागल हो जाये तो वसीयत शून्य मानी जायेगी लेकिन यदि पागलपन छः माह तक के लिये स्थिर न हो तो वसीयत शून्य नहीं मानी जा सकती है।''[8]
>
> "If a will is made by an insane person, it would remain void even if he subsequently recovers and remain sane till death Conversely a will made by a person of sound mind becomes void if subsequently he becomes insane and remains so till death. A will by an insane made during lucid interval shall remain valid only if the insanity does not lost longer than sixe months."[9]

IV. **दिवालिया :** मुस्लिम विधि के अधीन मृतक के ऋणों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये। अतः यदि मृतक की सम्पूर्ण सम्पत्ति ऋणों के अधीन है तो उस समय तक वसीयत मान्य नहीं होगी, जब तक उसके लेनदार अपने ऋणों को माफ न कर दें।

V. **आत्महत्या का प्रयास** : यदि रिक्थदाता शिया मुस्लिम है और वह वसीयत करने के पूर्व आत्महत्या का प्रयास करता है तो ऐसी वसीयत शून्य मानी जायेगी, किन्तु यदि रिक्थदाता शिया मुस्लिम होते हुये भी पहले वसीयत कर देता है और तत्पश्चात् आत्महत्या का प्रयास करता है तो शिया विधि के अन्तर्गत भी ऐसी वसीयत मान्य होगी।

दृष्टान्त : क नामक शिया मुस्लिम विषपान करने के बाद वसीयत करता है ऐसी वसीयत शून्य होगी। किन्तु यदि ख नामक शिया मुस्लिम पहले वसीयत कर देता है तत्पश्चात् विषपान के द्वारा आत्महत्या का प्रयास करता है तो ऐसी वसीयत मान्य होगी।

---

8 अमीर अली 'मोहम्डन लॉ', खण्ड – 1, संस्करण III पृष्ठ 467, आर.के. सिन्हा, 'मुस्लिम विधि', 1994 पृ0 219 पर उद्घृत

9 खालिद रशीद 'मुस्लिम लॉ', तृतीय संस्करण 1996, पृष्ठ 272

सुन्नी विचारधारा के अन्तर्गत आत्महत्या के प्रयास का कोई भी प्रभाव वसीयत की मान्यता पर नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सुन्नी मुस्लिम आत्महत्या का प्रयास करने के बाद वसीयत करता है, तो भी वसीयत मान्य होगी और यदि वसीयत करने के पश्चात् आत्महत्या का प्रयास करता है, तो भी वसीयत मान्य होगी।

VI. **पर्दानशीन महिला** : पर्दानशीन महिला वसीयत करने में सक्षम है, किन्तु ऐसे मामलों में न्यायालय उसकी स्वतन्त्र सहमति की उपस्थिति का समाधान अतिविवेक से करता है।

VII. **स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अन्तर्गत विवाह** – यदि किसी मुस्लिम महिला अथवा पुरुष ने स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह किया हो तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गई वसीयत मुस्लिम विधि के प्रविधानों द्वारा नियन्त्रित न होकर भारतीय उघ्त्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रविधानों के अन्तर्गत नियन्त्रित होगी।

2. वसीयतदार अथवा रिक्थग्राहीता की सक्षमता :

वसीयतदार कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सम्पत्ति धारित करने में सक्षम हो। वसीयतदार निम्नलिखित व्यक्ति हो सकते हैं –

I. **मुस्लिम अथवा गैर मुस्लिम** : वसीयतदार मुस्लिम व्यक्ति तो हो ही सकता है, किन्तु एक मुस्लिम वसीयतकर्त्ता गैर व्यक्ति के पक्ष में भी मान्य वसीयत कर सकता है।

II. **वयस्क अथवा अवयस्क** : वसीयतदार वयस्क हो सकता है, अवयस्क हो सकता है। यहाँ कि अजन्मा व्यक्ति भी सक्षम वसीयतदार हो सकता है, कुछ शर्तों के अधीन।

गर्भस्थ शिशु : माँ के गर्भ में स्थित शिशु को विधिक दृष्टिकोण से अस्तित्व में माना जाता है। अतः गर्भस्थ शिशु के पक्ष में मान्य वसीयत की जा सकती है। यदि निम्नलिखित औपचारिकताओं की पूर्ति हो –

(क) रिक्थदाता की मृत्यु के समय वसीयतदार को अपनी माता के गर्भ में उपस्थित होना चाहिए।

(ख) रिक्थदाता की मृत्यु के छः माह के अन्दर उस गर्भस्थ शिशु को जीवित जन्म ले लेना चाहिए। यदि गर्भपात हो जाये अथवा मृत शिशु का जन्म हो तो वसीयत शून्य हो जायेगी।

III. **स्वस्थचित्त अथवा अस्वस्थचित्त** : वसीयतदार हेतु स्वस्थ चित्त होना आवश्यक नहीं है किसी अस्वस्थ चित्त व्यक्ति के पक्ष में मान्य वसीयत की जा सकती है।

IV. दिवालिया : दिवालिया व्यक्ति के पक्ष में मान्य वसीयत की जा सकती है।

V. पर्दानशीन महिला : पर्दानशीन महिला एक सक्षम वसीयतदार है।

VI. वसीयतकर्त्ता का हत्यारा : सुन्नी हनफी विधि के अन्तर्गत यदि वसीयतदार द्वारा वसीयत कर्त्ता की मौत हो जाये, तो ऐसी वसीयत शून्य हो जायेगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कि सुन्नी विधि के अधीन वसीयतदार द्वारा वसीयतकर्त्ता की मौत चाहे साशय हो, चाहे दुर्घटनावश हो वसीयतदार वसीयत द्वारा सम्प्रत्ति ग्रहण करने हेतु असक्षम घोषित कर दिया जायेगा। किन्तु शिया विधि के अधीन यदि वसीयतदार द्वारा वसीयतकर्त्ता की मौत साशय की गई हो, उसी समय वसीयतदार वसीयत द्वारा सम्पत्ति ग्रहण करने में असक्षम घोषित किया जायेगा।

3. वसीयतदार अथवा रिक्थदाता की स्वतन्त्र सहमति :

वसीयत करते समय वसीयतकर्त्ता की स्वतन्त्र सहमति अति आवश्यक है। यदि वसीयतकर्त्ता की सहमति उत्पीड़न, असम्यक प्रभाव, कपट, मिथ्याव्यपदेशन अथवा भूल द्वारा प्राप्त की गई है, तो ऐसी वसीयत मान्य नहीं होगी और यह शून्य होगी। सामान्य रूप से विधिक उपधारणा यह रहती है कि वसीयतकर्त्ता ने

वसीयत अपनी स्वतन्त्र सहमति से की है किन्तु पर्दानशीन महिला के विषय में वसीयतदार को यह सिद्ध करना पड़ता है कि पर्दानशीन महिला ने वसीयत अपनी स्वतन्त्र सहमति से की है।

4. वसीयतदार अथवा रिक्थग्राही की सहमति :

उत्तराधिकार (विरासत) को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से किसी सम्पत्ति के स्वामित्व को किसी भी व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध आरोपित नहीं किया जा सकता है।[10] वसीयतकर्त्ता की मौत के बाद वसीयतदार की प्रत्यक्ष (express) अथवा प्रलक्षित (implied) सहमति आवश्यक मानी जाती है यदि वसीयतकर्त्ता के जीवन काल में वसीयतदार ने वसीयत द्वारा प्रदान की गई सम्पत्ति को ग्रहण करने से असहमति भी जताई हो, किन्तु वसीयतकर्त्ता की मृत्यु के पश्चात् वह वसीयत द्वारा प्रदान की गई सम्पत्ति को ग्रहण करने हेतु अपनी सहमति की घोषणा कर देता है, तो ऐसी सहमति मान्य होगी।

हनफी विधि के अनुसार यदि वसीयतदार का देहान्त वसीयतकर्त्ता के जीवन काल में हो जाये तो रिक्त की समाप्ति (lapse of legacy) हो जाती है। किन्तु शिया विधि के अनुसार वसीयतकर्त्ता के जीवनकाल में वसीयतदार के देहान्त पर 'रिक्थ का स्खलन' (lapse of legacy) नहीं होता और वसीयत की गई सम्पत्ति वसीयतदार के उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो जाती है।

5. औपचारिकताएं :

मुस्लिम विधि द्वारा वसीयत हेतु कोई विशेष प्रारूप निश्चित नहीं है। वसीयत मौखिक हो सकती है अथवा लिखित हो सकती है। यदि वसीयत लिखित है और वसीयतकर्त्ता की पहचान इस लिखित दस्तावेज से हो सकती है तो वसीयतकर्त्ता के हस्ताक्षर की भी आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि वसीयत का लिखित होना आवश्यक नहीं है फिर भी यह पक्षकारों के हित हमें है कि वसीयत लिखित हो। वसीयत का एक मात्र निर्णायक तत्व वसीयतकर्त्ता का 'मन्तव्य' (intention) का स्पष्ट होना है, कि वसीयतकर्त्ता अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण अपने देहान्त के बाद वसीयतदार के पक्ष में करना चाहता है।

6. रिक्थयोग्य सम्पत्ति :

प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति, चल–अचल (movable-immovable) मूर्त–अमूर्त (tangible-intangible) को वसीयत के द्वारा अन्तरित किया जा सकता है। यह भी आवयश्यक नहीं है कि यह सम्पत्ति वसीयतकर्त्ता के स्वामित्व में उस समय हो अथवा अस्तित्व में हो अथवा न हो। केवल इतना आवश्यक है कि यह सम्पत्ति वसीयतकर्त्ता की मौत के समय अस्तित्व में हो और उसके स्वामित्व में हो।

7. रिक्थदाता का वसीयत करने का अधिकार :

मुस्लिम व्यक्ति के देहान्त के पश्चात् उसके द्वारा छोड़ी गई सम्पदा (estate) का विभाजन कुरान में दिये गये दाय (inheritance) के नियमों के अनुसार किया जाता है। वसीयतकर्त्ता की मृत्यु के पश्चात् भी उसकी सम्पत्ति उसकी इच्छा के अनुसार वसीयतदार को हस्तान्तरित होती है। अतः यदि मुस्लिम व्यक्ति को वसीयत के द्वारा अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाये तो कुरान में दिये गये नियमों का अतिलंघन होगा।

''कोई भी मुसलमान 1/3 सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति का दान नहीं करता है इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस सम्पदा के एक तिहाई भाग से जो मृत के क्रियाकर्म का खर्चा, ऋण और अन्य दायित्व को पूरा करने के पश्चात् बचती है। जब एक मुसलमान की मृत्यु हो जाती है तो मरने वाले व्यक्ति का यदि कोई ऋण है तो उसको पहले लौटाना चाहिये। इसी प्रकार मरने वाले व्यक्ति की क्रियाकर्म में जो धन खर्च

[10] जाफरी बेगम बनाम अमीर मुहम्मद, (1885) 7 All 1812

होता है उसका भुगतान करना चाहिए। ..... ऊपर बताये गये खर्चों को काटने के बाद बची हुयी सम्पत्ति में से 1/3 सम्पत्ति को वसीयत द्वारा दिया जा सकता है।[11]

''एक मुस्लिम अपने जीवन काल में अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तियों का हिबा (gift) कर सकता है, परन्तु उसका वसीयती अधिकार (testamentary) सीमित है। मुस्लिम वसीयतकर्त्ता के वसीयत करने के अधिकार पर निम्नलिखित दो प्रकार के प्रतिबन्ध है –

(क) वसीयत की जा सकने वाली सम्पत्ति से सम्बन्धित मात्रा पर प्रतिबन्ध, तथा

(ख) वसीयत किसके पक्ष में की गई है इससे सम्बन्धित प्रतिबन्ध।

उल्लेखनीय है कि अन्य पर, व्यक्तिगत विधियों के अन्तर्गत किसी वसीयतकर्त्ता के वसीयती अधिकार। इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता है, अर्थात् वह अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत कर सकने में समर्थ है, परन्तु मुस्लिम विधि के अन्तर्गत वसीयतकर्त्ता अपनी कुल सम्पत्ति का केवल 1/3 भाग ही किसी भी व्यक्ति को वसीयत कर सकने में समर्थ है, इससे अधिक की सम्पत्ति की वसीयत के लिये उसके उत्तराधिकारियों की सहमति अनिवार्य है। सामान्यतयः कुल सम्पत्ति के केवल 1/3 भाग पर ही वसीयतकर्त्ता का अप्रतिबन्धित अधिकार माना जाता है। इसी को वसीयत योग्य अर्थात् रिक्थ योग्य तिहाई की संज्ञा दी गई है।[12]

एक व्यक्ति वसीयत द्वारा सम्पत्ति का अन्तरण अपने उत्तराधिकारी के पक्ष में कर सकता है अथवा गैर उत्तराधिकारी (अजनबी) के पक्ष में कर सकता है। सुन्नी और शिया विधि के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयत की जा रही है, उसके साथ मृतक का क्या सम्बन्ध है। इस आधार पर वसीयत के नियम अलग–अलग है।

सुन्नी विधि :

(क) उत्तराधिकारियों के पक्ष में की गई वसीयत :

एक सुन्नी मुस्लिम अपने उत्तराधिकारी को किसी भी सम्पत्ति की मात्रा की मान्य (valid) वसीयत उस समय तक नहीं कर सकता, जब तक उसके अन्य उत्तराधिकारी अपनी सहमति न प्रदान कर दें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वसीयतकर्त्ता 1/3 से कम सम्पत्ति की भी वसीयत अपने किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में करता है, तो जब तक उसके अन्य उत्तराधिकारीगण अपनी सहमति प्रदान नहीं करते, उस समय तक वसीयत प्रभावी नहीं होगी। ''एक मुसलमान द्वारा उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत नहीं की जा सकती। इसलिये ऐसे व्यक्ति के पक्ष में वसीयत नहीं की जा सकती है जो उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो .....। जब तक अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा सहमति न दी गई हो किसी उत्तराधिकारी को उत्तरदान (वसीयत) नहीं दिया जा सकता है।

इस विषय से सम्बद्ध सामान्य नियम गुलाम मुहम्मद बनाम गुलाम हुसैन[13] के वाद में अत्यन्त स्पष्ट रूप से लेखबद्ध किया गया है। इस वाद में यह निर्णीत किया गया था कि किसी उत्तराधिकारी (heir) के पक्ष में (बिना अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति के) वसीयत अमान्य होती है।

फरकान बनाम मुमताज बेगम[14] के वाद में वादी–प्रत्युत्तरवादी मुमताज बेगम ने एक भूमि के कब्जे के लिये इस आधार पर वाद दायर किया कि वह भूमि उसके पिता की वसीयत से मिली है और उसे प्रतिवादी अपीलार्थी ने, जो मुमताज के पिता मेहराब खाँ के भाई इरफान खाँ का पुत्र था, मेहराब खाँ की

---

[11] फैजी 'मुस्लिम विधि की रूपरेखा' संस्करण 1986 पृष्ठ 354, 355।

[12] आर0के0 सिन्हा, मुस्लिम विधि द्वितीय संस्करण 1994 पृष्ठ 226, 227।

[13] 54 इला. 98 : 1932 PC 81।

[14] AIR 1971 राज. 1491।

मृत्यु के बाद उसे भूमि से हटा दिया गया था। राजस्थान हाई कोर्टह ने इस सुस्थापित सिद्धान्त का कि हनफी विधि में अन्य उत्तराधिकारियों की स्पष्ट या विवक्षित सहमति के बिना किसी उत्तराधिकारी को वसीयत नहीं की जा सकती है, अनुसरण किया और वादी–प्रतिउत्तरवादी के विरूद्ध फैसला किया।[15]

इस विचारधारा के अन्तर्गत उत्तराधिकारियों की सहमति रिक्थदाता के देहान्त के पश्चात् होनी चाहिये। यदि रिक्थदाता के जीवनकाल में उत्तराधिकारियों ने सहमति प्रदान की है तो वसीयत के मान्य होने हेतु ऐसी सहमति वैध सहमति नहीं मानी जाती।

(ख) किसी अनजबी (गैर उत्तराधिकारी) के पक्ष में की गई वसीयतः– एक सुन्नी मुस्लिम किसी अजनबी (गैर उत्तराधिकारी) के पक्ष में अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का 1/3 भाग वसीयत द्वारा हस्तान्तरित करने में सक्षम है; अतः किसी गैर उत्तराधिकारी रिक्थ ग्रहीता के पक्ष में 1/3 तक ही सम्पत्ति कीवसीयत में उत्तराधिकारियों की सहमति अनिवार्य नहीं है।

शिया विधिः– इस विचारधारा के अन्तर्गत वसीयतकर्ता अपने उत्तराधिकारी अथवा गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में 1/3 भाग तक की वसीयत करने में पूर्णरूपेण सक्षम है और ऐसी वसीयत की वैधता हेतु उसके अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति अनिवार्य नहीं है। किन्तु यदि शिया वसीयत की वैधता हेतु उसके अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति अनिवार्य नहीं है। किन्तु यदि शिया वसीयतकर्ता रिक्थ योग्य तिहाई की सीमा का अतिलंघन करता है तो जब तक उसके अन्य उत्तराधिकारी इस वसीयत की वैधता हेतु अपनी सहमति प्रदान नहीं करते तब तक यह वसीयत केवल रिक्थ योग्यतिहाई तक मान्य होगी। इस विधि के अन्तर्गत उत्तराधिकारी अपनी सहमति वसीयतकर्ता के जीवन काल में भी दे सकते हैं और उसके देहान्त के पश्चात् भी सहमति प्रदान कर सकते हैं।

रिक्थों का उपशमन (Abatement of legacies)

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत एक जीवित व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति हिबा के द्वारा अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है। किन्तु मुस्लिम व्यक्ति वसीयत के द्वारा अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं कर सकता है। व्यक्ति के देहान्त के पश्चात् उसके अन्तिम संस्कार में किये गये व्यय और ऋणों के भुगतान के पश्चात् अवशेश सम्पत्ति का 1/3 भाग ही मुस्लिम व्यक्ति वसीयत के द्वारा हस्तान्तरित करने में सक्षम है। इसी को रिक्थ योग्य तिहाई कहते हैं। यदि किसी मुस्लिम व्यक्ति ने केवल एक वसीयतदार रिक्थ योग्य तिहाई से अधिक की सम्पत्ति का हस्तान्तरण वसीयत के द्वारा किया है और मृतक के उत्तराधिकारियों ने अपनी सहमति नहीं प्रदान की है, तो वसीयत दार को रिक्थ योग्य तिहाई की सम्पत्ति का हस्तान्तरण मान्य होगा। किन्तु इससे अधिक की सम्पत्ति उसे प्राप्त नहीं होगी। कभी–कभी वसीयतकर्ता एक से अधिक वसीयतों के द्वारा वसीयतदारों को सम्पत्ति हस्तान्तरित करता है और इस प्रकार की गई वसीयतों के द्वारा रिक्थ योग्य तिहाई से अधिक की सम्पत्ति का हस्तान्तरण वसीयतदारों के पक्ष मं करता है तो ऐसे में वसीयतदारों की सम्पत्ति में कटौती की जाती है।

"Where a will is made to a stranger in excess of 1/3, the consent of testator's heirs is necessary. If there is only one legatee who has to get more than legal third and, the testator's heirs do not give their consent for the bequest in excess, then there would be no difficulty and the legatee would get only 1/3 property even though the will is formore. But, where there are several legatee's and the sum total of the

[15] अकील अहमद 'मुस्लिम विधि' 19वां संस्करण पृष्ठ 160।

properties bequeathed to each of them exceeds the legal third then, the share of each legatee is determined under the rules of abatement of legacies which under Sunni and Shia laws are different."[16]

उपशमन (abatement) का अर्थ होता है ह्रास अर्थात कटौती करना। रिक्थों के उपशमन हेतु सुन्नी और शिया विचारधाराओं में अलग–अलग नियम है।

सुन्नी विचारधारा के अन्तर्गत अनुपालिक ह्रास का नियम अपनाया जाता है जबकि शिया विधि के अन्तर्गत वरीयता क्रम का नियम अपनाया जाता है।

1. आनुपातिक ह्रास (Rateable Abatement):– ''आनुपातिक ह्रास से मतलब है– 'यथा अनुपात कमी'। जहाँ दो या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किसी व्यक्ति के पक्ष में तिहाई भाग से अधिक का वसीयत किया जाता है और उत्तराधिकारीगण अपनी सहमति नहीं देते है, वहाँ हनफी विधि के अन्तर्गत हिस्सा अनुपात से कम करके 1/3 से कम कर दिया जाता है, अर्थात् वसीयती दान का आनुपातिक ह्रास हो जाता है।''[17] को अपनी सम्पत्ति का 1/3 भाग हीवसीयत के द्वारा हस्तान्तरण करने का अधिकार है। अतः सुन्नी विधिशास्त्रियों ने ऐसी दशाओं में, जब वसीयतकर्ता अपने अधिकारों से अधिक की वसीयत करता है; यह नियम निकाला कि प्रत्येक वसीयतदार की सम्पत्ति से आनुपातिक कमी कर दिया जाये और वसीयतकर्ता को रिक्थ योग्य तिहाई के नियमों को अतिलंघन न करने दिया जाये।

उपयुक्त दृष्टान्त में वसीयतकर्ता को अपनी सम्पत्ति का केवल 1/3 भाग वसीयत के द्वारा हस्तान्तरित करने का अधिकार है। अतः ऐसा माना जायेगा कि वसीयतकर्ता के पास इकाई (1) सम्पत्ति न होकर 1/3 सम्पत्ति है। अब इस 1/3 सम्पत्ति को ख, ग और घर में 1/2, 1/4 और1/4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जायेगा। इस प्रकार

ख = ख को 1/3 सम्पत्ति का 1/2 भाग मिलेगा जो कुल सम्पत्ति का 1/6 भाग होगा।
ग = ग को 1/3 सम्पत्ति का 1/4 भाग मिलेगा जो कुल सम्पत्ति का 1/12 भाग होगा।
घ = घ को 1/3 सम्पत्ति का 1/4 भाग मिलेगा जो कुल सम्पत्ति का 1/12 भाग होगा।

वरीयता क्रम का नियम (Preferential rule)

''शिया विधि के अन्तर्गत यदि कोई वसीयतकर्ता अपनी सम्पत्ति का 1/3 क को, 1/4 ख को, 1/6 ग को वसीयत करता है परन्तु उत्तराधिकारीगण अपनी सहमति प्रदान नहीं करते हैं तो क जिसको सबसे पहले वसीयत की गई 1/3 भाग प्राप्त होगा और ख और ग को कोई सम्पत्ति वसीयत में प्राप्त नहीं होगी। परन्तु इस नियम का अपवाद है– जहाँ ठीक 1/3 तिहाई सम्पत्ति के क्रमिक वसीयतदान दो विभिन्न व्यक्तियों को किये गये हों वहाँ पश्चात्वर्ती वसीयत पूर्ववर्ती वसीयत की प्रतिसंहृत कर देगी।''[18]

वसीयतों के कुछ विशेष प्रकार
(Some special kinds of wills)

1. सशर्त वसीयत (Conditional will)

वसीयतकर्ता अपने देहान्त के बाद सम्पत्ति का हस्तान्तरण वसीयतदार के पक्ष में वसीयत के द्वारा करता है। अर्थात् वसीयत, वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ही प्रभावी होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वसीयत के द्वारा सम्पत्ति के हस्तान्तरण हेतु एक शर्त पहले से ही लगी होती है– कि जब वसीयतकर्ता की मौत होगी तब ही वसीयतदार को सम्पत्ति हस्तान्तरित होगी। किन्तु यदि वसीयतकर्ता वसीयत में कोई अन्य

[16] आर0के0 हिन्हा; मुस्लिम लॉ, तृतीय संस्करण 1995, पृ0 192।
[17] अकील अहमद मुस्लिम विधि बीसवाँ संस्करण 1993 पृष्ठ 162।
[18] अकील अहमद 'मुस्लिम विधि' 20वां संस्करण, 1993, पृष्ठ 163।

शर्त लगा दे जिसका पालन करने पर ही वसीयतदार को सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो, तो ऐसी शर्त शून्य होगी (बिना किसी विधिक परिणाम के)। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सशर्त वसीयत मान्य होती है किन्तु लगाईघ गई शर्त का कोई पभाव नहीं होता।

दृष्टान्तः– यदि क नामक मुस्लिम वसीयतकर्ता ख नामक वसीयतदार के पक्ष में अपनी सम्पत्ति के हस्तान्तरण की वसीयत करता है, किन्तु इस वसीयत में यह शर्त लगा देता है कि ख सम्पत्ति का उपभोग स्वयं करेगा और सम्पत्ति का विक्रय नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में क के देहान्त के बाद सम्पत्ति ख को हस्तान्तरित हो जायेगी और लगाई गई शर्त शून्य हो जायेगी अर्थात् ख सम्पत्ति का विक्रय करने में सक्षम होगा।

2. घटनापेक्ष वसीयत (Contingent will)

यदि वसीयत का क्रियान्वयन किसी आकस्मिक घटना पर आश्रित हो, तो ऐसी वसीयत का क्रियान्वयन किसी आकस्मिक घटना पर आश्रित हो, तो ऐसी वसीयत को घटनापेक्ष वसीयत या समाश्रित वसीयत की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में यदि वसीयत के प्रभावी होने हेतु भविष्य की कोई अनिश्चित घटना आवश्यक हो तो उसे समाश्रित वसीयत कहा जाता है। मुस्लिम विधि के अन्तर्गत समाश्रित वसीयत सदा शून्य होती है, चाहे ऐसी घटना भविष्य में घट ही क्यों न जाये।

3. वैकल्पिक वसीयत (Alternative will)

यदि वसीयतकर्ता अपनी वसीयत के द्वारा ऐसा कोई विकल्प छोड़ता है कि यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय पहला वसीयतदार जीवित न हो विकल्पस्वरूप दूसरे वसीयतदार को सम्पत्ति हस्तान्तरित हो जाये, ऐसी वसीयत को वैकल्पिक वसीयत की संज्ञा दी जाती हे और ऐसी वसीयत मुस्लिम विधि के अन्तर्गत मान्य होती है।

4. मृत्युशैय्या पर किया गया दान (Death bed gifts)

यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति मृत्यु 'शैय्या पर अपनी सम्पत्ति का दान (हिबा) करता है तो प्रथमदृष्टया (Prima facie) ऐसा संव्यवहार दान लगता है किन्तु वास्तविकता में इसके विधि कपरिणाम वसीयत की भांति होते हैं। इसका कारण यह है कि मृत्यु शैय्या पर जब मुस्लिम व्यक्ति दान की घोषण करता है तब उसके मस्तिष्क में यह विचार होता है कि ऐसा दान का निष्पादन (execution) उसके देहान्त के बाद ही होगा अतः विधिक दृष्टिकोण से इस संव्यवहार के परिणाम भी वसीयत की भांति होते हैं।

मृत्यु शैय्या के दान के आवश्यक तत्व (Essential elements of deathbed gifts)

1. कोई दान मृत्यु शैय्या पर दिया गया है उसके लिये आवश्यक है कि दान कर्ता मर्ज़–उल–मौत (Marz-Ul-Maut) से ग्रसित हो। मर्ज़–उल–मौत किसी बीमारी का नाम नहीं है, कोई भी ऐसी बीमारी जिसके द्वारा ग्रसित व्यक्ति के मन में यह आशंका हो कि इस बीमारी से उसका देहान्त हो जायेगा को मर्ज़–उल–मौत कहते हैं। यह प्राणघातक बीमारियों में से कोई बीमारी भी हो सकती है अथवा कोई साधारण बीमारी भी हो सकती है। शर्त केवल एक है कि रोग से ग्रसित व्यक्ति के मन में यह आशंका हो ि कवह इस बीमारी से ठीक नहीं होगा और उसका इसी बीमारी के कारण देहान्त हो जायेगा।
2. व्यक्ति का मर्ज़–उल–मौत के कारण ही देहान्त हुआ।

विधिक परिणाम (legal incidents)

मृत्यु शैय्या पर दिये गये दान के विधिक हिबा के नियमों के अनुसार नियन्त्रित नहीं होते, बल्कि वसीयत के नियमों के अनुसार नियन्त्रित होते हैं।

मुस्लिम व्यक्ति अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को हिबा द्वारा हस्तान्तरित करने में सक्षम होता है, किन्तु वसीयत के द्वारा, सम्पत्ति हस्तान्तरण पर सुन्नी और शिया विधियों के अनुसार अलग–अलग अंकुश हैं।